राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का पचासवां दिवस [संख्या: 16

सोमवार,

13 मार्च 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

बूंदी के चिकित्सालयों में रिक्त पद

335. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला बूंदी में संचालित राजकीय चिकित्सालयों में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं तथा उक्त में से किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): जिला बूंदी में संचालित राजकीय चिकित्सालयों में राजपत्रित संवर्ग के विशेषज्ञ/चिकित्सक के 256 पद स्वीकृत, 173 पद कार्यरत एवं 83 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जिला बूंदी में संचालित राजकीय चिकित्सालयों में अराजपत्रित संवर्ग के 1,106 पद स्वीकृत, 714 पद कार्यरत एवं 392 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

एनएचएम के तहत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के अन्तर्गत बूंदी शहर में 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमश: बालचन्द पाडा एवं रजत गृह संचालित है जिनमें संविदा आधारित कुल 18 पद स्वीकृत, 07 पद कार्यरत एवं 11 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत कुल 387 पद स्वीकृत, 293 पद कार्यरत एवं 94 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उक्त पदों को भरने की प्रक्रिया परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब भेजने के बाद, हमने बूंदी जिले में 83 रिक्त पदों में 49 नये एमओ लगा दिये हैं। इनका पदस्थापन कर दिया गया है और 15 मार्च उनको लास्ट जोइनिंग पीरियड है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं, आपने अभी मेरे प्रश्न के बाद, जो कर्मचारी लगाये हैं, उसके बाद भी 30 प्रतिशत पद बूंदी में रिक्त हैं। आपने मुझे सारा डेटा दिया है। उसके अनुसार भी हम देखें, मैं इतना-सा प्रश्न पूछना चाहूंगी कि हमारे जो 580 पद रिक्त हैं, क्या आप इन पदों को भी भरने का प्रयास करेंगे या आदेश देंगे? क्योंकि आपने आदेश तो निकाला हुआ है, उसके बावजूद भी नहीं लगा रहे हैं।

दूसरा, मेरा प्रश्न है कि पूर्व में हम राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आरएमआरएस से संविदाकर्मियों का वेतन भुगतान करते थे। अब पीएचसी पर पर्ची कटना बन्द हो गई है। उसके बाद इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इन संविदाकर्मी, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर, चिकित्सक, रेडियोग्राफर भी हैं, जीएनएम, एएनएम भी लगी हुई हैं, क्या विभाग इन सभी कार्मिकों के वेतन हेतु अलग से बजट का आबंटन करने का प्रावधान करेंगे या उन सभी को अनटाइड फण्ड, जो आपका होता है, उसमें वेतन भुगतान करने का आदेश देंगे? मेरा इतना सा आपसे निवेदन है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि करीब-करीब बूंदी जिले में एमओ के सारे पद भर दिये हैं। जो विशेषज्ञ हैं, अध्यक्ष महोदय, हम ज्यों ही प्रमोशन करेंगे, हम उन पदों को भी भर देंगे। जो दूसरे अराजपत्रित कर्मचारी हैं, नर्सिंग कर्मचारी हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ है, हमने उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ज्यों ही भर्ती होगी, सभी जगह के, पूरे स्टेट के पद भरने की हम पूरी कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। एमआरएस का सरकार क्या करेगी? प्लीज, नहीं, गलत बात है।

अगला प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

बामनवास में संचालित पशु चिकित्सालय

336. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर) (श्रीमती इन्द्रा (बामनवास) के स्थान पर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक मुख्यमंत्री नि:शुल्क पशु दवा योजना में कितने पशुओं का इलाज किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय तथा पशु उप केन्द्र संचालित हैं तथा उक्त में कितने कार्मिक कार्यरत व कितने पद रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पशुओं की संख्या को देखते हुए नवीन पशु उप केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से माह फरवरी, 2023 (2022-23) तक कुल 2 लाख 68 हजार 543 पशुओं का इलाज किया गया, जिनका वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में 03 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 01 पशुधन आरोग्य चल इकाई, 09 पशु चिकित्सालय तथा 36 पशु चिकित्सा उप केन्द्र सहित कुल 49 पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं। इनमें विभागीय कार्मिकों के कुल 129 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 58 कार्मिक कार्यरत हैं एवं 71 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रदेश में वर्ष 2023-24 के लिए की गई बजट घोषणा अन्तर्गत नवगठित 1 हजार 200 ग्राम पंचायतों तथा पुरानी 1 हजार 439 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं।

नवीन पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मीना कंवर।

शेरगढ़ में पेयजल की दर्ज शिकायतें

337. श्रीमती मंजु देवी (जायल) (श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़) के स्थान पर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती मंजु देवी)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पेयजल की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु विभागीय कॉल सेन्टर संचालित किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से तथा उक्त पर कौन-कौनसी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे व उक्त दर्ज शिकायतों का कितने समय में निस्तारण कर दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में उक्त कॉल सेन्टर के प्रारम्भ होने से अब तक कितनी शिकायतें, कब-कब दर्ज की गईं? ग्राम, पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की दर्ज समस्त शिकायतों का निस्तारण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) प्रदेश में पेयजल की शिकायतों के समाधान हेतु विभागीय स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में पेयजल व अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय राजस्थान सम्पर्क पोर्टल का कॉल सेंटर स्थापित है। यह कॉल सेंटर माह अगस्त, 2017 से संचालित है, जिस पर जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग से संबंधित शिकायतें भी दर्ज की जाती हैं। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर पेयजल से सम्बन्धित कुल 21 विषयों के अन्तर्गत शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। दर्ज शिकायतों के निस्तारण की समयावधि शिकायत की विषय वस्तु के आधार पर निर्धारित की गयी है। पोर्टल पर दर्ज परिवादों के निस्तारण की समय सीमा का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अन्तर्गत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अगस्त, 2017 से दिनांक 10.02.2023 तक कुल 7,568 परिवाद दर्ज हुए हैं। प्राप्त परिवादों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अन्तर्गत अगस्त, 2017 से दिनांक 10.02.2023 तक दर्ज कुल 7,568 परिवादों में से 7,430 परिवादों का पूर्ण निराकरण कर दिया गया है। शेष 138 परिवादों में से 115 परिवाद विभागीय स्तर पर निराकरण के पश्चात् परिवादी से सत्यापन हेतु सिटीजन कॉल सेंटर पर लम्बित हैं एवं 23 परिवादों का विभागीय मापदण्डों के अनुरूप निस्तारण प्रक्रियाधीन है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जवाब 10 फरवरी का बना हुआ है, क्योंकि यह प्रश्न पहले लगना था। मैंने अधिकारियों से पूछा तो मुझे जानकारी दी गई कि आज की तारीख में सारे परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज होना एवं विभाग द्वारा उनका निस्तारण एक सतत प्रक्रिया के तहत नियमित रूप से किया जाता है। विवरण परिशिष्ट-ब में निहित है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा गर्मी के सीजन में 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक हम लोग राज्य स्तर पर एक शिकायत केन्द्र बनाते हैं और हर जिले में बनाते हैं। हम उनके नम्बर बहुत प्रचारित करते हैं। उनके विज्ञापन दिये जाते हैं कि किसी को कोई शिकायत हो, क्योंकि गर्मी में पानी की किल्लत रहती है। उस पर भी शिकायतें आती हैं तो 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक हमारी अतिरिक्त व्यवस्था होती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य गोपाल जी और गोपी चन्द जी, 'ना पक्ष' लॉबी भी है।

अगला प्रश्न। श्री अशोक लाहोटी।

रजिस्टर्ड सोसाइटियों के तहत संचालित स्कूल

338. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) जयपुर शहर में स्थित नीरजा मोदी स्कूल, मानसरोवर; रुकमणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, दुर्गापुरा; महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय, सवाई रामसिंह रोड; आईआईएस इंटरनेशनल स्कूल; कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल व वर्ल्ड स्कूल किन-किन सोसाइटियों के अन्तर्गत संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्थाओं में पदाधिकारी, सदस्य बनाने के नियम बनाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत तीन वर्षों में उक्त संस्थाओं में कितने-कितने सदस्य नियुक्त किये गये हैं व उनकी पदावधि क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जयपुर शहर में स्थित नीरजा मोदी स्कूल, मानसरोवर; महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय, सवाई

(सहकारिता मंत्री)

रामसिंह रोड एवं आई.आई.एस. इन्टरनेशनल स्कूल, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट (1958) के तहत पंजीकृत संस्थाएं क्रमश: श्री मोदी शिक्षण संस्थान, शिप्रा पथ, मानसरोवर; सवाई मानसिंह शिल्पकला मंदिर सोसाइटी, जयपुर एवं इंडियन काउन्सिल फोर इंटरनेशनल एमिटी, जयपुर द्वारा संचालित है।

देवस्थान विभाग से प्राप्त सूचनानुसार जयपुर शहर में स्थित कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल एवं वर्ल्ड स्कूल राजस्थान सावर्जनीन प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत कृष्ण योगाश्रम ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं।

रुकमणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, दुर्गापुरा, न तो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट (1958) एवं न ही राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत है।

(2) जी हां। इन संस्थाओं के उपनियमों में सदस्य बनाये जाने के प्रावधान हैं। इन सोसाइटियों से प्राप्त उपनियमों की प्रतियां परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न हैं।

(3) सोसाइटियों/ट्रस्ट से प्राप्त सूचनानुसार विगत तीन वर्षों में उक्त संस्थाओं में नियुक्त किये गये सदस्यों की सूचना परिशिष्ट-3 एवं 4 पर संलग्न है।

इन सोसाइटियों से प्राप्त उपनियमों एवं राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 56 (परिशिष्ट-5) के अनुसार ट्रस्टों की पदावधि इस प्रकार है:-

क्र सं.	**संस्था का नाम**	**पदावधि**
1.	श्री मोदी शिक्षण संस्थान, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर-20	2 वर्ष
2.	सवाई मानसिंह शिल्पकला मन्दिर सोसाइटी, जयपुर	3 वर्ष
3.	इंडियन काउंसिल फार इंटरनेशनल एमिटी	5 वर्ष
4.	कृष्ण योगाश्रम ट्रस्ट	5 वर्ष

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछूं, उसके पहले जो मंत्री जी ने पढ़ा है उसमें जो सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम है यह

(श्री अशोक लाहोटी)

एक्चुअल अधिनियम है, इसको तीन जगह तो इन्होंने अलग-अलग भाषा में मिसप्रिन्ट कर रखा है और जो सबसे बड़ा सवाई मानसिंह शिल्प कला मन्दिर सोसाइटी लिखा है, यह इन्होंने खण्ड 4 के पेज नं. 5 में जो जवाब दिया है उसमें यह सोसाइटी का नाम ही सवाई रामसिंह शिल्प कला मन्दिर सोसाइटी है तो मैं यह जरूर कहूंगा कि यह जो जवाब बनाते हैं वह उसको देख कर बनायें कि हम क्या लिख कर लेकर आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि खण्ड 2 के पेज नं. 16 पर इन्होंने लिखा है कि, "governing body which shall consist of 11 members" और जबकि सवाई मानसिंह स्कूल के जो इन्होंने डाक्युमेंट्स दिये हैं उनमें 2020 और 2021 दोनों में ही आठ ही मैम्बर नियुक्त किये गये तो क्या मंत्री जी, आठ मैम्बर्स का एक्ट में प्रावधान है? नम्बर 1-11 की जगह 8 क्यों पेश कर रहे हैं और उसको स्वीकार क्यों किया? नम्बर-2 कि इनको प्रति वर्ष अपने लेखे को-आपरेटिव में दर्ज करवाने पड़ते हैं सभी संस्थाओं को राजस्थान में अधिनियम धारा 4 और 4(क) के अनुसार, यह रिकार्ड आपके पास उपलब्ध है क्या? यदि उपलब्ध है तो सवाई मानसिंह विद्यालय का रिकार्ड पिछले 15 सालों का यदि उपलब्ध है तो आप लेकर यहां टेबल करवाने की कृपा करें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहला प्रश्न था माननीय सदस्य का जिसमें कोई सूचना मिसप्रिन्ट हुई है तो इस मामले में यदि अधिकारियों की कोई त्रुटि हुई है तो जांच करा कर इनको सूचित कर दिया जायेगा कि कहां प्रिन्टिंग मिस्टेक हुई है।

दूसरा, यह है कि जयपुर में करीबन 58 हजार संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं और पूरे राजस्थान में 2 लाख 60 हजार हैं। अगर कोई सूचना नहीं देता है तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहां पर आवेदन देना पड़ता है और पांच सौ रुपये तक का ज्यादा से ज्यादा जुर्माना है। सूचना देने के लिए वह बाध्य नहीं है। इसलिये कानून में संशोधन करने के लिए विचाराधीन है ताकि रजिस्ट्रार को सूचना देने के लिए ये संस्थाएं बाध्य हो जायें लेकिन अभी कानून का नियंत्रण नहीं होने के कारण से हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, धारा 4 (ख), इसके आगे की यदि पढ़ेंगे तो उसमें बाध्य किया हुआ है और उस पर पेनल्टी भी प्रस्तावित है। मैं कागज अभी आपको दे दूंगा।

(श्री अशोक लाहोटी)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, जो मंत्री जी ने कहा कि सूचना देना जरूरी नहीं है, यह पेज नं. 15 पर जो पेपर सब्मिट किया है, आर.टी.आई. के अन्दर इनके विभाग ने दसों जगह पर यह लिख कर दिया है कि हमारे पास मानसिंह स्कूल का कोई रिकार्ड है ही नहीं और यह जो पेपर दिया है यह 15 साल पहले की सत्यापित प्रतिलिपि है। यह व्यक्ति वर्तमान में तो चार साल से जेल में है। यह सुनील चौधरी, को-आपरेटिव का डीआर चार साल से जेल में है। उसकी सत्यापित प्रतिलिपि आज आप यहां सदन में पेश कर रहे हो तो यह सत्यापित हुई कब थी, यह भी तो बताएं। यह कापी स्कूल ने आपके विभाग को सवाल लगने के बाद, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है, कार्यवाही तो मंत्री जी करेंगे और आप निर्देश देंगे। यह सवाल जब लगा तो इन्होंने स्कूल से डाक्यूमेंट मांगे कि आपके पास कोई कागज हों तो दे दो और जितनी आरटीआई डिपार्टमेंट में लगी है पिछले पांच सालों में, वहां यह वर्बली यह कह कर भेज देते हैं कि 15 साल से हमारे पास इस स्कूल की कोई फाइल नहीं है। सदस्य आठ ही ले रखे हैं, ग्यारह नहीं रखे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समझ में आ गया, कन्क्लूड करें प्रश्न।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इस स्कूल के खिलाफ मंत्री जी अपने एक्ट को देख कर क्या कार्यवाही करने का भी कुछ प्रस्तावित करेंगे? आपके पास एक्ट में सारे प्रावधान हैं या इनकी मनमर्जी चलेगी?

श्री अध्यक्ष: फिर आप इस पर आ गये। आप उत्तर भी दे रहे हो और प्रश्न भी पूछ रहे हो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): तो यही पूछ रहा हूं कि क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। माननीय मंत्री जी, आपके उत्तर से यह चीज समझ में आयी कि को-आपरेटिव्ज के जितने भी स्कूल या संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, मेंडेटरी नहीं है कि जनता को सूचना दें, तो सरकार एक्ट में कब इसका परिवर्तन लायेगी जिससे यह मेंडेटरी हो जाये?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): यह प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं, जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं, सभी मंत्रियों को भी मालूम है, सभी सदस्यों को भी मालूम है और अधिकारियों को भी मालूम है कि अगर सूचना, यह जो कह रहे हैं, उसके आधार पर गलत दी

(श्री अंजना उदयलाल)

गई है तो उन अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्यवाही की जायेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, और प्रक्रियाधीन लिखा है तो जल्दी से जल्दी इसको आगे बढ़ा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

रायसिंहनगर में खाद्‌य सुरक्षा योजना के पात्र परिवार

339. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या खाद्‌य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खाद्‌य सुरक्षा में नाम जोड़ने हेतु पोर्टल बन्द है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पोर्टल को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पोर्टल बंद होने से पात्र परिवारों का नाम नहीं जुड़ने से उक्त को खाद्‌य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में उक्त योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति व परिवार पात्र हैं? तथा उक्त को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्‌य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की क्रियान्विति के क्रम में खाद्‌य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने हेतु पोर्टल दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2022 व दिनांक 13.05.2022 को मध्य रात्रि से 28.05.2022 मध्य रात्रि तक खोला जाकर आवेदन पत्र प्राप्त किये गये, नाम जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भारत सरकार द्‌वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय खाद्‌य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्‌वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद संभव हो सकेगा।

(2) उत्तर बिन्दु संख्या 1 में समाहित है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 44,812 परिवार (1,67,890 व्यक्ति) चयनित हैं। उक्त चयनित परिवारों में अन्त्योदय श्रेणी के परिवार को प्रति माह प्रति राशनकार्ड 35 किलोग्राम एवं अन्य पात्र परिवार को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा में प्राप्त आवेदन पत्रों का सम्पूर्ण चयन कब तक हो जायेगा? नये चयनित लोगों को गेहूं कब तक मिलने लग जायेगा?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में जो पोर्टल में नाम जोड़े गये थे, नये नाम जो चयनित हुए हैं उनमें से काफी लोगों को गेहूं मिलना शुरू हो गया है। उनको सूचना दे दी गयी है। फिर भी आपके क्षेत्र की कोई ऐसी सूचना हो जिसमें कोई दिक्कत आ रही हो आपको तो आप मुझे बता देना। आपसे डीएसओ सम्पर्क करेगा, आपके साथ बैठ कर जो नये चयनित परिवार हैं उनको गेहूं उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ बैठ कर तय करेगा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार कुछ परिवारों के जितने भी राशनकार्ड में सदस्यों के नाम लिखे गये हैं, उन परिवारों में से एक या दो सदस्यों को राशन मिलना शुरू हुआ है, बाकी के सदस्यों को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। यह व्यवस्था कब तक आप दुरुस्त कर दोगे?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी कई बार जब शादी होकर चले जाते हैं बच्चे-बच्चियां तो वे अपना नाम कटवा लेते हैं, दूसरी जगह जुड़वा लेते हैं। फिर भी आपके पास ऐसी कोई सूचना हो तो बता देना। यह तो मामला गरीबों से जुड़ा हुआ है आप जितने अलर्ट रहोगे, डीएसओ आपके घर आयेगा, आप बताओ, सुधार करवा देंगे। नहीं मानें तो मुझे बता देना, मैं कार्यवाही कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

श्रीगंगानगर में खालों के निर्माण में अनियमितताओं की शिकायतें

340. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला श्रीगंगानगर में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक कौन-कौनसी ग्राम पंचायत में कितने खालों का निर्माण किया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत उक्त खालों के निर्माण की समय सीमा निर्धारित थी? यदि हां, तो उक्त वित्तीय वर्षों में स्वीकृति के उपरांत कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में किन-किन कारणों से उक्त खालों का निर्माण नहीं किया गया? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अवधि में तैयार किये गये खालों के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री का परीक्षण किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की किस स्तर के अधिकारी से जांच करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग द्वारा जिला श्रीगंगानगर में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक गंगनहर परियोजना फेज-द्वितीय के अन्तर्गत कुल 255 चकों में पक्का खाला निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं 65 चकों में खाले निर्माणाधीन हैं। इसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत भाखड़ा नहर परियोजना क्षेत्र में 5 खालों का निर्माण किया जा चुका है एवं 26 चकों में खाले निर्माणाधीन हैं। ग्राम पंचायतवार सूची संलग्न-(प्रपत्र अ एवं अ-1) है।

(2) जी हां। गंगनहर परियोजना फेज-द्वितीय के अन्तर्गत इन खालों का निर्माण मार्च 2024 तक किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें से उक्त वित्तीय वर्षों मे स्वीकृति के उपरांत 32 खालों का निर्माण नहीं किया जा सका। कारणों सहित ग्राम पंचायतवार सूची प्रपत्र-ब पर संलग्न है। इसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत सादुलशहर-श्रीगंगानगर क्षेत्र में खालों का निर्माण मार्च 2024 तक किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। इन परियोजनाओं में विभागीय मापदण्डों के अनुसार

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

पक्के खालों का निर्माण करवाया जा रहा है। खाला निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही विभागीय अभियन्ताओं द्वारा सम्बन्धित चक समिति की देख-रेख में गुणवतापूर्ण खाला निर्माण कार्य करवाया जाता है। उक्त कार्यों में कुल प्राप्त 07 शिकायतों पर अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता स्तर के अधिकारियों द्वारा जांच करवाई जा रही है, जिनमें से 03 प्रकरणों की जांच पूर्ण कर दी गई है एवं 04 प्रकरणों की जांच प्रगतिरत है। विवरण प्रपत्र "स" पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि अनूपगढ़ जो शाखा है, क्या वह गंगानगर जिले में नहीं आती है? क्योंकि मुझे जो इसमें जवाब दिया गया है उसके अन्दर मैंने पूरे गंगानगर जिले की डिटेल मांगी थी लेकिन इसके अन्दर गंग नहर परियोजना और भाखड़ा नहर परियोजना का ही विवरण दिया गया है। अनूपगढ़ शाखा का विवरण इसमें नहीं दिया गया है, इसका क्या कारण है और अनूपगढ़ शाखा के अन्दर कितने खालों का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है? उसका विवरण दिया जाये।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूरे जिले की सूचना मांगी थी। पूरी पंचायतवार जहां-जहां हमारे काम चल रहे हैं, वर्तमान में 255 चकों में काम चल रहा है, और 65 चकों में खाले निर्माणाधीन हैं। जहां-जहां आपने सूचना मांगी, जहां हमारे काम चल रहे हैं, उनके बारे में हमने सूचना दी है। जहां पर काम नहीं है वहां काम नहीं चल रहे हैं तो वहां पहले से काम हो चुके हैं, तो इसलिये जहां अभी हमारा विभाग काम कर रहा है, आपने वही सूचना मांगी है और वही हमने सूचना दी है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ शाखा की मैं बात कर रही हूं। अनूपगढ़ शाखा के एक भी खाला निर्माण के बारे में डिटेल नहीं दी गई है। आप काम की बात कर रहे हो। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगी कि 61 जीबी पंचायत के जब से खाले बने हैं, उसके बाद से उनका अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। एबी-1, ए 2, ए 3, ए 4, ए 5 का अभी तक एक भी बार निर्माण नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि इनका पहले निर्माण हो चुका है। मैं यह जानना चाहती हूं कि यह जो आधा-अधूरा जवाब दिया गया

(श्रीमती संतोष)

है, इस पर आप क्या कार्यवाही करेंगे? मेरा पूरा का पूरा क्षेत्र अनूपगढ़ शाखा पर ही निर्भर है और उसकी डिटेल मुझे नहीं दी गई है।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि आपके अनूपगढ़ में जैसे 54 जीबी है, 59 जीबी है, 78 जीबी है, जहां पर हमारे काम पूर्ण हो चुके हैं, उसकी हमने सूचना दी है। जहां पर आप बता रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं तो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर जो खाले रहे हुए हैं, उनको ले लेंगे। वर्तमान में आपने जो हमसे स्थिति पूछी है, उसी की हमने जानकारी दी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपके कहने का मतलब यह है कि 2022-23 तक अनूपगढ़ में, जो यह माननीय सदस्या कह रही हैं, उन खालों का निर्माण हुआ ही नहीं, यही मतलब है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब है नहरों में अभी काफी ऐसी जगहें हैं जहां पर चक प्लान नहीं हुए हैं, कई जगह खाले नहीं बने हैं या वहां पर बारानी जमीन है, वहां पर खाले नहीं बन पा रहे हैं। जहां अलाटमेंट हो चुके हैं वहां खाले बन चुके हैं और जहां अलाटमेंट नहीं है, इस तरह हर क्षेत्र की अलग-अलग स्थितियां हैं। इन्होंने 2022-23 दो साल की जानकारी पूछी है, दो साल में जो स्वीकृति हुई है, उसके बारे में जानकारी दी है। अब इनके क्षेत्र में जो क्षेत्र रह गये हैं, उनके बारे में आप लिखकर दे दें, तो हम वित्तीय संसाधनों के अनुसार उनको भी स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय मंत्री जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि अगर मुझे विवरण मिलेगा तभी तो.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने दो साल का ही पूछा है, मैंने प्रश्न देखा है, आपने दो साल का ही पूछा है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): दो साल का ही पूछा है, लेकिन अनूपगढ़ शाखा में निर्माण कार्यों की मैं बात कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, आप बैठें। मैंने प्रश्न पढ़ लिया है, आप बैठें। आपने 2020-21 और 2022-23 का पूछा है। अब आपके नये बनाने हैं, उसके लिए पूछ रहे हैं तो आप प्रस्ताव दीजिए, बना देंगे।

अगला प्रश्न। श्री बलबीर सिंह लूथरा। (व्यवधान) यह स्थगित प्रश्न था, इसका वापस यहीं नम्बर आता है।

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 13 फरवरी, 2023)

रायसिंहनगर में खालों का निर्माण

117. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के बहुत से चकों, गांवों में पक्के खालों का निर्माण अब तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 के मध्य सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता व अन्य योजनाओं द्वारा कितने चकों में पक्के खालों के निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ है व कितने खाले पूर्ण हो चुके हैं व उक्त में से कितने खाले बनाये जाने शेष हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि के मध्य उक्त विधान सभा क्षेत्र में खालों के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत 413 चकों में पक्के खालों का निर्माण किया जा चुका है (विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है)। इस परियोजना के रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में किसी भी चक में पक्का निर्माण कराया जाना शेष नहीं है। रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में गंगनहर परियोजना के अन्तर्गत कुल 305 चकों में पक्का खाला निर्माण किया जाना था, जिसमें से दिसम्बर, 2022 तक 281 चकों में पक्का खाला निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। निर्मित खालों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। 15 चकों में पक्के खालों का निर्माण किया जाना शेष है तथा 9 चकों में निर्माण कार्य प्रगतिरत है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 01 जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 के मध्य गंगनहर परियोजना फेज-II में कुल 126 चकों का कार्य स्वीकृत हुआ था जिसमें से 102 चकों में कार्य पूर्ण कर दिया गया है (विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है) एवं 24 चकों में निर्माण कार्य शेष/प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में खाला निर्माण कार्य अगस्त, 2010 से पूर्व पूर्ण किया जा चुका है।

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

(3) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में खालों के निर्माण पर राशि रुपये 5125.69 लाख रुपये व्यय हुए। विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आईजीएनपी क्षेत्र में बने हुए खालों को लगभग 50-60 साल हो चुके हैं और वह प्रायः सभी क्षतिग्रस्त और नाकारा हो चुके हैं। जिस प्रकार गंग कैनाल पर आपने खालों का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है तो क्या आप आईजीएनपी पर भी खालों का पुनर्निर्माण विभाग द्वारा या सीएडी द्वारा करवाने की मंशा रखते हैं या नहीं?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में इसमें कोई प्रावधान नहीं है। सी.ए.डी. द्वारा एक बार खाले बनाये जाते हैं, काश्तकारों को हैंड ओवर करने के बाद वापस खाले नहीं बनाये जाते हैं। कुछ जगह जहां सेम की स्थिति है, वहां पर अभी कुछ जगह मुख्य मंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है। वर्तमान में इस क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा है।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सरकार द्वारा गंग कैनाल परियोजना पर 60-70 साल पूर्व में बने खालों का सी.ए.डी. द्वारा पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है तो आई.जी.एन.पी. पर क्यों नहीं?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी फरमाया है कि वर्तमान में जहां सेम की स्थिति बनी हुई, जहां वास्तव में क्षतिग्रस्त हो चुके थे, वहां पर मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। सीएडी में यही प्रावधान है। एक बार खाला बनाने के बाद में किसानों को हैंड ओवर करने के बाद वापस खाले नहीं बनाये जाते। कुछ जगह जहां सेम की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं वहां पर अभी सरकार ने बजट में घोषणा की है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनका प्रश्न यह है कि आप गंग कैनाल में तो यह कर रहे हैं, आईजीएनपी में जहां 50 साल पूरे हो गये हैं, उनके खालों के संबंध में भी सरकार कोई व्यवस्था करने की सोच रही है क्या?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि वर्तमान में गंग कैनाल में जहां सेम से खाले खराब हो चुके थे, वहां पर लिए हैं, लेकिन सी.ए.डी. द्वारा एक बार खाला

(श्री शाले मोहम्मद)

बनाने के बाद जहां काश्तकार को दे दिये हैं, उसके बाद वापस नहीं बनाते हैं। वित्तीय संसाधन होंगे तो उसके बाद इसको आगे देखेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप फिर कन्फ्यूज कर रहे हैं। गंग कैनाल में आप सी.ए.डी. के माध्यम से खालों का निर्माण करवा रहे हैं। इनका प्रश्न यह है कि आई.जी.एन.पी. के खालों को 50 साल हो गये हैं, क्या आई.जी.एन.पी. के जो खाले खराब हो गये, गंग कैनाल की तरह उनके लिए भी वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करेंगे?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में तो कोई प्रावधान नहीं है, आगे वित्तीय हालात पर उसका प्रावधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

प्रदेश में संचालित खादी संस्थाएं

341. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) (श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) के स्थान पर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के जिलों में कितनी खादी संस्थाएं संचालित हैं एवं उक्त में कितने कार्मिक कार्यरत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में कितने नये खादी संस्थानों का पंजीयन हुआ एवं उक्त में कितने नये रोजगार सृजित हुए? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में प्रदेश के जिलों में कितने खादी संस्थान बंद हुए एवं उक्त के बंद होने से कितनों का रोजगार प्रभावित हुआ? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) राजस्थान के जिलों में 167 खादी संस्था/समितियां कार्यरत हैं। इनमें से खादी आयोग द्वारा 150 खादी संस्थाओं/समितियों के लक्ष्यांक आबंटित किये गये हैं। इनके द्वारा 16,875 कातिन-बुनकर/कार्यकताओं का नियोजन दिया जा रहा है, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान में विगत 5 वर्षों में खादी आयोग द्वारा 17 खादी संस्था/समितियों का पंजीयन हुआ है। इनके द्वारा 746 कातिन-बुनकर/कार्यकर्ताओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(3) उक्त अवधि में कोई खादी संस्था बंद नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि खादी संस्थाओं को पिछले पांच साल में किन-किन प्रयोजनों के लिए कितना अनुदान दिया गया, पहला प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इससे रिलेवेंट पूछें, वह अलग प्रश्न हो जायेगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसी से रिलेटेड है।

श्री अध्यक्ष: पैसे का यह प्रश्न ही नहीं है। प्लीज, आप प्रश्न पढ़ें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): चलिए ठीक है, मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेती हूं।

मैं आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहती हूं कि पिछले पांच साल में सिर्फ 17 संस्थाएं पंजीकृत हुई हैं और उन 17 संस्थाओं में 746 ही हैं। जब से इन संस्थाओं का पंजीयन हुआ है, तब से लेकर अभी तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे प्रश्न के उत्तर में, सिर्फ 167 संस्थाएं ही अभी तक हैं। मतलब 60 करोड़ की आबादी में 167 संस्थाएं हैं और जिनमें 16,876 लोग ही नियोजित हैं। इन खादी संस्थाओं में पंजीकरण बढ़ें, लोग इसके काम में जुटें, इसके लिए क्या सरकार कोई स्कीम लाने का विचार रखती है? इस नियोजन को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, जिस तरह से केन्द्र सरकार एसएमई में पीआईएल स्कीम लेकर आई है, क्या उसी तरह से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं यही बोलना चाह रही हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न हो गया, माननीय सदस्य?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो संस्थाएं बनाई जाती हैं, नवीन समितियों द्वारा खादी ग्रामोद्योग, खादी का प्रमाण पत्र लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और इसमें भारत सरकार के जरिए, नई दिल्ली के पास हमारी कई संस्थाएं पेंडिंग पड़ी हैं, भारत सरकार हमें अनुमति देती है, तभी यहां राजस्थान सरकार उनको स्थापित करती है। ऑनलाइन आवेदन भारत सरकार के पोर्टल पर होते हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं यह नहीं पूछना चाह रही हूं।मैं सिर्फ यह पूछना चाह रही हूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराएं, ज्यादा से ज्यादा इस काम में लगें, उसके लिए क्या स्टेट गवर्नमेंट कोई अनुदान, कोई स्कीम, कोई बेनिफिट, कोई बेनिफिट देते हैं तो लोग ज्यादा आते हैं, तो क्या राज्य सरकार कोई स्कीम बनाकर लोगों को इस काम में नियोजित करने के लिए कोई पहल करना चाहती है? हम तो भारत सरकार को भेजेंगे तब भेजेंगे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें प्लीज।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): राजस्थान सरकार द्वारा उत्साहवर्धन के लिए कातिन और बुनकरों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का प्रावधान मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणा 2022-23 में किया गया है। संस्थाओं के माध्यम से इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, इसमें कातिन को 300 रुपये और बुनकर को 500 रुपये दिये जाते हैं। इसका जो मानदेय होता है, वह कितनी हु्ण्डी बनाता है, उस आधार पर इनका पेमेंट इनको किया जाता है। राजस्थान सरकार की तरफ से इनको लूम देने का काम, अम्बर चरखा देने का काम, जिससे ट्रेनिंग लेकर ये जल्दी से जल्दी खादी का ज्यादा उत्पादन कर सकें और उनकी आमदनी भी उत्पादन के आधार पर ही निर्धारित होती है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह।

वल्लभनगर के गांवों में रोडवेज बस सेवा का पुन: संचालन

342. श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में खेरोदा-चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा वाया अमरपुरा-कुंथवास चारगदिया मार्ग, उदयपुर-इटाली वाया वल्लभनगर-करणपुर-नवाणिया-रूंडेडा-चित्तौड़गढ़ मार्ग एवं उदयपुर-बंबोरा-कुराबड-जगत-सलूम्बर मार्ग पर रोडवेज बस सेवा का पुनः संचालन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त मार्गों पर संचालित निगम की बसें घाटे में चल रही हैं? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर? यात्री भार सहित संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अधिकतर क्षेत्रों में रोडवेज बस सेवा घाटे में चल रही है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में ही उक्त समस्त बस सेवाओं को बंद करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण प्रश्नगत मार्गों पर बस सेवा का संचालन किये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(2) प्रश्न के खण्ड-1 में वर्णित मार्गों पर निगम द्वारा वर्तमान में संचालन नहीं किया जा रहा है।

(3) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन की अधिकतर बस सेवाएं वर्तमान में घाटे में चल रही हैं।

निगम द्वारा किसी भी मार्ग पर सेवाओं का संचालन बंद करने के कारण मुख्यत: मार्ग पर मिलने वाले यात्री भार में कमी, संसाधनों की कमी एवं निगम बेड़े में वाहनों की अनुपलब्धता है।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि रोडवेज एक राजकीय उपक्रम है और आम जनता की सेवा के लिए है। अधिकतर क्षेत्रों में अगर बस सेवा में घाटा है और बाकी जगह भी कम यात्री भार होते हुए भी चल रही है तो मेरे ही विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में ही इसे बंद क्यों किया गया है? मेरे विधान सभा क्षेत्र की आबादी लगभग सवा तीन लाख लोगों की है। वहां पर हर तबके के लोग रहते हैं और बस असुविधा की वजह से वहां पर आम नागरिक, विद्यार्थी, शिक्षकों और नौकरी वालों को बहुत दिक्कत आती है।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ वल्लभनगर में ही बसें बन्द नहीं की गयी हैं, जैसा कि माननीय सदस्या ने अपने प्रश्न में कहा है। वल्लभनगर में अब भी 48 बस सेवाएं संचालित हैं। जो बंद करने का आधार है, वह सारे राजस्थान के लिए एक ही है, वल्लभनगर के लिए ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल भील।

रावछ (गोगुन्दा) के जनजाति छात्रावास का नवीन भवन निर्माण

343. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के राजकीय जनजाति छात्रावास, रावछ का भवन निर्माण कब किया गया था तथा वर्तमान में उक्त की क्या स्थिति है?

(श्री प्रताप लाल भील (गमेती)

(2) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास का भवन जर्जर अवस्था में है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का नवीन भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के राजकीय जनजाति छात्रावास, रावछ के भवन का निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था, जिसकी जांच में उक्त छात्रावास का भवन वर्तमान में मरम्मत योग्य अवस्था में है, जिसके नवीनीकरण/जीर्णोद्धार की अति आवश्यकता है।

(2) उक्त छात्रावास का भवन वर्तमान में मरम्मत योग्य अवस्था में है, जिसके नवीनीकरण/जीर्णोद्धार की अति आवश्यकता है।

उक्त छात्रावास के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में एक-एक लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। प्राप्त प्रस्ताव एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर नवीन भवन के निर्माण पर विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रताप जी और मदन जी, मैं सबकी सीटें बदलूंगा। यहां आवाज आती है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सॉरी।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 45 वर्ष पूर्व इस छात्रावास का निर्माण करवाया गया था और अब तक इस पर रिपेयरिंग या रखरखाव के लिए एक भी रुपया इन्होंने खर्च नहीं किया है। यहां पर 2018 से पहले यह छात्रावास जिला परिषद माडा योजना में संचालित था और उस टाइम पर यहां पर 100 छात्र अध्ययनरत थे। बिल्डिंग की जर्जर हालत होने से यहां पर संख्या भी 50 कर दी है। क्या सरकार इसके लिए कोई नयी बिल्डिंग की व्यवस्था करना चाहती है?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा के आधार पर हम खुद चिन्तित हैं और हमने इसकी सारी जानकारी प्राप्त की। वहां अगर माननीय सदस्य हमको जमीन उपलब्ध करा दें, हम लोग भी जमीन ढूंढवा रहे हैं, इसके

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

लिए हमने इसका सर्वे कराकर कि कितना रिपेयरिंग करना है, उसकी जानकारी करके रिपेयरिंग करायेंगे। अगर जमीन उपलब्ध हो जायेगी तो हम नया भी बना देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी 2020-21, 2021-22 में एक-एक लाख रुपये दे रहे हैं और भवन बिल्कुल जर्जर है। आप विभाग को निर्देश दें कि जिलाधीश महोदय से मिलकर जमीन आइडेंटिफाई करके नया भवन बनाएं। इसमें क्या प्रोब्लम है? 1978 का हॉस्टल है, जीर्ण-शीर्ण है और हम एक-एक लाख रुपये अलाट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जमीन है। 1978 के जीर्ण-शीर्ण भवन के सम्बन्ध में विभाग ने कभी सोचा ही नहीं कि नया भवन बनाना है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 2018 में ही विभाग के पास में पाया है, उसके बावजूद भी हमने रिपेयरिंग करायी है और अभी भी हमने पीडब्ल्यूडी से परीक्षण कराया है। उन्होंने रिपेयरिंग का बताया है। उसके बावजूद भी आपके निर्देशानुसार जमीन उपलब्ध होते ही नया भवन बना देंगे।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): मेरे कहने का मतलब है कि माडा योजना जनजाति विभाग के अन्तर्गत नहीं आती?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि आपके विभाग में माडा योजना आती है। यह हॉस्टल माडा योजना के अन्तर्गत आ रहा है। माडा योजना के अन्तर्गत आप पैसे की व्यवस्था करें और नयी बिल्डिंग बनाने के निर्देश दें।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): सर, मेरा निवेदन है कि जमीन उपलब्ध होते ही नये भवन के लिए हम कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

चित्तौड़गढ़ में अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि कनेक्शन

344. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि कनेक्शन देने में विशेष प्राथमिकता दी गई है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(2) क्या यह भी सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ में अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि कनेक्शन दिये गये हैं? यदि हां, तो विगत चार वर्षों में कितने व किस-किस श्रेणी के? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले के अनुसूचित जनजाति के सभी किसानों को अनुसूचित जाति के किसानों की भांति कृषि कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) जी हां। कृषि कनेक्शन नीति-2017 में निहित प्रावधानुसार अनुसूचित जाति के कृषकों को तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन जारी किये जाते हैं।

(2) जी हां। चित्तौड़गढ़ जिले में किसानों को विगत 4 वर्षों में दिये गये कृषि कनेक्शनों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) चित्तौड़गढ़ जिले में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कृषि कनेक्शन नीति-2017 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित सभी कृषि आवेदकों को तुरंत प्राथमिकता पर कनेक्शन दिया जाता है, लेकिन उक्त जिले के गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति के एवं बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना के आवेदकों को ही तुरंत प्राथमिकता पर कृषि कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति सहित शेष अन्य सभी आवेदकों को सामान्य श्रेणी की प्राथमिकता अनुसार कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ही इसका समाधान कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, मैं समाधान कराता हूं।

माननीय मंत्री जी, टीएसपी इलाके के आदिवासी और नॉन टीएसपी के आदिवासी, सब आदिवासी हैं। टीएसपी के आदिवासियों को प्राथमिकता मिल रही है और नॉन टीएसपी में रहने वाले आदिवासियों को प्राथमिकता नहीं मिल रही है। क्या टीएडी विभाग के साथ बैठकर राजस्थान में नॉन टीएसपी में रहने वाले आदिवासियों को बिजली के कनेक्शन में प्राथमिकता देंगे?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के जवाब में निवेदन किया है कि पूरे प्रदेश में जो जनजाति उपयोजना क्षेत्र है, वहां के जो-जो गांव आते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में

(श्री भंवर सिंह भाटी)

51 गांव हैं, जो कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, उनमें सभी श्रेणी के लोगों को ऑन डिमांड कनेक्शन देने का प्रावधान है। कृषि कनेक्शन नीति, 2017 में तय किया हुआ है। जैसा कि अभी आपने निर्देशित किया है तो आपके निर्देशों पर विचार करके अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या बोलना है?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा एक निवेदन है कि मैं 1994 से यह प्रश्न लगा रहा हूं, कृपा करके इसका रास्ता निकालें। इसे आप करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह कोई आपके विभाग का ही नहीं है। सरकार, टीएडी डिपार्टमेंट और सम्बन्धित विभाग, न केवल बिजली विभाग, नॉन टीएसपी इलाके में रहने वाले आदिवासी हैं, उनको भी आदिवासी का इंडिविजुवल बेनिफिशियरी का बेनिफिट मिले, उसके सम्बन्ध में नीति बनायें, जिससे उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। इस बारे में सरकार तुरन्त निर्णय करे।

अगला प्रश्न। श्री पुखराज।

प्रदेश में आयुष पायलट प्रोजेक्ट

345. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में आयुष मंत्रालय से एन.पी.सी.डी.सी.एस. आयुष पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया है? क्या सरकार उक्त प्रोजेक्ट को उक्त जिले सहित पूरे प्रदेश में संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रोजेक्ट के तहत पूर्व में कार्यरत स्टाफ को माह अप्रैल, 2021 से हटा दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को वरीयता के आधार पर पुन: नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी नहीं। जिला जोधपुर में आयुष मंत्रालय से एन.पी.सी.डी.सी.एस. आयुष पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

जी नहीं। किन्तु भविष्य में केन्द्र सरकार से इस योजना को प्रदेश में पुनः लागू करने की विभाग को वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होती है तो नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। जिला जोधपुर में एन.पी.सी.डी.सी.एस. पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ नहीं किया गया था। जिला भीलवाड़ा में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा CCRAS (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences) एवं राज्य सरकार के सहयोग से एन.पी.सी.डी.सी.एस. पायलेट प्रोजेक्ट अवधि अप्रैल 2021 में पूरी होने पर CCRAS के माध्यम से ही हटाया गया था, चयन एवं नियुक्ति का कार्य भी CCRAS के माध्यम से ही किया गया था।

जी नहीं। किन्तु भविष्य में केन्द्र सरकार से इस योजना को प्रदेश में पुनः लागू करने की विभाग को वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होती है तो नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार केन्द्र के एन.पी.सी.डी.सी.एस. कार्यक्रम की तर्ज पर राजस्थान में, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम मिशन मोड पर चलाना चाहती है? दूसरा प्रश्न, क्या सरकार प्रदेश के विभिन्न औषधालयों में लम्बे समय से रिक्त पड़े विभिन्न संवर्गों के पदों को निकालने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ये इर्रिलेवेंट है। माननीय सदस्य, पहला प्रश्न रिलेवेंट है। माननीय मंत्री जी।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, जहां तक इन्होंने कहा है कि आयुष की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्ष: यह नहीं पूछा है। भारत सरकार जैसा आप लाएंगे क्या? यह पूछ रहे हैं।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): भारत सरकार को आलरेडी 2022-23 के लिए प्रस्ताव भेजे रखे हैं। उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति दी है दो जिलों के लिए। जैसे ही हमें वह स्वीकृति प्राप्त होगी तो और जिलों में हम विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। जगदीश चन्द्र।

सादुलशहर में शराब की अधिकृत दुकानें

346. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आबंटित उक्त दुकानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी दुकानें खोलकर शराब की अवैध बिक्री की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में कितनी अधिकृत शराब की दुकानें संचालित हैं व कितनी अवैध ब्रांचें संचालित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने हेतु आबकारी नियमों के अंतर्गत खुदरा विक्रय हेतु लाइसेंस प्राप्त कर दुकान का लोकेशन स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है। दुकानों की अवस्थिति के संबंध में राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों द्वारा मानदण्ड निर्धारित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। मदिरा की आबंटित खुदरा दुकानों के अतिरिक्त अन्य जगहों से शराब की बिक्री नहीं हो रही है। आवंटित दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी स्थल से बिक्री पाये जाने पर राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किये जाकर कार्यवाही की जाती है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में कुल 39 कम्पोजिट मदिरा दुकानें स्वीकृत हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उक्त स्वीकृत दुकानों के अलावा कोई अवैध ब्रांच संचालित नहीं है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जवाब दिया है तीन नंबर पर, आपने 39 दुकानों का जिक्र किया है कि अभी 39 दुकानें सेंक्शंड हैं। 22 केएसडी, 23 केएसडी, गदरखेडा, 25 केएसडी, आपने परिशिष्ट-2 पर लिखा है

(श्री जगदीश चन्द्र)

कैंसिल है। ये दुकानें पिछले एक साल से चल रही हैं। किस खाते में चल रही हैं, मंत्री जी बताने की कृपा करें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहा कि जो 39 दुकानें आपके इलाके में हैं, अगर उसके अलावा और दुकानें अवैध रूप से संचालित होंगी तो उन पर कार्यवाही करेंगे। पिछले समय में भी आपके 142 प्रकरण दर्ज किये गये, जिनमें 98 के चालान किये गये और कुछ प्रकरण विचाराधीन हैं। जो भी माननीय सदस्य को शिकायत है किसी दुकान से, तो आज ही मुझे लिस्ट दे दें। आज ही उस पर कार्यवाही करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: आ गया, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

मांडकला व देवपुरा ग्राम पंचायतों के राजस्व गांवों में वनाधिकार पट्टों पर सोलर पम्प

347. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वन क्षेत्र में स्थित पाल व ग्राम पंचायत मांडकला व देवपुरा के राजस्व ग्राम जाम्बूवेला में वनाधिकार हक पट्टे पर खुदे कुओं पर किसानों द्वारा विभाग व उद्यान विभाग से सोलर पम्प स्वीकृत कराये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा किसानों के पास पट्टा होने के उपरान्त भी अनुमति मांगकर सोलर पम्प लगाने से मना कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त सभी किसानों के कुओं पर सोलर पम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रतापगढ़ जिले के वन क्षेत्र में स्थित पाल व ग्राम पंचायत मांडकला व देवपुरा के राजस्व ग्राम जाम्बूवेला में वनाधिकार हक पट्टे पर खुदे कुओं पर सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु भू-स्वामित्व के दस्तावेज कृषि परियोजनार्थ जारी पट्टे के साथ आवेदन किये जाने पर 52 किसानों की उद्यान विभाग प्रतापगढ़ द्वारा सोलर पम्प संयंत्र

(कृषि मंत्री)

स्थापित किये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी, लेकिन वन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज कराये जाने के कारण स्थापित नहीं कराये गये।

(2) जी हां। यह सही है क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन्य जीव जाखम के पत्र क्रमांक 416, दिनांक 16.09.2022 द्वारा ग्राम पंचायत पाल, मांडकला, देवपुरा व ग्यासपुर में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिए जाने के पश्चात् ही सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित कराये जाने के निर्देश दिये गये (पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है)।

(3) पाल व ग्राम पंचायत मांडकला व देवपुरा के राजस्व ग्राम जाम्बूवेला वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। अभयारण्य क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य कराने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अथवा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के तहत स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। इस क्षेत्र के कृषकों द्वारा आवेदन के साथ वन विभाग से अधिकार पत्र (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेकर आवेदन करने पर योजना का लाभ दिया जा सकता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश आजाद हुए 75 साल होने के बाद में भी पाल, मांडकला और जाम्बूवेला राजस्व गांव और सरपीपली के कुछ गांव आज भी बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पिछले कई दिनों से आंदोलनरत भी हैं। उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी कर रखा है। उन्होंने अभी जो आवेदन किये हैं, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पूरे जिले में जितने आवेदन आये हैं, उनमें सबसे पहले प्राथमिकता से जिन गांवों में लाइट बिलकुल है ही नहीं, वहां के आवेदन स्वीकार करके एफएस जारी कराई जाए। माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन है कि क्या विभाग एनओसी लेने की कार्यवाही करके इन लोगों के सोलर पम्प लगाने की कार्यवाही करेगा?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में है कि वनाधिकार पत्र केवल आवास व कृषि कार्य हेतु जारी किये गये हैं, अभयारण्य क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य करने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अथवा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी, जो सभी लोग वहां रह रहे हैं, (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की

(श्री लालचन्द कटारिया)

धारा 3(2) के तहत स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। सोलर पम्प लगाने के कार्य भी अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उल्लिखित कार्यों में आता है। इसमें आगे यह है कि अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दिनांक 01 मार्च, 2023 से दिनांक 30 जून 2023 तक सामुदायिक वन अधिकार प्रकरण निस्तारण करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। कृषकों द्वारा इन अभियानों में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र लगाये जाने हेतु अधिकार पत्र यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर उद्यान विभाग में प्रस्तुत किया जाना है। नवीन व नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों की स्थापना हेतु फर्म व दरों के निर्धारण पश्चात् पम्प संयंत्र लगाये जा सकते हैं। जैसे ही ये पत्र जारी होंगे, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में भारत सरकार टेंडर करेगी और फर्मों का निर्धारण भी वहीं से होगा। इसकी अंतिम तिथि 23 मार्च है। जैसे ही 23 मार्च को टेंडर होंगे और फर्मों का निर्धारण होगा, वैसे ही अनापत्ति प्रमाण पत्र हम जारी कर देंगे, क्योंकि अभियान चल रहा है, उसके बाद में अगले दो-तीन महीनों में कार्यवाही पूरी हो जाएगी।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे सड़क निकलती है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग एनओसी देने के लिए फाइल लगाता है। बांध बनता है तो डब्ल्यूआरडी एनओसी लेने के लिए कार्यवाही करता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यकारी एजेंसी कृषि विभाग ही है तो आदिवासी कृषक आवेदन नहीं करके, सीधा विभाग ही एनओसी के लिए आवेदन करने का विचार रखता है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसे ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होंगे, वे विभाग के पास आ जाएंगे, उस पर आगे कार्यवाही हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना में नर्मदा योजना से पेयजल की आपूर्ति

348. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हमीर सिंह भायल)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना के तेरह गांव पेयजल योजना के तहत नर्मदा प्रोजेक्ट में सम्मिलित किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त प्रोजेक्ट में उक्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या-क्या प्रावधान किये गये व कितनी धनराशि व्यय की गई तथा कितने गांवों को पेयजल की आपूर्ति कर दी गई है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना से उक्त गांवों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार बाड़मेर लिफ्ट कैनाल योजना से उक्त गांवों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना का पुन: तकमीना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) वर्ष 2011 की जनगणनानुसार विधान सभा क्षेत्र सिवाना के 201 ग्रामों में से 190 ग्राम इंदिरा गांधी नहर सतही स्रोत आधारित विभिन्न पेयजल परियोजनाओं के तहत लाभान्वित किये जाने हेतु स्वीकृत हैं अथवा लाभान्वित किये जा चुके हैं।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के शेष 11 ग्रामों को नर्मदा नहर से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु, इन 11 ग्रामों सहित बाड़मेर जिले के कुल 263 ग्रामों की पेयजल मांग का प्रावधान सम्मिलित करते हुए नर्मदा नहर आधारित गुड़ामालानी आधारभूत संरचना कार्यों की परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 188वीं बैठक दिनांक 24.08.2012 द्वारा राशि रु. 160.00 करोड़ की जारी की गई थी।

इस पेयजल परियोजना का कार्यादेश दिनांक 25.03.2013 को मैसर्स गेमन इंडिया लि., मुम्बई को राशि रुपये 121.48 करोड़ का जारी किया गया। कार्यादेश के अनुसार कार्य दिनांक 03.04.2015 तक पूर्ण किया जाना था, परंतु अनुबंधक फर्म द्वारा परियोजना का कार्य धीमी गति से करने के कारण परियोजना का कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। इस पेयजल परियोजना का 92 प्रतिशत कार्य अब तक पूर्ण किया जाकर रु. 119.45 करोड़ की राशि का व्यय हुआ है। अनुबंधक फर्म द्वारा परियोजना का कार्य धीमी गति से करने एवं प्रोरेटा प्रगति नहीं देने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार विभाग द्वारा रुपये 6.67 करोड़ की राशि शास्ति के रूप में रोकी गयी है। परियोजना का

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कार्य माह जून, 2023 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। यह परियोजना केवल आधारभूत संरचना निर्माण की है व क्लस्टर वितरण प्रणाली द्वारा गांवों को लाभान्वयन सम्मिलित नहीं है। परियोजना में प्रावधित कार्यों एवं उनकी प्रगति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जल जीवन मिशन के तहत क्लस्टर वितरण प्रणाली अंतर्गत घर-घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उक्त विधान सभा क्षेत्र के 11 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए बाड़मेर जिले के 889 ग्रामों एवं झुंझुनूं जिले के 284 ग्रामों सहित कुल 1173 ग्रामों (वर्ष 2011 की जनगणनानुसार) को उक्त मिशन के तहत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जायका) वित्त पोषित राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस उन्मूलन परियोजना, फेज-द्वितीय की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 25वीं बैठक दिनांक 02.07.2021 द्वारा राशि रुपये 4765.31 करोड़ की संशोधित स्वीकृति जारी की गयी। नीति निर्धारण समिति की 206वीं बैठक दिनांक 29.10.2021 द्वारा अनुमोदन उपरांत वित्त विभाग ने दिनांक 21.01.2022 को इसकी सहमति दी। इस परियोजना में विधान सभा क्षेत्र सिवाना के 11 ग्रामों सहित बाड़मेर जिले के 451 ग्रामों हेतु उक्त परियोजना के पैकेज एच.आर.-1, 2 में क्रियान्वयन किया जाएगा, जिसकी संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। तकनीकी स्वीकृति उपरान्त निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर पैकेज का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाकर कार्य वर्ष 2024 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। इस पैकेज के पूर्ण होने के उपरान्त विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उक्त 11 ग्रामों में नर्मदा नहर आधारित पैकेज से घर-घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

(2) जल जीवन मिशन के तहत घर-घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विधान सभा क्षेत्र सिवाना के 11 ग्रामों सहित बाड़मेर जिले के 451 ग्रामों हेतु नर्मदा नहर आधारित पैकेज एच.आर.-1,2 की स्वीकृत राशि रु. 1362.99 करोड़, राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 25वीं बैठक दिनांक 02.07.2021 द्वारा जारी राशि रू. 4765.31 की वृहद पेयजल परियोजना की स्वीकृति में सम्मिलित है। वर्तमान में पैकेज एच.आर.-1,2 की संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। तकनीकी स्वीकृति उपरान्त निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर पैकेज का

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाकर, कार्य वर्ष 2024 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। अतः नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना में सम्मिलित होने के कारण, उक्त 11 ग्रामों को बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना में सम्मिलित कर जोड़ा जाना विचाराधीन नहीं है।

(3) बाड़मेर जिले में वर्ष 2011 की जनगणना के पश्चात् 539 नये राजस्व ग्रामों का गठन किया गया है। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिणधरी तहसील के उक्त परियोजना में सम्मिलित 11 ग्रामों के पुनर्गठन पश्चात् 03 नये राजस्व ग्रामों यथा धीराराम सेवर की ढाणी, चिड़िया सुथारों की ढाणी व साईयों की ढाणी का गठन हुआ है। उक्त गठन मात्र राजस्व ग्रामों की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन द्वारा किया गया है। अतः योजना के अन्तर्गत पूर्व में ही प्रस्तावित जल संबंधों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण तकमीने में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार इंदिरा गांधी नहर से 201 में से 190, जो अभी उत्तर दिया कि परियोजना स्वीकृत है अथवा लाभान्वित किये जा रहे हैं। मंत्री जी, यह बता दें कि इनमें से कितने गांवों को पानी पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है तो कब तक पहुंचा देंगे? यह बता दें।

श्री अध्यक्ष: पहला प्रश्न, एक-एक का जवाब आने दीजिए।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 201 गांवों में से 70 गांवों को पूर्ण रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। बाकी हमारी जो दूसरी योजना है, उसको जून, 2024 तक पूरा करना प्रस्तावित है, लक्षित है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): ये प्रस्तावित करना, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिलकुल गलत दिया है, 190 गांव जो बताये हैं, अभी तक 15 गांवों में इंदिरा गांधी नहर का पानी भूख से लगाकर सिणधरी तक पहुंच रहा है। दूसरा टेल पर पड़ रहा है, कोई जगह नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 70 गांवों में पहुंच रहा है। 70 में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, आप यह प्रश्न पूछो।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मैं कह रहा हूं, 15 से ज्यादा में पहुंच ही नहीं रहा, मंत्री जी गलत बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप यहीं प्रश्न रोको न।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): ठीक है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों से जो सूचना मिली वह 70 गांवों की है। फिर भी माननीय विधायक महोदय ने इस बात में इंगित किया है, मैं आपकी बात को चेक कराऊंगा। अगर मुझे गलत सूचना दी गई है तो उस पर कार्यवाही भी कराऊंगा।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, ईमानदारीपूर्वक, मैंने जो बताया वह सही है।

श्री अध्यक्ष: आप दूसरा प्रश्न पूछो न।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मेरा दूसरा प्रश्न है, नर्मदा का 2012 से 2015 तक कार्य पूर्ण किया जाना था। वापस रिव्यू मीटिंग करके 21.01.2021 को सैकड़ों बैठकें करने के बाद, 2024 तक कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है। यह कब तक पूरा होगा? टेल पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के 11 गांव, बाड़मेर कैनाल नजदीक पड़ती है, वहां से डेढ़ किलोमीटर दूरी पर आज की तारीख में, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 50 किलोमीटर में एक बूंद पानी नहीं है। अध्यक्ष जी, वे लोग कैसे जिएंगे? मंत्री जी क्या व्यवस्था करेंगे?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी योजना बनती है, उसके दो भाग होते हैं। एक जल लेकर आया जाता है जिसको इन फ्लो कहते हैं, एक जल का वितरण होता है, क्लस्टर वितरण प्रणाली। मैंने दोनों सवालों के जवाब दिये हैं। आप 4 हजार 700 करोड़ योजना की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन फ्लो वाली व क्लस्टर वितरण, दोनों योजनाओं को हमारे पिछले कार्यकाल में स्वीकृत किया गया था। इन फ्लो वाली में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि कम्पनी ने, गेमन इंडिया को दिया था, इसके कारण से डिले हुआ। हमने कानूनी रूप से जो

(डा. महेश जोशी)

प्रावधान है, उसके अनुसार इस पर पेनल्टी भी लगाई है। अब उसका 92 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है। शेष काम भी जल्दी पूर्ण होगा।

आपने दूसरी योजना की बात कही, जो क्लस्टर वितरण प्रणाली की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, बाड़मेर ज़िले के 308 गांवों हेतु निर्धारण समिति ने इस योजना की 481.32 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की थी।

कैबिनेट कमेटी के निर्णय, अब मैं यह तो नहीं कहूंगा कि किसके समय हुआ, लेकिन कैबिनेट कमेटी के निर्णय 10.10.2014 की अनुपालना में नीति निर्धारण समिति द्वारा इस योजना को निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद आप लोगों ने शायद प्रेशर डाला होगा। उसके बाद 2016 में वापस इसको रिवाइज किया गया। 2016 में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई। 2017 में भारत सरकार को, बाहय वित्त पोषण हेतु इसको अग्रेषित किया। नीति निर्धारण समिति ने अप्रैल, 2017 द्वारा परियोजना के एच.आर. 1,2 की राशि 598 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रचलित बीएसआर पर भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सुझाव अनुसार जारी की। भारत सरकार के आर्थिक मामलात विभाग द्वारा दिनांक 13.7.2018 को जापान सरकार को वित्त पोषण हेतु प्रेषित की गई। जायका द्वारा अप्रैल, 2019 में दिए गए सुझाव उपरांत झुंझुनूं जिले की दो एवं बाड़मेर जिले की तीन परियोजनाओं को भी इसमें सम्मिलित करके राजस्थान ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना द्वितीय चरण के नामकरण से जायका को मई, 2019 में प्रेषित की गई। जायका द्वारा नवम्बर से दिसम्बर, 2020 के मध्य जल मिशन आयोजित किये गये। परियोजना हेतु जायका एवं केन्द्रीय जल एवं स्वच्छता विभाग के मध्य 26.03.2003 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना की संशोधित लागत 4 हजार, 765.31 करोड़ का अनुमोदन 25वीं राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति दिनांक 02.07.2021, नीति निर्धारण समिति की मीटिंग 206, 29.10.2021 व वित्त समिति की मीटिंग 789, 22.12.2021 तथा वित्त विभाग द्वारा सहमति 21.01.2022 को दी गई। जायका की शर्तों के अनुरूप परामर्शदात्री संस्था की नियुक्ति हेतु दिनांक 23.06.2021 को अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के नोटिस जारी किये गये। कार्यादेश राशि 30.86 करोड़ का 10.02.2023 को दिया गया। यह पूरा इतना विवरण है। माननीय विधायक महोदय, किस कारण से लेट हुई, आपको खुद को पता

(डा. महेश जोशी)

है, क्यों लेट हुई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमने जो लक्ष्य रखे हैं, हमारा विभाग हर सम्भव कोशिश करेगा कि उसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। जोगिन्दर सिंह अवाना।

उच्चैन (नदबई) में सी.सी. बैंक की शाखा की स्थापना

349. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई के तहसील मुख्यालय उच्चैन में दी भरतपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): जी नहीं। दी भरतपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करता है। निर्धारित मापदण्डानुसार नई शाखा खोले जाने हेतु बैंक का नेट एन.पी.ए. 5 प्रतिशत से कम होना चाहिए, किन्तु दी भरतपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक का दिनांक 31.12.2022 को नेट एन.पी.ए. 11.18 प्रतिशत है। अत: भरतपुर के उच्चैन में नई शाखा नहीं खोली जा सकती है।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। मंत्री जी ने आरबीआई की गाइडलाइन का जिक्र किया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा, मंत्री जी आरबीआई की गाइडलाइन सदन के पटल पर रखें। नम्बर दो, उच्चैन की 20 ग्राम पंचायतें व 15 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, उनके लिए क्या सरकार के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): वैकल्पिक व्यवस्था तो अभी चल रही है। सब जगह ऋण दिए जा रहे हैं। एन.पी.ए. इतना ज्यादा है, इसलिए वहां नई नहीं खोली जा सकती। आरबीआई की गाइडलाइन अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। रामप्रताप कासनियां।

सूरतगढ़ तहसील में टीसी भूमि पर खातेदारी से वंचित काश्तकार

350. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामप्रताप कासनियां)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की तहसील सूरतगढ़ में आबंटित टीसी भूमि पर काश्तकार लम्बे समय से खातेदारी से वंचित हैं? क्या सरकार उक्त काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के दस किलोमीटर की परिधि तक तरह-तरह के राइडर लगा रखे हैं? क्या सरकार उक्त राइडरों को हटाकर खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) वर्तमान में सूरतगढ़ तहसील में किन-किन श्रेणियों के काश्तकारों के खातेदारी अधिकार देने हेतु आवेदन प्राप्त हुए तथा किन-किन को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये व कितने शेष हैं? सरकार उक्त को कब तक खातेदारी अधिकार प्रदान करने का विचार रखती है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उपनिवेशन मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। खातेदारी दी जाना एक सतत प्रक्रिया है। समय-समय पर आवेदन प्राप्त होने पर जांच कर नियमानुसार पात्र/योग्य प्रकरणों में खातेदारी दी जाती है।

(2) नगरपालिका सूरतगढ के पेरीफेरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़ की तथा घग्घर बाढ़ नियन्त्रण खण्ड की अनापत्ति ली जाकर खातेदारी दी जाती है। वर्तमान में इन दोनों प्रावधानों को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वन विभाग, घग्घर बाढ़ नियन्त्रण क्षेत्र को छोड़कर प्रार्थी द्वारा आवेदन करने पर प्रकरणों का परीक्षण करवाकर पात्र प्रकरणों में नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये जाते हैं।

(3) तहसील क्षेत्र सूरतगढ़ में विभिन्न श्रेणियों यथा टी.सी./1955 से पूर्व/1955 के बाद कुल 4046 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3968 प्रकरणों में खातेदारी दी जा चुकी है एवं 78 आवेदन/प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं, जिनके निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त सूरतगढ़ तहसील क्षेत्र के जिन चकों/ग्रामों में चकबन्दी का कार्य शेष है, उन चकों/ग्रामों में चकबन्दी लागू होने पर नियमानुसार खातेदारी दिया जाना सम्भव है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य प्रश्न पूछिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पेरीफेरी क्षेत्र के अन्दर तरह-तरह की रोक लगा रखी है,

(श्री रामप्रताप कासनियां)
जैसे वन विभाग प्रस्तावित है, पेड़ का नाम नहीं है। 50-50 वर्ष से टीसी आबंटन है, उनको खातेदारी नहीं दी जा रही है। 10 किलोमीटर की परिधि में 16 लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से राशि जमा कराने का प्रोविजन है, इसको हटाने का विचार रखते हो? जो...

श्री अध्यक्ष: इतना ही काफी है। विचार पूछो।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में कहा है, नगरपालिका सूरतगढ़ में जहां पेरीफेरी क्षेत्र है, उस जगह नियमानुसार 10 परसेंट डी.एल.सी. जमा कराने पर उनको खातेदारी दी जाती है।

घग्घर बाढ़ का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक साल की खातेदारी दी जाती है, काश्तकार से शपथ पत्र लिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि राइडर ज्यादा लगे हुए हैं। राइडर मास्टर प्लान में, पेरीफेरी में आ रहा है, उसमें नियमानुसार किसान दे रहा है, कार्यवाही हो रही है। इसमें आपके काफी प्रकरण हैं, जिनका निस्तारण भी हुआ है। मास्टर प्लान में कुल 290 प्रकरण थे। 290 में जिन लोगों ने डी.एल.सी. में पैसा जमा कराया, उनमें कार्यवाही भी हो रही है। घग्घर में जो लोग बाढ़ क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको एक साल की खातेदारी दी जा रही है, सतत प्रक्रिया है। मान लीजिए ऐसे लोग हैं, नियमानुसार आएं, बाकायदा उन पर कार्यवाही होगी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, घग्घर में जब भूमि आबंटन हो गई, तो काश्तकारों का इसमें क्या दोष है? मैं सीधा-सीधा पूछना चाहता हूं कि प्लानिंग क्षेत्र में राशि कम करने का क्या सरकार विचार रखती है? अलाटमेंट पत्र के काश्तकार हैं, उनकी भूमि गजट साया में है, वह भूमि गजट से बाहर निकालने का विचार सरकार रखती है क्या?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है, मैं गजट की जानकारी है, जो साया में आ चुके हैं, ऐसे आपके 49 चक प्लान हैं, उनमें 14 चक प्लान उन्होंने भेजे हैं। इन पर प्रक्रिया चल रही है। बाकी जो नहीं भेजे हैं, उनके लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि जल्दी जो प्रक्रिया करनी है, वह कार्यवाही जल्दी अमल में लाएं, ताकि उन किसानों को भी खातेदारी का, आगे उनको दिया जा सके। बाकी जो नियमानुसार मास्टर प्लान में, पेरीफेरी में आ रहा है, घग्घर में आप समझते हैं बाढ़ क्षेत्र है। जिन किसानों की जमीन घग्घर में आती है, बाढ़ आती

(श्री शाले मोहम्मद)

है, उनको नुकसान होता है। किसानों से शपथ पत्र लिया जाता है। बाढ़ में आता है तो मुआवजा मांगते हैं। शपथ पत्र इसलिए लिया जाता है कि एक साल का आबंटन होगा, एक साल बाद उनका वापस रिन्यू हो जाएगा।

(समय: 12.00 बजे)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा-सीधा मंत्री महोदय, यह पूछना है कि इस बीमारी से पीछा छुटाओ। एक-एक, दो-दो फाइलें निकल रही हैं और पैसे बटोरे जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिना पूर्व सूचना दिये ऐसे आरोप न लगायें। प्रश्न काल समाप्त हुआ। आप बैठें, माननीय सदस्य।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर में गुलाबबाड़ी फाटक पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के कार्य में हो रही अतिशय देरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र के ग्राम छापुर में विद्युत लाइन से हुई दुर्घटना से हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से ग्राम मेहरवाला तहसील टिब्बी, हनुमानगढ़ में भूमिहीन परिवारों को आबंटित कृषि भूमि का आबंटन निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिजली कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से बदनौर से भीलवाड़ा तक

(श्री अध्यक्ष)

परिवहन निगम की बस सेवा को पुनः प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

(7) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में वर्ष 2022-23 में कम वर्षा से हुए फसल खराबे की किसानों को मुआवजा राशि दिलवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अधीन पुलिस थानों में चोरी की घटनाओं के लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही करने के संबंध में।

(9) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में फतहनगर से उदयपुर के मध्य राजमार्ग पर की गई खुदाई से हो रही सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में।

(10) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के चिकित्सालयों में चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किये जाने के संबंध में।

(11) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में बंद पड़े उद्योगों को चालू करने के संबंध में।

(12) श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में चम्बल सागरपाडा चेक पोस्ट पर ट्रक चालकों से की जा रही अवैध वसूली के संबंध में।

(13) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से धानका जाति को राज्य सरकार के पोर्टल से हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत नयाखेड़ा के राजस्व ग्राम सेठजी की कुण्डाल में नगर विकास प्रन्यास द्वारा घोषित नीलामी प्रक्रिया को स्थगित कर विधिवत सर्वे करवाये जाने के संबंध में।

(15) पुलवामा हमले में शहीद जवानों की वीरांगनाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने एवं मांगों को स्वीकार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्नांकित माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

(श्री अध्यक्ष)

1. श्री अशोक लाहोटी
2. श्री मदन दिलावर
3. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी
4. श्रीमती संतोष
5. श्री अमृतलाल मीणा एवं श्री बाबुलाल (झाडोल)
6. श्री संजय शर्मा
7. श्री अभिनेश महर्षि
8. श्री रामलाल शर्मा
9. श्री हमीर सिंह भायल
10. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या
11. श्री वासुदेव देवनानी
12. श्री नारायण सिंह देवल
13. श्री राजेन्द्र राठौड़
14. श्री कालीचरण सराफ

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री धर्मनारायण जोशी एवं श्री फूल सिंह मीणा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

वीरांगनाओं के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव आया है, उस पर दो बजे सरकार स्टेटमेंट देगी, जिस पर माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का उनको अवसर मिलेगा।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिला मुख्यालय की हाउसिंग बोर्ड कालोनियों के बंद पड़े कार्यों को प्रारम्भ करवाने के संबंध में।

(2) श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में चम्बल सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के कार्मिकों द्वारा की जा रही अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

40] नियम 295 के अंतर्गत-13 मार्च 2023-प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधायक कोष के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति हेतु नियमों में संशोधन करने के संबंध में।

(4) श्री पदमाराम, सदस्य की ओर से चौहटन व बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में पानी की कमी से हुए फसल खराबे का मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शर्तों में शिथिलता देकर दिए जाने के संबंध में।

(5) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ से उदयपुर फोरलेन सड़क के पुनर्निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुधारने एवं अवैध टोल बूथ को हटवाये जाने के संबंध में।

(6) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री जे.पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से राज्य के पंचायत समिति सदस्यों को वित्तीय परिलाभ एवं सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में।

(8) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राजसमन्द जिले की रेलमगरा तहसील में ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षा के कारण फसल खराबे का मुआवजा दिये जाने के संबंध में।

(9) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में संचालित उद्योगों के अपशिष्ट को लूणी नदी में बहाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में एनएच 325 पर आहोर कस्बे के बाईपास की स्वीकृति के संबंध में।

(11) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, बूंदी को पुन: चालू किये जाने के संबंध में।

(12) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) पाली व अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ की मांग पर विचार कर स्वीकार करने के संबंध में।

(13) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर स्थित मुख्य बाजारों में पर्याप्त महिला शौचालयों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(14) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बूंदी के गरड़दा परियोजना की नहरों का निर्माण कर पानी उपलब्ध कराने के संबंध में।

(15) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम डहरा में निजी संस्था द्वारा बांध भराव क्षेत्र में किये गये निर्माण को अविलम्ब हटाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री धर्मनारायण जोशी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मावली में फतहनगर से उदयपुर के मध्य राजमार्ग पर खुदाई से हो रही सड़क दुर्घटनाएं

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, डबोक से मावली रोड पर फतहनगर से आगे तक सारी रोड किसी प्राइवेट कम्पनी ने गैस की पाइप लाइन डालने के लिए खोद रखी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा यह निवेदन है कि मैंने वहां पर एस.डी.एम. से, कलेक्टर साहब से यह पूछा कि क्या उन्होंने कोई नियमानुसार पैसे जमा करवाकर पाइप लाइन खोदी है? वहां पर पाइप लाइन डालने के लिए रोड खोद रखी है। मेरी आपके माध्यम से यह प्रार्थना है कि पाइप लाइन डाली है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, वे पाइप लाइन डालें परंतु वहां पर दो महीने पहले बैरिअर नहीं लगाने के कारण एक आदमी रात को एक्सीडेंट में मर गया। उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई एफ.आई.आर. भी उसकी दर्ज नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि वह पाइप लाइन जैसे-जैसे खोदते जाते हैं, वैसे-वैसे उसको ढकने की व्यवस्था करें और रोड पक्की करने की व्यवस्था करें। यही मेरी प्रार्थना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

सेठजी की कुण्डाल (नयाखेड़ा) राजस्व ग्राम में नीलामी प्रक्रिया को स्थगित कर विधिवत सर्वे करवाया जाना

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सेठजी की कुण्डाल में यू.आई.टी. द्‌वारा नीलामी करवाने के लिए जमीन को लिया था, मगर वहां पर पिछले सौ वर्षों से जो आदिवासी परिवार रह रहा है उसकी अनदेखी करके वहां पर वे नीलामी कर रहे थे। उसके लिए कलेक्टर साहब को भी एक ज्ञापन दिया, नीलामी को रोका, मगर वहां पर वापस उस नीलामी को करने की कार्यवाही हो रही है। जबकि वहां पर रेवेन्यू रिकार्ड में रोड भी है और रोड को भी नीलाम किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से और सरकार से यह मांग करता हूं कि वर्षों से बसे हुए आदिवासी और रेवेन्यू रिकार्ड में जो रास्ता है, उसको नीलाम नहीं करे और उसकी दुबारा से पूरी वस्तुस्थिति के बारे में जांच करके इसकी नीलामी का आर्डर दिया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री मेवाराम जैन।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बाड़मेर में हाउसिंग बोर्ड कालोनियों के बंद पड़े कार्यों की शुरुआत

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हाउसिंग बोर्ड की कालोनियों के बंद पड़े कार्यों को शुरू करवाने बाबत निवेदन है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विशेष उल्लेख के जरिये आकृष्ट करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हाउसिंग बोर्ड की आवासीय कालोनी की योजना लम्बे समय से लम्बित है। बाड़मेर शहर के राजस्व गांव लंगेरा में आवासीय कालोनी हेतु भूमि अवाप्त भी हो चुकी है। लंगेरा में आवासीय कॉलोनी के प्रथम एवं द्‌वितीय फेज में 120 बीघा एवं तृतीय फेज में 143 बीघा जमीन अवाप्त हुए काफी समय हो चुका है लेकिन उक्त आवासीय योजना का कार्य बंद-सा पड़ा है। आमजन को सरकार अल्प राशि में आवास उपलब्ध कराना चाहती है, लेकिन विभागीय लेट लतीफी के चलते कार्य शुरू हो नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार जालीपा रोड पर हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट बन चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका आबंटन नहीं हुआ है बंद बिल्डिंग जर्जर हो रही है।

अतः मेरा आपसे यह निवेदन है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर लंगेरा

(श्री मेवाराम जैन)

रोड पर प्रस्तावित आवासीय कालोनी को गति देते हुए इसका कार्य पूर्ण करायें एवं जालीपा रोड पर बने फ्लैटों के आबंटन की कार्यवाही शीघ्र कराने का श्रम करायें।

(समय:12.08 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्रीमती शोभारानी कुशवाह (अनुपस्थित)।

श्री शंकर सिंहजी रावत। श्री शंकर सिंहजी रावत, आपको नहीं बोलना है?

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, जिस विषय को विधान सभा में उठाया जाता है, उस पर कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिए। विधान सभा के सदस्यों द्वारा जिला कलेक्टर को किसी विधायक कोष से कार्य कराने के लिए जो कार्य दिया जाता है, उसके अन्दर छह-छह महीने और आठ-आठ महीने होने के बावजूद भी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपने जो 295 दिया है, उसको आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है?

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): साहब, इसलिए ऐसे लगाने का कोई औचित्य नहीं रहता है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शर्तों में शिथिलता देकर चौहटन व बाड़मेर में फसल खराबे की मुआवजा प्रदायगी

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन व बाड़मेर में खरीफ 2020-21 में कृषि कार्य हेतु फसल खराबे हेतु बीमा करवाया था। इन किसानों की, कम वर्षा के कारण फसल खराब हो गई, परन्तु प्रधान मंत्री कृषि बीमा योजना में जो शर्तें लगाई गई हैं, वे किसानों के विरुद्ध हैं और बीमा कम्पनियों द्वारा उपज का आकलन कुओं के पानी के द्वारा सिंचित क्षेत्रों का किया गया है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इनकी सही जांच

(श्री पदमाराम)

करके बीमित किसानों को उनकी फसल खराबे का उचित मूल्य दिलवाएं एवं प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजनाओं की किसानों के अहित में जो शर्तें है, उनमें बदलाव किया जावे। साथ ही किसानों के साथ जो धोखा किया है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करवाई जावे।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

चित्तौड़गढ़ से उदयपुर फोर लेन सड़क के पुन: निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार एवं अवैध टोल बूथ को हटवाना

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चितौडगढ़ से उदयपुर तक जाने वाली फोर लेन सड़क निर्मित है। उक्त सड़क लगभग 25 वर्ष पूर्व बनाई गई थी और 13 वर्षों पूर्व पुनः निर्माण किया गया था।

वर्तमान में दो वर्षों से उक्त सड़क पर पुनः निर्माण का कार्य चल रहा है। पूर्व की सड़क एजेन्सियों द्वारा भी घटिया कार्य किया गया और आज भी सड़क का कार्य घटिया हो रहा है। उक्त सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे पड़े हैं। डिवाइडर टूटे पड़े हैं। सड़क के दोनों ओर की कच्ची सड़क की पटरियां टूटी पड़ी हैं। सड़क के बीच डिवाइडर पर पौधे लगे थे, लेकिन आज एक भी पौधा नजर नहीं आता है। उक्त टूटी हुई सड़क पर स्टेट टोल वसूला जा रहा है। मेरे क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर के पास एक किलोमीटर दूरी पर दो टोल बूथ लगा रखे हैं। स्थानीय लोगों से टोल माफिया अवैध टोल वसूलते हैं तथा आये दिन लड़ाई -झगड़े करते रहते हैं।

मेरा आग्रह है कि सड़क के कार्य की गुणवत्ता ठीक की जावे तथा कार्य जल्दी करवाया जावे तथा अवैध टोल बूथ को हटवाने की कृपा करावें।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंहजी।

मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में महिला

(श्री प्रताप सिंह)

एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित किये जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों में मिड डे मील योजनान्तर्गत प्रोसेस्ड फूड (न्यूट्रीशियन फूड) उपलब्ध कराये जाने के लिए कॉनफैड द्वारा टेंडर आईडी क्रमांक 2022 आरएससीओसी 264277-1 के माध्यम से टेंडर जारी किया गया। कॉनफैड द्वारा उक्त टेंडर के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया संदेहास्पद रही है। इस टेंडर प्रक्रिया में जानबूझकर ऐसी शर्तें निर्धारित की गईं जिससे देशभर में सिर्फ पांच फर्म ही योग्य पाई गईं और अंतिम रूप से तीन फर्में ही प्रतिस्पर्धा में योग्य पाई गईं। टेंडर में डाली गईं विशेष शर्तों के चलते देश भर की प्रतिस्पर्धी फर्में इस टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो गईं। टेंडर प्रक्रिया में कार्टेल बनाकर ऊंची दरों पर सामग्री सप्लाई की जा रही है। इस टेंडर की लागत करीब पच्चीस सौ करोड़ है। विभाग द्वारा कमीशनखोरी के चक्कर में ऊंची दरों पर पोषाहार सामग्री की खरीद की जाकर सप्लायर्स को मुनाफा पहुंचाने का कार्य किया गया है। पूरे राजस्थान में पोषाहार की गुणवत्ता निम्न स्तर की होने की वजह से आदमी तो क्या, जानवर भी वितरित किया हुआ पोषाहार नहीं खा सकते। अगर विभाग से रिपोर्ट ली गई तो पोषाहार की गुणवत्ता व मात्रा सही बताएगा, इसलिए मिलावट व भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रदेश में एक साथ कई स्थानों पर एसओजी या एसीबी से छापा डलवाकर व सैंपल लेकर गुणवत्ता व मात्रा की जांच किसी अन्य एजेन्सी से करवाएं ताकि दोषी फर्में पकड़ी जा सकें और प्रदेश में पोषाहार वितरण में भ्रष्टाचार करने वाली कम्पनियों पर कार्रवाई हो सके।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रदेश के गरीबों के हितों को चोट पहुंचाने वाली साई ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा सप्लाई किये जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता व मात्रा की जांच एसीबी या एसओजी से करवाई जाए या फिर इस पूरे मामले को एनआईए को सौंप दिया जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

रेलमगरा तहसील (राजसमन्द) में ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षा से फसल खराबे का मुआवजा

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

मैं निम्न अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जनवरी, 2023 में राजस्थान में कई स्थानों पर ओलावृष्टि एवं बहुत तेज वर्षा होने के कारण फसलों को क्षति पहुंची है। राजसमन्द जिले के रेलमगरा तहसील में चने की फसल में 75% से अधिक एवं अन्य फसलों में 50% से अधिक की क्षति हुई है, किंतु क्षति का आकलन करने वाले सही स्थिति को प्रतिवेदित नहीं कर रहे हैं। क्षति का आकलन करने में कृषि विभाग की सहायता भी नहीं ली गई है।

बिना ऋतु की वर्षा के कारण फसलों को हुई भारी क्षति के कारण क्षेत्र के किसानों को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। आपदा के समय में राज्य सरकार को उदारता के साथ किसानों की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि फसलों में हुई क्षति का यथार्थपरक मूल्यांकन एवं आकलन किया जाए।

मैं राज्य सरकार से रेलमगरा तहसील में ओलावृष्टि एवं बिना मौसम की वर्षा के कारण फसलों को पहुंची क्षति का सही आकलन करवाने एवं क्षतिपूर्ति करने का अनुरोध कर रही हूं।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

बाड़मेर में संचालित उद्योगों के अपशिष्ट का लूणी नदी में प्रवाह

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि बाड़मेर जिले के मरू गंगा के नाम से प्रसिद्ध लूणी नदी वर्तमान में प्रदूषण की कालिख और फैक्ट्रियों से बह रहे केमिकल्स के कारण दुर्दशा के दौर से गुजर रही है जिससे किसानों, पशुपालकों एवं पक्षियों का जीवन खतरे में है। करीब 100 करोड़ के जेडएलपी प्लांट के बावजूद भी 650 से ज्यादा फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी बिना ट्रीट किये नदी नालों में रात के अंधेरे में बेरहमी से बहाया जा रहा है जिससे विधान सभा क्षेत्र सिवाना, पचपदरा, बालोतरा, बाड़मेर एवं गुड़ामालानी क्षेत्र के किसानों/पशुपालकों एवं पक्षियों के लिए जीवन कष्टमय बना हुआ है। 80 प्रतिशत खेत बंजर हो गये हैं तथा 25 प्रतिशत किसानों के जानवरों में बीमारियां फैल गई हैं। समय से पहले उनका गर्भपात हो रहा है। फैक्ट्रियों से आने वाले जहरीले पानी से खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। भेड़-बकरियों में गर्भपात बढ़ रहा है।

(श्री हमीर सिंह भायल)

पिछले 10 साल में गर्भपात का औसत 25 प्रतिशत बढ़ गया है। साथ ही इन क्षेत्रों के कुओं में जहर घुल चुका है व कुएं प्रदूषित पानी से भरे हुए हैं। किसान इससे पहले खेती करते थे। किसानों को अब इन कुओं को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा यदि सही समय पर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। उक्त विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

राष्ट्रीय राजमार्ग 325 पर आहोर कस्बे के बाईपास की स्वीकृति

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर में एन.एच. 325, जो आहोर कस्बे के अंदर 4 कि.मी. सड़क स्वीकृत है, जो एनएच के पार्ट के अनुसार बना रहे हैं। इस रोड पर आहोर उप खण्ड के सभी कार्यालय, जैसे-तहसील कार्यालय, मुंसिफ कोर्ट, सहायक अभियंता आफिस, पशु चिकित्सालय, सामुदायिक चिकित्सालय, पुलिस थाना, पंचायत समिति, ए.ईएन. आफिस, पीएचईडी, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल आदि सभी कार्यालय हैं, जहां सदैव भीड़ रहती है। वाहनों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। चूंकि आहोर ग्राम पंचायत अब नगरपालिका भी घोषित हो चुकी है। इसी सड़क पर उपाधीक्षक कार्यालय भी बनेगा, जिससे यह क्षेत्र आबादी और वाहनों से भरा रहेगा। यदि यह सड़क कस्बे के अंदर ही बनती है तो आये दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी।

मैं माननीय सभापति महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आहोर नगरवासियों की मांग है कि आहोर में बाई-पास की आवश्यकता है। इसलिए इस सड़क के साथ में एक पुल भी बन रहा है, उस क्षेत्र में पूरे कस्बे का मुख्य बाजार भी है, जिससे पूरे तहसील के आमजन को भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पडेगा। चूंकि इस मार्ग के लिए राशि केन्द्र सरकार से आबंटित है, लेकिन कार्य पूरा सार्वजनिक निर्माण विभाग की राष्ट्रीय राजमार्ग की विंग करती है। अतः इस आहोर कस्बे से सड़क के बदले बाईपास की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(श्री छगनसिंह)

उक्त विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है, अतः प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

(समय: 12.21 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल का पुन: प्रारम्भ

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल को पुनः संचालित कराये जाने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में सहकारी शुगर मिल लिमिटेड बूंदी जिले के प्रगतिशील किसान प्रतिनिधियों द्वारा राजस्थान को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1965 के अर्न्तगत सोसाइटी का गठन कर रजि नं. 625 जी, दिनांक 15.11.1965 को स्थापना हुई, जिससे क्षेत्र में कृषि एवं रोजगार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई थी। शुगर मिल नियमित निर्बाध रूप से कभी लाभ व हानि के आधार पर चलती रही। वर्ष 2000-2001 में अकाल पड़ने के कारण मिल को बन्द कर दिया गया। आज दिनांक तक क्षेत्र के उत्पादक किसान, गन्ना उत्पादक, अंशधारी किसान, समिति सदस्य व क्षेत्रीय जनता मिल को पुनः संचालित किये जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मिल का पुन: संचालन क्षेत्र के किसानों की आय को बढ़ाने के साथ हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सहायक रहेगा।

राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 1A-36/2022/418, दिनांक 02.12.2022 के अनुसार उक्त मिल को पुन: संचालित किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। निरीक्षण में पाया गया कि मिल को पुनः चालू किया जाए। इसी के साथ ही परिसर में ऐथेनाल का प्लांट भी संचालित किया जाकर राजस्व को बढ़ाया जा सकता है।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल को पुनः संचालित कराये जाने के आदेश राज्य सरकार को प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश (अनुपस्थित)। श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर स्थित मुख्य बाजारों में पर्याप्त महिला शौचालयों का निर्माण

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत "अजमेर शहर स्थित मुख्य बाजारों में पर्याप्त महिला टॉयलेट्स बनाने एवं उसके बेहतर रखरखाव की व्यवस्था किये जाने" के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि अजमेर में प्रतिदिन हजारों देशी-विदेशी सैलानियों की आवाजाही रहती है। महिला सैलानियों के साथ स्थानीय महिलाएं भी बाजार में खरीददारी करने निकलती ही हैं। अजमेर शहर में महिलाओं के 4 प्रमुख बाजार हैं लेकिन अफसोस 'आधी आबादी' के लिए यहां सुविधाजनक टॉयलेट तक की माकूल व्यवस्थाएं नहीं हैं, जो निश्चित ही चिंता और चिंतन का विषय है। केन्द्र अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में मजबूत प्रयास कर रहा है, वहीं राज्य सरकार द्वारा बेहतर महिला टॉयलेट्स की व्यवस्था भी नहीं कर पाना गंभीर विषय है। महिला टॉयलेट्स के अभाव में सरकार की अनदेखी के चलते खरीददारी, दुकानों पर काम करने वाली एवं तहबाजारी में सामान बेचने वाली महिलाओं के साथ सैलानियों को भी परेशानी हो रही है।

पुरानी मण्डी में प्रतिदिन 20 हजार महिलाओं की आवाजाही रहती है। यहां एक भी टॉयलेट नहीं है। डिग्गी बाजार में महिलाएं टॉयलेट के लिए आस-पास के घरों में जाती हैं। मदार गेट पर एकमात्र टॉयलेट तोड़ दिया गया। केसरगंज में टॉयलेट पर ताले लगे हैं। बाजारों में टॉयलेट्स की सुचारु व्यवस्था नहीं होना महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दर्द है। सरकार को मुख्य बाजारों में पर्याप्त महिला टॉयलेट्स के निर्माण और उसके बेहतर देखरेख की योजना बनाने की महती आवश्यकता है ताकि महिलाओं को राहत मिल सके।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार "अजमेर शहर स्थित मुख्य बाजारों में पर्याप्त महिला टॉयलेट्स बनाने एवं उसके बेहतर रखरखाव की व्यवस्था किये जाने की दिशा में संबंधित विभाग को पाबंद करते हुए संबंधित आवश्यक कार्यवाही कराकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करावे।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा।

बूंदी की गरड़दा परियोजना की नहरों का निर्माण

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के तहत बूंदी विधान सभा

(श्री अशोक डोगरा)

क्षेत्र के गरड़दा (लतारिया) बांध से की नहरों से सिचाई के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी के बहुप्रतीक्षित गरड़दा बांध का कार्य अब पूर्ण हो गया है। इस बांध से 44 गांवों की 9161 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करना है। इसकी मुख्य कैनाल 53 किलोमीटर है, जिसमें से 38 किलोमीटर नहर का निर्माण तो वर्ष 2009-10 में हो गया था, परन्तु बांध के टूट जाने से इनका उपयोग नहीं हुआ और यह क्षतिग्रस्त हो गई थी। किसानों को बांध बनने का फायदा नहरों से पानी मिलने पर ही संभव हो सकेगा। इस परियोजना में 15 किलोमीटर मुख्य कैनाल बनाई जानी है और पहले की बनी हुई नहरों की मरम्मत की जानी है। तभी बांध से पानी छोड़ा जा सकेगा। ऐसे में इस परियोजना का किसानों को लाभ तभी मिलेगा जब नहरें बन जाएंगी व मरम्मत हो जाएगी। इन नहरों को बनाने व मरम्मत के लिए करीब 60 करोड़ की आवश्यकता है। इसमें सरकार द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी करनी है, जिसका काफी समय से प्रस्ताव सरकार के पास है।

अतः क्षेत्र के 44 गांवों की 9161 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए गरड़दा परियोजना की नहरों के निर्माण व मरम्मत कर किसानों को तत्काल सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की जावे।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

डहरा ग्राम (नदबई) में बांध भराव क्षेत्र में निजी संस्था द्वारा कारित अवैध अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान प्रकरण में दिये गये निर्णय के विरुद्ध निजी संस्था प्रोग्रेसिव यूनिवर्सल सोसाइटी द्वारा ग्राम डहरा के भराव क्षेत्र में कराये गये अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने के संबंध में निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम डहरा राजस्व क्षेत्र में निजी संस्था प्रोग्रेसिव यूनिवर्सल सोसाइटी द्वारा बांध भराव क्षेत्र भूमि में अवैध भवन निर्माण कराने की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से संज्ञान में लाई गयी है। मेरी अपुष्ट जानकारी के

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान प्रकरण में दिये अपने फैसले के अनुसार बांध, नदी, तालाब व जल संरचनाओं के भराव क्षेत्र में किसी भी प्रकार का स्वरूप परिवर्तन व निर्माण नहीं करने का निर्णय पारित किया गया है, जबकि उक्त निर्माण कार्य डहरा बांध के भराव क्षेत्र में हो रहा है। उक्त भूमि पर न्यायालय के आदेश अनुसार कोई निर्माण नहीं किया जा सकता तो संस्था प्रोग्रेसिव यूनिवर्सल सोसाइटी को उक्त भवन निर्माण के संबंध में एन.ओ.सी. व भूमि किस्म परिवर्तन किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है? यदि किया भी गया है तो संस्था द्वारा कितने क्षेत्रफल भूमि का संपरिवर्तन कराया गया है तथा संस्था द्वारा संपरिवर्तन क्षेत्रफल का ही निर्माण किया गया है या उससे अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण किया गया है? उक्त आदेशों के विरुद्ध अवैध निर्माण के लिए अधिकारियों द्वारा जारी की गई एन.ओ.सी. पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे आमजन के मध्य सरकार के प्रति अनुकूल माहौल बना रहे। पूर्व में मेरे द्वारा क्रमांक 2571, दिनांक 11.11.2022 व 06.02.2023 को पत्र के माध्यम से उक्त निर्माण कार्य की सूचना जिला कलेक्टर, भरतपुर से मांगी गई थी, जिनके द्वारा अभी तक उक्त कार्य की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण में उच्च अधिकारियों की भी मिलीभगत है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि निजी संस्था प्रोग्रेसिव यूनिवर्सल सोसाइटी द्वारा ग्राम डहरा में निर्मित भवन को तत्काल सीज कर उक्त संस्था द्वारा कराये गये अवैध निर्माण ध्वस्त करवाने की कार्यवाही करने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री जे.पी. चन्देलिया।

पंचायत समिति सदस्यों को वित्तीय परिलाभ एवं सुविधाओं की प्रदायगी

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि राजस्थान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। यहां पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन तो 5 वर्ष के लिए होता है, परन्तु

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

उसकी प्रमुख भूमिका प्रधान के चुनाव में मतदान करने व पंचायत समिति की बैठकों में कोरम पूरा करने तक ही सीमित है। पंचायत समिति सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास एवं अपने मतदाताओं को किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का सीधा अधिकार नहीं रखता है। यह स्थिति पंचायत समिति सदस्यों के लिए उचित नहीं कही जा सकती, क्योंकि वह एक बहुत बड़े मतदाता वर्ग द्वारा चुना जाता है। उस क्षेत्र के लोग उसके माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास की उम्मीद रखते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि राजस्थान राज्य के पंचायत समिति सदस्यों को भी सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख की भांति कुछ प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार मिलें। उसे भी केन्द्र और राज्य से प्राप्त अनुदान राशि, SFC, TFC तथा अन्य योजनाओं में प्राप्त धनराशि का कुछ हिस्सा अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर स्वयं के विवेक से व्यय करने का अधिकार हो। उसका मानदेय न्यूनतम 10,000/- रुपये प्रतिमाह स्वीकृत किया जाए तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों की पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर उसके हस्ताक्षर अनिवार्य किये जाएं। उसके निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक विकास कार्य की शिलालेख पट्टिका पर पंचायत समिति सदस्य का नाम लिखा जाना चाहिए तथा उसके वार्ड में पंचायत समिति से अथवा जिला परिषद से स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों की अनुशंषा उससे ली जानी चाहिए। साथ ही उसके निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों तथा प्रगति विवरण की प्रतियां उसे निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि वह अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यों के प्रति पूरी जानकारी रखे।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि राजस्थान राज्य के प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य को उपरोक्त अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जावें ताकि इस पद पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि का मान-सम्मान बढ़े और उसके निर्वाचन क्षेत्र में वह स्वयं के विवेक से भी कुछ विकास कार्य करवा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री ज्ञानचंद पारख।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पाली के गांवों में डी.एम.आई.सी. प्रोजेक्ट की स्वीकृति के बाद भूमि रूपान्तरण पर रोक

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं माननीय उद्योग मंत्री का ध्यानाकर्षित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर बहुत लंबा है। प्रश्न भी काफी बड़ा है। अगर आप कहें तो मैं सीधा प्रश्न कर लूं?

श्री अध्यक्ष: आप सीधा प्रश्न पूछ लें। माननीय मंत्री जी, सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं।

(माननीय मंत्री के प्रत्युत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, जो पैरा संख्या 1, 2 व 3 में आपने उत्तर दिया है कि बाजार दर का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। आपका उत्तर सही है, लेकिन जिला स्तरीय समिति बाजार दर तभी निर्धारित करेगी जब राज्य सरकार उसको आदेश देगी।

यह जो कार्यवाही आप प्रारम्भ करने वाले हो, उसके पहले क्या राज्य सरकार उनको आदेश दे देगी कि आज की वर्तमान बाजार दर क्या है, उसका निर्धारण वह कर ले। अगर यह आदेश राज्य सरकार दे देगी तो जो किसानों की भूमि है, माननीय मंत्री महोदय, आप देखें कि वर्तमान में जो डी.एल.सी. है, वह आज के वास्तविक बाजार दर से बहुत कम है। कहीं मात्र 10 परसेंट तो कहीं 20 से 40 तक है। जो पाली-जोधपुर मेन रोड है, वहां की तो फिर भी कुछ ठीक-ठाक है, लेकिन उसके एक किलोमीटर के अंदर की ओर अपन जायेंगे तो वहां की डी.एल.सी. काफी कम है।

ऐसे में अगर आपने बिना बाजार मूल्य तय किये जमीन अधिग्रहित कर ली तो किसानों का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जायेगा। पैसा आपके खाते से जाने वाला नहीं है। पैसा जो वहां इंडस्ट्री लगायेगा, उसके खाते से जायेगा। राज्य सरकार के निर्देश बाजार दर के, जो कलेक्टर को देने हैं, वह आप कब तक दे देंगे? यह मेरा आपसे पहला निवेदन है। इसका जवाब दे दें। एक-एक पूछूं या एक साथ पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: एक-एक ही पूछो, ठीक रहेगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

यह जो योजना है जेपीएमआईआर, यह जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे पहले केवीएनआईआर किया गया था, यह भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। जैसे ही भारत सरकार से हमारे पास 2 जगह का आया, भिवाड़ी और जोधपुर वाला, इन दोनों की भूमि का उसी टाइम से, जैसे ही घोषणा हुई जमीन को एक्वायर करने का, भारत सरकार से हमारा 2008 में एमओयू हुआ, उसी समय कर दिया गया। उसके बाद में रीको का, अब इसमें सिर्फ 9 गांव हैं, बाकी का जो पहले 154 किलोमीटर का पूरा एरिया किया गया था, उस पेरीफेरी को हमने रीको की मीटिंग लेकर पिछले दिनो फ्री कर दिया है। उसमें किसी तरह का नहीं होगा।

जो डी.एल.सी. रेट की बात है, अभी सरकार की तरफ से कोई इस तरीके का नहीं है, लेकिन जो भूमि है, इसमें केवल 9 गांव लिए हैं। 9 में से 5 गांवों में भूमि परियोजना क्षेत्र निर्धारित किया गया है। उसी की रेट के लिए आप बात कर रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से इस तरीके से कोई निर्देशित नहीं किया गया है। अगर ऐसा होगा तो इस पर चर्चा करके, क्योंकि यह बात प्रशासनिक है, कलेक्टर इसको निर्धारित करेंगे। रीको, हमारा विभाग इसको इस तरीके से निर्धारित नहीं करेगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, रीको निर्धारित नहीं करेगा, लेकिन कलेक्टर महोदय को निर्देश सरकार की ओर से मिलने के बाद ही कलेक्टर इस पर कार्यवाही कर पायेंगे। उसके पहले कार्यवाही नहीं कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने उठा लिया। इसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट थोड़े ही बोल सकता है। उन्होंने आपकी बात का काग्निजेंस ले लिया।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): इसमें मेरा जो दूसरा बिन्दु है, बिन्दु 4 में राजस्थान विशेष विनियोग रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 27 के अंतर्गत समस्त राजकीय भूमि, चरागाह भूमि सहित, उसमें आपने ब्रेकिट में जवाब दिया है, आबादी एवं आबादी विस्तार को छोड़कर। माननीय मंत्री महोदय, इसमें आबादी तो छोड़ दी, लेकिन आबादी विस्तार जो पंचायत मुख्यालय के 500 मीटर तक और शेष गांव के 250 मीटर तक, वह सारी की सारी एक ही आदेश से जेपीएमआईसी के खाते में दर्ज कर ली, जबकि वहां सैकड़ों पक्के

(श्री ज्ञानचंद पारख)

मकान हैं। वहां वर्षों से निवास कर रहे हैं। सरकार ने वहां पानी, लाइट, स्कूल की सुविधा दी है। जो आबादी विस्तार की भूमि को आपने एक ही आदेश से जेपीएमआईसी के खाते में दर्ज कर ली, आपका खुद का यह प्रावधान है, उसको आप वापस बाहर करेंगे? यह जवाब आप दे दो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने मीटिंग कर ली। मीटिंग के बाद राजस्व विभाग को भेज दिया है। अभी वर्तमान में, आज की तारीख में यह राजस्व विभाग में विचाराधीन है। हमने पिछली 10 तारीख को ही मीटिंग कर ली।

श्री अध्यक्ष: आपके प्रश्न का सोल्युशन हो गया?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, नहीं, 3-4 क्वेश्चन हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का अंत नहीं है। कन्क्लूड करो।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): लगातार कर लूं?

माननीय मंत्री महोदय, बिन्दु संख्या 5 में यह जो सम्पूर्ण क्षेत्र है, जहां यह जेपीएमआईसी प्रोजेक्ट आ रहा है, वह ग्रामीण बेल्ट है। वह कोई शहरी क्षेत्र नहीं है, लेकिन आपने क्या किया? आपने अधिनियम, 2016 की धारा 3 बी की शक्तियों का प्रयोग नहीं, दुरुपयोग करते हुए इन सम्पूर्ण 9 गांवों के क्षेत्र को एक विशेष विनिधान रीजन घोषित कर दिया ताकि सरकार को किसानों को मुआवजा कम देना पड़े। जब यह ग्रामीण बेल्ट है और आपका कोई एक नियम होगा, उसके अंतर्गत आप चाहे जो आदेश जारी करके कर दोगे तो ऐसे किसानों को नुकसान हो जायेगा।

क्या जो मुआवजा देंगे, वह इन ग्रामीण बेल्ट को मानते हुए देंगे? यह आप मुझे बता दें। साथ ही और पूछ लूं, आपने कहा था।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, मंत्री जी, बैठें एक मिनट।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): एक और मेरा इसी प्रश्न में है कि 2013 में आपने एक आदेश जारी करके इन 9 गांवों के भूमि रूपांतरण पर रोक लगा दी थी। यहां जितनी भी अन्य व्यावसायिक गतिविधियां हैं, उस पर रोक लगा दी। 10 साल हो गये हैं। 2018 में आपका मास्टर प्लान स्वीकृत हो गया। आपने पब्लिश कर दिया। उसके बाद में यदि किसी किसान की, जो कि आपके इस योजना क्षेत्र में नहीं आता है, वह भूमि है, तो उस भूमि पर क्या आप

(श्री ज्ञानचंद पारख)

गतिविधियां करने की अनुमति देंगे? ताकि वह चाहे जैसे अपनी भूमि का उपयोग कर सके। अगर देंगे तो कब तक दे देंगे? यह आप थोड़ा मुझे बता दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। कुछ उद्योग के बारे में पूछ रहें हैं। कुछ रेवेन्यू, कुछ यूडीएच।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो अन्य भूमि के कन्वर्जन की बात कर रहे हैं इसके लिए हमने रीको के पूरे बोर्ड की मीटिंग करके जो अन्य भूमि है, उस पर कन्वर्जन की रोक हटाने के लिए राजस्व विभाग को भेज दिया है। हमारे रीको की तरफ से बोर्ड की मीटिंग कर चुके हैं, तो उनको अनुमति होगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

सुश्री रीटा चौधरी।

गैर-मुमकिन जोहड़ किस्म की भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड का दुरुस्तीकरण

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अंतर्गत मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एसबी सिविल रिट नंबर 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों, जैसे नदी, नाला, बांध, तालाब, जोहड़ के रूप में दर्शायी गयी हैं।

इन भूमियों में भूमि आबंटन एवं खातेदारी अधिकार देने को धारा 16 के विपरीत मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि 31.10.1955 की स्थिति अनुसार जोहड़, नदी, नाला, तालाब, बांध, जोहड़ की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिए। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में राज्य के समस्त जिला कलेक्टर्स को परिपत्र दिनांक 26.06.2012 द्वारा निर्देश दिये गये। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अधीनस्थ राजस्व अधिकारी, जैसे एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी के माध्यम से अतिक्रमी और खसरों की सूची तैयार कर वाटर फ्लो क्षेत्र के खसरों की 1955

(श्री रामलाल जाट)

की स्थिति से वर्तमान स्थिति की तुलना की जाए तथा 1955 की स्थिति को मूल स्वरूप में लाए जाने के कदम उठाये जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बदलाव वाली भूमि पर आबंटन खातेदारी निरस्त करने हेतु ...(व्यवधान) अतिक्रमी खसरों के चिह्नीकरण पश्चात् धारा 16 के विपरीत हुए आबंटन को निरस्त करने, धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रस्तुत करने की कार्यवाही अमल में लाई जाने के निर्देश दिये गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल वाजिब है, इनके दो ही क्वेश्चन हैं। इसमें कमेटी गठित करके सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तीन फैसले हुए हैं, जिनमें पहला फैसला हुआ, 02.08.2003 को अब्दुल रहमान का, उसमें गवर्नमेंट ने नो अपील का निर्णय लिया है। उसके बाद दूसरा फैसला हुआ, 1132/2011, दिनांक 28.01.2011 को जगमाल सिंह का सर्वोच्च न्यायालय का। इस फैसले के आधार पर और इससे पहले अब्दुल रहमान वाले में फैसला लगभग सेम-सा ही था, इसलिए सरकार इसमें कुछ कर नहीं पाई। तीसरा, सुओमोटो जो 29.05.2012 को निर्णय आया, उसके बाद भी सरकार ने और सख्ती से इस चीज को जोहड़ में, तालाब में, नदी में, नालों में हटाने के बावजूद धारा 82 के अंदर यह प्रावधान किया कि अगर ऐसी परिस्थिति हो कि 1955 के बाद के हैं तो उनको धारा 82, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के रेफरेंस के आधार पर चेंज कराएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी अल्ट्राटेक सीमेंट का एक फैसला और आया है 26.08.2022 को, इसके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने रिव्यू अपील का निर्णय लिया है। जब तक यह डिसाइड नहीं होगा तब तक हम यह कर नहीं पाएंगे। फिर भी माननीय सदस्य की या और भी, राजस्थान में और भी कई जगह ऐसी समस्याएं हैं, जहां पर नदी, नाले, जोहड़, कुछ शब्द बोलने में जोहड़ होते हैं, जबकि वहां पर बरसों से न तो तालाब हैं, न ही नदी है और न ही भराव क्षेत्र है। यह हकीकत है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में इसको उस समय देखा नहीं गया और अब जब यह स्थिति सामने आई तो इस अल्ट्राटेक सीमेंट वाले में रिव्यू का फैसला आ जाता है, उसके बाद ही कोई निर्णय कर पाएंगे। फिर भी कमेटी का कोई हो तो इसके लिए पुनर्विचार, कानून की समीक्षा करके, लॉ सेक्रेटरी साहब के साथ बैठकर कोई अच्छी चीज होगी तो उसमें जरूर मदद करेंगे।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और मैं इसलिए लेकर आई हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आती हूं, स्पेशली शेखावाटी में झुंझुनूं, सीकर और चूरू का इलाका, यह इलाका रेगिस्तानी इलाका है, सूखा इलाका है, वहां पर 'जोहड़' शब्द का प्रयोग किया जाता था, वह आम जन की जो भाषा होती थी, पड़त भूमि होती थी, सार्वजनिक भूमि होती थी, उसको लेकर अमूमन भाषा में बोला जाता था, लेकिन रिकार्ड संधारण हुआ, उस समय बाहर के लोग यहां पर आये थे, बिहार और यूपी के, उन्होंने 'जोहड़' शब्द को उसके साथ जोड़ दिया। मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से दो-तीन बातें जानना चाहूंगी। पहली तो यह कि जब हम लोग शहरी क्षेत्रों के अंदर आबादी विस्तार को लेकर चलते हैं तो हम खेतों की जमीन को अवाप्त करते हैं और आबादी को बसाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या आबादी बढ़ नहीं रही है? उसके लिए माननीय मंत्रीजी, क्या कोई इस तरीके की योजना है कि जो क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, वे लोग कहां बसेंगे? इसके अलावा सार्वजनिक....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, it's 131. Please don't go other side.

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी पर बोल रही हूं। मैंने लिखकर दिया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा यह जानना चाह रही हूं कि संविधान के अनुच्छेद 137 में शक्तियां दी गई हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई निर्णय करता है तो वह अपने निर्णय को दुबारा से विचार कर सकता है तो क्या राजस्थान सरकार इस मामले के अंदर हल निकालने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगी? क्योंकि जोहड़ के अंदर बहुत से गांव बसे हुए हैं, सालों से बसे हुए हैं, साठ साल से, सत्तर साल से, उन्होंने वहां मकान बना लिये हैं।

श्री अध्यक्ष: बात हो गई, यही बात तो मंत्रीजी ने कह दी।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): इसमें सरकार अपनी क्या पैरवी करना चाहती है?

श्री अध्यक्ष: आपने सुना नहीं क्या? मंत्रीजी, दुबारा बोल दें आप।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ यह कहकर...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठें। आपने सुना नहीं पूरा। रिकॉर्ड नहीं होगा। आप बैठें। आपने सुना ही नहीं मंत्रीजी ने बोला। दुबारा बोलें मंत्रीजी।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने तीन निर्णय दिए हैं। सुओमोटो एक निर्णय लिया, दूसरा जगमाल सिंह मामले का निर्णय है, तीसरा अब्दुल रहमान वाले मामले में निर्णय है। अब्दुल रहमान वाले मामले में और जगमाल सिंह वाले मामले में नोडल डिपार्टमेंट रेवेन्यू है। सुओमोटो वाले मामले में डब्ल्यूडीआरडी को पार्टी बनाया है। इसमें कमेटी गठित की है, जिसमें जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जल संसाधन, राजस्व, वन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, खान एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग, इन लोगों को तय करके माननीय न्यायालय द्वारा कैचमेंट क्षेत्र को जो परिभाषित किया, उसके आधार पर इन्होंने काम किया। फिर भी कई जगह पर मकान बने हुए हैं। माननीय सदस्य ठीक कह रही हैं, उसके लिए 82 धारा में प्रावधान किया गया है कि रेवेन्यू बोर्ड में जाकर पुरानी स्थिति, नई स्थिति को रेफरेंस के द्वारा पेश करे तो उसको सही किया जा सकता है। फिर भी राज्य सरकार से पूछा है तो इसका हमने माननीय सदस्य को जवाब भी दिया है। इसमें इन्होंने परिभाषित किया है, Whereever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries, etc., from where water flows." यह जो परिभाषित किया है, इसके बाद अल्ट्रा सीमेंट ने, जो अभी माननीय सदस्य की पीड़ा है, वे तो अपनी कम्पनी के हिसाब से गये हैं, लेकिन वह सभी को रिलीफ वाला आर्डर हुआ। फिर भी राज्य सरकार ने नदी-नालों को बचाने के लिए रिव्यू के लिए निर्णय लिया है तो हम पहले निर्णय ले चुके। हम इन चीजों को बचाने के लिए कोर्ट में गये हुए हैं। फिर भी इसके रिव्यू का फैसला किया गया। अगर उसका निर्णय पक्ष में आएगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा। फिर भी माननीय सदस्य की चिंता है तो हम भी भले ही डिपार्टमेंट के थ्रू और एग्जामिन करवाकर लॉ डिपार्टमेंट और इनको साथ बैठाकर जो भी निर्णय होगा, आपको आश्वस्त करते हैं, मदद करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। वित्त विभाग। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.12(11)वित्त/कर/2023-105 दिनांक 28.02.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-50 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या: प.12(11)वित्त/कर/2023-106 दिनांक 28.02.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-51 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या: प.12(11)वित्त/कर/2023-107 दिनांक 28.02.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या: प.12(11)वित्त/कर/2023-108 दिनांक 28.02.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-41 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री जितेन्द्र सिंह।

समिति प्रतिवेदन

पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 4)

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति 2022-23, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग तथा विशेष पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान एवं सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न पदों में आरक्षण का लाभ दिए जाने सम्बन्धी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (क्र. सं. 9 व 10)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति 2022-23 के नवें तथा दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मंजु देवी।

पर्यावरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (क्र. सं. 6)

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पर्यावरण सम्बन्धी समिति, 2022-23, पर्यावरण सम्बन्धी समिति, 2019-20 (पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा) के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक परिपालनात्मक समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अमीन खां।

अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (क्र. सं. 4 व 5)

श्री अमीन खां (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2022-23 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं-

(1) अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2015-16 के प्रथम प्रतिवेदन (चौदहवीं राजस्थान विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक पंचम प्रतिवेदन, एवं

(2) अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2021-22 के तृतीय प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक चतुर्थ प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: वित्तीय समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

श्री महेन्द्र चौधरी।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं-

(1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2023-24 के लिए अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क' 2023-24 के लिए अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख' 2023-24 के लिए अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-ख(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति 2023-24 के लिए अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सरकारी उप मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-ख(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जन लेखा समिति, 2023-24, प्राक्कलन समिति "क", 2023-24, प्राक्कलन समिति "ख", 2023-24 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2023-24; प्रत्येक के लिए अधिकतम 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232 (1), 233-ख(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाये, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।"

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सरकारी उप मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री अर्जुन बामनिया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,83,56,38,15,000/- (दो सौ तिरासी अरब छप्पन करोड़ अड़तीस लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(मांग संख्या 30 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती ममता भूपेश।

मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास की प्रस्तुति

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या - 32- महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,49,73,40,000/- (छब्बीस अरब उनचास करोड़ तिहत्तर लाख चालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(मांग संख्या 32 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-03 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री बाबुलाल खराड़ी।

मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास व 32- महिला एवं बाल विकास पर विचार

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। जनजाति क्षेत्रीय विकास, यह विभाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह समुदाय सदियों से उपेक्षित रहा, अपेक्षित रहा। यह एक प्रकृति प्रेमी तथा प्रकृति की गोद में रहने वाला समाज है। इस समाज की देश प्रेम की कहानियां यदि हम पढ़ेंगे तो वह बड़ा लम्बा चिट्ठा है, चाहे मुग़ल काल रहा हो या अंग्रेजों का काल खण्ड। मैं उसका जिक्र भी बाद में करूंगा।

आज भी उस समाज का जितना विकास होना चाहिये, वह नहीं हुआ है। आज भी वह दीन-हीन हालात में केवल और केवल मजदूर बनकर रह गया है। अध्यक्ष महोदय जी, यह विभाग जब अस्तित्व में आया था, भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में।

(श्री बाबुलाल)

(समय: 12.54 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया। इन्हीं शक्तियों के आधार पर राजस्थान जनजाति समुदाय के विकास हेतु 1975 में इस विभाग का गठन हुआ। इस विभाग का उद्देश्य जनजाति समुदाय के लोगों की जो बिखरी आबादी है, जो समूह में रहती है, उसका सर्वांगीण विकास करना था। इसमें सांस्कृतिक शैक्षणिक, आर्थिक और बौद्धिक रूप से विकास शामिल है। इतने लम्बे समय के अन्तराल के बाद भी विभाग को जो काम करना चाहिये, उतना काम हुआ नहीं। आज भी वह समाज विकास की मुख्यधारा से दूर है। सभापति महोदय जी, इस विभाग का गठन होने के बाद से आज तक जो इसकी स्थिति है, उसके लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे विभाग में काम करने के लिए एक जनजाति आयुक्त, आईएएस अफसर होता है।

हम बार-बार कहते हैं कि उस समाज से यदि कोई जनजाति आयुक्त होगा तो वह कम से कम उस समाज को समझने वाला होगा, उस समाज से निकलकर आया होगा तो वह उस समाज की चिन्ता करेगा, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मेहनत करेगा, प्रयास करेगा। उस विभाग की जो स्थिति है, हमारे स्वीकृत पद 426 हैं, और 171 खाली पद हैं। 255 कार्यरत हैं। अब इस विभाग से हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे उन वंचित लोगों का विकास कर देगा, भला कर देगा, योजना की मॉनिटरिंग करेगा? सभापति महोदय जी, यह कल्पना से परे है।

सभापति महोदय जी, मेरा जो आकलन है, उसके आधार पर मैं बार-बार मंत्री से कहता हूं कि आप उस समाज से आते हैं, उन परिस्थितियों से निकलकर आये हैं। पिछली बार भी मैंने एक सवाल लगाया था। हम उन बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टलों में आवासीय सुविधा देते हैं। उन हॉस्टलों की स्थिति क्या है? शायद मंत्री जी को फुरसत नहीं होगी कि हॉस्टलों में जाकर देखें। मैं हॉस्टलों में गया। उनके बिस्तर आप देखेंगे, आज हमारे महामहिम हैं, मेरे एक प्रश्न के जवाब में पूरक प्रश्न करते हुए उन्होंने कहा था कि उनके बिस्तर ऐसे हैं कि वहां पर कुत्ते भी नहीं सो सकते, जानवर भी नहीं सो सकते। ऐसी स्थिति है। आपने इन हॉस्टलों का रंग-रोगन तो कर दिया, लेकिन बिस्तरों को जाकर देखेंगे तो उनमें से बदबू आती है।

(श्री बाबुलाल)

सभापति महोदय जी, मैं कोटड़ा के एक आवासीय विद्यालय के वार्षिकोत्सव में गया। बरामदे में वार्षिकोत्सव हो रहा था। हम बैठे तो टॉयलेट्स में से बदबू आ रही थी। फिर मैंने उनके प्रिंसिपल से इस बारे में पूछा कि क्या आपके यहां टॉयलेट्स की सफाई के लिए व्यवस्था नहीं है? उन्होंने कहा कि माननीय विधायक महोदय जी, व्यवस्था तो है, पर हमारे यहां पानी नहीं आता है। उसके कारण टॉयलेट्स बदबू मार रहे हैं। वहां पर टंकी बनी हुई है, लेकिन हो सकता है अधिकारियों ने आपकी जानकारी में नहीं लाया होगा, जिस कारण आपने उसकी चिन्ता नहीं की।

मैं कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में गया। वहां पर मुझे यह बात कही गयी कि, माननीय एमएलए साहब, यहां पर पेयजल की समस्या है। एक ही नहीं, लगभग सभी जगह इस प्रकार की समस्या है। आपकी बिजली आती है, जाती है, अब वे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हमें चिन्ता करनी पड़ेगी। वहां आप इनवर्टर्स लगाएं। बिजली जायेगी तो कम से कम बच्चे-बच्चियां वहां पढ़ पाएंगे।

(समय: 13.00 बजे)

मेरा सुझाव है पर आप करेंगे या नहीं करेंगे, यह मुझे लगता नहीं क्योंकि चार साल तो निकल गये और सिर्फ छह महीने रहे हैं, जिनमें आप क्या परिवर्तन कर दोगे? कोई जादू का डंडा तो घुमाओगे नहीं कि सारा परिवर्तन कर दोगे, इसलिए करोगे नहीं। आप सोलर ऊर्जा से उनको कनेक्ट करो, जिससे आपकी बिजली जाएगी तो वे बच्चे-बच्चियां पढ़ तो पाएंगे।

सभापति महोदय, मैंने पिछली बार कहा था कि आपके हॉस्टल्स में जो वार्डन हैं, वे आप उधार पर लेते हैं। कई बार तो वह रुचि से कहता है कि उस हॉस्टल में मुझे वार्डन के लिए परमिट करिये। विभाग से परमिशन लेकर वह वहां जाता है। क्यों जाता है? क्यों इंटरेस्ट है? क्या रुचि है? क्या परिवर्तन कर देगा? उस बात का जिक्र मैं नहीं करूंगा, पर इस बात को हमें समझना चाहिए। वहां जिस प्रकार से बच्चों की देखरेख करनी चाहिए, जिस प्रकार से व्यवस्थाओं की निगरानी करनी चाहिए, वैसी वे नहीं करते हैं। हमने कहा कि आप वार्डन का कैडर बनाइये, जिससे वह अपने विभाग का होगा तो वह चिन्ता करेगा। उस पर कोई कानूनी कार्यवाही करनी है तो वह हम करेंगे, जिससे वह उस डर से भी काम करेगा, पर आपने यह भी नहीं किया।

(श्री बाबुलाल)

हमारे यहां काफी एनिकट भी हैं। तालाब भी हैं। उनमें कुछ ग्राम पंचायत के हैं, कुछ पंचायत समिति के हैं, कुछ जिला परिषद् के हैं और कुछ विभाग के हैं। उनके रख-रखाव के लिए भी इसमें बजट का प्रावधान है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप वहां जाकर नहरों की स्थिति देखिये तो उन नहरों में कहीं-कहीं तो एक-एक मीटर मिट्टी भरी हुई है और वह गांव का आदमी इतनी मिट्टी नहीं निकाल सकता है। कौन देखेगा इन चीजों को?

आपने मत्स्य पालन के लिए एक डिपार्टमेंट बना रखा है, जिसका मैं थोड़ा-सा जिक्र करूंगा। इस विभाग का काम क्या है? ये जो तालाब और बांध हैं, उन पर मछलियों के पालन के लिए वहां के जनजाति के व्यक्ति को ट्रेनिंग दो तथा ट्रेनिंग देकर उनको नाव व जाल दो, ताकि वह कम से कम अपना रोजगार प्राप्त करेगा, और उसको मार्केट दो। पर आपको स्थिति बताऊंगा कि इतना बड़ा जनजाति क्षेत्र है जिसमें 4-5 जिले तो पूरे हैं, सिरोही, राजसमन्द और चित्तौड़ का कुछ एरिया है, तो ये आंशिक रूप से हैं, लेकिन इनमें आपको जो ट्रेनिंग देनी थी वह, मंत्री महोदय, कितनों को दी है? माननीय मंत्री महोदय, इसको गम्भीरता से देखिये, 484 जनजाति मछुआरों को विभिन्न प्रकार के हमने प्रशिक्षण दिये। अब आप क्या करोगे? आप क्या बताना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? क्या यही विकास होगा? उनको आप पैरों पर खड़ा नहीं करना चाहते हो, आप काम करना नहीं चाहते हो।

सभापति महोदय, हमारे यहां पर एक परामर्शदात्री परिषद् का गठन हो रखा है। इस परामर्शदात्री परिषद् का काम क्या होता है? पहले तो महामहिम राज्यपाल महोदय इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, पर अब मुख्य मंत्री इसके अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं। जब आप जवाब दो तब बताना कि इसकी कितनी बैठकें बुलाईं। सभापति महोदय, इसमें एक कलाकारी और की कि जिस जनजाति विभाग में जनजाति के लोग ही होते हैं, पर इस परामर्शदात्री परिषद् में कलाकारी करके उदयपुर के उप जिला प्रमुख लक्ष्मी पंड्या को आपने सदस्य मनोनीत कर रखा है। यह कौनसे खाते से कर रखा है? बताओ। क्या आपको कोई जनजाति का व्यक्ति नहीं मिला? इसकी बैठकें कब-कब हुईं यह बताना, और बैठकें नहीं हुईं तो उनके पीछे कारण क्या रहे, वे भी बता देना, जिससे पता लगे। इस परामर्शदात्री परिषद् का काम क्या होता है? समय-समय पर बैठकें करो और जितनी योजनाएं आपकी चल रही हैं उनके विषय में कुछ सलाह देनी हो तो वह देंगे, उसकी मॉनिटरिंग करनी है और उसके बाद में नया कुछ करना है तो उसका सुझाव भी देंगे। आप

(श्री बाबुलाल)

नया कुछ करना नहीं चाहते और जो है उसकी निगरानी नहीं करना चाहते, किसी के सुझाव लेना नहीं चाहते, किसी के अनुभव का लाभ नहीं लेना चाहते, इसलिए आपने बैठकें नहीं बुलाईं। मतलब हम कहां जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, यह पता नहीं, और हमारे विभाग की हालत बहुत खराब है।

माननीय सभापति जी, हमारे यहां पेसा एक्ट 1996 एवं अधिनियम, 2011 बना, जिसमें उस जनजाति क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विशेष अधिकार दिये, ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार देने का काम किया। उसमें यह किया कि जो ट्रायबल सब प्लान में लोग रह रहे हैं, उनको अपने विकास के लिए पूरा अधिकार ग्राम पंचायतों को होगा तथा उनको उसके लिए क्या-क्या करना है, उसकी अपनी कार्ययोजना भी बनाएंगे। इसमें मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात का जिक्र करके मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा। यहां पर यह लिखा है कि ग्राम सभा में विकास योजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्र में ऐसी परियोजना द्वारा प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन या पुनर्वास करने से पूर्व परामर्श किया जाएगा। सभापति महोदय, इतना सारा करने के बाद में पिछले बजट सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोटड़ा में दो बांधों की घोषणा की थी और उसका पानी जोधपुर को पिलाने के लिए लाएंगे। वहां पर आपने सर्वे कर दिया। मैंने बार-बार कहा कि वहां का व्यक्ति कहां जाएगा, उनसे आपने पूछा तक नहीं। उन्होंने धरना-प्रदर्शन किया, पर किसी व्यक्ति ने आकर उनसे यह तक नहीं पूछा कि आपकी क्या समस्या है? एक बार कलेक्टर महोदय जरूर आये थे। उनसे चर्चा करने की बात तो दूर रही, आपने उनको पूछा तक नहीं, तो क्या यही है पेसा एक्ट का मतलब? यह केवल कागजों में बना रह जाएगा?

सभापति महोदय, कुछ बातों की ओर तथा जो बजट आपने अलोकेशन किया है उसके सम्बन्ध में मैं थोड़ा-सा जिक्र करूंगा। सभापति महोदय, बजट के हालात क्या हैं? इसमें केन्द्र प्रवर्तित योजना भी है, जिसमें केन्द्र आपको सहायता देता है, कुछ राज्य के संसाधनों से आपको पैसा मिलता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2022-23 की बजट घोषणा में 100 करोड़ से 500 करोड़ करने की घोषणा की है। अब मैं खर्चे के बारे में जिक्र करूंगा कि आपने जो खर्चा किया है उसको भी आप देखें, तो पता लगेगा कि 2022-23 में 873.10 करोड़ का बजट प्रावधान रखा था, जिसके विरुद्ध आपने खर्च 491.70 करोड़ रुपये किये। अभी आप बजट तो बता दोगे, लेकिन खर्चा नहीं

(श्री बाबुलाल)

करोगे, तो इस बजट से क्या उस गांव के आदमी की गरीबी मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। आगे एक-एक चीज का जिक्र करूंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, पर कुछ चीजों को बताना बहुत आवश्यक है। जनजाति क्षेत्र के लिए 2022-23 में जो आपका अनुमानित बजट था वह 33,651.97 करोड़ था, जिसमें 23,839.65 करोड़ खर्च किया। अंत में, विशेष केन्द्रीय सहायता को आप देख लेंगे तो केन्द्र से आपको पैसा मिला है जो 11,000 करोड़ मिले हैं और 4,820 करोड़ खर्च कर रहे हो। जो सहायता मिल रही है उसको भी आप खर्च नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा?

सभापति महोदय, मैं कुछ बातें लेकर आया हूं जो आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां पर जनजाति विश्वविद्यालय की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की, हम इस विधान सभा में थे और हमने खूब मेजें थपथपाईं। हमें लगा कि जनजाति के लिए कम से कम विश्वविद्यालय तो बन रहा है और वह राजीव गांधी के नाम से बन रहा है। बाद में आपने उसको गोविन्द गुरु के नाम से बनाया, क्योंकि गोविन्द गुरु ने उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। वहां जिस प्रकार से ईसाई धर्म में धर्मान्तरण हो रहा था, वह उसके कारण से रुका। गोविन्द गुरु ने वहां के लोगों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार किया। उनके नाम से यह विश्वविद्यालय बना। सभापति महोदय जी, अब विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है? आप इस विश्वविद्यालय की स्थिति देखेंगे, आदिवासियों की पूरे देश भर में जनसंख्या 6,85,48,437 है, राजस्थान में हमारी जनंसख्या लगभग 93 लाख है। इसके बाद भी सरकार ने क्या किया? डिपार्टमेंट को महाराष्ट्र पैटर्न पर पैसा जाना चाहिए। 13.48 परसेंट पैसा विभागों को जाता है। अब ये विभाग करते क्या हैं? अभी मैंने मत्स्य पालन का छोटा-सा उदाहरण दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। यदि इतना पैसा जमीन पर उतरता है तो उनका नक्शा बदल जायेगा। मंत्री महोदय जी, इसकी चिन्ता आपको और हमको करनी पड़ेगी। यहां पर केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। काम को जमीन पर उतारना पड़ेगा, तब जाकर कुछ भला होगा।

सभापति महोदय जी, हमारे यहां वसुन्धरा जी की सरकार थी। हमारा 12 परसेंट आरक्षण था। हम सब लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी को कहा था कि यदि आप उस आदिवासी का भला चाहते हो, जो पूरे राजस्थान का आदिवासी है, उस गरीब क्षेत्र का आदमी अच्छी स्कूल में पढ़ाई नहीं कर

(श्री बाबुलाल)

पाता है, उसकी गरीबी की स्थिति है, उसे अच्छा माहौल नहीं मिला है, इसलिए उनके लिए अलग से एक आरक्षण दीजिए, तो 45 परसेंट आरक्षण देने का काम वसुन्धरा राजे के समय में हुआ था। 100 में से 45 लड़के, जो भी भर्ती होंगे, चाहे बाबू हों, चाहे मास्टर हों, वे सारे के सारे उस उदयपुर डिविजन के होंगे, उस ट्राइबल सब प्लान के होंगे। यह काम वसुन्धरा जी ने किया था।

सभापति महोदय, आज वहां की जो स्थिति है, मैंने पहले भी प्रश्न के माध्मय से पूछा था। आपने कितने कोचिंग्स खोले? मैं आपके सामने वहां की स्थिति का थोड़ा जिक्र करूंगा। देश में हमारे प्रोपर आई.ए.एस. कितने हुए, मात्र दो बने हैं। इतनी बड़ी आबादी है, हम आई.ए.एस. तैयार नहीं कर पाये। यदि आई.पी.एस. में देखेंगे तो हमारा केवल मात्र एक है। आर.ए.एस. हमारे दो हैं। आर.टी.एस. हमारे 7 हैं, अधीनस्थ सेवा में 15 हैं, कालेज व्याख्याता 7 हैं, विश्वविद्यालय प्रोफेसर एक है और स्कूल व्याख्याता 90 हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस विभाग को 50 साल होने को आये हैं, यह हमारी उपलब्धि है। हम 50 साल की उपलब्धि बतायेंगे तो यह उपलब्धि है। हम कर क्या रहे हैं? जमीन पर कुछ नहीं उतर रहा है।

आज अपने उस विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है? आपने कुलपति लगा दिया। आपको जनजाति क्षेत्र का कुलपति ही नहीं मिला। एक टी.सी. डामोर जरूर लगाया था। अभी आपने त्रिवेदी लगा रखा है। वह भी रिटायर्ड है। उसको बार-बार रिपीट कर रहे हो। ऐसी कौन-सी विशेषता है? आप ढूंढोगे तो आपको जनजाति क्षेत्र में योग्य व्यक्ति मिल जायेंगे, लेकिन आप लोग जनजाति के व्यक्ति को लगाना ही नहीं चाहते हो। मतलब, हालत बड़ी खराब है। आपके विभाग की जो स्थिति है, आज तक आपने एक भी व्यक्ति वहां पर भर्ती नहीं किया। सारे के सारे उधारी पर लेकर आप काम चला रहे हो। कैसे काम चलेगा? काम नहीं हो सकता है।

दूसरा, यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जनजातीय महाविद्यालय में 10-12 वर्ष हो गये हैं, वहां शैक्षणिक पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर तथा गैर-शैक्षणिक पदों पर नियंत्रक, रजिस्ट्रार, उप-कुलपति, कर्मचारियों के पद सृजित नहीं हुए हैं। अभी आपको मैंने बता ही दिया। मैं इसके आगे आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय में टी.एस.पी., एस.टी. हेतु स्पेशल कोटा निर्धारित कर हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, इतिहास, जनजातीय अध्ययन,

(श्री बाबुलाल)

समाजशास्त्र, लोक प्रशासन आदि विषयों का निर्धारण होना चाहिए। अब आप यह भी नहीं कर रहे हैं तो वहां का आदिवासी इन विषयों में विशेषज्ञ कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। हमने केवल और केवल उसको खोल दिया और हमारा भला हो जायेगा, यह हो नहीं सकता है। मंत्री जी, कुछ करिए, अन्यथा अब कुछ ज्यादा होना नहीं है। मुझे आपसे अपेक्षा भी नहीं है। अब मैं कुछ और डिमांडस आपको बताना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके यहां जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, only for tribal students who are appearing in competitive exams i.e. IAS, RAS and so वह सिस्टम कब से प्रारम्भ हुआ? जो आपने डिपार्टमेंट की परफोर्मेंस बताई है, कब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपके यहां चालू हुए उसका आउटपुट क्या मिला?

श्री बाबुलाल (झाडोल): टी.आर.आई. बना हुआ है। अब उसकी स्थिति तो और विचित्र है। वहां केवल एक बिल्डिंग बनकर खड़ी है। उसमें बच्चे कोचिंग के भी रहते हैं, कितने बच्चे रहेंगे, यह तो मंत्री जी जवाब दे देंगे। अगर मैं ही सारे जवाब दूंगा तो मंत्री जी के पास बचेगा क्या? टी.आर.आई. बहुत बड़ा संस्थान बना हुआ है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। (व्यवधान) आपके मुंह में घी शक्कर।

श्री सभापति: प्लीज, कन्टीन्यू।

श्री बाबुलाल (झाडोल): जो आपका बजट था, उसके बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा कि आपको यह बजट मिला था, 25,143.59 करोड़ रुपये। आपने इसमें से 2002 तक खर्चा कितना किया, 11,005 करोड़, मैं यह इसलिए बताना चाहता हूं कि अभी मुख्य मंत्री जी ने हर पैरा में कोई न कोई घोषणा की है। अब हमें नहीं लगता कि ये घोषणाएं जमीन पर उतरेंगी। यह बताना आवश्यक है। मेरे पास पूरी घोषणाएं पड़ी हुई हैं, उनका भी मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि ये जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, इनका काम पूरा हो जायेगा। ये केवल और केवल घोषणाएं रहेंगी, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। घोषणाएं करके, लोगों को प्रभावित करके फिर से सत्ता में आने का सपना है, लेकिन, मंत्री जी, ये सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। ये पूरे तब होंगे जब ये सारी की सारी घोषणाएं, सारा का सारा पैसा जमीन पर उतरेगा, उनका उत्थान होगा। तब जाकर वह सोचेगा कि, नहीं, मेरा भला किया है, नहीं हो सकता है।

आपके बजट के बारे में भी मैं कुछ बताऊंगा। आपने रूरल डवलपमेंट

(श्री बाबुलाल)

में एक्सपेंडीचर में कितना किया है? आपने मात्र 25.73 लाख, अभी आपने परिसम्पत्तियों का निर्माण किया है। इसका मतलब वहां पर कुछ है ही नहीं, वहां एनिकट भी नहीं बनना चाहिए, वहां सड़क भी नहीं बननी चाहिए। अब तो इसमें, धार्मिक स्थानों को, ऐसी गांव, ढाणियां बच गई हैं, उनको सड़क से जोड़ें। अगर कहीं रपट की जरूरत है तो रपट बनाओ, पुलिया की जरूरत है तो पुलिया बनाओ। ये सारी चीजें हैं न।

जन सहभागीदारी योजना में, हमारे यहां पर पिछली बार घोषणा की थी कि 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ करूंगा, एस.सी., एस.टी. के लिए। हमको बहुत अच्छा लगा कि इतना पैसा आयेगा तो सारा विकास हो जायेगा, आगे कुछ करने को रहेगा नहीं। अब मैं आपके सामने जन सहभागीदारी योजना का जिक्र करना चाहता हूं। हमको तो यह खुशी थी कि उस योजना में हम एमएलए लैड से 30 परसेंट दे देंगे। उसमें आपकी कंडीशन है कि कोई दानदाता भी दे सकता है, कोई संस्था भी दे सकती है, लोग मिलकर भी दे सकते हैं। सब कुछ है, उनसे 30 परसेंट लें और काम करें। आपका क्या लग रहा था? करते न। उनसे 30 परसेंट राशि तो आ रही थी। वह तक आपसे नहीं हुआ और यह पैसा कहां लगाया? वह भी आप बताने की कृपा करना। मेरे यहां जरूर आपने चार-पांच काम दिये हैं। उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन पूरा पैसा कहां गया? भाई, वह तो हमको बताओ।

दूसरा, आपने इरिगेशन एण्ड फ्लड, आपका सिंचाई भी है, फ्लड भी है। इनमें भी आप देखेंगे तो आपका 20.31 परसेंट है। क्या हालत है, क्या वहां पर कृषि का काम नहीं होता है? सारे के सारे जनजाति के लोग कृषि का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। लेकिन यह भी हमसे नहीं होता है तो हम क्या अपेक्षा रखेंगे? मंत्री जी, कुछ तो बताओ। अब बतायेंगे तब देखेंगे, कितना वे कर पायेंगे।

अब मैं आपके सामने वनाधिकार पर आता हूं। सभापति महोदय जी, वनाधिकार कानून 2006 में बना। 2005 के बाद जो भी व्यक्ति, क्योंकि गांव में जमीन तो कम होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, वे जंगलों में रहते हैं और जंगलों में रहते हैं तो कुछ खाली जमीन पड़ी होती है तो वे निकालते हैं। सरकार की अच्छी मंशा थी कि उन लोगों को वनाधिकार का पट्टा मिल जाना चाहिये ताकि फोरेस्ट वाले बार-बार तंग नहीं करें। होता क्या है कि फोरेस्ट वाले हमेशा डंडा लेकर आते हैं और पैसा लेकर चले जाते हैं, कुछ करते

(श्री बाबुलाल)

नहीं हैं। लूटपाट भी हुआ करती थी। उससे मुक्ति दिलाने के लिए यह एक्ट आया था। अच्छी सोच थी, लेकिन वनाधिकार पट्टों की मैं बात करूं तो आपके पास में व्यक्तिगत दावे आये हैं। 1,11,185 लोगों ने आपके सामने यह एप्लीकेशन पेश की कि मैं जंगलों में रहता हूं, मुझे इसका वनाधिकार पट्टा मिलना चाहिये। आपने जांच की, इसमें वन सुधार समिति भी है, वन विभाग भी है, पंचायत समिति भी है और विभाग भी है। सभी ने मिल कर देखा और देखने के बाद में आपने स्वीकृति योग्य समझे, वे समीक्षा पूर्व स्वीकृत 43,779 थे। वे योग्य थे। वे लोग वहां उस समय से रह रहे थे और नियमों में आते थे, लेकिन आपने पट्टे जितने दिये हैं? उनको देख करके हमको ताज्जुब होगा, सभापति महोदय, ये 4,740 हैं। अब यह क्या दर्शाता है? क्या करोगे? उन दावों का क्या किया जो आपने स्वीकृत किये थे न? उनको भी आपने अधिकार देने में कंजूसाई की, क्योंकि देने नहीं हैं।

सभापति महोदय, मतलब हालत बहुत खराब है। सामुदायिक दावों की मैं बात करूं तो 2,693 में समीक्षा पूर्व स्वीकृत मात्र 582 हैं। सामुदायिक दावों में तो कुछ अच्छा भी हो सकता है। जहां आपकी सड़क नहीं जा सकती, बिजली नहीं जा सकती है अगर सामुदायिक दावा आप स्वीकृत करते हैं तो उस गांव में सड़क भी जायेगी, बिजली भी जायेगी। ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन यह भी आप नहीं करोगे। ऐसे मिला करके बहुत लम्बा है। उसके बाद आपके ये टोटल जारी पत्रों की संख्या 48,519 है और सामुदायिक दावे 593, कुल योग आपका 49,112 है। अब इतने ही लोग आपने योग्य माने हैं। अब बाकी का क्या करोगे? बाकी के लोग वेटिंग में हैं।

सभापति महोदय, अभी बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटा था। आपने कैम्प लगाये थे कि कैम्पों में हम देंगे। वहां पर हमारे पास लोग आये कि हमने हमारा दे रखा है, लेकिन हमारा कर नहीं रहे हैं। अधिकारियों से पूछते हैं तो वो एक-दूसरे पर टालमटोल करते हैं। अब एक पारदर्शिता इसमें आयी है, वह हमको लगती है कि आपने ऑनलाइन कर दिया कि जो एप्लीकेंट होगा, जो दावा पेश करेगा ऑनलाइन करेगा, डिपार्टमेंट में जायेगा, डिपार्टमेंट उसकी जो भी कमियां-खामियां हैं, बतायेगा और ऑनलाइन होगा। अब उसको हमको गति देने की आवश्यकता है, मंत्री महोदय।

सभापति महोदय, अभी मैं एक जगह गया तो उन लोगों ने कहा कि, साहब, हमारे ये फार्म कम्प्लीट है, इनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको मिला

(श्री बाबुलाल)

नहीं। मैं पट्टा वितरण करने के लिए गया। जिस गांव में गया तो गांवों के कम से कम 50,000 लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि हमारे दावे कम्प्लीट हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। मैंने वन विभाग के अधिकारी से पूछा कि इनके दावों में कमी क्या है? तो बोले कि कोई कमी नहीं है। तो मैंने पूछा कि फिर लेकर क्यों बैठे हो? तो बोले कि हम कर देंगे। अब कल के लिए रखे हैं। यह हमारी स्थिति है। अधिकारियों की मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो वे लेकर बैठेंगे ही। वे देंगे नहीं और नहीं देंगे तो वे लोग बार-बार विभागों के चक्कर लगायेंगे।

सभापति महोदय, अब इन सारी परिस्थितियों में मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ आप कर दोगे। अब आगे मैं कुछ घोषणाओं पर आऊंगा आपके सामने। हमारे जनजाति क्षेत्र में काफी घोषणाएं की हैं आपने।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बाबुलाल (झाडोल): मैं कर दूंगा, सभापति महोदय। मैं ज्यादा लम्बा बोलता भी नहीं हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में कर दें।

श्री बाबुलाल (झाडोल): मैं अपनी बात टू द पाइंट ही करने का प्रयास कर रहा हूं।

आपने 2019-20 में भी घोषणा की है, अब इस घोषणा के बारे में लम्बा-चौड़ा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ मैं कहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो हमारा एक तीर्थस्थल है, त्रिपुरा सुन्दरी है शायद उसी स्थान को, ये नदियां बड़ी लम्बी-चौड़ी हैं, पुरानी हैं, तो वहां पर हम बड़ा पुल बनायेंगे, अच्छा बनायेंगे। आप वहीं से आते हो। पुल तो बन गया? (व्यवधान) बेणेश्वर। अब वह पुल आपका बन गया होगा, आप उसी पुल से आते होंगे। मैं तो दो-तीन बार गया, मैंने तो देखा नहीं है। अब क्या होगा आपकी इन घोषणाओं का? सभापति महोदय, आप हमें बताएं।

सभापति महोदय, एक कुसुम योजना है, उसके बारे में तो बाद में कहूंगा। पहले मैं कहना चाहता हूं जलोत्थान के बारे में। उस जनजाति क्षेत्र में बांध बनाओगे तो कुछ लोग विस्थापित होंगे, पुनर्वास की समस्या होगी। लेकिन लिफ्ट ऐसी चीज है जो नदियों का पानी जाता है, नालों का पानी है उसको आप छोटा-सा रोक करके लिफ्ट से उन लोगों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा सकते हो। कई लिफ्टें चल रही हैं और कई लिफ्टें बंद हैं। बंद इस कारण से हैं कि उनका बहुत बड़ा समूह होता है, उसमें कोई पैसा देता है, कोई

(श्री बाबुलाल)
नहीं देता है। देते हैं तो, वे जो मॉनिटरिंग करते हैं वे लोग समय पर नहीं देते हैं। इसके कारण से बिल बहुत ज्यादा होने के कारण से वह पैसा नहीं भरने के कारण उनके कनेक्शन कट जाते हैं, वे वैसे के वैसे रद्द हो जाते हैं। सोलर योजना से अगर ये लिफ्टें चलाने का उद्देश्य हमारा इसमें है, गाइड लाइन में भी है, अगर इसको आप गति देकर करेंगे तो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों का आप उद्धार करोगे।

सभापति महोदय, हमारे यहां कोचिंग सेन्टर खोले जायेंगे और इसके लिए...

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। थैंक यू वैरी मच।

श्री बाबुलाल (झाडोल): थोड़ा तो और बोलने दो।

श्री सभापति: टाइम इज ओवर।

श्री बाबुलाल (झाडोल): थोड़ा-सा, इसके बाद बन्द कर दूंगा।

दस करोड़ लागत से आपने ये सारा पैसे का किया है, अब इसका करोगे क्या? अब ज्यादा कहना भी तो ठीक नहीं है। रोकते ही मेरी स्थिति विचित्र हो जाती है और मुझे डर भी लगता है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से आता हूं तो थोड़ा-सा जनजाति की बात करता हूं, सीधा आदमी हूं, आप रोकेंगे, इसलिये मैं कुल मिला करके यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि इन घोषणाओं से हमें बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है, जनजाति क्षेत्र में रहने वाले जनजाति वर्ग की अपेक्षा नहीं है, यह थोथी घोषणा है। जितना आपने किया है और जितना मैंने बताया है, उसका भी आप जब जवाब दें तो बतायें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री बाबूलाल जी नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 32 - महिला और बाल विकास के सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वर्षों से राजस्थान में नयी आंगनबाड़ी खोलने की जो मांग चल रही थी, कई बार हम लोगों ने भी प्रयास किया, इस बार मुख्य मंत्री जी ने बजट में आंगनबाड़ियों के विस्तार और बच्चों के शारीरिक, मानसिक विकास की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आठ हजार आंगनबाड़ी नयी खोलने की बात की। दो हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे। निश्चित रूप से सभापति महोदय,

(श्री बाबूलाल नागर)

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, गरीब आम आदमी से जुड़ा हुआ यह विभाग है।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो हमारे छोटे बच्चे तीन से छह वर्ष तक के जाते हैं, इस बजट में मुख्य मंत्री जी ने एक-एक बच्चे को, करीब 17 लाख से अधिक बच्चे हैं, दो-दो सैट यूनिफार्म देने की बात की है। यह भी काफी प्रयास है मुख्य मंत्री जी का।

सभापति महोदय, आंगनबाड़ी या जितने भी मानदेय कार्मिक हैं, आंगनबाड़ी में भी मानदेय कार्मिक हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मानदेय कार्मिक इन सबको प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने उचित संरक्षण देते हुए बजट में पोस्ट रिटायरमेंट आर्थिक सपोर्ट करने की दृष्टि से राजस्थान पार्ट टाइम कांट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स बनाये जाने की बात कही है। निश्चित रूप से इस विभाग को इससे बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। सभापति महोदय, रिटायरमेंट सहायता पैकेज, निश्चित आयु के बाद, काम करने के बाद उनको बुरी स्थिति के दौर से गुजरना पड़ जाता है और मुख्य मंत्री जी ने मानदेय, जो कार्मिक हैं, उनको दो से तीन लाख रुपये रिटायरमेंट पैकेज देने की घोषणा की।

सभापति महोदय, वैसे तो इस विभाग में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आई.सी.डी.एस. के माध्यम से, समेकित बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरी बालिका योजना, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, आंगनबाड़ी केन्द्र सह शिशु पालना गृह, महिला कल्याण कोष, इसी तरह महिला एवं बाल विकास के डाइरेक्ट्रेट द्वारा हमारे यहां इंदिरा महिला शक्ति संवर्धन एवं प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अमृता हाट बाजार, श्रम सहायता समूह को राशन की दुकान, महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु हेल्प लाइन, केन्द्र और राज्य सरकार के ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम महिला बाल विकास विभाग द्वारा किये जाते हैं। इतने महत्वपूर्ण काम दोनों सरकारों के, जो मानदेय पर काम करते हैं, उनके द्वारा रात-दिन मेहनत करके किये जाते हैं।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 के प्रस्तावों के संबंध में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती माताओं, किशोरी बालिकाओं को बेहतर

(श्री बाबूलाल नागर)

जीवन एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1975 में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की शुरुआत पूरे देश में हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति से हुई। एक तरह से राजस्थान इसका जनक है।

सभापति महोदय, राजस्थान में आंगनबाड़ी केन्द्र, इस बार मुख्य मंत्री जी ने आठ हजार खोलने की बात की है। मेरा भी पिछला 20-25 साल का अनुभव है। खूब कोशिश करते हैं, लेकिन खुलते ही नहीं हैं। तरह-तरह की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं, आई.सी.डी.एस. में पूरक पोषाहार, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं इन केन्द्रों द्वारा संचालित की जाती हैं। सभापति महोदय, इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में मानदेय कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा हैं। आशा के संबंध में जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से इन आशाओं को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हस्तांतरण कर दिया गया है, जबकि इनका काम करने का केन्द्र आंगनबाड़ी केन्द्र है। इनकी सब कार्ययोजना आंगनबाड़ी है। वहीं बैठती हैं, लेकिन हैल्थ डिपार्टमेंट में इनको जोड़ दिया गया है। मैं समझता हूं किइससे इनके समन्वय में इनको काफी परेशानी आती है। सरकार ने जो यह निर्णय किया है, इससे इनमें जो शिथिलता बन जाती है, इनको वापस आंगनबाड़ी से जोड़ दिया जाए। इन मानदेय कर्मियों को पुन: महिला एवं बाल विकास को हस्तांतरित करना चाहिये, अगर इनका सही सदुपयोग करना है तो वापस महिला बाल विकास को हस्तांतरण करना चाहिये। इन मानदेय कर्मियों द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार की इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, आई.एम. शक्ति उड़ान योजना, एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम में राजस्थान में इन आंगनबाड़ी बहनों ने बहुत जबरदस्त योगदान दिया।

सभापति महोदय, पिछले दिनों कोरोना आया, मैं मानता हूं चिकित्सा विभाग ने बहुत तत्परता से काम किया है, लेकिन इसमें किसी ने चार चांद लगाया है तो वह महिला बाल विकास की इन आंगनबाड़ी की बहनों ने लगाया है। सभापति महोदय, मैंने देखा है जो जाग्रति पैदा करने का काम किया, घर-घर सरकार के पर्चे, पम्फलेट बांटना, कैसे कोरोना को रोका जाए, क्या-क्या सावधानी बरती जाए, जब कोई घर से नहीं निकल रहा था, तब महिला बाल विकास की हमारी ये बहनें अपनी जान को हथेली में लेकर घर-घर घूम रही

(श्री बाबूलाल नागर)

थीं। इन्होंने बहुत बड़ी जागरूकता का काम किया है, मैं इनकी सराहना करता हूं। मैं महिला बाल विकास मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, कोरोना के दौरान ये पूरे राजस्थान में गई होंगी, लेकिन मेरे क्षेत्र में ये बहनें कोरोना के नाम पर नर्वस न हों, जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने का काम करें, खुद मंत्री महोदया मेरे यहां दो बार आईं और बहुत बड़ी ताकत दी। हम बहुत सफल भी हुए। सभापति महोदय, कोरोना में कितने लोगों की मृत्यु हुई, उस समय आंगनबाड़ी की हमारी ये बहनें ही थीं, जिनको मैं श्रेय दे सकता हूं कि इन्होंने इतनी जागरूकता पैदा की, जिससे सबसे कम मृत्यु हमारे जिले में मेरे क्षेत्र में हुई।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इनके महत्व को समझते हुए, इनको फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में इन्हें प्राथमिकता दी और कार्य करते समय अगर किसी की मृत्यु हो गई तो 50 लाख रुपये दुर्घटना बीमा कवरेज करने का भी मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान में व्यवस्था की। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का राजस्थान में शुभारम्भ किया और इन बहनों को भी इस योजना में नि:शुल्क कवरेज प्रदान करने के आदेश मुख्य मंत्री जी ने दिये। सभापति महोदय, विशेष तौर से जिनको मानदेय मिलता है, इसमें 60 परसेंट भारत सरकार देती है और 40 परसेंट राज्य सरकार देती है। राजस्थान सरकार ने 2022-23 के बजट में 20 प्रतिशत इनका मानदेय बढ़ाया है। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने अपना हिस्सा जो कि 40 परसेंट देते हैं, उसमें 20 परसेंट मानदेय बढ़ाया और केन्द्र सरकार ने इन बहनों के लिए चार साल में एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। मुख्य मंत्री जी ने इस बार 15 प्रतिशत मानदेय इस बजट में बढ़ाया है। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि किसी को 5 हजार मिलते हैं, किसी को 6 हजार मिलते हैं, किसी को 8 हजार रुपये मिलते हैं। पूरी घर-गृहस्थी, सुबह से रात तक मेहनत, अपनी जान को जोखिम में डालकर सरकार की जो योजनाएं हैं, कैसे जच्चा-बच्चा को बचाना है, कैसे धात्री महिला को, कैसे गर्भवती महिला को और बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाया जा सकता है, इतना बड़ा काम करती हैं। मैं समझता हूं, हालांकि राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है, मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि 20 पहले दिये, 15 अब दिये, लेकिन जब 40 परसेंट में 20 और 15 देंगे, सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि यह बहुत बड़ी संख्या है राज्य

(श्री बाबूलाल नागर)

में टोटल 70-80 हजार होंगी, सारी महिलाएं मेहनतकश हैं, इनका कम से कम 12 हजार से 15 हजार महीने का मानदेय होना चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने जो 15 परसेंट किया है, कम से कम 50 परसेंट, आपको 40 परसेंट में तो बढ़ाना है। आप केन्द्र सरकार की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने एक पैसा चार साल में नहीं बढ़ाया है। आप दूसरी बार 20 परसेंट और फिर 15 परसेंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको 40 परसेंट का मानदेय इनको देना पड़ता है। आपको 50 परसेंट बढ़ाना चाहिए। मैं पुरजोर तरीके से मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं क्योंकि मैंने इनकी कर्मठता देखी है, इनके काम करने का तरीका देखा है। जोखिमपूर्ण जीवन है। मैंने देखा है कि किस तरह से, कोई गरीब भूखा नहीं सोए, चाहे लम्पी बीमारी आये, मास्क वितरण, खाद्य सामग्री का वितरण, जाग्रति पैदा करना। लॉकडाउन के समय बाहर से कौन आ रहा है, उसकी समय पर बिना निडरता के साथ सूचना देना, उसको क्वारंटाइन करवाना, यह छोटी बात नहीं है।

सभापति महोदय, कई आंगनबाड़ी महिलाओं को तो अपने खुद के परिवार में कितनी डांट-डपट खानी पड़ी है। जिस मोहल्ले का आदमी बाहर से, कहीं से आया है, अगर उसकी सूचना दे दी कि इसको क्वारंटाइन करो, ये बाहर से आया है, सभापति महोदय, उन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी इन बहनों ने काम किया है। सभापति महोदय, आज एक कार्यकर्ता को शुरुआत में 8,460 रुपये मानदेय प्राप्त होता है। 5,760 रुपये केन्द्र सरकार, 2,700 रुपये राज्य सरकार। इसी तरह से सहायिका को 4,890 रुपये मानदेय प्राप्त हो रहा है, 1,350 रुपये केन्द्र सरकार, 3,540 रुपये राज्य सरकार। अब 5 हजार रुपये में उनको अपने बच्चों को भी पढ़ाना-लिखाना है, अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना है। इसलिए निश्चित रूप से, मंत्री जी, मैं आग्रह करूंगा, सारा राजस्थान आपकी तारीफ करता है, आपने जो इनको स्नेह और लगाव दिया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जान को हथेली पर डालकर इस तरह से कर्तव्य का निर्वहन करे और वह भी मानदेय वाला कार्मिक है, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से, मंत्री जी, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले बजट में 56 नयी परियोजनाएं

(श्री बाबूलाल नागर)

खोलने की घोषणा की थी, आपको इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। पिछले बजट में जो 56 परियोजनाएं खोलने की बात की गयी थी, क्या आज वे 56 परियोजनाएं खुल गयीं? उसमें कहीं कोई बाकी तो नहीं है? कहीं मॉनिटरिंग का अभाव तो नहीं रहा है? प्रदेश के मुख्य मंत्री जी बजट में कोई बात बोलते हैं, आज पूरे राज्य में एतबार होने लग गया है कि बजट तो देखते ही रहते हैं, लेकिन जब प्रदेश के मुख्य मंत्री जी पहली बार मुख्य मंत्री बने थे, जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी को बजट की प्रति दे देना कि मेरी कार्ययोजना, आज लोग एतबार करते हैं कि एक बार निकल गया तो समझ लो कि काम हो गया। मुख्य मंत्री जी की कथनी और करनी में अन्तर नहीं है।

सभापति महोदय, निश्चित रूप से मैं साधुवाद दूंगा कि दो लाख और तीन लाख का सेवानिवृत्ति का जो निर्णय किया है, बहुत बड़ी ताकत है। कम पैसा मिलने के बाद भी, यह निर्णय इन बहनों और मानदेय वाले कार्मिकों में इतना उत्साहवर्धक है कि चलो हम कैसे अपना जीवन जी लेंगे, लेकिन दो-तीन लाख रुपये हमें सेवानिवृत्ति में मिल जायेंगे।

सभापति महोदय, इसके बारे में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। जो मानदेय कर्मी हैं और विशेष तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोई आकस्मिक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार के किसी अन्य महिला सदस्य को मानदेय पर अनुकम्पा पर नियुक्ति देने का फैसला सरकार को करना चाहिए। मानदेय पर देने की ही तो बात है। कम से कम वह सुरक्षित महसूस करे कि जोखिमपूर्ण काम करने के बाद भी अगर कहीं ऐसी कोई दुर्घटना हो गयी, मृत्यु हो गयी तो परिवार बेघर नहीं होगा। जितना भी मानदेय मिलता है, और कोई दूसरा परिवार का सदस्य मानदेय पर नियुक्त हो जायेगा।

सभापति महोदय, एक तो मैं निवेदन करूंगा। आंगनबाड़ियों के सेक्टर मीटिंग और प्रशिक्षण होते हैं, ये दूर-दूर गांव और ढाणी से उसको ज्वाइन करने के लिए आते हैं और इनको कोई किराया नहीं मिलता है। कई बार उप खण्ड अधिकारी बुलाता है, वह राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में मीटिंग करता है। कई बार सी.डी.पी.ओ. महीने में एक-दो बार अपने-अपने केन्द्र में बुलाती हैं। सभापति महोदय, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि ट्रेवलिंग अलाउंस इनको दिया जाना चाहिए। सभापति महोदय, आंगनबाड़ी महिलाएं, महिला बाल विकास की जो मानदेय वाली कार्मिक हैं, ये अपनी यूनिफार्म भी रखती हैं। मुझे जहां तक जानकारी है, इनको यूनिफार्म का कोई

(श्री बाबूलाल नागर)

भत्ता देते होंगे तो शायद नहीं के बराबर देते होंगे। आज के दौर में जब ये यूनिफार्म तय हो गयी तो इन बहनों को हर वर्ष कम से कम दो यूनिफार्म खरीदने के लिए निश्चित राशि इनके खातों में जमा होनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक पूरे ब्लाक में सी.डी.पी.ओ. कार्यालय होता है, अब पंचायत समितियां ज्यादा हो गयीं तो कुछ सी.डी.पी.ओ. कार्यालय नये सृजित कर दिये गये। उसी में एक सी.डी.पी.ओ. और तीन-चार सुपरवाइजर भी वहीं बैठती हैं। सुपरवाइजरों की अलग-अलग जगह तो तय है, कहीं इनके कार्यालय नहीं, कहीं दफ्तर नहीं, कहीं बैठने की जगह नहीं, सारे एक ही जगह पर आती हैं। दो-दो सरकारों की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं जो गरीब के लिए केन्द्र बिन्दु हैं। इनके कार्यालय होने चाहिए। सुपरवाइजरों के लिए सरकार को कार्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति महोदय, जहां तक मेरी जानकारी में है, पिछले पांच वर्षों में, कार्यकर्ताओं को जो पहले फंड मिलता था, दैनिक खर्च हेतु बजट, वह बन्द हो गया है। चार साल तो हमारी सरकार हो गयी, एक साल पिछली सरकार ने बंद किया। अगर पिछली सरकार ने बंद कर दिया, कार्यकर्ता को दैनिक खर्चे के लिए जो बजट मिलता था, पिछली सरकार तो कर सकती है, लेकिन हमारा यह दायित्व बनता है कि आप एक आफिस चलवा रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण काम करवा रहे हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार का इतना जबरदस्त पैसा इनकी निगरानी में आप खर्च करवा रहे हैं। छोटे से छोटे बच्चे को कुपोषण से रोकने के लिए, 6 महीने के बच्चे को, 2 साल तक के बच्चे को क्या-क्या उपलब्ध कराना चाहिए, इतनी बड़ी राशि सरकार की खर्च करवाते हैं और वह भी बिना पैसे। अब जिसको चार हजार या पांच हजार मिल रहा है, वह अपने बच्चे पाले या अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए खर्चा करे? इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर चालू नहीं किया है तो, प्रदेश के मुख्य मंत्री तो वैसे ही गरीब, आम आदमी, कमजोर लोग, जिनके लिए ये विभाग वरदान साबित होता है..., अगर हमारे बच्चे तंदुरुस्त होंगे तो देश के लिए, प्रदेश के लिए काम आएंगे। अगर चालू नहीं किया तो कुपोषण से ग्रसित होंगे, बीमार होंगे, बहनें बीमार होंगी, इसलिए यह चालू करना चाहिए।

सभापति महोदय, 2014 तक इस विभाग में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय कार्मिक भर्ती होते थे, उनको ग्रुप सेविंग लिंक इंश्योरेंस स्कीम से जोड़ा हुआ था। आकस्मिक दुर्घटना, रिटायरमेंट के बाद उनको बीमा राशि प्राप्त होती

(श्री बाबूलाल नागर)

थी। इस पर रोक लग गयी है। अगर कहीं रोक लगा रखी है, जैसा मुझे जानकारी है, तो उस रोक को हटाना चाहिए। इसको तर्कसंगत बनाना चाहिए। आपकी सरकार ने संविदाकर्मियों के लिए राजस्थान में बहुत बड़ा काम किया है। यह जो मानदेय कार्मिक हैं, हालांकि आपने योजना बनायी है कि कैसे इनका नियमितीकरण किया जा सकता है। बहुत-सी आज साधारण कार्यकर्ता, सहायिका एम.ए. पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, साइंस, कामर्स, आर्ट्स, ऐसी महिलाएं भी आवेदन करती हैं जो हिन्दुस्तान की बड़ी से बड़ी नौकरी का एग्जाम दे सकती हैं। राज्य की बड़ी से बड़ी प्रशासनिक सेवा में क्वालिफाई करती हैं या वह देने की योग्यता रखती हैं, इनके नियमितीकरण का काम, जो योग्य हैं, जो आपकी योग्यता है, अगर वह योग्यता साधारण कार्यकर्ता रखती है, उसको अनुभव है तो उसके अनुभव को वेटेज देते हुए नियमितीकरण का काम भी सरकार को करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा है 12 हजार, 15 हजार, हौसले से ये काम कर रही हैं। अभी गौ माता में लम्पी आ गयी। धमाधम गायें मरने लगीं। आयुर्वेद ने एक पर्चा निकाला। वह पर्चा नहीं था, लग रहा था जैसे कोई चिकित्सक था, मैंने करीब एक लाख पर्चे छपवाये और इन बहनों को उप खण्ड अधिकारी के यहां तत्काल बुलवाया, मैंने कहा, आप घर-घर में बांटिए। ये आयुर्वेद का काढ़ा खुद भी बनाया जा सकता है। उस समय तो शुरू-शुरू में इंजेक्शन भी नहीं थे, गोट पॉक्स के इंजेक्शन भी नहीं थे। दो दिन में वह पर्चा, मैं समझता हूं कि जो चिकित्सक था हमारी गाय माता का, वह पम्फ्लेट, दो दिन में सब घरों में बांट दिया। लोगों ने आयुर्वेद का काढ़ा खरीद-खरीद कर अपनी गाय माता को बचाया।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन मानदेय कार्मिकों में राजस्थान में कम से कम महिला पर्यवेक्षक के एक हजार नवीन पदों का सृजन करना चाहिए। भारत सरकार की गाइड लाइन है कि 25 केन्द्रों पर सामान्य जगह और आंगनबाड़ी जनजाति क्षेत्रों में 20 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक महिला पर्यवेक्षक होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस तरह से नवीन पद सृजित किये जाने चाहिए। महिला पर्यवेक्षक के पद पर, जो 5 वर्ष लगातार सेवा कर रही है, इनके मानदेय के सेवाकाल की संतुष्टि को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को इस पर्यवेक्षक की भर्ती की पात्रता में शामिल किया जाना चाहिए।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, इसी तरह से निवेदन है कि मानदेय कार्मिक को, इतने समय से वे काम कर रही हैं, 10-20-30 वर्ष का सेवाकाल, ये सेवानिवृत्त होती हैं, उस समय सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अंतिम मानदेय के हिसाब से प्रत्येक वर्ष का, अगर कोई सेवानिवृत्त हो रही हैं तो प्रत्येक वर्ष का, एक वर्ष के लिए 15 दिन का मानदेय इनको सेवानिवृत्ति पर मिलना चाहिए, जितने वर्ष नौकरी की है। इससे यह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आराम से जीवनयापन कर लेंगी। सभापति महोदय, वृद्धावस्था पेंशन 60 साल के बाद आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिलती है। मैं समझता हूं कि यह कहीं न कहीं तथ्यों की भूल है। 5 हजार, 6 हजार रुपये में नौकरी करके, नरेगा में भी इतने पैसे मिल जाते हैं, जब वे रिटायर हो जाएं तो वे वृद्धावस्था पेंशन के योग्य नहीं हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): एक मिनट में समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, मेरी मांग है कि अगर ये 60 साल तक अपनी नौकरी पूरी कर लेती हैं, मानदेय की नौकरी है, 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार, 8 हजार रुपये, अगर ये पात्र हैं तो इनको वृद्धावस्था की पेंशन मिलनी चाहिए।

(समय: 13.59 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी जो केन्द्र है, इनके कार्यकर्ताओं को समान मानदेय दिया जाना चाहिए। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद दूंगा। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी से अंत में एक लाइन में अपना निवेदन इतना ही करूंगा कि मुख्य मंत्री जी, आपने पूरे राजस्थान की सुध ली है, आप इन महिला एवं बाल विकास की बहनों की सुध लेना। 17 तारीख को आपका शायद इस बजट का जवाब है। मेरा आग्रह है कि जब आप 17 तारीख को अपना भाषण दें, तब उस समय हमारी बहनों को तोहफा देना। मैं यही आग्रह करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज डिमांड है और स्टेटमेंट भी करेंगे तो स्टेटमेंट का टाइम रेस्ट्रिक्शन है। टाइम में अपनी बात करें। माननीय मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे।

शासकीय वक्तव्य

डा. किरोड़ीलाल मीणा, सांसद द्वारा वीरांगनाओं की मांगों को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन व गिरफ्तारी

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 28 फरवरी, 2023 से डाक्टर किरोड़ीलाल मीणा, माननीय सांसद, राज्य सभा द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए नम्बर एक श्री रोहताश लांबा, नम्बर दो श्री हेमराज मीना, नम्बर तीन श्री जीतराम गुर्जर, राजस्थान की वीरांगनाओं को राज्य सरकार के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति देने, शहीदों के नाम पर कालेज व सड़क चौराहे के नामकरण की घोषणा के बावजूद इन मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया, की मांग को लेकर शहीद स्मारक, गवर्नमेंट हॉस्टल, जयपुर पर धरना दिया जा रहा था।

दिनांक 06/03/23 को माननीय सांसद महोदय तीनों वीरांगनाओं को लेकर माननीय सचिन पायलट साहब के सिविल लाइन्स स्थित बंगले पर पहुंचे। शहीद वीरांगनाओं से उनकी मांगों के सम्बन्ध में चर्चा की व माननीय सचिन पायलट ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात्, तीनों शहीद वीरांगनाएं माननीय सचिन पायलट साहब के सिविल लाइन्स निवास के बाहर फुटपाथ पर 6 मार्च को धरने पर बैठ गयीं। माननीय सांसद महोदय शहीद स्मारक, गवर्नमेंट हॉस्टल, जयपुर में धरने पर बैठ गये।

(समय: 14.00 बजे)

डा. किरोड़ीलाल मीणा, माननीय राज्य सभा सांसद ने, 09.03.2023 को अपने समर्थकों के साथ, बिना किसी पूर्व अनुमति के सिविल लाइन क्षेत्र में धारा 144 सीआर.पी.सी. लगे होने के बावजूद, राजभवन चौराहे पर स्थित पुलिस जाप्ते द्वारा रोके जाने पर धक्का-मुक्की व अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस घटना के सम्बन्ध में थाना सोडाला पर माननीय सांसद व उनके समर्थकों के विरुद्ध प्रकरण संख्या 99/2023 धारा 143, 332, 353, 504, 188 आई.पी.सी., थाना सोडाला जयपुर शहर में दर्ज किया गया, जिसका अग्रिम अनुसंधान सी.आई.डी., (सी.बी.) के द्वारा किया जा रहा है।

दिनांक 10.03.2023 को सूचना मिली कि माननीय राज्य सभा सांसद डा. किरोड़ीलाल मीणा चौमूं-सामोद से होते हुए गांव गोविन्दपुरा बासड़ी जाकर कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, जिस पर उचित

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जाप्ता तैनात किया गया। नाकाबंदी, दिन के 11.25 ए.एम. पर, माननीय राज्य सभा सांसद डा. किरोड़ीलाल मीणा गाड़ियों में समर्थकों के साथ चौमूं की तरफ से आये। माननीय सांसद, उनके समर्थकों को बैरिकैड्स की सहायता से रुकवाया जाकर समझाइश की गई, किन्तु राज्य सभा सांसद डा. किरोड़ीलाल मीणा व उनके समर्थकों ने उग्र होकर बैरिकैड्स तोड़ने के प्रयास किये। पुलिस द्वारा समझाइश की गई तो अपने समर्थकों सहित पुलिस ज़ाप्ता के साथ भी मारपीट करने लगे। वृत्ताधिकारी, गोविन्दगढ़ के चोटें आईं। उसी समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री धर्मेन्द्र कुमार भी मौक़े पर पहुंचे, जिन्होंने भी समझाइश की। समझाइश की और समझाइश का खूब प्रयास भी किया। राज्य सभा सांसद डा. किरोड़ीलाल मीणा व उनके समर्थक अधिक उग्र होकर पुलिस बल के साथ मारपीट करने लगे, जिससे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय व धवल राम, सब इन्स्पेक्टर के चोटें आई। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण भी मौक़े पर पहुंचे और राज्य सभा सांसद से समझाइश की गई, लेकिन माननीय राज्य सभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा व उनके समर्थक उग्र होकर नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान चौमूं विधायक रामलाल शर्मा भी अपने समर्थकों के साथ आ गये। तत्पश्चात् पुन: राज्य सभा डा. किरोड़ीलाल व उनके समर्थकों से बार-बार वार्ता की गई व समझाइश भी की गई।

माननीय राज्य सभा सांसद डा. किरोड़ीलाल मीणा द्वारा अपने समर्थकों को एकत्रित कर, बैरिकैड्स को तोड़ने व पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की व मारपीट कर, विरोध प्रदर्शन करके, लोक शान्ति भंग करके, अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करना व कानून-व्यवस्था की पूर्ण सम्भावना होने पर, लोक व्यवस्था भंग होने की सम्भावना होने पर, धारा 129 सीआर.पी.सी. की जद में आने पर विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप खण्ड अधिकारी, चौमूं के आदेशानुसार राज्य सभा सांसद डा. किरोड़ीलाल मीणा व उनके समर्थकों को अन्य गाड़ियों में बिठाकर तितर-बितर किया गया।

माननीय सांसद महोदय द्वारा रास्ते में उच्च रक्तचाप के सम्बन्ध में अवगत कराने पर, उनके कहे अनुसार अविलम्ब निकटतम सरकारी अस्पताल, गोविन्दगढ़ में छोड़ा गया, जहां चिकित्सकों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके प्राथमिक उपचार भी किया। समस्त घटना क्रम की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करवाई गई है।

उक्त घटना के दौरान माननीय राज्य सभा सांसद डा. किरोड़ीलाल

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मीणा व उनके समर्थकों द्वारा कर्तव्य निर्वहन नहीं करते हुए पुलिस जाप्ते के साथ मारपीट, अभद्रता, अशोभनीय व्यवहार, रोड जाम कर, यातायात बाधित कर, सरकारी वाहनों में तोड़ फोड करना पाए जाने पर प्रकरण, अपराध धारा 143, 332, 353, 383, आई.पी.सी. और थ्री पी.डी. एक्ट के तहत बकुमिया पाए जाने पर प्रकरण संख्या 82/23 धारा उपरोक्त में थाना सामोद में पंजीकृत कर मूल एफ.आई.आर. वास्ते अनुसंधान सी.आई.डी. सी.बी. जयपुर को भिजवाई जा रही है।

भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिनांक 11.03.2023 को वीरांगनाओं की मांगों को लेकर जयपुर शहर में धरना प्रदर्शन किया गया। समझाइश के बावजूद भी राजमहल चौराहे से सिविल लाइन्स फाटक के बीच खड़े तीन पुलिस वाहनों के शीशे तोड़ दिये गये, असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई, आदि पर मुकदमा नम्बर 75/2023 धारा थ्री पी.डी. एक्ट एवं 427 व 336 आई.पी.सी., थाना अशोक नगर, जयपुर दक्षिण में दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय का पूरा वृतान्त सुना। मैं यह पूछना चाह रहा था कि ये सारी बातें, जिसमें तीन एफ.आई.आर. दर्ज करने की आपने बात कही, डा. किरोडीलाल मीणा के आंदोलन की बात कही, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की बात कही, इसका हेतु क्या था?

अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर दिया, उनकी वीरांगनाओं को राजस्थान के अन्दर राजभवन, विधान सभा का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा? मैं उम्मीद करता था कि राजस्थान के पूर्व सैनिक व वीरांगनाएं यह सोच रही थीं कि मंत्री महोदय जब उत्तर देंगे तो यह सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे कि डा. किरोडीलाल मीणा +++ हैं, यह कहने की कोशिश करेंगे कि उन वीरांगनाओं को, जो वीरांगनाएं आज भी आपकी नजरबंद कैद में हैं, जो वीरांगनाएं 6 दिन तक, राजभवन में, सचिन पायलट जी के बंगले के बाहर आमरण अनशन पर बैठी रहीं, जिन वीरांगनाओं को 50 मीटर पर, मुख्य मंत्री जी से मिलने की इच्छा जाहिर करने के बाद मुख्य मंत्री मिले नहीं और मुख्य मंत्री जी ने 500 किलोमीटर दूर से वीरांगनाओं का दल बुलवाया। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि क्या यह सही है कि आप खुद वीरांगना सुन्दरी देवी के उसमें गये थे, तब आपने खुद ने यह कहा था। अध्यक्ष महोदय, यह मामला है मधुबाला शहीद हेमराज, कैबिनेट मिनिस्टर शान्ती धारीवाल, प्रमोद जैन भाया, रमेश मीणा, आपने कहा था कि सांगोद के चौराहे पर मूर्ति लगाएंगे। विनोदपुरा गांव के स्कूल को क्रमोन्नत करके शहीद का नाम देंगे। मूर्ति लगाने के लिए भूमि भी आरक्षित हो गई, फिर आपने कब्जा करवा दिया।

मंजू जाट, जो आज आमरण अनशन पर है, जिस दिन इनके पति शहीद हुए, उस दिन 45 दिन का बच्चा इनकी गोद में था। पशुपालन मंत्री जी, आपने, हमारे सबसे शक्तिशाली मंत्री प्रताप जी ने खुद ने कहा कि शहीद के परिवार के लोग जिसको नामजद करेंगे, उसको नौकरी देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह वीडियो आज आपको दिखाया भी था। यह झगड़ा वहीं से चालू हुआ। सुन्दरी देवी शहीद जीतराम; टीकाराम जी और ममता जी आप गये थे। आप लोगों ने भी यह कहा था कि शहीद के भाई विक्रम सिंह को नौकरी देंगे और नगर महाविद्यालय का नाम आप इस में करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इन वीरांगनाओं का ही नहीं है। इसी सदन के अन्दर एक सवाल आया कोटा से आने वाले माननीय सदस्य का, उन्होंने यह सवाल किया कि कितने शहीदों की शहादत पिछले तीन सालों में हुई? आपने उत्तर दिया 34, और आपने अपने उत्तर में यह कहा कि इन 34 में से 28 प्रकरण ऐसे हैं, जिन शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। यह सरकार का चेहरा है।

यह मेरा उत्तर नहीं है। आपने अपने उत्तर में यह कहा कि 34 में से 11 मामले ऐसे हैं जिनमें 45 लाख की सहायता कलेक्टर के पास लम्बित है, शहीद के परिवार को 45 लाख की यह सहायता नहीं मिली। आपने अपने उत्तर में यह कहा कि 34 में से 28 मामलों में विद्यालय का नामकरण, हास्पिटल का नामकरण शहीद के नाम से नहीं हुआ, यह लम्बित है। आपने खुद ने अपने उत्तर में यह कहा कि 34 में से 11 मामलों के अन्दर माता-पिता को मिलने वाली पांच लाख रुपये की राशि मिली नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कोई सियासत नहीं करना चाहता और मेरा दल भी सियासत नहीं करना चाहता, पर जिन्होंने अपना सुहाग खोया, तीन साल का बच्चा साथ में, आत्मा रो उठी जब देख रहे हैं कि पुलिस उस वीरांगना को घसीट रही है, मार रही है, पीट रही है और सांसद डाक्टर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किरोड़ीलाल, 72 साल का व्यक्ति आज, अध्यक्षजी, वह वर्टाइगो के पुराने मरीज हैं, उनके आधे अंग ने काम करना बंद कर दिया। सांसद रंजीता कोली पर आप प्रहार करते हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल संवेदनाओं का है और मैं यह समझता हूं कि आपने खुद ने वीडियो, आप कहें तो अब चलाकर दिखा दूं, वरना मैं विधान सभा से त्याग-पत्र देने को तैयार खड़ा हूं। आपने खुद ने यह क्यों कहा कि आप वीरांगनाओं के परिवार को, जिसको वे चाहेंगे, उसको नौकरी देंगे? यह लड़ाई छोटी नहीं है। आपने सारे उत्तर में सिर्फ किरोड़ीलाल, किरोड़ीलाल, किरोड़ीलाल कहा। आप वीरांगनाओं के बारे में बात बताओ, जिनको आपने पीटा है।

आप तीन-तीन एफ.आई.आर. दर्ज करके हमें डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। इससे हम डरने वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई रिपीट नहीं करना चाहता हूं, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि मंजू जाट को, जिसको आपने उसके रिश्तेदार के यहां पर छोड़ा और उसके साथ मारपीट की, और मारपीट भी इतनी करी कि वह बोलने के लायक नहीं है, बोल भी नहीं सकतीं और उसके बाद आपने पुलिस के अधिकारियों को उसके घर पर भेजा और उनको +++ करने का प्रयास किया, तो इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है?

क्या यह भी सही है कि आपकी ही पार्टी के सचिन पायलटजी, इन्होंने यह कहा कि यदि मुख्य मंत्रीजी उन वीरांगनाओं से मिल लेते तो क्या गुनाह हो जाता? मुख्य मंत्रीजी मिले नहीं उनसे और पांच सौ किलोमीटर दूर से बुलाकर वीरांगनाओं को, और फिर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति नहीं हो सकती।

आपने यह कहा कि पुलिस वालों के चोट आई, तो मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि कितने पुलिसकर्मी हास्पिटलाइज्ड हैं? कितने पुलिसकर्मी हास्पिटलाइज्ड हैं? एक भी पुलिसकर्मी हास्पिटलाइज्ड नहीं है। आपने यह कहा कि डाक्टर किरोड़ीलाल उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे, तो फिर वहां सामोद के हास्पिटल से उनको एस.एम.एस. हास्पिटल रैफर क्यों किया? जब उनके कोई चोट ही नहीं है, कोई गम्भीर मामला नहीं है तो सामोद हास्पिटल में ही उनका

(श्री कालीचरण सराफ)

इलाज हो जाता। वहां से उनको एस.एम.एस. हास्पिटल में क्यों रैफर किया गया? इसके बारे में आप जवाब दीजिए।

भरतपुर की सांसद रंजीता कोली, वे हास्पिटल में जाकर वीरांगना से मिलना चाहती थीं। उनको रोक दिया, उनके साथ मारपीट की। वे बेहोश हो गईं, इसके लिए कौन पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं, इन सब बातों का जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वीरांगनाएं हैं उनकी मांग क्या थी? पूरे प्रदेश को और देश को भ्रमित करने का प्रयास माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया कि वीरांगनाएं नियम के विरुद्ध उनके देवर के लिए नौकरी मांग रही थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय है ही नहीं। विषय यह है कि माननीय मंत्रियों ने जाकर जो वहां पर घोषणा की है, वे उस घोषणा की पालना करने की बात कर रही हैं। इन्होंने जाकर यह कहा कि हम आपको नौकरी देंगे, आपके परिवार में जो भी, जिसको भी चाहोगे, उसको नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे देवर को? हां, आपके देवर को नौकरी देंगे, तो फिर आप मुकर क्यों रहे हैं? क्या इनकी जोइंट रेस्पांसिबिलिटी नहीं थी? क्या ये इस सरकार के मंत्री नहीं हैं? मंत्री हैं तो वह जोइंट रेस्पांसिबिलिटी नहीं होती? माननीय मुख्य मंत्रीजी यदि यह समझते हैं कि हमारे मंत्री कैपेबल नहीं हैं, योग्य नहीं हैं, बुद्धिमान नहीं हैं, कानून की और नियमों की जानकारी नहीं है तो ऐसे +++ मंत्रियों को मंत्री क्यों रख रखा है, जो चाहे जहां जाकर कहीं भी कुछ भी कह देते हैं? यदि कहा है तो उसकी पालना होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय यह है कि आपने यह कहकर उन महिलाओं को, उन वीरांगनाओं को उठाया कि इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, इसलिए हम इनको हास्पिटल ले जा रहे हैं। आप कौनसे हास्पिटल ले गये थे? वे तो जयपुर में थीं न? आपको ले जाना था तो एस.एम.एस. हास्पिटल ले जाते। आप एक को तो कोटा ले गये, मधुजी को और एक मंजूजी को कहीं गांव में ले गये। क्या वहां पर कोई मेडिकल कालेज थे, जहां इलाज करवाने के लिए ले गये थे? उनको प्रताड़ना देने के लिए, उनके साथ मारपीट करने के लिए, मंजू जाट के साथ इतनी मारपीट की है कि वह बोलने की स्थिति में भी नहीं है। जब पुलिस के अधिकारी उनसे पूछने गये कि ऐसा प्रचार हो रहा है

(श्री मदन दिलावर)

आपके बारे में कि हमने मारपीट की है, तो उसने यह कहा कि हां, मेरे साथ मारपीट हुई है। ऐसी वीरांगनाओं के साथ मारपीट करना।

देश की रक्षा करते हैं सैनिक। वे देश की रक्षा इस आशा के साथ करते हैं कि मेरा देश सुरक्षित रहेगा। वे यह सोचते हैं कि मेरा देश सुरक्षित रहेगा तो मेरे देश का सम्मान बढ़ेगा और मेरे देश का सम्मान बढ़ेगा तो हमारा अपने आप सम्मान बढ़ेगा। कौन कल देश की रक्षा करेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद। यह डिमांड नहीं है, यह स्टेटमेंट है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कौन रक्षा करेगा? जब बात यह आयेगी कि हमारे वंशजों के साथ, हमारे पीछे रहने वालों के साथ इस प्रकार से सरकारें मारपीट करेंगी, उन पर अत्याचार करेंगी, अन्याय करेंगी तो सेना में कौन जायेगा और सेना में कोई नहीं जायेगा तो देश का क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इस प्रकार के लोग वीरांगनाओं के साथ इस तरह का अत्याचार, मारपीट करने वाले लोग और असत्य बात करने वाले लोग +++ हैं, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): +++ हैं, उनके ऊपर +++ का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): वीरांगनाओं को मारने वाले, पीटने वाले, उनके साथ अत्याचार, अनाचार करने वाले लोग +++ हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी बात उप नेताजी ने और मदनजी ने बता दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन का यह वाकया है, उस दिन की मैं घटना इंगित आपके सामने करना चाहूंगा।

करीबन सवा बारह बजे मुझे यह सूचना मिली कि डाक्टर साहब को रोका गया है। मैं जब सामोद थाने के बाहर पहुंचा तो उस समय डाक्टर साहब थे, उनका एक ड्राइवर था और उनका एक सहयोगी था। ये सिर्फ तीन लोग ही थे और एक ही गाड़ी थी। उनके साथ कोई काफिला नहीं था। जैसा मंत्रीजी यह

(श्री रामलाल शर्मा)

कह रहे हैं कि, साहब, उनके साथ आने वालों ने यह मारपीट की। जब किरोड़ीलालजी ने यह कहा कि आपको डर है कि मेरे जाने से वहां पर अशांति हो सकती है, तो मैं पुलिस की गाड़ी के अन्दर जाने के लिए तैयार हूं। मैं तो सिर्फ वीरांगनाओं से मिलकर यह वास्तविकता जानना चाहता हूं कि रात के अंधेरे में तीन बजे उनके साथ क्या हुआ? बात इतनी ही थी, इसके अलावा कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जिस तरीके का बर्ताव किया गया, वह निंदनीय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन इस बात का है कि जिस दिन उनकी अंत्येष्टि हो रही थी, उस दिन हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डाक्टर सतीश पूनियां जी और मैं भी, उनके साथ गये थे। माननीय मंत्री शान्ती कुमार धारीवालजी भी थे, लालचन्दजी भी थे, प्रताप सिंहजी भी थे, ये तीनों मंत्री अंत्येष्टि के अन्दर उपस्थित थे। इन्हीं के सामने गांव वालों ने यह कहा था, क्योंकि मेरे चौमूं से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी के ऊपर गोविन्दपुरा बांसड़ी है, उसी दिन यह कहा था कि बच्चा 45 दिन का है, इस परिवार की देखरेख के लिए इनके एक परिजन को नौकरी, इन्होंने यह आश्वस्त किया था कि हां, आपके परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देने का काम करेंगे। फिर आपके पीछे बैठने वाली माननीय मंत्री महोदया श्रीमती शकुन्तलाजी और प्रताप सिंहजी, जब वे धरना दे रही थीं सचिन पायलट के मकान के बाहर, तब ये वार्ता के लिए गये। इन्होंने भी आश्वस्त किया, लेकिन वीरांगनाओं ने यह कहा कि पहले भी आपने आश्वासन दिया है, हम आपके आश्वासन के ऊपर विश्वास नहीं करते, आप लिखित के अन्दर हमें यह आश्वासन दो। जब दोनों ही मंत्रियों ने यह कहा कि आप ड्राफ्ट तैयार करवाइये, हम हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, आपकी मांगें मानने के लिए तैयार हैं, तो जब जिस दिन आप ये मांगें मान रहे थे, उस दिन आपको नियम का पता नहीं था क्या कि हम नौकरी नहीं दे सकते? आप उसी दिन इन्कार करते। आप वहां पर समझौता करने के लिए क्यों गये थे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन इतना ही है कि सिर्फ सचिन पायलट के मकान के बाहर बैठने से, उन्होंने यह कहा कि इनकी डाइरेक्ट जानकारी या डाइरेक्ट इनकी दहलीज प्रियंका गांधी और राहुल गांधीजी के घर तक है, बस नाराजगी मुख्य मंत्रीजी को यही है, बाकी इसके अलावा कोई बात ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब ने कठोर चिट्ठी लिखी सरकार

(श्री रामलाल शर्मा)

को कि इस मामले को आप गम्भीरता से देखें, वीरांगनाओं को बुलाकर आप बात कीजिए। 500 किलोमीटर दूर की वीरांगनाओं को बुला सकते हैं, लेकिन 500 मीटर के अन्दर वीरांगनाओं से बातचीत नहीं कर सकते। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार में अगर नैतिकता है, ईमानदारी है तो जो कमिटमेंट आपने किया है, उस कमिटमेंट को पूरा करने का काम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: हो गया। माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी बात तो मैं बता चुका हूं। आपने, उप नेता महोदय ने यह कहा कि साहब, मैं सुंदरी देवीजी के यहां गया। कौनसी तारीख को गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह आपका वीडियो बोल रहा है। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है वीडियो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I will not allow it. I will not allow it. आप बैठें। मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं चर्चा समाप्त कर दूंगा। बैठें प्लीज। यह कोई तरीका नहीं है। आपके पास कोई भी चीज होगी तो आप खड़े हो जाओगे? आप गलत चर्चा पर ले जा रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी, प्लीज आप चैयर को देखकर बोलें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां जी। दूसरी बात आपने बतायी कि मधुबालाजी से हम दो-तीन मंत्रियों ने जाकर वादा किया कि सांगोद के चौराहे पर आपकी मूर्ति लगायेंगे। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। (व्यवधान) मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। गलत बात है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको सुनना है? माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। आपको नहीं सुनना है तो मैं चर्चा समाप्त कर दूंगा। यह कोई तरीका नहीं है वन साइडेड। आपकी बात मंत्रीजी ने सुनी। आप नीचे बैठें। आप नीचे बैठें। चर्चा समाप्त हुई, मंत्रीजी, बात खतम करिये। चर्चा समाप्त।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन एवं नारे)

(श्री अध्यक्ष)

चर्चा समाप्त हुई। श्री कैलाश मेघवाल। श्री कैलाश मेघवाल। चर्चा समाप्त हुई। चर्चा समाप्त हुई। श्री कैलाश मेघवाल। श्री गणेश घोघरा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास व 32-महिला एवं बाल विकास पर विचार

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मांग संख्या 30 और 32 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने टी.एस.पी. एरिया में काफी विकास कराया है। दो-दो कृषि कालेज दिये और आर्चर एकेडमी दी। स्टेडियम भी दिया। इस तरह से टी.एस.पी. क्षेत्र में काफी काम किया है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी आज जनजाति की मांग पर बोलने नहीं दे रहे हैं। ये आदिवासियों के हितैषी नहीं हैं। ये हमारी मांग को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम हमारी मांग को पूरे तरीके से यहां पर रखेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी जल, जंगल और जमीन का मालिक है। वह उसका मूल अधिकारी है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट रुको।

माननीय सदस्य, डिबेट आपने शुरू करवायी है। मदनजी, मैं कन्ट्रोल कर रहा था या आप कन्ट्रोल कर रहे थे? आप डिक्टेट करेंगे? हाउस को आप डिक्टेट करेंगे? आप ही वीरांगनाओं के समर्थक हैं? क्या पूरा सदन समर्थक नहीं है, आप ही समर्थक हो? राठौड़ साहब, यह बात मुझे पसन्द नहीं है। आपने पूरी बात बतायी। माननीय मंत्रीजी ने सुनी। मैंने यही कहा था कि माननीय मंत्रीजी की बात को आप सुनें। मंत्रीजी की बात सुनना ही नहीं चाहते आप। कहां सुना? मिस्टर राठौड़, he had not yielded. He was on his legs. मैंने मदनजी को रोक कर कहा। मैंने कहा मदनजी, बैठिये, नहीं तो चर्चा समाप्त कर दूंगा। यह मैंने इनके खड़े होने के बाद बोला है। दुबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। आप अपनी जगहों पर जाकर बैठें। हां, जगह पर जाओ। हाउस को बिना आर्डर में लाये नहीं चलेगा। माननीय सदस्य, प्लीज। इस इश्यु की गम्भीरता को समझें।

मैं आपसे भी अपील करूंगा कि मैंने आपको अलाउ किया है, उसके

(श्री अध्यक्ष)

अनुसार आपने पूरी बात कही है। फिर यह तरीका नहीं होता है। माननीय राठौड़ साहब, आपके सदस्यों को यह प्रिविलेज नहीं है कि अपनी बात कह दें और मंत्री की बात नहीं सुनें। खड़े कौन हुए थे? मदन दिलावरजी खड़े हुए, तब उनको रोका है मैंने। मैं फिर आपको और सदन को कहना चाहता हूं कि कार्यवाही चलानी है तो आपको पूरा अधिकार है, मैं पूरा मौका दूंगा, लेकिन यह तरीका नहीं हो सकता है कि मंत्रीजी जवाब दें और आपके सदस्य खड़े होकर उनको टोकें। माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी।

अनेक माननीय सदस्य: सो गये, सो गये।

श्री अध्यक्ष: सो रहे हैं या जग रहे हैं, आपका क्या लेना-देना है?

शासकीय वक्तव्य

डा. किरोड़ीलाल मीणा, सांसद द्वारा वीरांगनाओं की मांगों को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन व गिरफ्तारी

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मधुबाला के पति के निवास पर हम निश्चित तौर पर गये। हमने उनसे यह भी कहा कि आश्रितों को नौकरी जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी कोई मांग नहीं थी। उनकी सिर्फ यह मांग थी कि सड़क को हमारे गांव से लेकर विनोद कलां तक बना दिया जाये। उसका आर्डर हो गया। उसके बाद दो खातेदारों ने उसमें स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद काम बंद हो गया। आज तक स्टे कायम है। क्या कर सकते थे?

दूसरी बात, मूर्ति लगाने की बात तो कभी हुई ही नहीं, लेकिन फिर भी बीच में स्पीकर साहब आ गये। स्पीकर साहब उनके घर पर गये। वहां पर मूर्ति का वादा कर लिया। जिस कालेज का नाम हमारी सरकार ने शहीद के नाम पर रखा था, वहां पर उन्होंने मूर्ति लगा दी। हमें कोई एतराज नहीं। मूर्ति लग गयी। सांगोद में महाविद्यालय का नाम उनके नाम पर हो गया। अब उनका कहना यह है कि मूर्ति चौराहे पर लगाओ। भाई, चौराहे पर कहां लगाओ? जहां पर कालेज है, जो उनके पति के नाम पर हो चुका है, वहां पर अलग मूर्ति लगवा दी तो एतराज क्या है? लगायी किसने? स्पीकर साहब ने लगवायी है, हमने तो नहीं लगवायी।

श्री अध्यक्ष: स्पीकर साहब कौनसे? यह बता दो ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। यह भी आप क्लियर कर दो। स्पीकर साहब कौनसे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): फिर एक मूर्ति और लगायी। उसके पास में एक और मूर्ति लग गयी। अब आप बताइये इसमें क्या नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप इधर देख कर बोलो। उधर देख कर भूल जाते हैं आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपकी तरफ बोल रहा हूं, साहब। ये बार-बार इशारा करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप इधर बोलो तो ठीक रहेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): शहीद के नाम पर एक महाविद्यालय का नाम रख दिया गया। उसमें ही मूर्ति लगा दी गयी। चाहे वह मूर्ति किसी ने भी लगायी हो। इससे ज्यादा और क्या हो सकता था? सड़क का वादा था। सड़क बनाने का बाकायदा आदेश दे दिया गया। उसमें दो खातेदारों ने स्टे ले लिया। उसके आगे क्या कर सकते थे? आप यह बताइये। सारा का सारा हो चुका था। उसको जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे, मधुबाला को 50 लाख रुपये का पेमेन्ट हो चुका। उनके पेरेंट्स को 5-5 लाख रुपये डिपोजिट हो चुके। पुत्र का जो अधिकार है, वह सुरक्षित है। कालेज का नाम रख दिया गया शहीद हेमराज मीणा राजकीय महाविद्यालय, सांगोद। इससे ज्यादा और क्या हो सकता था?

अब दूसरे की बात कर लीजिए आप। सुन्दरावली का था। 50 लाख रुपये सुन्दरावली को मिल चुके। माता-पिता के नाम पर 5-5 लाख रुपये जमा करवा चुके। पुत्री के लिए आज भी अधिकार सुरक्षित है। महाविद्यालय का नामकरण उप खण्ड अधिकारी के पास विचाराधीन है। विचाराधीन इसलिए है कि यह चाहती थीं कि प्राथमिक स्कूल के भवन का नामकरण किया जावे, लेकिन उस स्कूल का नामकरण आलरेडी स्वतंत्रता सेनानी हरिश्चन्द्रजी के नाम पर हो चुका था। फिर उन्होंने अपना आप्शन दिया कि महाविद्यालय का नाम रखा जावे। वह विचाराधीन है।

तीसरा है, रोहिताश्व लाम्बा का। उस केस में मंजू जाट है, जिसके लिए आप कहते हैं कि मारपीट की और वह बोल नहीं सकती। बहुत आराम से बोल रही है। खूब बातें कर रही है। बात बनाने के लिए खूब बना लो आप। केस बनाने के लिए आपकी मर्जी हो, जो कर लो। खूब बातें कर रही है आराम से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपसे बात हुई क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सुनना ही नहीं चाहते हो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं कह तो रहा हूं आपसे। खूब बातें कर रही है। आप जाकर बात कर आये क्या? इनको भी 50 लाख रुपये दे दिये गये। उनके माता-पिता के नाम पर 5-5 लाख रुपये डिपोजिट कर चुके। पुत्र के लिए अधिकार सुरक्षित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नामकरण हेतु प्रकरण विचाराधीन है। वह तो नामकरण हो जायेगा। यह तो बात यह है कि इन तीनों को क्या-क्या दे दिया गया और क्या-क्या नहीं दिया गया।

अब मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि राज तो आपने भी किया। आपके टाइम पर भी खूब शहीद हुए। आप लोग उनको क्या देते थे? क्या देते थे? कारगिल के पैकेज वालों को आप एक लाख रुपये देते थे। हम देते हैं 25 लाख रुपया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 25 लाख रुपये अगर नकद नहीं लेना चाहें तो आवासन मण्डल का मकान देते हैं। अगर वे नहीं लेवें तो 50 लाख रुपये नकद देते हैं। दूसरा, आप यह देखिये, आप शहीद के आश्रित माता-पिता को पोस्ट आफिस मासिक आय के लिए 3 लाख रुपये का प्रावधान करते थे, हमने 5 लाख रुपये किया। नियोजन की सुविधा, 1947 से लेकर 1970 तक शहीद हुए सशस्त्र बल सैनिक के कुटुम्ब के एक सदस्य को पे-मैट्रिक L-9 तक नियोजन, दिनांक 05.08.1947 से लेकर 31.12.1971 तक शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को नियमों में सरलीकरण करते हुए पे मैट्रिक L-10 में नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 01.04.1999 के पश्चात्, जब हमारी सरकार आ गयी, उसके पश्चात् भारतीय तटरक्षक बल के शहीद हुए सैनिकों को पे मैट्रिक L-10 तक नियोजन का प्रावधान किया गया। 01.04.1999 के पश्चात् सशस्त्र बल के सैन्य सेवा के दौरान किसी भी घटना में मृत्यु होने वाले सैनिकों के एक आश्रित को पे मैट्रिक L-10 तक नियोजन का प्रावधान किया गया, जो आपके वक्त में नहीं था। इतने प्रावधान हमने किये हैं। आप कहते हो कि आपने क्या किया? इतना आदरपूर्वक बाकायदा पूरा आदर देते हुए इतना प्रोविजन किया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गलत बात है। आपको इतनी जल्दी है? अभी मंत्रीजी खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब सवाल यह रहता है, आप कहते हैं कि साहब, किरोड़ीलाल जी के साथ यह हुआ, वह हुआ। पहली बात जब 28.2.2023 को किरोड़ीलाल जी धरने पर बैठे तो पुलिस कमिश्नर के यहां पर स्टेट होम मिनिस्टर यादव साहब और किरोड़ीलाल जी, दोनों के बीच वार्ता करवायी गयी। वार्ता में किरोड़ी लाल जी इस बात के लिए मान गये कि ठीक है, आपको 15 दिन दिये। आप 15 दिन में किसी तरह से इस मामले को सुलटाओ। लेकिन फिर किरोड़ीलाल जी उस बात से भी मुकर गये, +++ ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपने अनुभव को शेयर नहीं करें। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): फिर उसके बाद, इस सारी घटना के बाद उनसे बराबर बातचीत होती रही। उसके बाद उन्होंने जिद की कि मुझे CMO में किसी से मिलवाओ। अगर सी.एम. यहां पर नहीं हैं तो मुझे CMO के किसी अफसर से मिलाओ। सेक्रेटरी टू सी.एम. सुश्री आरती डोगरा से उनकी बातचीत करवायी गयी। बातचीत में वे पूरी तरह से संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यह धरना खतम करते हैं। दूसरे दिन देखा तो फिर धरना चालू कर दिया। मतलब, जितना भी जो कुछ भी आप कर रहे हो, वह राजनीतिक फायदा उठाने के लिए करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन पूरा देश जानता है कि जो पैकेज हमने दिया है, वह देश की किसी भी राज्य सरकार ने नहीं दिया। पूरा देश इस बात को जानता है। पहले क्या प्रोविजन थे? एक लाख रुपया देना, दो लाख रुपया देना है। हमने 50 लाख का प्रोविजन किया, मकान का प्रोविजन किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि +++ करने की कोशिश की। राजनीति में रूचि लेने वाला हर व्यक्ति जानता है कि किरोड़ीलाल जी जिस प्रकार का कृत्य करते हैं, वह किसी +++ से कम नहीं होता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुन नहीं सकते क्या? आप सुनने दें। (व्यवधान) आप नीचे बैठें। (व्यवधान) आप सुन नहीं सकते? आप नीचे बैठें। फिर मैं चर्चा बंद कर दूंगा। (व्यवधान) मैं चर्चा बंद कर दूंगा। आप मन चाहो, वही बोल दो? (व्यवधान) आप मन चाहे जो ही उनको बोल दो? (व्यवधान) आप सुन नहीं सकते? (व्यवधान) अपनी बात को रिकार्ड करवाते हैं। (व्यवधान) यहां पर चर्चा समाप्त हो गयी क्या? (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप नीचे बैठें। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): किरोड़ीलाल जी जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ, जो बरसों तक इस विधान सभा के सदस्य रहे हों, राजस्थान मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे हों, लोक सभा और राज्य सभा के मैम्बर रहे हों, वे नियमों को जानते हुए भी, नियम के विरुद्ध आन्दोलन करें और जिद कर रहे हैं। लॉ एण्ड आर्डर को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बर्दाश्त किया जायेगा इस बात को? कानून की पालना करने वाली सरकार यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कालीचरण जी ने कहा कि SMS में क्यों भर्ती करवाया? क्या बुरा किया? अगर कोई बीमार है, हाई या लो ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति ज्यादा बीमार है तो गोविन्दपुरा की प्राइमरी डिस्पेंसरी में इलाज करवाने के बजाय तो हमने वहां इलाज करवाने के लिए भेजा। कोई ऐसा खराब काम तो नहीं किया हमने?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मदन दिलावर कहते हैं कि आपने यह कहा कि अब आप चाहोगे जिसको नौकरी दे देंगे। ऐसी बात हम कभी नहीं कर सकते। नियम के तहत जिसको मिलना है, उसको नौकरी मिलेगी? आप बताइये किस तरीके से इनको नौकरी मिलेगी? कोई तमाशा है क्या? जो पहले वाला शहीद था, उसके दोनों आप्शन मौजूद हैं। कहते हैं कि, साहब, देवर को नौकरी दे दो। हुआ है क्या कभी ऐसा? देवर को नौकरी दी है क्या कभी आपने? दी है क्या? दी है तो बता दो। कोई उदाहरण हो तो बता दो आपके पास। (व्यवधान)

यह रोहिताश्व लाम्बा का भाई तो आलरेडी मैरिड था, जिसके दो बच्चे हैं। +++ वाह भाई वाह, अच्छा अजीब तमाशा है। देवर को नौकरी दो। कहीं हुआ है कि नियमों के विरुद्ध, कभी किसी को नौकरी मिल गयी हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अब आप बिराजें, हमें भी बोलने दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस मामले पर राजनीतिक रोटियां सेंकने से कोई काम नहीं चलेगा। राजस्थान की सारी वीरांगनाएं यहां पर आकर इकट्ठी हो गयीं और एक मत से उन्होंने यह बात कही कि इन तीनों की यह बिलकुल गलत मांग है। यह गलत मांग है और इनको सिखायी हुई है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिखाकर यहां पर भेजा है और उन्हीं की शह पर यह सब काम हो रहा है। उप नेता महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की हरकतों को करना बन्द करो, इससे राज नहीं आयेगा। राज जनता की सेवा करने से आयेगा, नियम की पालना करने से आयेगा, कानून की पालना करने से आयेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि हमने सबसे अच्छा पैकेज देश के अंदर वीरांगनाओं को दिया, स्वागत है। पर आपका यह सवाल, जो आप ही का उत्तर है, यह तीन साल में वीरांगनाओं की रिपोर्ट है, मैं इसको टेबल करना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर 31 वीरांगनाओं को नौकरी नहीं, स्कूल का नामकरण नहीं। अगर इसमें एक भी बात ऐसी हो, जो मैं गलत कह रहा हूं तो मेरा त्याग-पत्र लें। दूसरी बात, आपने कहा कि उनसे मिलने के लिए गृह राज्य मंत्री गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यहीं से बिगड़ी है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पुलवामा के अंदर तो हादसा हुआ था, शहीद हुए ही नहीं। मेरा आखिरी सवाल इनसे यह है कि एक बात यह कहते हैं कि नौकरी नियमों से मिलेगी। आर्टिकल 164(2) कहता है कि कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी से मंत्रिमण्डल काम करता है। इन्होंने खुद ने खुद की उपस्थिति में क्यों कहा, कैसे कहा कि परिवार के लोग जिसको चाहें, उसको नौकरी दे देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, प्लीज यह क्या है? सब बोल रहे हैं, यह गलत बात है। (व्यवधान) हां बोलें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्यों कहा, कैसे कहा? आपने किस प्रकार कहा? मैंने वीडियो आपको दिखाया, जिसमें कह रहे हैं कि परिवार के लोग जिसको चाहेंगे, उसको नौकरी दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वोच्च सदन है। एक वीरांगना के लिए यह बात कह देना कि +++ मेरा त्याग-पत्र ले लें। आपके पास क्या प्रमाण है कि +++ आपको थोड़ी-बहुत शर्म है कि नहीं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सारे समाचार-पत्रों में छपा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी ...(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, मदन दिलावर, मेरा काम भी आप करेंगे? तीसरी बार मैं टोक रहा हूं आपको। मेरा काम भी आप करेंगे कि कौन बैठेगा, कौन उठेगा? (व्यवधान) आप बैठें प्लीज। चर्चा समाप्त हुई। राजेन्द्र जी। (व्यवधान) प्रोब्लम है क्या आपको? माननीय सदस्य खड़े हो गये, उनको बोल रहे हैं। हरेक में कह रहे हैं। प्रोब्लम है? सीनियर मैम्बर हैं आप। माननीय राठौड़ जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष जी, सांगोद के अंदर नगरपालिका ने भूमि आबंटन किस सिफारिश पर की? क्या यह सही नहीं है कि सरकार के मंत्री ने खुद ने पत्र लिखा कि शहीद वीरांगना का बेटा छोटा है, इसके देवर को नौकरी दे दो।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह काम चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें, आप घोषणाएं कितनी भी कर दें, पैकेज कितना भी कर दें, यह रेणु कंवर, आज अनुकंपा नियुक्ति के लिए मारी-मारी फिर रही हैं। आपने शहीद की वीरांगनाओं को नजरबंद किया तो कैसे किया? इन्होंने 3-3 मुकदमे कायम किये। या तो 164 (2) के आर्टिकल में कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी नहीं है?

अगर यह +++ की बात करते हैं, या तो ये त्याग-पत्र दें या मेरा त्याग-पत्र अभी लिखवायें आप। करेक्टर सर्टिफिकेशन अगर किसी महिला का करेंगे तो नहीं सहन करेंगे हम किसी भी हालत में।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, बोलना है कुछ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह किस प्रकार कह दिया आपने? आपने पैकेज दिया है ...(व्यवधान) यह आपका उत्तर कह रहा है। यह उत्तर कह रहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब, इधर। राठौड़ साहब, इधर ...(व्यवधान) इधर, इधर। आप खुद ही क्या कर रहे हैं? अब आप सुनें। जवाब दे रहे हैं न। अब इसका जवाब आ जायेगा। माननीय मंत्री जी, कुछ बोलना है आपको?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, बोलना है।

श्री अध्यक्ष: हां, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, परिवार की जो डेफिनेशन होती है उसमें पति, पत्नी तथा बच्चे आते हैं। नियमों में साफ लिखा हुआ है कि परिवार। देवर तो परिवार में नहीं आता है। मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। उप नेता महोदय, नागौर की पूनम जाट एक लड़की थी।

श्री अध्यक्ष: बंद करूं चर्चा? माननीय राठौड़ साहब, अब लिमिट हो गयी है मेरी। I will not tolerate it. बैठें मंत्री जी। चर्चा समाप्त हुई। हो गया।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

कैलाश जी मेघवाल। कैलाश जी मेघवाल, बोलना है आपको? कैलाश जी मेघवाल। माननीय गणेश घोघरा। माननीय सदस्य गणेश घोघरा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास व 32-महिला एवं बाल विकास पर विचार

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मांग संख्या 30 और 32 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने टी.एस.पी. क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में काफी विकास किया। गांव-गांव स्कूलें खोलीं, कृषि महाविद्यालय खोला, विधि कालेज खोला, आर्चरी एकेडमी खोली। बिछीवाड़ा में मिनी स्टेडियम, रामसागड़ा में कालेज, पालदेवल में कालेज, रामसागड़ा में आई.टी.आई., गामड़ी आहड़ा में तहसील खोली।

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब, राठौड़ साहब, बस हो गया न। प्रोटेस्ट हो गया न। बात हो गयी अपनी।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): ऐसे बहुत से काम किये हैं। जब-जब कांग्रेस की सरकार होती है आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए काम होते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। महिलाओं एवं जनजाति की चर्चा पर भाग नहीं लें, यह भी नहीं चलेगा। जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी 2 डिमांड्स, जो एस.टी. और महिलाओं की हैं, उन पर चर्चा नहीं करना चाहती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी जगह पर जाकर बैठें ...(व्यवधान) सुन नहीं रहे हैं क्या? प्रोब्लम है कुछ? आपको कुछ प्रोब्लम है? I am on legs. Don't you want to listen? I am on legs. नहीं सुनना? I am on legs. आपको नहीं सुनना है? माननीय सदस्य, 10 मिनट के लिए हाउस एडजोर्न किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.44 बजे 14.54 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय: 14.54 बजे)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय कैलाश जी मेघवाल। (व्यवधान) इसमें हो चुका है। इसमें क्या है आर्ग्यूमेंट? (व्यवधान) नहीं, माननीय सदस्य, I will not allow it. I will not allow it. माननीय राठौड़ साहब, माननीय मेघवाल साहब को बुलवाने के लिए कह दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): राज्य सभा के माननीय सदस्य के लिए +++ कह दें? (व्यवधान) वीरांगनाओं को... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस तरह से नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): +++ कह दिया राज्य सभा के सदस्य को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी आपके डिसीप्लीन में नहीं है, आप बातें कर रहे हो? (व्यवधान) आपकी पार्टी डिसीप्लीन में नहीं है। (व्यवधान) यह यहां पर हाउस में नहीं होता है मिस्टर लाहोटी। I will name you. हाउस में नहीं होता है। (व्यवधान) हाउस में नहीं होता है। (व्यवधान) मिस्टर लाहोटी, हाउस में नहीं होता है। (व्यवधान) माननीय मेघवाल साहब। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश और नारे)

...(व्यवधान) नहीं होता है। सुना नहीं क्या? I will name you. नहीं होता है। यह यहां रखो। रख दीजिए, रख दीजिए। रख दीजिए इस पर।

(श्री अध्यक्ष)

सुन नहीं रहे हैं? रख दीजिए इस पर। (व्यवधान) आप सुन नहीं रहे हैं क्या? मिस्टर राठौड़, मिस्टर राठौड़, (व्यवधान) धन्यवाद। Mr. Rathore, last time I am telling this. आखिरी बार बोल रहा हूं मैं। Last time I am saying it. Do you want to participate in it? नहीं पार्टिसिपेट करना है? (व्यवधान) मिस्टर राठौड़, पार्टी को पार्टिसिपेट नहीं करना है? (व्यवधान) यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ है। यह जो परम्परा है, वह गलत परम्परा है।

माननीय गणेश घोघरा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास व 32-महिला एवं बाल विकास पर विचार

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मांग संख्या 30 और मांग संख्या 32 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, अशोक गहलोतजी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब-जब कांग्रेस की सरकार बनी और केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार बनी तब-तब आदिवासियों का भला किया है। चाहे वनाधिकार पट्टे हों, चाहे शिक्षा के बारे में हो, अभी हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय दिया, विधि महाविद्यालय दिया, आर्चरी एकेडमी दी, पालदेवल में तहसील, पालदेवल में कालेज, रामसागड़ा में तहसील, रामसागड़ा में कालेज, गामडीअहाड़ा में तहसील, रामसागड़ा में आई.टी.आई., बिछीवाड़ा में मिनी स्टेडियम, ऐसे कई विकास के कार्य दिये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के खिलाफ है, आदिवासियों की विरोधी है। आज जनजाति विषय पर मांग है, उसको दबाने का कार्य कर रही है। हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र की जो मांग है, आदिवासियों की मांग है, उस मांग को, हमारी आवाज को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता दबाना चाहते हैं। हमारी मांग को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि

(श्री गणेश घोघरा)

जनता यह सब देख रही है, आने वाले समय में जनता आपको माफ नहीं करेगी।

(समय: 14.59 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी आदिकाल से इस धरती पर रह रहा है। जो जंगल में रहता है, पहाड़ों पर रहता है, प्रकृति के साथ रहता है, प्रकृति पूजक है, वह आदिवासी कहलाता है। आदिवासी मेहनत करके खाता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। आदिवासियों का इतिहास भी है। लेकिन आदिवासियों के अनपढ़ होने के नाते उनके इतिहास को दबाया गया, उनके इतिहास को कहीं लिखा नहीं गया है। महाराणा प्रताप के साथ में राणा पूंजा की सेना ने हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों के छक्के छुड़ाये थे। उसी के साथ प्राचीन काल में महान धुरंधर एकलव्य भील भी पैदा हुआ, शबरी बाई भी पैदा हुई, इस तरह से आदिवासियों का इतिहास काफी है, लेकिन अनपढ़ होने की वजह से उनके पास ऐसी कोई किताब या ऐसी कोई घटना लिखी हुई नहीं है। आदिवासी जल, जंगल, जमीन का मालिक है। हमारी सरकार ने, अशोक गहलोतजी ने टी.ए.डी. से, जो वर्षों से आदिवासी जंगलों में रहते थे, जो वहां निवास करते हैं, खेती करते हैं, जो मकान बनाकर रह रहे हैं, उनको काफी पट्टे दिये हैं, लेकिन काफी लोग अभी भी, ग्राम पंचायत आमझरा, करहेल माता, माल माता, खजूरी, आसियावाव, गेर, जाम्बूड़ी, पालीछोड़ा, ऐसी जो और पंचायतें हैं, वहां पर लोग कई वर्षों से बसे हुए हैं, जो वन में हैं, लेकिन उनको पट्टे नहीं मिले हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूं, टी.ए.डी. मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका सर्वे करवाकर जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको वनाधिकार का पट्टा दिया जाए।

(समय: 15.00 बजे)

जनजाति क्षेत्र में, टी.एस.पी. क्षेत्र में जो रोड के पास जमीनें हैं, जो पात्र व्यक्ति हैं, सम्भागीय आयुक्त द्वारा टी.एस.पी. में 250 मीटर पर आबंटन का प्रावधान रखा गया है, लेकिन नॉन टी.एस.पी. में 45 मीटर के दायरे में ही उन्हें भूमि आबंटन का अधिकार दिया गया है। ऐसा अन्याय क्यों है? 45 मीटर पर टी.एस.पी. क्षेत्र में जिस भी वर्ग के लोग रहते हैं, उन सबका आबंटन किया जाए। उसी के साथ पैरिफेरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत बिलड़ी,

(श्री गणेश घोघरा)
भाटपुर, गोकुलपुरा, मालपुर, दिदोड़िया, सुरपुर और जो बरसों से लोग बैठे हुए हैं, मैंने कई बार मांग भी उठायी है, इनका विभाग द्वारा सर्वे भी हो गया है, लगभग 550 आदिवासी परिवार बैठे हुए हैं। 4 से साढ़े 4 हजार आदिवासी उस जमीन पर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं उनकी भूमि का आबंटन किया जाए और पात्र व्यक्तियों का किया जाए। नगर परिषद्, नगरपालिका अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होती हैं, पर फिर भी नगर परिषद् पैरिफेरी के नाम से हमारे आदिवासियों की जमीन हड़पना चाह रही है। नगर परिषद् कहती है कि पंचायत देगी। पंचायत कहती है कि नगर परिषद् देगी। मेरी मांग है कि उनकी जमीन है, जो बैठे हुए हैं, एक जो पैरिफेरी से बाहर पंचायत है, उनमें उन लोगों को पट्टे दिये जा रहे हैं, लेकिन जो पैरिफेरी में हैं, उन्हें पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इन्हें मकान और भूमि का आबंटन किया जाये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति जी, दूसरी बात, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्रामदानी गांव में अध्यक्ष का चुनाव काफी समय से नहीं हुआ है। ऐसे ही रातापानी है। ऐसे ही कई जिलों में कई ग्रामदानी गांव हैं। इसमें जो अध्यक्ष होता है, वह मनमर्जी से जमीन किसी के खाते कर देता है। अगर बरसों से लोग बैठे हुए हैं और वहां खाता किसी और का बोल रहा है तो इस ग्रामदानी गांव में अध्यक्ष और उनकी कमेटी ने पूरा भ्रष्टाचार फैला रखा है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिये। वास्तव में ग्रामदानी गांव में जो लोग बरसों से बैठे हुए हैं, उनकी जमीनें हैं, उनकी खेती है, कुआं है, लाइट कनेक्शन है, सर्वे कराकर उन्हें ऑनलाइन चढ़ाया जाए, राजस्व रिकार्ड में चढ़ाया जाए। उन्हें उनकी जमीन, उनका अधिकार दिया जाए। जो भ्रष्टाचार ग्रामदानी अध्यक्ष द्वारा किया गया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके साथ ही चक राजधानी, भण्डारिया, घाटा, चक महूड़ी, माण्डवा खापेड़ा, यहां भी बरसों से लोग बैठे हुए हैं। सर्वे कराकर इनकी मांग को पूरा किया जाए। यहां की भी जमीनें आबंटित की जाएं। बिछीवाड़ा में रीको की जमीन, जो आदिवासियों की जमीन थी, अभी भी खाते में है, लेकिन उनके खाते की जमीन रीको द्वारा छीनी जा रही है। उन्हें न तो मुआवजा दिया गया और न उनकी भूमि आबंटित की गयी। बाहर से लोग आकर यहां पर रोजगार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा किरीको के

(श्री गणेश घोघरा)

आस-पास जो जमीनें हैं, उनका आबंटन किया जाये, उनका अधिकार दिया जाये।

सभापति महोदय, हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र में युवाओं की दो ही बड़ी मांगें हैं। राज्य की प्रशासनिक सेवा में 12 प्रतिशत एस.टी. को मिलता है, लेकिन हमारे टी.एस.पी. एरिये में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, जमीन नहीं है, तो हमारे युवाओं की, हमारे क्षेत्र के लोगों की मांग है कि प्रशासनिक सेवाओं में राज्य का 12 प्रतिशत जो आरक्षण मिलता है, टी.एस.पी. को अलग से 6 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, जिससे हमारे वहां के स्थानीय युवा आर.ए.एस., आर.जे.एस. बन सकें।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

दूसरी जो भी भर्तियां निकल रही हैं, उनमें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिये। आज हमारे साथ आरक्षण तो नाममात्र का है। आरक्षण का लाभ कोई और उठा रहा है। आज आदिवासियों को आरक्षण सही अनुपात में नहीं मिल रहा है। जो विसंगतियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिये। इसमें हमारे 50 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग, 45 एस.टी. के लिए और 5 प्रतिशत एस.सी. के लिए भर्ती की जाती है, लेकिन हमारा जो एस.टी., एस.सी. का लड़का है, अगर वह 50 प्रतिशत में मैरिट टॉप कर रहा है, उसकी मैरिट अनारक्षित सीटों में नहीं बनायी जाकर, ओपन में नहीं बनायी जाकर वापस उसके टी.एस.पी. में एस.टी. में बनायी जाती है, तो ज्यादा मैरिट वाली एस.टी. में मैरिट बन रही है।

जो अनारक्षित वर्ग हैं, उसमें दूसरे लोगों को फायदा हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिये। एस.टी. की जितनी जनसंख्या हो, उतना एस.टी. को मिले। ओ.बी.सी. की जितनी जनसंख्या हो, उतना ओ.बी.सी. को मिले। अन्य वर्ग जितना हो, उतना उसे मिले। सभापति महोदय जी, 1,167 की शिक्षक भर्ती का आन्दोलन हुआ था, उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। 1,167 में जो अभ्यर्थी थे, अभी जो रीट का एग्जाम हुआ, उसमें अभी काफी बच्चे ओवरएज भी हो गये और 1,167 पद, जो 36 परसेंट रीट में पात्रता रखी गयी है, इसके आधार पर वे उस नियम में आते हैं, उनकी भर्ती की जाए। यह कई बार मांग भी उठी है।

जो काकरी डूंगरी प्रकरण हुआ, कौन नेता थे, जिन्होंने यह प्रकरण

(श्री गणेश घोघरा)

कराया? कौन लोग थे, जिन्होंने कहा कि पांचवीं पास को नौकरी लगा देंगे, ये पेट्रोल पम्प हमारे हो जाएंगे, ये मकान हमारे हो जाएंगे? राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए काकरी डूंगरी उपद्रव कराया गया। उस आन्दोलन में जो भी लोग गये, बाहर से लोग आये थे, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग नहीं थे। उन निर्दोष लोगों को फंसाया है, उन पर असत्य मुकदमा लगाया है। उस मुकदमे को वापस लिया जाये। यह मेरी राज्य सरकार से, सीएम साहब से मांग है। वास्तव में यह उपद्रव जो कराया गया, उनके खिलाफ सी.बी.आई. जांच होनी चाहिये। उनके फोन की लोकेशंस निकालें। उनकी कॉल रिकार्डिंग्स निकालें। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिये। यह मेरी राज्य सरकार से मांग है।

माननीय सभापति महोदय जी, टी.एस.पी. क्षेत्र में चालान की प्रक्रिया अभी काफी बनी हुई है। गरीब लोग, जो गांव से मजदूरी के लिए बाजार में जाते हैं, जो 200 रुपये कमाते हैं, कारीगर 500-600 रुपये कमाते हैं, पुलिस वाले हेलमेट के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर, नम्बर प्लेट के नाम पर उनसे अवैध पैसा वसूल करते हैं। उनका हजार-दो हजार का चालान बनाया जाता है। कभी-कभी चालान न बनाकर उनकी जेब में सीधा पैसा रखा जाता है। थाने के पास रामसागड़ा है। वहां का व्यक्ति दुकान पर सामान लेने जा रहा है, जो कि उसके घर से आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है, उसका भी चालान बनाया जा रहा है। पुलिस इन गरीबों के साथ लूट-मार कर रही है। यह लूट-मार रुकनी चाहिये। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि ऐसे गरीबों का चालान नहीं बनाए।

वे दो रोटी कमाने के लिए मजदूरी करने जाते हैं और वापस आते हैं, पर उनका हजार-दो हजार रुपये का चालान बनाया जाता है, जिसको रोका जाए।

टी.एस.पी. क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ाने के लिए स्कूलों और कालेजों में जो रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाए, यह मैं मांग करता हूं। टी.एस.पी. क्षेत्र में जो नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र के कर्मचारी हैं, चाहे वे कर्मचारी शिक्षा विभाग में हों, पंचायती राज विभाग में हों या दूसरे किसी भी विभाग में हों, उन कर्मचारियों, अधिकारियों का टी.एस.पी. से नॉन टी.एस.पी. में स्थानान्तरण किया जाए। नॉन टी.एस.पी. के जो भी कर्मचारी, अधिकारी होते हैं, वे प्रमोशन के लिए टी.एस.पी. में स्थानान्तरण करवा लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। नॉन

(श्री गणेश घोघरा)

टी.एस.पी. क्षेत्र से जो कर्मचारी, अधिकारी वहां लगाये जा रहे हैं वे कैसे लगाये जा रहे हैं? नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र के जो कर्मचारी टी.एस.पी. क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनको तुरन्त उनके गृह क्षेत्र नॉन टी.एस.पी. में भेजा जाएगा तो वहां पर काफी पद रिक्त होंगे, जिससे हमारे वहां पर जो युवा बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिल सकेगी, यह मैं मांग करना चाहूंगा।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, 1951 में आदिवासियों का धर्म कोड 9 नम्बर था, उस धर्म कोड को 2011 में हटा दिया गया। 1951 की सेंसस आफ इण्डिया में आदिवासियों का अलग से कालम नम्बर 9 था। मैं किसी धर्म या जाति का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैन धर्म के लोग 54 लाख हैं और उनके लिए धर्म कोड है, लेकिन हमारे आदिवासियों की जनगणना में जाति के लिए कोई कालम कोड नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा, केन्द्र सरकार से भी मांग करूंगा कि हमारे आदिवासियों का अलग से धर्म कोड होना चाहिए तथा जातिगत जनगणना होनी चाहिए।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदिवासियों को हिन्दू नहीं माना है। न तो हमको ब्राहमण माना, न क्षत्रिय माना, न वैश्य माना और न शूद्र माना। आदिवासी कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। आदिवासी स्वतंत्र है। आदिवासी अलग से ही प्रकृति पूजक है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए तथा हमारा अलग से कोड होना चाहिए। 1951 में हमारी कोड कालम संख्या 9 थी, जिसको वापस लागू किया जाए, यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों के रीति-रिवाज, रहन-सहन, वेश-भूषा, खान-पान सभी से अलग हैं। हमारे यहां नाता प्रथा है। हमारे मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्रियाकर्म सभी समाजों से अलग हैं। हमारे शादी में नौतरा प्रथा चलती है, हमारे ढूंढोत्सव होता है और होली पर भी हमारा अलग से कार्यक्रम होता है। इस तरह से हमारी वेशभूषा, संस्कृति, खान-पान, बोल-चाल, सब अलग है। इसलिए हमें हमारा अधिकार दिया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, टी.एस.पी. क्षेत्र में गली-गली में, हर नुक्कड़ पर अंग्रेजी शराब की दुकानें खोल रखी हैं। हम चाहते हैं कि हमारी परम्परा, रीति-रिवाज, हमारा खान-पान चलन में है, उसमें देशी महुआ भी है।

(श्री गणेश घोघरा)

वह देशी महुआ एक पेड़ का फूल होता है और यह फूल लड्डू बनाकर खाने में काम आता है। इसके ढोकले बनाकर खाते हैं तथा इसके बीज का तेल निकलता है, जिसको घी के जैसे खाते हैं। उसकी लकड़ी इमारत में काम आती है। इस महुआ को उबालकर जो जूस निकलता है, रस निकलता है उस रस का आदिवासी मनोरंजन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने पूर्वजों के धार चढ़ाने के लिए, होली के ढूंढोत्सव पर, शादी-विवाह पर, मौत-मरण पर उपयोग करता है और कुछ मात्रा में सेवन करता है। अगर किसी के घर में 2-3 लीटर भी महुआ का रस मिल गया तो पुलिस द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है। उसे शराब कहते हैं लेकिन उसमें एल्कोहल या स्प्रिट नहीं पड़ती है, पर पुलिस द्वारा गलत मुकदमे गरीब आदिवासियों पर लगाये गये हैं। भले ही आबकारी वाले हों या पुलिस वाले हों, उनके द्वारा उन पर जो गलत मुकदमे दर्ज किये गये हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाए, यह मैं सरकार से मांग करता हूं। हमारी संस्कृति रीति-रिवाज, परम्परा के अनुसार वार-त्योहार पर आदिवासी जो उसका सेवन करना चाहता है, उसके घर में 8 से 10 लीटर महुआ का देशी रस है उसको रखने की अनुमति देने की मैं मांग करता हूं। साथ ही अगर आप देशी महुआ की शराब को बंद करना चाहते हैं तो पहले टी.एस.पी. क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की जितनी भी दुकानें हैं उनको बंद किया जाए। अगर उनको बंद नहीं किया जाता है तो देशी महुआ शराब के लिए भी कोई न कोई विचार या योजना बनाएं कि वहां के लोग जो गरीब हैं और वार-त्योहार पर डेढ़-दो हजार की शराब नहीं खरीद सकते, वे यह पी सकें। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि टी.एस.पी. क्षेत्र में जितनी भी अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं, उन दुकानों में स्थानीय क्षेत्र के निवासियों को आरक्षण के हिसाब से वे दुकानें अलाट होनी चाहिए।

सभापति महोदय, टी.ए.डी. मंत्री जी बैठे हुए हैं। उनसे मैं मांग करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा में तो माही डैम है और डूंगरपुर में बारिश ज्यादा होती है, पर यहां एनीकट कम हैं, कुएं कम हैं तो पूरा पानी गुजरात चला जाता है, जिससे यहां छोटे-छोटे लघु सीमान्त कृषक हैं उनकी खेती नहीं हो पाती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पुराने कुएं गहरे कराए जाएं और उनके चारों तरफ पक्की मुंडेर करायी जाए ताकि किसान कम से कम कुएं से पानी पी सके और उसकी अपनी जो छोटी-मोटी खेती है, उसकी उससे सिंचाई कर सके। मैं मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि विशेषकर टी.ए.डी. से पुराने कुओं का मलबा निकाला जाए और उनके पक्की मुंडेर करायी जाए।

(श्री गणेश घोघरा)

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मां-बाड़ी केन्द्रों का संचालन कर राजकीय विद्यालयों के अनुरूप शिक्षा विभाग के नियमानुसार शिक्षण का कार्य करवा रहे हैं, जिनको अभी स्वच्छ परियोजना एनजीओ द्वारा संचालित किया जा रहा है। उसकी मानिटरिंग शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार नहीं हो पा रही है। इसलिए इन समस्त मां-बाड़ी केन्द्रों का संचालन स्वच्छ परियोजना से हटाकर जनजाति विभाग, टी.ए.डी. में सम्मिलित कर संविदा रूल्स, 2022 का दर्जा उन्हें प्रदान कर उनका स्थायीकरण किया जाए। जिस तरह शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, पंचायत सहयोगी को संविदाकर्मी का दर्जा दिया गया है, उसी तरह कैडर बनाकर मां-बाड़ी शिक्षा सहयोगी को भी संविदाकर्मी का दर्जा दिया जाए। महिला शिक्षक के लिए प्रसूति अवकाश मां-बाड़ी विद्यालयों में लागू किया जाए, शिक्षा विभाग के कैलेण्डर के अनुसार मां-बाड़ी विद्यालयों में भी अवकाश दिया जाए, मां-बाड़ी शिक्षा सहयोगी के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इनकी मांगें पूरी की जाएं।

महिला बाल विकास परियोजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी लम्बे समय से कुछ मांगें हैं, अनुभव एवं योग्यता के आधार पर इनका कैडर, मानदेय, पे-ग्रेड नियमित बनाये जाएं, स्टेशनरी भत्ता दिलवाया जाए, प्रशिक्षण का भत्ता दिलवाया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराई जाए। राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली सुविधाएं, इन्हें भी सब योजनाओं का फायदा दिया जाए। आंगनबाड़ी केन्द्र पर पोषाहार पैकेट्स बाहर से दिये जाते हैं। स्थानीय आंगनबाड़ी के स्वयं सहायता समूहों को पोषाहार वितरण करने का काम दिया जाए। इसमें पत्थर व रेत आती है, जो बच्चे नहीं खा पा रहे हैं। सन् 1975 से आज तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य कर रही हैं। उनके मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन्होंने कोरोना काल में भी घर-घर जाकर काफी काम किया है।

इनके बाद में लगे, जैसे 2002 में राजीव गांधी पाठशाला में अध्यापक लगे थे, उनको ब्रिज कोर्स करवाकर सरकार द्वारा नियमित कर प्रमोशन भी कर दिया गया। 2007 में लगे ग्राम रोजगार सहायक को भी अनुभव में छूट देकर कनिष्ठ सहायक पद पर नियमित किया गया। 2002 में लगे पैराटीचर्स को नियमित किया गया है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 30 वर्षों से प्रत्येक राजस्व गांव में लम्बे समय से कार्यरत हैं और राज्य सरकार

(श्री गणेश घोघरा)

की समस्त लोककल्याकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने, धरातल पर प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। जो इनके साथ अन्याय है।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी जितनी भी मांगें हैं, इनका मानदेय, पे-ग्रेड नियमित करने की कृपा करें। साथ ही, बीजेपी ज्यादा हितैषी है तो पूरे परिवार को भारत सरकार नौकरी दे, पेट्रोल पम्प दे, गैस एजेंसी दे, हिम्मत है तो। सांसद डरते हैं। हमारी सरकार तो शहीदों के बेटों का हक नहीं छीनेगी, बेटी, संतान को भी नौकरी देगी। भाजपा पर कटाक्ष करो, राजनीतिक भाषण देकर इनको घेरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हितैषी नहीं है। आज आदिवासियों की मांग थी, लेकिन इन्होंने जान बूझकर सोची-समझी साजिश से एक आदिवासी की आवाज दबाने की कोशिश की है, लेकिन आने वाले समय में पूरे टी.एस.पी. क्षेत्र के आदिवासी आपको जवाब देंगे। एक आदिवासी युवा की आवाज दबाने का आपने षड्यंत्र किया है। आदिवासी क्षेत्र के युवाओं की मांग, हमारे क्षेत्र की मांग को आज आपने दबाने का काम किया है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी हितैषी कभी थी ही नहीं और हो भी नहीं सकती है। आने वाले समय में इसका उत्तर, मुंह तोड़ जवाब टी.एस.पी. क्षेत्र की जनता देगी। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: प्लीज, एक मिनट सुनिये। आपके स्लोगन भी पूरे हो गये, आपका प्रोटेस्ट भी पूरा हो गया है। मेहरबानी करके विराजिये। मैं माननीय कैलाश जी मेघवाल का नाम पुकारूंगा, वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग उन्हें सुने। उन्हें पूरा सदन भी सुने। उनके बहुमूल्य विचार हम जानेंगे। प्लीज, विराजिये। आप अपने स्थान पर जाकर कहेंगे तो बात समझ आयेगी। आप जिनकी बात कर रहे हैं। आपके माननीय सदस्य ने सामने बैठे लोगों को +++ कहा। ये सब +++ हैं। मैं पुन: आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने स्थान पर विराजें।

श्री कैलाश चन्द मेघवाल। श्री राजकुमार रोत।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप थक भी गये हैं, आप पूरी तरह से थक गये हैं। आपके स्लोगन पूरे हो गये हैं। आपका प्रोटेस्ट भी पूरा हो गया है। अपने स्थान पर विराजिए। यह महत्वपूर्ण चर्चा है। आप स्थान पर जाकर कहेंगे, आप स्थान पर जाइए, आप अपने स्थान पर पधारें। आप स्थान पर पधारकर बात कहें। प्लीज, आप स्थान पर पधारें। आप अपने स्थान पर पधारें। कोई अंकित नहीं हो रहा है। अंकित तब होगा, जब आप अपने स्थान पर पधारेंगे। माननीय राठौड़, अपने स्थान पर पधारकर बात कहें। यहां नहीं होगा, स्थान पर पधारकर अपनी बात कहें, तभी अंकित होगा। प्लीज, सहयोग करें। अपने स्थान पर पधारकर अपनी बात कहें, आसन अपनी व्यवस्था तब देगा, जब अपने स्थान पर पधारकर अपनी बात कहेंगे। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा, कुछ भी अंकित नहीं होगा। अपने स्थान पर जाकर आप बात कहेंगे, तभी अंकित होगा। राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 30 और 32 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आज बड़े गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष के साथियों ने आज इस मांग को गम्भीरता से नहीं लिया है। कहीं न कहीं इस सदन का और राजस्थान की जनता का जो समय है, उस समय को बर्बाद करने का काम चल रहा है। राजस्थान की जनता और आज विशेषकर जनजाति विभाग पर चर्चा हो रही थी तो कहीं न कहीं हमारे पूरे आदिवासी बहुल क्षेत्र की जनता को यह था कि आज एक सार्थक चर्चा होगी। आदिवासी बहुल क्षेत्र के अन्दर जो विसंगतियां हैं, आदिवासी समाज में कई प्रकार की ऐसी विसंगतियां हैं, भर्ती को लेकर, विकास को लेकर, तो बड़ी उम्मीद थी कि आज एक सार्थक चर्चा होगी, लेकिन भाजपा से चुने हुए विधायक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं लेकिन विपक्ष का यह रहता है कि सरकार आदिवासियों के हित में सही काम करे, इसके लिए सलाह दे। आज इन्होंने इस विषय पर और यह पहली बार नहीं है, पिछली बार भी यही कहानी दोहराई गई थी।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात शुरू करने से पहले, आज मांग संख्या 30 और 32 पर जो चर्चा हो रही है। जो मांग संख्या 30 है, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, मतलब राजस्थान के अन्दर रहने वाले आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए, उनके जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को इस विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। यह

(श्री राजकुमार रोत)

जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, जो ब्रिटिशकालीन व्यवस्था थी, ब्रिटिशों ने देखा कि इस भारत देश के अन्दर जो दबा-कुचला समाज, जो बिखरे हुए इलाके में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं तो उन्होंने उनकी रक्षा के लिए, और यह चीज इतनी आसानी से नहीं, ब्रिटिशों से आदिवासी समाज ने कई लड़ाइयां लड़ीं और कई लड़ाइयों में कई लोग शहीद हुए। इसी आधार पर 1935 के अधिनियम में ब्रिटिश शासन शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट लाया। शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट, जो लाये, हमारे देश का संविधान 1950 में लागू हुआ तो 1950 के अन्दर वह एज-इट-इज लिया गया। शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट का प्रावधान था कि आदिवासी समाज को, उनका जो क्षेत्राधिकार है, उसमें विशेष अधिकार देना, जैसे जल, जंगल, जमीन की बात आती है, खनिज की बात आती है। इसी आधार पर आज पांचवीं अनुसूची, संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अन्दर अनुसूचित क्षेत्र के समस्त प्रावधान निहित हैं। यह हमारा संविधान कहता है और इन प्रावधानों की क्रियान्विति के लिए हम लोग यहां बैठे हुए हैं।

राज्य सरकार है, केन्द्र सरकार है, लेकिन आज बड़े दु:ख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि क्षेत्र की जनता ने उम्मीद की थी कि आज शिड्यूल्ड 5 के बारे में, 244 के बारे में आदिवासी समाज के हित में जो बजट प्रावधान किये हैं, उनके बारे में एक सार्थक चर्चा होगी, लेकिन नहीं हो पा रही है।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए इस पांचवीं अनुसूची के जो प्रावधान हैं, इस पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत संवैधानिक प्रावधान हैं, इनके तहत अधिकार दिये गये हैं और साथ ही शिड्यूल्ड एरिये में रहने वाला आदिवासी समुदाय है, गरीब समुदाय है, उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार हो, केन्द्र सरकार हो, संविधान में प्रावधान हैं उस प्रावधान के तहत उन्हें अलग से बजट का प्रावधान दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि सबको विदित है कि हमारा केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सहायता मद, साथ ही अनुच्छेद 275 के तहत बजट का अलग से प्रावधान दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा भी समय-समय पर बजट में बढ़ोतरी की जाती है। पिछली बार जब हम दो विधायक हमारे क्षेत्र से क्षेत्रीय पार्टी से चुन कर आये तो हमने राज्य सरकार के सामने हमारी 17 सूत्री मांगें रखी थीं। 17 सूत्री मांगों में जो हमारी मुख्य मांग थी कि जिस तरह

(श्री राजकुमार रोत)

महाराष्ट्र सरकार ने अलग से एक महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया है, महाराष्ट्र पैटर्न में यह प्रावधान है कि आदिवासियों के विकास के लिए अलग से पैकेज बनाया जाए, हमने जो मांग रखी थी कि राजस्थान के अन्दर भी एस.सी./एस.टी. के लिए अलग से विकास फंड बनाया जाए, हमारी मांग के आधार पर राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले बजट में एस.टी. के लिए पांच सौ करोड़ के बजट का अलग से प्रावधान किया और इस बजट में उसको आगे बढ़ाते हुए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो बजट का प्रावधान किया गया यह पिछली बार भी हुआ और इस बार भी हुआ। राज्य सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन जो हमारा कर्मचारी/अधिकारी वर्ग है, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि पिछली बार जो पांच सौ करोड़ का प्रावधान किया गया, हमने इधर-उधर से जानकारी ली, कई प्रस्ताव हमने भी भेजे थे, लेकिन इन प्रस्तावों पर आज तक क्रियान्विति नहीं हुई है। जनसहभागिता एक योजना निकाली है, इसमें 30 प्रतिशत कोई भी व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि या कोई एन.जी.ओ., कोई भामाशाह अपना बजट देकर, 70 प्रतिशत जो बजट है वह पांच सौ करोड़ में से देने का प्रावधान था। मैंने भी मेरे विधायक कोटे से जनसहभागिता में प्रस्ताव भेजे। हमारे विधायक फंड का जो पैसा था वह रिलीज हो गया, लेकिन जनसहभागिता के तहत जो टी.ए.डी. से बजट मिलना था वह बजट आज भी नहीं मिल पाया है।

माननीय सभापति महोदय, ये हमारे साथी अभी लगे हुए हैं। मेरा यह कहना है कि जो बजट है उसकी निगरानी के लिए एक व्यवस्थित कमेटी बने। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि TAC का अध्यक्ष ट्राइबल मिनिस्टर होता था, लेकिन पिछली भा.ज.पा. सरकार ने 2016-17 के अन्दर उस ट्राइबल मिनिस्टर का आदिवासियों का हक छीना और उसका चेयरमैन मुख्य मंत्री महोदय को बनाया गया। सब लोग जानते हैं कि राज्य के मुखिया के पास इतना समय नहीं है कि वह TAC के प्रावधानों के अकोर्डिंग मीटिंग ले पाए। चूंकि भाजपा सरकार नहीं चाहती थी कि आदिवासियों का हित हो, ट्राइबल एडवाइजरी काउन्सिल की समय-समय पर बैठक हो, ये लोग नहीं चाहते थे, मैं इस सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार ट्राइबल एडवाइजरी काउन्सिल की समय-समय पर बैठक ले। ट्राइबल एडवाइजरी काउन्सिल में हम विधायक लोग सदस्य रहते हैं।

(श्री राजकुमार रोत)

माननीय सभापति महोदय, इस बार भी जो सौ करोड़ का प्रावधान किया गया आदिवासी समाज के हित के लिए, मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, एक साल के अन्दर चुनाव नजदीक आ गये हैं, इस समय का और इस पैसे का सदुपयोग करें। आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन मूलभूत सुविधाओं पर इस पैसे को खर्च करें, क्योंकि पिछली बार जो पांच सौ करोड़ का प्रावधान था उसमें मेरा मानना है और मैंने जो महसूस किया, वह पैसा आज तक धरातल पर नहीं उतर पाया है।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए आदिवासी इलाके में आवासीय छात्रावास खोले, बहुत अच्छी बात है। लोगों को बेनिफिट भी इसका मिल रहा है, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य के अकोर्डिंग वह बेनिफिट नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार ने प्रावधान किया है कि जो बच्चे उस आवासीय छात्रावास में पढ़ रहे हैं कोलगेट से लगा कर, नाश्ता, कपड़ा, चप्पल, खाना आदि सब प्रकार की उनकी व्यवस्था की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, हमने बच्चों को ड्रेस की व्यवस्था करके दी है, लेकिन यह जो प्रणाली है, हमारी और अधिकारियों की जो उदासीनता है उस उदासीनता के कारण समय पर उस बच्चे को कपड़े नहीं मिल पाते। हमारा सत्र स्टार्ट होता है जुलाई में, लेकिन हमारी प्रणाली ऐसी रहती है कि इन बच्चों को हम दिसम्बर तक कपड़े दे पाते हैं, तो तीन-चार महीने तक बच्चे को जो लाभ मिलना चाहिये वह लाभ नहीं मिल पाता है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो छात्रावास में खाने-पीने की व्यवस्था है इसमें कई बार ठेकेदार लोग, मैंने खुद विजिट की है, और चूंकि मैं खुद छात्रावास में रहा हूं, कई बार जो नाश्ते में बिस्किट आता है, यह ठेकेदार लोग, जो एक्सपायरी डेट का सामान होता है उस एक्सपायरी डेट के सामान की सप्लाई करते हैं। मैंने खुद जाकर विजिट करके इस चीज को पकड़ा है, लेकिन उसके अनुरूप जो कार्यवाही होनी चाहिये, जो वहां का वार्डन है और जो ठेकेदार है, उन पर अब तक कार्यवाही नहीं हुई है।

माननीय सभापति महोदय, हम चाहेंगे कि आदिवासी बहुल क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार समय-समय पर जो बजट देती है, उस बजट का सही समय पर सही लोगों को, आवश्यक लोगों को, आवश्यक बच्चों को उसका लाभ मिले। लम्बे समय से हम लोग इतना बड़ा विभाग लेकर

(श्री राजकुमार रोत)

बैठे हैं, टी.ए.डी. विभाग, लेकिन हमारे इस विभाग की दुर्दशा यह है कि टी.ए.डी. विभाग के छात्रावासों में हमें वार्डन लगाना है, वहां पर हमें टीचर लगाना है, तो हमें शिक्षा विभाग से उधार लेना पड़ रहा है। वहां से हमें डेपुटेशन पर लेना पड़ रहा है। हम 2019 से यह बात उठाते आ रहे हैं कि जल्द से जल्द, मंत्री महोदय, विपक्ष की बातों पर कम ध्यान देकर, मेरी जो बात है, उस पर विशेष ध्यान दें, अलग से कैडर बनायें और जो शिक्षा विभाग से हम उधार के कर्मचारी ले रहे हैं इस उधारी को कम करें। हमारा वार्डन लेना है तो भी हम शिक्षा विभाग से ले रहे हैं। हमारे आवासीय छात्रावासों में जो टीचर लेने हैं, वे भी उधारी के ले रहे हैं। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द कैडर बन जाए और कैडर बन कर हमारे टीचर्स की अलग से भर्ती निकले।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में आदिवासी इलाका, जो पहाड़ी इलाका है, फोरेस्ट इलाका है, मां-बाड़ी एक अच्छी योजना आयी। इस योजना से वहां के बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है। हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन मां बाड़ी के अन्दर जो शिक्षक हैं उनकी लम्बे समय से जो मांग है कि उनको भी परमानेंट किया जाए या संविदा नियम, 2022 के अनुसार उनको लिया जाए। मैं तो चाहता हूं कि कैडर बनाया जाए और कैडर बना कर उनको एज ए शिक्षक के रूप में कार्य करवा कर उनको भुगतान दिया जाए।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: आप लोग विराजें अपने-अपने स्थानों पर। थक गये लगता है।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, हमारे मां-बाड़ी के अन्दर वही समस्या आ रही है कि हम समय पर इन बच्चों को यूनिफार्म नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिये हमारा जो सत्र जुलाई से स्टार्ट होता है, वह सत्र स्टार्ट होने के तीन-चार महीने बाद यूनिफार्म पहुंच पाती है। कई बार हमारे ग्रुप्स में चलता है टी.ए.डी. विभाग को लेकर कि नाश्ता, खाना, कपड़ा सब पर चल रही है भ्रष्टाचार की कैंची, फिर भी खामोश है राज्य सरकार। अधिकारियों के दफ्तर में लगे हैं एसी, कूलर, आदिवासियों के बजट को समझा है खैराती और विदेशों में घूम रहे हैं करोड़ों के बाराती। आजादी के बाद से आदिवासियों के नाम से केन्द्र हो या राज्य हो, करोड़ों-अरबों रुपये आबंटित हुए, लेकिन आज भी आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।

(श्री राजकुमार रोत)

माननीय सभापति महोदय, दोनों ने ठगा बारी-बारी से, लेकिन अब जाग गया है आदिवासी युवा और कर दिखाया है डूंगरपुर में दोनों को एक। अब जाग उठे हैं और लड़ेंगे, आजादी से लेकर अब तक का हिसाब वसूलेंगे सूद समेत।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी बहुल क्षेत्र में अलग से भर्तियों का प्रावधान है। हमारे राजस्थान में 1 से 9 तक की जो भर्तियां होती हैं, शिड्यूल्ड एरिया के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होती है। मैं चाहूंगा कि आरक्षण की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर किया जाए। मैंने 2011-12 से लेकर अब तक की भर्तियों को एनेलाइज किया। एक भी भर्ती शान्तिपूर्वक तरीके से, संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत आज तक नहीं हो पायी है।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

भले इधर की सरकार हो या उधर की सरकार हो, संविधान के अनुसार शिड्यूल्ड एरिये में जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसके अकोर्डिंग आज तक एक भी भर्ती नहीं हो पाई है। पिछली बार 1,167 पदों को लेकर सबको विदित है कि डूंगरपुर में काकरी डूंगरी प्रकरण हुआ। हमारी पात्रता 2011 में दे रखी है कि 36 प्रतिशत वालों को पात्र माना जायेगा। वहां 2013 के अकोर्डिंग आरक्षण व्यवस्था कर रखी है कि 45 परसेंट एस.टी. को, 5 प्रतिशत एस.सी. को और 50 प्रतिशत ओपन कैटेगरी होगी। इसी अकोर्डिंग 2018 की शिक्षक भर्ती की ओपन कैटेगरी में जो 1,167 सीटें रिक्त थीं, एस.टी. के जो पात्र अभ्यर्थी थे, उन्होंने इन पर दावा किया और हमने भी समर्थन दिया, क्योंकि वह उनकी वाजिब मांग थी, लेकिन हुआ क्या, वही हुआ, जो आज तक देश में होता आ रहा है। देश में कोई भी वाजिब मांग के लिए कोई मांग उठाता है, उसमें उपद्रवी भेजे जाते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र कर दिया जाता है। आज जामिया को देखें, शाहीन बाग़ को देखें। जे.एन.यू. में जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहे थे, उनमें उपद्रवियों को भेजकर आंदोलन को उग्र किया गया। इसी तरह हमारा काकरी डूंगरी प्रकरण भी उलझाया गया। बेरोजगार साथी, जो संवैधानिक अधिकार मांग रहे थे, रिक्त रही सीटों पर अपनी नियुक्ति चाह रहे थे, उनको खदेड़ा गया, उन पर गोलियां बरसाई गईं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन 1,167 पदों पर राज्य सरकार गंभीर होकर आने वाले चुनावों से पहले इन पदों पर

(श्री राजकुमार रोत)

नियुक्ति दे। वहां का युवा परेशान हो चुका है। उनकी वाजिब मांग है। आपने और हम सबने उनको आश्वासन दिया है। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है। इन 1,167 पदों को भरकर बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान की जाए।

माननीय सभापति महोदय, 2013 की अधिसूचना, संशोधित अधिसूचना, 2018 और कार्मिक विभाग की अधिसूचना, 2019 के अकोर्डिंग आदिवासी बहुल क्षेत्र में भर्तियां होती हैं। हमारे समाज, हमारे क्षेत्र की कभी भी बात आती है तो कहते हैं कि आप तो आरक्षण से ऐसे ही लग जाओगे, आपको तो आरक्षण मिलता है, लेकिन हकीकत यह है कि हम सिर्फ बदनाम हैं। बाकी जो आरक्षण उन बच्चों को मिलना चाहिये, वह उनको नहीं मिल पाता है। मैं आपको कुछ भर्तियों का आंकड़ा बताना चाहूंगा। आर.ए.एस. भर्ती, 2013, अधीनस्थ सेवा की भर्तियों में 2016 और 2019 की अधिसूचना के अकोर्डिंग 45 प्रतिशत एस.टी., 5 प्रतिशत एस.सी. और 50 प्रतिशत ओपन कैटेगरी का प्रावधान कर रखा है। इसी तरह 2013 में भर्ती हुई, उस भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के लिए 43 पद आर.ए.एस. अधीनस्थ सेवा के दिये और उन 43 में से 18 पद वहां के एस.टी. वर्ग को मिले, जो कि 41 प्रतिशत हो रहे हैं और 50 प्रतिशत अनारक्षित पद, ओपन कैटेगरी, पात्रता रखने के बावजूद भी रिजर्व कैटेगरी का लड़का इन ओपन कैटेगरी के पदों पर नहीं लिया गया। दूसरी ओर, राजस्थान में एस.टी. वर्ग को 12.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर रखा है। इन 12.5 परसेंट के आधार पर आर.ए.एस. भर्ती, 2013; अधीनस्थ सेवा में 73 पद आये। इन 73 पदों पर उदयपुर संभाग का अनुसूचित क्षेत्र का एक भी आदिवासी बच्चा इन पदों पर नहीं लगा। इसी तरह, आर.ए.एस. भर्ती 2016 में अनुसूचित क्षेत्र में अधीनस्थ सेवाओं के लिए 29 पद आये। इन 29 पदों में से 12 पद एस.टी. वर्ग को दिये गये, एस.सी. वर्ग को जीरो पद आया और 17 पद ओपन कैटेगरी के रखे गये। इन ओपन कैटेगरी में एक भी आरक्षित वर्ग का बच्चा नहीं गया। दूसरी ओर, राजस्थान लेवल पर 54 पदों में अनुसूचित क्षेत्र का एक भी लड़का नहीं जा पाया। इस तरह से आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है। इस तरह अनुसूचित क्षेत्र के रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति को दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। आर.ए.एस. भर्ती में स्टेट लेवल पर एस.सी. का जो 16 प्रतिशत है, वह न तो वहां जा पा रहा है और न ही यह जो 12.5 प्रतिशत है, उसमें अनुसूचित क्षेत्र का एस.टी., एस.सी. का जा पा रहा है।

(श्री राजकुमार रोत)

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह 2018 में 37 पद आये, अनुसूचित जनजाति को 12 पद मिले, एस.टी. वर्ग को 45 प्रतिशत के हिसाब से 12 मिलने चाहिये थे, लेकिन उनको मिले 32 प्रतिशत। इस तरह 25 पदों पर एक भी अनुसूचित क्षेत्र का एस.टी. वर्ग का अभ्यर्थी नहीं लग पाया। इसी तरह आर.ए.एस. अधीनस्थ सेवा 2013, 2016 और 2018 में ओपन कैटेगरी की जो 50 प्रतिशत के आधार पर सीटें थीं, इन पर एक भी रिजर्व कैटेगरी का लड़का नहीं गया। अनुसूचित क्षेत्र में 75 प्रतिशत ट्राइबल्स रहता है, इन 75 प्रतिशत ट्राइबल्स को आल ओवर देखा जाये तो 32 प्रतिशत सीटों पर समेट कर रख दिया गया और जो 15-20 प्रतिशत अन्य वर्ग रह रहा है, उनको एक तरह से हमने 50 प्रतिशत रिजर्वेशन दे दिया। उस इलाके में ऐसी पालिसी बना रखी है। एक चीज समझ में नहीं आती, कोई भी मैरिट बनती है तो ओपन कैटेगरी की मैरिट पहले बननी चाहिये, फिर रिजर्व कैटेगरी की बननी चाहिये। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में जो भर्तियां हो रही हैं, उन भर्तियों में रिजर्व कैटेगरी की मैरिट पहले बनाते हैं, फिर ओपन कैटेगरी की मैरिट बनाते हैं। मतलब रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति ओपन कैटेगरी में आना चाह रहा हो, वह उसी में पहले मैरिट में चला जाता है, इस कारण इन लोगों को नहीं लिया जा रहा है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 2013, 2016 और 2019 अनुसूचित बहुलक्षेत्र के आदिवासी लोगों के लिए एक काला कानून है, इन पर सरकार गंभीर हो। मंत्री जी इस अधिसूचना को समझें। इस अधिसूचना के आधार पर आज तक जो भर्तियां हुई हैं, यह भर्तियां कितनी संवैधानिक हुई हैं? हमारे शिड्यूल्ड एरिया के प्रावधान के अनुसार कितनी भर्तियां हुई हैं, आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आप आदिवासी बहुल क्षेत्र के, टी.ए.डी. विभाग के एक मंत्री हो। आप एक अभिभावक हो, इन विसंगतियों को दूर करना, युवाओं को राहत प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी है। यही जिम्मेदारी उस विपक्ष की भी थी। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि देश में जो सत्ताधारी है, उस सत्ताधारी से भी अधिक निष्पक्ष और मजबूत हमारा विपक्ष होना चाहिये। तब ही इस देश का संविधान सही तरीके से लागू होगा। तब ही आम जनता को सही राहत मिलेगी। यह हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। आज विपक्ष के विधायकों की जिम्मेदारी थी कि आदिवासी बहुल क्षेत्र की समस्याओं को इस सदन पटल पर रखते। आदिवासी बहुल क्षेत्र में भर्तियों की विसंगतियों

(श्री राजकुमार रोत)

को यहां पर रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आजादी से पहले काला कानून चलता था कि राजा ने सेनापति को कहा कि अभी दिन नहीं, रात है और सेनापति ने सेना को कहा कि दिन नहीं, रात है। यही चीज आज भी लागू हो रही है, इनके आकाओं ने कह दिया कि आदिवासियों पर बात नहीं करनी है, तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया। यही चीज इनके आकाओं ने मुखिया को कह दिया, मुखिया ने सेना को कह दिया और हमारी सेनाएं यहां बैठ गईं। जो आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दे हैं, आज कई प्रकार की बातें हैं, उन बातों को विपक्ष को यहां रखना चाहिये था, लेकिन आज वह नहीं रख पा रहे हैं और अपने आकाओं के निर्देश की पालना करके आज राजनीति करने यहां बैठ गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, 1981 में अनुसूचित क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने अधिसूचना जारी की और 2018 में इसमें कुछ एरिया बढ़ा। अप्रैल, 2018 में एरिये का विस्तार हुआ। इससे पहले 1981 में एरिया आइडेंटिफाई हुआ। वही एरिया 2018 में आगे बढ़ा तो उस दौर के आसपास की जो भर्तियां थीं, शिक्षक भर्ती, ए.एस.आई. भर्ती, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, इन पदों को नॉन शिड्यूल्ड एरिये के लड़कों से वहां पर भरा गया और शिड्यूल एरिये के लड़कों के लिए जो विस्तार हुआ, उस विस्तार के आधार पर पद नहीं बढ़ाये गये। वहां के नॉन शिड्यूल्ड एरिये के बच्चों ने शिड्यूल्ड एरिये की विज्ञप्ति के अकार्डिंग आवेदन ही नहीं किया था। उनका वहां का प्रमाण-पत्र ही नहीं बना था। लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, उनकी उदासीनता की वजह से उन बेरोजगार युवाओं को आज भी परेशान होना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी प्रावधान लागू करना है तो राज्यपाल महोदय एवं टी.ए.सी. (ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल) है, उसको पूरा अधिकार है। अगर सदन में कोई कानून नहीं बनता है तो भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल राज्यपाल महोदय की मदद से अलग से अधिसूचना जारी करके वहां पर प्रावधान लागू कर सकती है। हमने मांग की थी कि कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती और पीटीआई भर्ती में पात्रता को कम किया जाए और राहत दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जो आदिवासी समुदाय है, उसके अन्दर कई छोटे-छोटे समूह हैं। जैसे कि राजस्थान के अन्दर भारत सरकार ने

(श्री राजकुमार रोत)

12 अनुसूचित जातियां या समूह आइडेंटिफाई कर रखे हैं। धानका है, भील है, गरासिया है, सहरिया है, मीणा है। इस तरह से 11 से 12 अनुसूचित जातियां और समूह हमारे यहां आइडेंटिफाई कर रखे हैं, लेकिन हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र के अन्दर 90 परसेंट भील बहुल समूह है। इस भील बहुल समूह का तीन से चार भागों में डिवाइडेशन कर रखा है। उस इलाके में धर्मान्तरण चरम पर चल रहा है। हमने कई बार सदन में कहा है कि जो धर्मान्तरण हो रहा है, उसको बंद किया जाए।

साथ ही, एक बड़ी विडंबना। मीणा को लेकर कोई एक आदेश आया। मीणा जो शब्द है, उसको लेकर। करौली, सवाई माधोपुर के जो मीणा भाई हैं, उन्होंने तो नाम मीणा से मीना करा दिया, लेकिन आज हमारा खेरवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और यहां सदन में हमारे सदस्य भी हैं, रामलाल जी मीणा। आज जो ट्राइबल की सूची है, उसमें मीणा शब्द नहीं है, मीना शब्द है। इधर वाले भाइयों ने तो संशोधन करा लिया, लेकिन हमारे खेरवाड़ा और प्रतापगढ़ के सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो सम्बन्धित तहसीलदार, एस.डी.एम., वह चीज लेकर खड़े रहते हैं कि उस सूची में मीणा नहीं है। हमारे यहां यह चीज कैसे आयी? आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर में देखा जाए तो भील समूह है। हम इतिहास उठाकर देखें और इतिहास की बात करें तो महाराणा प्रताप के साथ कौन लड़ा था? राणा पूंजा भील लड़ा था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अंग्रेजों ने भील कोर बटालियन गठित की। खेरवाड़ा, उदयपुर इलाके में भील कोर बटालियन बनायी। उस खेरवाडा और प्रतापगढ़ में मीणा नहीं थे, तो उनको जबर्दस्ती मीणा क्यों बनाया? आज ऐसी विसंगतियां पैदा कर दी हैं कि मीणा और मीना में उलझ गये हैं। करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के जो साथी हैं, वे तो जागरूक हैं, सक्षम हैं। उन्होंने तो वह संशोधन करा लिया, मीणा से मीना करा लिया, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्र का आदमी आज परेशान हो रहा है। उसको सर्टिफिकेट बनाने में परेशानी हो रही है। इसलिए हमने सदन के माध्यम से कई बार मांग उठायी है। आज भी मैं कहना चाह रहा हूं कि असम राज्य में 32 ट्राइबल्स हैं। सभी ट्राइबल्स को ट्राइबल सर्टिफिकेट दिया गया है, न कि जाति प्रमाण-पत्र। हम भी चाहेंगे कि शिड्यूल्ड एरिये में अन्दर रहने वाले आदिवासी समुदाय का जो भील समूह है, सहरिया है, अन्य जो समूह हैं, उनको जाति प्रमाण-पत्र की जगह ट्राइबल सर्टिफिकेट दिया जाए। असम राज्य में यह प्रावधान किया गया है। माननीय

(श्री राजकुमार रोत)
मंत्री महोदय एक डेलिगेशन बनाएं और डेलिगेशन बनाकर असम राज्य के ट्राइबल्स के लिए प्रमाण-पत्र देने की जो व्यवस्था की है, उसकी एक स्टडी कराएं और यही चीज हमारे राजस्थान के शिड्यूल्ड एरिये में लागू की जाए ताकि प्रमाण-पत्र बनाने में जो रावतवाला, मीणावाला है, सिसोदिया वाला है, वह समस्या धीरे-धीरे खतम हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, यह बात बड़ी गंभीर है। मैं गुजरात से सटे इलाके से आता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का 60 से 70 किलोमीटर का एरिया गुजरात से सटा हुआ है। यहां का आदिवासी एस.टी. में और गुजरात के उधर खानपुर का आदिवासी ओ.बी.सी. में है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का झाबुआ वाला इलाका है, वहां पर भी यही स्थिति है। मध्य प्रदेश और गुजरात की तो ठीक है। हम गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो वहां का जो भील है, जो नायक लगाता है। उसकी तीसरी पीढ़ी के इतिहास में जायेंगे तो तीसरी पीढ़ी में उसके दादा-परदादा के गोत्र का नाम भील मिलेगा, लेकिन अभी नायक लगाया हुआ है और उसको एस.सी. में डाला गया है। यह भील समूह का जो कहीं न कहीं इधर-उधर बिखराव हुआ है, धर्मान्तरण हुआ है, दूसरे समूह में कन्वर्ट हुआ है उनके संरक्षण के लिए अलग से एक ट्राइबल सर्टिफिकेट की व्यवस्था की जाए और इस पर राज्य सरकार काम करे।

माननीय सभापति महोदय, आज पूरे भारत पर ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन पालिसी लागू की, लेकिन शिड्यूल्ड एरिये के अन्दर एक प्रावधान बना हुआ है कि लोक सभा या राज्य सभा का कोई भी कानून अनुसूचित क्षेत्र में सीधे तरीके से लागू नहीं हो सकता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट आये कि लोक सभा या राज्य सभा का कोई भी कानून सीधे तरीके से अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता है। राज्यपाल इसके लिए अलग से लोक अधिसूचना जारी करेंगे। ई.डब्ल्यू.एस. के लिए न किसी प्रकार की अधिसूचना जारी की, न ही टी.एस.पी. की बैठक हुई और इस इलाके में ई.डब्ल्यू.एस. लागू कर दिया गया है। ओ.बी.सी. समाज भी रहता है। हमारे कई लोग कहते थे कि 50 प्रतिशत से ज्यादा का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। इस तरह के वर्ड यूज करते थे। मैं यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारे शिड्यूल्ड एरिये के अन्दर ई.डब्ल्यू.एस. की बात करें और 2013 एवं 2016 की जो अधिसूचना है, उस आधार पर देखा जाए तो आज 60 प्रतिशत

(श्री राजकुमार रोत)

रिजर्वेशन हो गया है तो ई.डब्ल्यू.एस. किस आधार पर लागू किया गया है? इसको लेकर मंत्री पता करें। इसमें जो भी कमी या पूर्ति है, उसको पूरा करें।

माननीय सभापति महोदय, हम कई बार बात करते हैं कि जो ट्राइबल इलाका है उस ट्राइबल इलाके में अनुच्छेद 13(3)(क) के तहत जो ग्राम सभा है, उसको विधि का बल प्राप्त है। वह रूढ़िगत ग्राम सभा है, उसको विधि का बल प्राप्त है। इसके बाद हम पेसा एक्ट लाये, पेसा एक्ट की ग्राम सभा बनायी। 10 साल से सुन रहे हैं कि पेसा एक्ट आया, पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभाएं बनीं। तीसरा पंचायती राज एक्ट लाये और पंचायती राज की ग्राम सभा बनी। अब अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर तीन प्रकार की ग्राम सभाएं हो गयीं। 13 (3)(क) की रूढ़िगत ग्राम सभा, पेसा एक्ट की ग्राम सभा और पंचायती राज की ग्राम सभा। ये तीनों ग्राम सभाएं हैं। यदि रूढ़िगत ग्राम सभा की बात करें तो संविधान में इसका उल्लेख है। पेसा एक्ट की बात करें, हमने अलग से नियम बनाया है। पंचायती राज एक्ट की ग्राम सभा की बात है। तीनों ग्राम सभाओं का कार्य क्षेत्र क्या है?

दूसरी ओर, 244 (1) के तहत जल, जंगल, जमीन पर ट्राइबल का 100 परसेंट का अधिकार है। अगर किसी माइनिंग को या शराब की दुकान को एन.ओ.सी. देनी पड़ती है तो ग्राम सभा से प्रस्ताव लेना अनिवार्य है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है, लेकिन आज तक कोई माइनिंग लेने नहीं आया। उसको लगा कि पेसा एक्ट की ग्राम सभा वाले सहमति दे देंगे तो पेसा एक्ट की ग्राम सभा से प्रस्ताव ले लिया। किसी को लगा कि पेसा एक्ट वाले सहमति नहीं देंगे तो पंचायती राज की ग्राम सभा से सहमति ले ली। किसी को लगा कि पेसा एक्ट और पंचायती राज से नहीं होगा तो नोर्मल फर्जी ग्राम सभा बनाकर प्रस्ताव ले लिया। माननीय मंत्री महोदय से मैं चाहूंगा कि ये जो तीन प्रकार की ग्राम सभाएं हैं इनका कार्य क्षेत्र क्या है? उनके अधिकार क्या हैं? किस काम के लिए, किस एनओसी के लिए किस ग्राम सभा को अधिकार दें, यह थोड़ा विस्तृत करें। अधिकारियों को डाइरेक्शन दें।

अधिकारी भी नीचे, हमारे कलेक्टर हों, एस.डी.एम. हों, तहसीलदार हों, पंचायती राज के लोग हों, उनको बताएं कि माइनिंग के तहत इस ग्राम सभा में प्रस्ताव लेना पड़ेगा शराब की दुकान के लिए इस ग्राम सभा से। ये जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को कहीं न कहीं इन ग्राम सभा के जो अधिकार हैं, इनको वितरित करें।

(श्री राजकुमार रोत)

(समय: 16.00 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर सम्भाग स्तर पर एक राणा पूंजा भील छात्रावास बना हुआ है। राणा पूंजा भील छात्रावास टीए.डी. विभाग से बना हुआ है। हमारे उदयपुर से कमिश्नर साहब भी आये हैं। जो राणा पूंजा भील छात्रावास बना हुआ है, सालभर से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। इन बच्चों की मांग है कि टी.ए.डी. विभाग का छात्रावास है तो टी.ए.डी. विभाग से ही संचालित हो, लेकिन कुछ अधिकारी और कुछ लोगों की मिलीभगत से उसको सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को दे दिया है। हम चाहते हैं कि ये टी.ए.डी. विभाग के अंदर ही रहे, टी.ए.डी. विभाग के द्वारा ही संचालित हो।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगा।

वन अधिकार अधिनियम के तहत जो सामुदायिक पट्टे हैं, व्यक्तिगत पट्टे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो वन अधिकार अधिनियम है, उसके तहत पट्टों की प्रक्रिया क्या है, पट्टों की प्रकिया कितने समय में पूरी होगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। दो-दो साल से लोगों ने आवेदन कर रखा है, लेकिन आज तक पट्टे अधूरे पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि वन अधिकार अधिनियम में पट्टे की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया और समयावधि निश्चित हो। पिछली बजट घोषणा में सामुदायिक वन पत्र के लिए दस हजार विकास फंड की जो व्यवस्था की थी, इस पर राज्य सरकार, मंत्री महोदय ध्यान दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आई.सी.डी.एस. विभाग, मैं गंभीर होकर कह रहा हूं कि जो पोषाहार आ रहा है, हम सबको समझना पड़ेगा। अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र पर जाकर उन बच्चों के दिल से पूछिए, उन अभिभावकों से दिल से पूछिए। वे कहेंगे कि पोषाहार खाने लायक नहीं आ रहा है। आई.सी.डी.एस. के अंदर महिलाएं जो काम कर रही हैं, इन महिलाओं से हम कई प्रकार के सर्वे करवाते हैं। हमने मोबाइल दे दिया। हम दस बजते ही उनसे डाटा मांगते हैं, अटेंडेंस वगैरह। जो बुजुर्ग मां-बाड़ी के

(श्री राजकुमार रोत)

अंदर, आंगनबाड़ी के अंदर महिलाएं हैं, उनको फोन चलाना नहीं आ रहा है। ये काफी परेशानियां हैं। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनका अधिकारियों के प्रति उत्तरदायित्व है, न कि बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व है। मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था में सुधार किया जाए।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलेरी को लेकर, उनके अलग से टी.ए./डी.ए. को लेकर, उनके रिटायरमेंट पर अलग से पेंशन व्यवस्था को लेकर इन मांगों को भी पूरा कीजिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आंगनबाड़ी के अंदर कार्य करने वाली महिलाओं को राहत प्रदान कीजिए। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: बंदूक की नोक पर तो कोई न्याय होता नहीं है। लोकतंत्र में आप और हम सब सदन में चर्चा करने के लिए आये हैं। कोई गंभीर प्रश्न जिस पर चर्चा हुई, चर्चा करने में कोई टिप्पणी हुई तो मैं व्यवस्था देता हूं कि जो टिप्पणी, जिसमें +++, जिसमें +++, जिसमें +++ वर्ड हैं, उनको डिलीट किया जाता है। आप अपने स्थान पर बैठें। हम डिस्कशन करते हैं। विधान सभा के हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी मेघवाल अपनी बात कहेंगे।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। अलाउ नहीं है। I will not allow it. मिस्टर, नीचे बैठिए आप। अंकित नहीं होगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अध्यक्ष: I will name you. Mr. Balwan, I will name you. I will name you.

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अध्यक्ष: मिस्टर बलवान, गलत परम्परा डाल रहे हैं आप। मैंने वरिष्ठ नेता को बुला लिया, पार्टी के सदस्य को, सदन के सदस्य को, फिर भी आप बीच में बोल रहे हैं। हम क्या करते हैं सदन में, वह यूट्यूब पर जा रहा है। बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं हम। मैंने सदन के सबसे वरिष्ठ नेता, जो विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, उनको बोलने के लिए पुकार लिया, उसके बाद भी खड़े होकर बोल रहे हैं।

माननीय कैलाश जी मेघवाल।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने विवेक से जिस तरह हाउस के टेम्पर को कूल किया है और हाउस को आप आर्डर में लाये हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

यहां पर जितने भी माननीय विधायक हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जनजाति विभाग पर। जनजाति विभाग पिछले 50 साल से काम कर रहा है। क्या जनजाति विभाग के कार्यक्रम, क्या जनजाति विभाग के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं या नहीं? इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं दक्षिणी राजस्थान पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां एक मांग उठी है, भीलीस्थान की। अब यह भीलीस्थान की मांग राजस्थान को खंडित करने वाली मांग है। यह मांग जो उठी है, न केवल दक्षिणी राजस्थान में उठी है, उसकी पहुंच इस विधान सभा तक भी हो चुकी है। क्या हम गंभीरता से विचार नहीं करें कि ये मांग क्यों उठी? क्या कारण है? क्यों हरा-भरा राजस्थान, रंग-रंगीला राजस्थान, हमारा एक भू-भाग क्यों हमसे अलग होना चाहता है? अलग से राज्य क्यों स्थापित करना चाहता है? इस विषय पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। विचार के बाद ऐसी नीतियां बनें जिससे जिन वर्गों ने यह मांग उठायी है, वह सेटिस्फेक्टरी स्थिति में आ जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में नक्सलवाड़ी नाम का एक गांव था। वहां पर अन्याय था, ऊंच-नीच थी, आदिवासी थे और सरकार की ओर से कोई प्रोटेक्शन नहीं था। इसलिए वहां के नौजवानों ने हथियार उठा लिए। उससे बंगाल में कितना खून-खराबा हुआ, यह आपसे और मुझसे छिपा नहीं है। नक्सलवाद अपने आप में एक राजनीतिक थीसिस के रूप में सामने आया है। यह भी आपको मालूम होगा। यह आपके सामने इसलिए रेफरेंस ले रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि दक्षिणी राजस्थान में नक्सलवाद के बीज भी पहुंच चुके हैं। क्या उन बीजों को रोका जाएगा या नहीं?

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप बैठिए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। नीचे बैठिए आप। I will name you Mr. Rajkumar. गलत परम्परा डाल रहे हैं आप। पहली बार सदन में आये हैं और बात कर रहे हैं। आपको यह भी ध्यान नहीं है कि सदन में कौन सदस्य बोल

(श्री अध्यक्ष)

रहे हैं? You don't want to learn anything. आपको अधिकार नहीं है। आप फैसला करेंगे? आपका फैसला दूसरा करेगा और आप उनका फैसला करेंगे। आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, दूसरों को भी अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। माननीय मेघवाल साहब।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): मैं जानता हूं इस विषय पर कुछ टेम्पर्स हाई होंगे, लेकिन इन सब टेम्पर्स के बीच में हमको इस विधान सभा में ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे आदिवासियों में जिस तरह की आज अव्यवस्था चल रही है, जिस तरह का आज असंतोष चल रहा है, उस असंतोष को रोका जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा अभी नक्सलवाद के लिए कहा, उसके बीज भी पहुंचे और माओवाद के बीज भी वहां पड़ रहे हैं। यह मैं आपके सामने इसलिए लाना चाहता हूं कि आखिर हजारों सालों से जो आदिवासी कहा जाने वाला वर्ग था, उसमें असंतोष है। उस असंतोष को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि आज तक जितने हमारे प्रोग्राम बने, जितने हमारे विकास के आगे बढ़ने के प्रोग्राम बने, उन विकास को आगे बढ़ाने के प्रोग्राम्स को आदिवासी नौजवान जो है दक्षिण का, वह रिसीव नहीं कर रहा है। इसका कारण है कि हम दक्षिणी राजस्थान, जिसको शिड्यूल्ड एरिया कहा जाता है, उस शिड्यूल्ड एरिये में 8-9 जिलों के आदिवासी रहते हैं, उनको आज जाकर आप देख लीजिए, आज जाकर सर्वे करा लीजिए, एक तिहाई या एक चौथाई वहां की जो जनसंख्या है, वह गुजरात में मजदूरी के लिए जा रही है, क्योंकि हम उनको यहां पर किसी तरह का स्थाई रोजगार नहीं दे सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो उदयपुर जिले से आते हैं। आज आप अम्बासा चले जाइए। वहां जाकर आप देखेंगे तो आज भी सर्दियों में कथोडी एक वृक्ष काटकर सारी रात गुजार देते हैं। यह आज वहां की हालत है। यहां अभी चर्चा हुई। हमारे झाडोल से आने वाले माननीय विधायक बाबुलाल जी ने जो स्थिति यहां बताई, वह दयनीय स्थिति है। जो सरकारी कार्यक्रम हैं, वे कैसे चल रहे हैं? क्योंकि सारे कार्यक्रमों की एक पोथी हमको दे दी गयी है, लेकिन उस पोथी में जितने भी कार्यक्रम हैं, वे संतोषप्रद नहीं हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी कोई एक जाति नहीं है। ट्राइब्स कोई एक जाति नहीं है। ट्राइब्स की 12 जातियां हैं जो नोटिफाइड की हैं 1950 में।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

नोटिफाइड होने पर उन 12 जातियों की 41 उप जातियां हैं। इन सब जातियों में उन सबके रहने-सहने, उठने-बैठने, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक, सारे पैटर्न अलग-अलग हैं। जब सारे पैटर्न सबके अलग-अलग है, तो क्या एक पैटर्न से इन सबका भला हो सकता है? आपके सामने हमारे बाबुलाल जी ने आंकड़ा रखा था। यह ट्राइबल एरिया है। 80 परसेंट लोग ट्राइबल एरिया में हैं। आदिवासी जनसंख्या है। बाकी सारे राजस्थान में 20 परसेंट हैं। 80 परसेंट में कितने आर.ए.एस. हैं, कितने आई.ए.एस. हैं, कितने आई.एफ.एस. हैं, कितने आई.पी.एस. हैं, कितने राज्य सेवाओं में हैं, इसका आंकड़ा मंगा कर आप देख लीजिए, तो 50 साल की क्या प्रगति है उसका आपको दिग्दर्शन हो जाएगा।

हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव में हमको यह देखना पड़ेगा। देखना इसलिए कि मैं चाहता हूं कि जो कुछ नीतियां आज बनी हैं, उन नीतियों पर पुनर्विचार हो, पुनरवलोकन हो। इसलिए हो कि जो भी आदिवासी हैं, जो भी ट्राइब्स में हैं, उनको समान रूप से, अभी जैसे एक बात बिहार में उठी है, उसमें क्या औचित्य है क्या नहीं है, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। वहां बात उठी है कि जातिवादी जनगणना की जाए। जातिवादी जनगणना इसलिए की जाए, जातियों के आधार पर राज्य के फलों को वितरित किया जाए, राज्य की सुविधाओं को वितरित किया जाए। वही मांग, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज यहां पर उठा रहा हूं। ट्राइब्स की 12 जातियां हैं, इन 12 जातियों की जनगणना की जानी चाहिए। जनगणना के आधार पर, कितनी जनसंख्या किसकी है, राज्य के हित हैं, राज्य के लाभ हैं, राज्य का खजाना है, उनमें वितरित किया जाना चाहिए। यह नई बात मैं आपके सामने रखता हूं, तभी जो वंचित हैं, जिनका कोई लेना-देना नहीं है...

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार ने भी और केन्द्र सरकार ने भी आदिवासियों, ट्राइब्स के लिए विशेष प्रयास किये हमारे संविधान में। आर्टिकल 338 में एक कमीशन कायम हुआ। वह कमीशन दोनों जातियों का था। शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन। बहुत समय तक, यह बात तब समझ आई कि शिड्यूल्ड कास्ट्स की समस्याएं अलग हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की समस्याएं अलग हैं। 19 जनवरी, 2004 को शिड्यूल्ड कास्ट्स का अलग से कमीशन, कमिश्नर पैदा हुआ। उसको अलग से जिम्मेदारियां दी गईं, तब से वह काम करता है।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास यह नियमावली पड़ी है, अपनी नियमावली। उसमें आप नियम 176 देखिए। उस नियम में क्या लिखा है, केन्द्र की कमिश्नर की रिपोर्ट आएगी, वह रिपोर्ट विधान सभा में रखी जाएगी, न केवल एक सत्र में, अपने नियम में जो आधार किया है, सत्रों में। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि मेरे वक्त भी गलती हुई है। आपके वक्त भी गलती हो रही है, इसलिए सुधारना चाहिए। क्यों रखी जाए हर सत्र में, कि आदिवासियों के बारे में विचार बने। आदिवासियों के बारे में समस्याएं सामने आएं और उन समस्याओं के समाधान इस सदन से निकाले जाएं। मैं यह बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि यह निरन्तर रिव्यू होने वाली स्थिति है। आखिर कहां खड़ा है आज का हमारा आदिवासी? अगर हम उनको मुख्य धारा में नहीं लाए तो जो हिंसक आंदोलन चलते हैं, जिस तरह का देश में वातावरण बन रहा है, भूखा क्या नहीं करता है, उस तरफ आकर्षित होंगे। वह आकर्षण आदिवासियों का इस देश को ठीक ढंग से आगे बढ़ाने में बाधा बनेगा, इस विषय पर भी विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर भी विचार किया जाए, जैसे आज आपने यह रखा, यह विषय है। अब इस विषय में जितने छात्रावास चल रहे हैं, क्या वे पर्याप्त हैं? जितनी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, क्या वे पर्याप्त हैं? एक आदिम आदिवासी है, सहरिया जाति। आदिम आदिवासी सहरिया जाति के लिए जो बारां, किशनगढ़, शाहबाद में है, उनके लिए विशेष प्रावधान है। आदिवासी कमीशन ने यह आदेश दिया कि इस एरिया में, क्योंकि आदिवासी दूर-दूर हैं, सहरिया दूर-दूर हैं, इनका विशेष कल्चर है। गांव में कितने लोग रहते हैं, यह नहीं देखना है, लेकिन वहां आपको शिक्षा की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है, दूसरी सुविधाएं हैं, जो जन जीवन का समाधान करती हैं, उन सबको पहुंचाया जाए। सरकार के ख़र्चे से पहुंचाया जाए। क्या आज उसकी पालना हुई? क्या उसको आज हमें इमिजिएट नहीं करना चाहिए?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, मुझे मालूम है कि दो धाराएं चल रही हैं। जो आदिवासी शिक्षित हो गया, पढ़-लिख गया, नौकरी में आ गया, वह समाज की मुख्य धारा में समावेश हो रहा है। जो आदिवासी शिक्षित नहीं हुआ, अभी तक गांवों में ही है, वह अपनी पुरानी संस्कृति के आधार पर, अपने को जीवित रखेगा और इस

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

स्थिति में इन दोनों धाराओं का समन्वय होना चाहिए। वह नहीं हुआ तो आदिवासी अपने आप ही मर जाएंगे। आदिवासी ही आदिवासी के बारे में गलत धारणाएं पैदा करेगा। आज सारे देश में किस तरह की हालत है, आज आप नौकरियों में देख लीजिए।

मैंने अभी आपको कहा ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया आठ ज़िलों का है। 80 परसेंट आबादी है। वहां आपके जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, वे कार्यक्रम अधिक लाभान्वित नहीं कर रहे हैं। मुख्य धारा में ट्राइब्स को लाने के लिए, जो व्यवस्था चल रही है, उन सबको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करने के बाद प्रोपर-वे में, क्या आज समाजशास्त्रियों से इस विषय पर चर्चा हुई, क्या आज समाज विज्ञानियों से इस विषय पर चर्चा हुई? आखिर आदिवासी, आदिवासी के रूप में ही आज क्यों रह रहा है? क्यों उसमें जागृति नहीं आ रही है? जिस तरह की जागृति आ रही है, वह दिशा गलत आगे बढ़ रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर कमिश्नर की रिपोर्ट, आप इसी सत्र में रखना चाहें तो रखें। उसमे सारे सुझाव हैं। कमिश्नर ने दोनों रिपोर्ट, आप आज की रिपोर्ट भी देख लीजिए, सब रिपोर्ट्स में सुझाव हैं। क्या उन सुझावों को लागू करने का हमारा कर्तव्य नहीं? वे सुझाव वैज्ञानिक आधार पर भी हुए। वह सुझाव समाज शास्त्रों के आधार पर भी हुए। यह वह वर्ग है जो वैज्ञानिक वर्ग है। परम्परा से चली आ रही आदिवासी संस्कृति को मुख्य धारा में किसे लाया जाए, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी कारण के, यह वे सुझाव हैं, जिन सुझावों पर इस विधान सभा में चिंतन होना चाहिए। नई दिशा तय करनी चाहिए। बाकी रस्म अदायगी हो जाएगी। हर साल मैं देख रहा हूं, आपके वक्त में भी, हमारे वक्त में भी, जनजाति विभाग आ जाएगा, रस्म अदायगी हो जाएगी। इतने स्कूल खोले, इतने छात्रावास खोले, इतनी छात्राएं आगे बढ़ गई, हम इनको ये सुविधाएं दे रहे हैं। क्या वे पर्याप्त हैं? पर्याप्त नहीं हैं तो कितना होना चाहिए? कमजोर वर्ग, एक स्थिति आती है। उस स्थिति में भी मुझे एतराज है कि कितनी परसेंटेज है, इतना परसेंट है, इतना परसेंट पैसा दे दो। जो कमजोर है, बड़ी बीमारी है, उसके लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। खजाने से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मैं आज शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में नहीं कह रहा, मैं आज शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कह रहा हूं। शिड्यूल्ड ट्राइब्स सबसे ज्यादा बिखरी जातियों में जैसलमेर में है। जैसलमेर व पाली में क्या हाल है, वह स्थिति देख लीजिए।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा, शिशु और बच्चे आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बेचे जा रहे हैं। क्या हमारे देश की यह स्थिति ठीक है? क्या हमारे राजस्थान में जो स्थिति है, ठीक है? आप सोचिए, कोई कलेजा बेचेगा? सब कलेजे के लाल कहलाते हैं। कलेजे का लाल है, बेच रहे हैं। बेचने के साथ वहां एक प्रथा चलती थी, गुलामी की। आज वह परिवर्तित हो गई? आज भी है गुलामी की प्रथा। आदिवासियों को ठीक ढंग से भोजन नहीं मिल रहा, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा। ये सारी स्थितियां आज देश में चल रही हैं, देश में और विशेषकर राजस्थान में राजस्थान में हमको इस विषय पर गम्भीरता से विचार करके आगे बढ़ना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्वालिटी एजुकेशन, आपके कमीशन ने आदेश दिया है, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, शिड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे पूरा किया जाए? आपके सामने यह इसलिए रख रहा हूं कि कुछ क्षेत्र हैं जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स को, शिडयूल्ड ट्राइब्स को यह विश्वास होना चाहिए कि वे भी इस देश की उच्च स्तरीय शिक्षा को पाने के हकदार हैं। उनके लोग भी उच्च स्तरीय शिक्षा में हैं। यह तो है उनका प्रोपर समाधान। आर्थिक स्थिति कमजोर है, यह तो सब जानते हैं। आदिवासी आज तक खाता क्या है? आजादी के पहले राजस्थान और मेवाड़ के आदिवासी वन उपज पर निर्भर करते थे, लेकिन धीरे-धीरे वनों की उपज कम होती गयी और आदिवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके कारण गरीबी और बढ़ रही है। अब इस गरीबी का समाधान क्या हो? कैसे उनके जो पुराने धंधे हैं, वे कैसे रिवाइव हो जायें? ये ऐसे विषय हैं जिन पर हमको आज गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैं सारे सदन से यह निवेदन करूंगा कि इसको जातिवादी आधार पर नहीं लिया जाए। हमारा इन 12 जातियों में इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन हो। कई जातियां तो ऐसी हैं, जिनमें आज तक भी पढ़ाई नहीं पहुंची है। 12 जातियां और उनमें 41 उप जातियां हैं। उन सबके आप डेटाज तो मंगवाओ। उन सबकी जानकारी तो मंगवाओ। उन सबके बारे में कितनी प्रगति हुई, यह तो मंगवाओ। यह मंगवाने के बाद मालूम पड़ेगा कि आखिर आदिवासियों का कितना भला हुआ है और कितना नहीं?

आज पचास साल हो गये। पचास साल के बाद आज यह आवश्यक है कि इस बात का इवेल्यूएशन किया जाए कि आदिवासी कहां पर खड़ा है,

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

ट्राइबल का कहां पर कैसे भला हो रहा है और कौनसे कारण हैं जिन कारणों से इस भले में अवरोध पैदा हो रहा है? उन अवरोधों को दूर करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार से अपनी बात कही, आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30 और 32 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

देश में यह विडंबना रही है कि जब-जब आदिवासियों के उत्थान की बात हो, गरीबों के उत्थान की बात हो, पिछड़ों के उत्थान की बात हो या महिला उत्थान की बात हो, तब-तब कुछ न कुछ ऐसी विडंबना आ ही जाती है। जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, आदिवासियों को वोट बैंक समझती है, वही पार्टी जब आदिवासियों के हक-अधिकार की बात होती है तब किस प्रकार से आदिवासी उत्थान की बात को, महिला उत्थान की बात को रोका जाए, उसको लेकर दिक्कत पैदा करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व स्पीकर साहब ने जो बात कही है, मैं पूरा देख रहा था सदन के अन्दर कि स्पीकर साहब की पीड़ा वास्तव में पीड़ा है इस दक्षिण राजस्थान में। जो पीड़ा इन्होंने जाहिर की है, उसके बारे में गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं और पूरे तरीके से आप यह जानते हैं कि आदिवासियों का उत्थान किस प्रकार से हो सके, उनके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जा सके, इसके ऊपर मन्थन करने की आवश्यकता है।

आज मैं सबसे पहले तो महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुतबहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने पांच हजार और तीन हजार, मिनी और मेन आंगनबाड़ी खोलने की बजट के अन्दर घोषणा की है। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी की जरूरत आदिवासी क्षेत्र के अन्दर ही है, क्योंकि आज भी वहां पर पौष्टिक आहार समय पर बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आदिवासियों के बच्चे

(श्री रामलाल मीणा)

कुपोषित रह जाते हैं, कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और उनके जीवन-स्तर में सुधार भी नहीं हो पाता है, मानसिक रूप से वे विकसित नहीं हो पाते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र के अन्दर आंगनबाड़ियों की घोषणा की है तो हर गांव के अन्दर आंगनबाड़ी खुलनी चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के जो गांव हैं, वहां पर बिखरी हुई आबादी है। जहां पर थोड़ी संख्या ज्यादा हो वहां पर मेन आंगनबाड़ी खुल जाए और जहां पर संख्या कम हो, वहां पर मिनी आंगनबाड़ी खुल जाए, ताकि आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके और शारीरिक, मानसिक रूप से वे पूरी तरह से विकसित हो सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उड़ान योजना लागू करके महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में सोचा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। यहां तक कि दो से तीन लाख रुपये रिटायरमेंट होने के बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने देने का जो काम किया है, वह बहुत ही तारीफ के काबिल है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले जिन लोगों के पोषाहार के पैसे बाकी थे, माननीय मंत्रीजी ने वे भी रिलीज किये हैं। उसके लिए भी माननीय मंत्रीजी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी के अन्दर काम करने वाली सहायिका, साथिन और यह सहयोगिनी, इनकी पीड़ा काफी लम्बे समय से है। इनको जो मानदेय मिलता है, इस महंगाई के दौर में वह न के बराबर है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है और वे हर बजट में कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से और मांग करता हूं कि उनका इतना मानदेय हो कि जिससे उनके परिवार का पालन-पोषण सही ढंग से हो जाए। इसके ऊपर भी मन्थन करने की आवश्यकता है।

अब मैं टी.ए.डी., जो कि मांग संख्या 30 है, उस पर निवेदन करना चाहता हूं। मैं जिस जिले से आता हूं वह सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अन्दर सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आदिवासियों के विकास के लिए बजट 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया, 250 मां-बाड़ी खोलने का आपने काम किया। मेरी खुद की हिगलाट पंचायत के अन्दर आपने आश्रम छात्रावास खोलने का काम किया। प्रतापगढ़ जैसे ट्राइबल जिले के ऊपर आपने सात-सात कालेज,

(श्री रामलाल मीणा)

प्रतापगढ़ को स्पेशल आदिवासी जिला होने की वजह से आपने राज्य मद से मेडिकल कालेज खोलने का काम किया। आपने ट्राइबल क्षेत्र के मेरे जो गांव थे, पंचायत समिति बमोतर, सुहागपुरा और दलौट को पंचायत समिति से तहसील बनाने का काम किया। आपने सुहागपुरा को उप खण्ड कार्यालय बनाने का काम किया। आपने पांच-पांच आवासीय विद्‌यालय खोलने का काम किया। कई स्कूल आपने क्रमोन्नत करने का काम किया। आपने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का काम किया। ये सारे काम आदिवासियों के उत्थान में कहीं न कहीं अहम भूमिका निभाएंगे। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा आज भी वहां पर परेशान है। अभी हमारे पूर्व स्पीकर साहब ने यह कहा है कि वहां पर कितने आर.ए.एस. बने, कितने आर.जे.एस. बने, कितने आर.पी.एस. बने, यह देखने पर जब पता चलता है तो मन ही मन में पीड़ा होती है। पूरे सम्भाग के अन्दर, मैंने आज तक मेरे जीवनकाल में कभी जातिवाद नहीं किया। सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ में लेकर चलने का काम करता हूं, इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के युवा यह चाहते हैं कि हमको आगे बढ़ने के लिए सभी जातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल जाए। आर.ए.एस. और आर.जे.एस. में आज तक हम पहुंच नहीं पाये हैं। मैं और पूर्व डीजी. साहब एक दिन बात कर रहे थे तो पूर्व डी.जी. साहब मुझे मजाक-मजाक में यह कह रहे थे कि रामलाल, आपको तो बिना पढ़े ही आर.ए.एस., आर.जे.एस. चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गरीब का बच्चा झोपड़ी में पढ़कर, बिना लाइट के पढ़कर, लकड़ी जलाकर, उसके उजाले में पढ़कर सामान्य एस.टी. से वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि आर.ए.एस. और आर.जे.एस. में, जिस प्रकार से आपने एम.बी.बी.एस. प्रवेश में और इंजीनियरिंग के प्रवेश में बारह में से साढ़े पांच परसेंट आरक्षण दिया है, उसी प्रकार से एम.बी.बी.एस. और इंजीनियरिंग में भर्ती के अन्दर भी यह नियम लागू हो और आर.ए.एस. और आर.जे.एस. के अन्दर भी जितनी एस.टी. की जनसंख्या है, उसमें अनुसूचित क्षेत्र की जितनी जनसंख्या है, उसका अलग से उनको मिल जाए, ताकि वहां के युवाओं का आर.ए.एस., आर.जे.एस. बनने का सपना भी पूरा हो सके।

आज हमने उनको अधीनस्थ सेवाओं में मौका देने का काम किया है

(श्री रामलाल मीणा)

तो वे अधीनस्थ सेवाओं में से तो आगे आ रहे हैं, लेकिन जब तक मेन आर.ए.एस. और आर.जे.एस. में उनको मौका अलग से नहीं मिलेगा तो उनका सपना अधूरा रह जायेगा। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी जल्दी हो जाए।

(समय : 16.29 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, टी.एस.पी. क्षेत्र की जो बात है, वहां के स्थानीय युवा लगातार एक ही मांग कर रहे हैं और बाहर के नॉन टी.एस.पी. के कार्मिक भी यह मांग कर रहे हैं कि टी.एस.पी. क्षेत्र में जो कार्मिक लम्बे समय से काम कर रहे हैं, उनको उनके गृह क्षेत्र में समायोजित किया जाए। वहां के युवा यह मांग कर रहे हैं कि चूंकि जो नॉन टी.एस.पी. कार्मिक अपने गृह क्षेत्र में चले जायेंगे, वे रिक्तियां रिक्त हो जायेंगी तो हमें, स्थानीय युवाओं को मौका मिल जायेगा। निश्चित रूप से सरकार ने लगातार प्रयास भी किये हैं। 06.01.2023 को एक कमेटी भी गठित की है माननीय राज्य मंत्री जाहिदा की और सौरभ स्वामीजी ने भी हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा साहब के समय में यह अनुशंसा भी कर दी और कह भी दिया और कई विकल्प भी ले लिए गये। उसके बाद भी काम धीरे-धीरे चल रहा है। जल्दी से जल्दी नॉन टी.एस.पी. के कार्मिकों को, जिन्होंने विकल्प पत्र भी दे रखे हैं, ऐसे कम से कम ढाई हजार कार्मिक हैं, उनको गृह क्षेत्र में भेज कर स्थानीय युवाओं से सीटें भरी जाएं। एक बात बीच में यह और आ रही थी कि बाहर के जो कार्मिक हैं, वे सभी चले जायेंगे तो लॉ एण्ड आर्डर मेनटेन नहीं हो पायेगा, कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है। टी.एस.पी. क्षेत्र में 45 परसेंट आरक्षण एस.टी. को है और 5 परसेंट आरक्षण एस.सी. को है। उसके अलावा 50 परसेंट को जो मामला है, उसको अनारक्षित मानते हुए टेलेंटेड, प्रतिभावान लोगों को मौका मिलता है। सभी वर्गों के लोग वहां नौकरी कर रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़े। इसलिए आज मैं इस मौके पर पुरजोर तरीके से माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी नॉन टी.एस.पी. के कार्मिकों को अपने गृह क्षेत्रों में भेज कर वहां के स्थानीय युवाओं को भर्ती किया जाए। जब यह नियम 2014 में बना था, उस समय स्थानीय लोग वहां के कर्मचारी नहीं थे। उस समय यह स्थिति थी कि नौकरी लगने के बाद में यहां से लोग जाते ही

(श्री रामलाल मीणा)

नौकरी लग कर वहां ज्वाइनिंग करके 6 महीने के अन्दर ट्रांसफर करा कर आ जाते थे, जिससे वहां की स्थिति गड़बड़ा जाती थी। स्कूलें, हास्पिटल्स बंद हो जाते थे, लेकिन आज वहां का युवा पढ़-लिख रहा है। बी.एड. कर दिया, एस.टी.सी. कर दिया, जी.एन.एम. कर दिया, बी.एससी. नर्सिंग खोल दिये। आज युवा नौकरी करने के लिए सक्षम है, पात्र है। इसलिए अब वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। ढाई हजार टीचर्स और कर्मचारी बाकी रह गये हैं। बिजली विभाग में काम हो गया, कृषि विभाग के शत-प्रतिशत नॉन टी.एस.पी. के कार्मिकों को बाहर भेज दिया गया। अन्य विभागों के भी भेज दिये गये, लेकिन एक-दो विभाग रह गये हैं। यह नियम बना, उसके बाद में 13 से 14 हजार स्थानीय लोग वहां नौकरी लग चुके हैं। आज सारी सीटें वहां भरी हुई हैं। जब नॉन टी.एस.पी. के ढाई हजार कार्मिक बाहर जायेंगे, तब ही स्थानीय युवाओं को नौकरी मिल पायेगी। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि टी.एस.पी. के कार्मिकों के हित को देखते हुए और टी.एस.पी. के बेरोजगार युवाओं के हित को देखते हुए जल्दी से जल्दी यह आर्डर करायें, ताकि टी.एस.पी. क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सके और नॉन टी.एस.पी. के कार्मिक भी अपने गृह क्षेत्र में जा सकें।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्र के अन्दर आर-टेट में छूट दी गयी थी। पुलिस भर्ती में भी छूट दी गयी है। वन विभाग की भर्ती में छूट दी गयी है। इसी प्रकार से कम्प्यूटर अनुदेशक और शारीरिक शिक्षक हेतु पात्रता के जो मानक हैं, उनमें भी छूट देकर खाली पदों को भरा जाए, क्योंकि उनके लिए जो पात्रता रखी गयी थी, उसमें कोई क्वालिफाई हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से वहां के लड़के नौकरी लगने से वंचित रह गये। पूरे राजस्थान की बात है। इसलिए कम्प्यूटर अनुदेशक और शारीरिक शिक्षक के लिए पात्रता में छूट देकर खाली पदों को भरा जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज मां-बाड़ी की बात करें। जनजाति विकास विभाग के अन्दर मां-बाड़ी, डे केयर जो केन्द्र हैं, वे सिर्फ शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बल्कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। उनके मन में शिक्षा के प्रति भावना भी पैदा कर रहे हैं। शिक्षा सहयोगी जंगल के कोने-कोने से बच्चों को लाकर पढ़ा रहे हैं। जहां कोई सुविधा नहीं है वहां जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो 250 मां-बाड़ी करने की

(श्री रामलाल मीणा)

बात की थी, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से उनको 500 मां-बाड़ी करने की मांग करता हूं।

दूसरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है, वही स्थिति मां-बाड़ी शिक्षा सहयोगियों की भी है। उनको नहीं के बराबर वेतन मिलता है। इसलिए कम से कम 30 हजार के आसपास उनको वेतन मिलना चाहिए, ताकि उनके परिवार का भरण-पोषण सही तरीके से कर सकें। उनको नियमित करने का नियम सरकार 2022 में लायी, जिसमें पंचायत सहायक, पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी को परमानेंट करने का काम किया है। उसी के तहत मां-बाड़ी शिक्षा सहयोगियों को भी इसके अन्दर लावें, ताकि गरीब, आदिवासी बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे के लिए भेज रहे हैं तो उनके परिवार का भरण पोषण सही तरीके से हो सके। मैं मांग करता हूं कि नियम, 2022 के अन्तर्गत मां-बाड़ी शिक्षा सहयोगियों को भी लिया जाये। स्वच्छ परियोजना के मार्फत नहीं करके टी.ए.डी. इसको खुद संचालित करे, ताकि उनको समय पर वेतन मिल सके और उनकी मांगों की पूर्ति हो सके। पोषाहार के अन्दर कई बार गड़बड़ियां पायी जाती हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पोषाहार पौष्टिक हो, व्यवस्थित हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, उसके लिए आप अलग से टीम गठित करें।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंहजी प्रधान मंत्री थे, उस समय आदिवासियों के कल्याण के लिए हक, अधिकार के लिए वन क्षेत्र के अन्दर जो आदिवासी रह रहे हैं, उनको खेती करने का अधिकार देने के लिए वनाधिकार कानून लाया गया। झाडोल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे यहां पट्टे नहीं मिल रहे हैं, यह नहीं हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी को, मेरे पास लैटर भी पड़ा है कि आपने एक अभियान चालू किया है कि 01 मार्च से लगा कर 30 जून तक व्यक्तिगत पट्टे और सामुदायिक पट्टे जारी किये जायेंगे। आपने इस बाबत आर्डर जारी किया है। झाडोल से आने वाले माननीय सदस्य को पूछना चाहूंगा कि 5 साल के अन्दर इस कानून को कांग्रेस सरकार का मानते हुए एक भी आदिवासी को एक भी पट्टा देने का काम आपने नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब को कि सीट पर बैठने के तुरन्त बाद वनाधिकार के तहत हक देने का काम किया और इस कानून के अन्तर्गत अधिक से अधिक पट्टे मिले। इसको और सरल करने के लिए ई-मित्र पर ऑनलाइन करने का काम भी सरकार ने किया।

(श्री रामलाल मीणा)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। टी.ए.डी. आयुक्त भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पट्टे मिल रहे हैं। धीरे-धीरे मिल रहे हैं। एक डी.एफ.ओ. की शिकायत भी मैं आपके समक्ष करूंगा। पैसे के चक्कर में वनाधिकार की फाइलों को आगे नहीं बढ़ाता है। मैंने बिजली विभाग की फाइलों को देखा। मैंने सड़क की फाइलों को देखा। मैंने डब्ल्यू.आर.डी. की फाइलों को देखा। वह पैसे के चक्कर में एनओसी जारी नहीं कर रहा है। प्रतापगढ़ के ऐसे डी.एफ.ओ. के खिलाफ कार्यवाही की जाए। (व्यवधान) आपके साथ तो हमेशा ही हो रहा है। आप तो आदिवासी की बात ही नहीं करोगे न।

माननीय सभापति महोदय, यह जो वनाधिकार एक्ट है, इसकी धारा 3(1) और 3(2) की पूर्ण रूप से पालना तभी होगी, जब आप एक सीनियर आई.ए.एस. की ड्यूटी लगा कर करायेंगे। यह कोई बड़ा काम नहीं है। आप चाहोगे तो छह महीने के अन्दर पूरे हो सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, ऊर्जा के जो भी सामुदायिक पट्टे बाकी हैं, अभियान चलाकर एक साथ भी हो सकते हैं। तीन महीने के अन्दर भी हो सकते हैं। अगर कार्य करने की क्षमता है तो एक महीने के अन्दर भी हो सकते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, एक सीनियर आई.ए.एस. की ड्यूटी लगाकर करें, क्योंकि टी.ए.डी. कहता है कि राजस्व वाले करेंगे और राजस्व वाले कहेंगे कि पंचायती राज वाले करेंगे। इस तरह से मामले अटकते जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सुबह मैंने क्वेश्चन लगाया था, उसमें भी यही बात थी। आदिवासी समाज की सोलर पम्प की जो फाइल्स थीं एक क्षेत्रीय वन अधिकारी ने उनको रिजेक्ट करने का काम किया। उनको लगाने नहीं दिया। कहा गया कि बिना एन.ओ.सी. के नहीं लगाओगे। जब आपने वनाधिकार हक व्यक्तिगत पट्टे का दे रखा है, उसके बावजूद भी आप वहां सोलर पम्प नहीं लगाने दे रहे हो तो कहीं न कहीं विभागीय मिस्टेक है। कमिश्नर साहब के पास जो अच्छे और मजबूत अधिकारी हों, उनकी एक टीम बनाकर सप्ताह में एक दिन प्रतापगढ़ भेज दो, सप्ताह में एक दिन डूंगरपुर भेज दो, सप्ताह में एक दिन बांसवाड़ा भेज दो, सप्ताह में एक दिन उदयपुर भेज दो। जहां-जहां टी.एस.पी. क्षेत्र में आ रहा है, उनको एक दिन पूरी कार्यवाही करके हर सप्ताह का एक दिन एक जिले को दे दो, ताकि यह एक महीने के अंदर-अंदर आपने जो आर्डर जारी किया है, उस आर्डर के आधार पर सभी सामुदायिक पट्टे जारी हो जायेंगे और जो व्यक्तिगत पट्टे, जो भी पेंडिंग

(श्री रामलाल मीणा)

पड़े हैं, वे भी सभी जारी हो जायेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा है कि आदिवासियों को उनका हक-अधिकार मिलना चाहिये, वह मिल जायेगा।

आज पाल मांडकलां, जो प्रतापगढ़ उप खण्ड की पंचायत है और ग्राम पंचायत देवपुरा का झामुवाला गांव और कुछ गांव, यह आज भी मूलभूत सुविधाओं-बिजली, पानी और सड़क से वंचित हैं, जब तक आप एक अधिकारी को नोमिनेट करके सब तरीके से ड्यूटी नहीं लगाओगे, तब तक इन लोगों को पट्टे नहीं मिल पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह कानून सिर्फ साधारण वन क्षेत्रों में ही लागू नहीं है, इसमें यह लिखा गया है सेंक्चुअरी हो, नेशनल पार्क हो, सभी के अंदर, जहां-जहां आदिवासी निवास कर रहे हैं, वहां-वहां उनको हक-अधिकार मिलना चाहिये। इसलिये यह कानून उस पर भी लागू है, तो क्यों नहीं वहां पर सड़कें बनें, क्यों नहीं उनके लिए बिजली-पानी और सड़क की व्यवस्था हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक घटना बताना चाह रहा हूं। बारिश के अंदर चीते ने एक आदिवासी के ऊपर हमला किया। वहां पर तीन दिन तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया। वह इसलिए नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वहां पर सड़क नहीं थी। वहां बारिश हो रही थी और वहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही थीं। मैं खुद वहां पर मोटर साइकिल लेकर गया तब पीछे-पीछे प्रशासन आया। उसके बाद दूसरा हमला और हुआ। दूसरे हमले के बाद में चीता उसके घर से एक आदमी को उठाकर ले गया। इसलिये अब फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए वहां पर सड़क, बिजली और पानी की पूरी तरह से व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय .. (व्यवधान)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): आप दो मिनट रुक जाओ, आदिवासियों के लिए बोल लेने दो।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, माननीय सदस्य।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): आप नहीं बोलोगे तो इसका मतलब यह थोड़े ही हुआ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। आप बिराजें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): दो मिनट और बस।

माननीय सभापति महोदय, यह राइट टू फोरेस्ट एक्ट है। इसकी पूरी पालना करने के लिए, धारा 3(1) और 3(2) की पालना करने के लिए मैं मांग करता हूं कि वहां पर सीनियर IAS की ड्यूटी लगाकर महीने-डेढ़ महीने के अंदर पूरे टी.एस.पी. क्षेत्र के अंदर जो-जो सामुदायिक पट्टों की फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं या नहीं लगी हैं, तो उनको लगाएं, ताकि वहां के आदिवासियों को मूलभूत सुविधा मिल सके। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटा बढ़ाकर 7.00 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास व 32-महिला एवं बाल विकास पर विचार

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आज जनजाति विभाग की मांग है और इस महत्वपूर्ण मांग पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में आप बैठने के लिए कह देंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर आज भी इस सरकार के अंदर काफी अनियमितताएं हो रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बारापाल, जिसके अंदर निचला गोयरा के अंदर प्राथमिक विद्यालय है और उस विद्यालय के अंदर 110 बालक-बालिकाएं अध्ययन कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पास में गांव वालों की शिकायत

(श्री फूल सिंह मीणा)

आयी कि खाद्य सामग्री इतनी खराब आ रही है जिसको बच्चे तो क्या, मवेशी भी नहीं खा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप आदिवासियों के जन-प्रतिनिधि और मंत्री हो, हमारे आदिवासियों की खाद्य सामग्री के अंदर ऐसी अनियमितता हो कि जिसको मवेशी भी नहीं खा सकता, मेरी बारापाल की पंचायत के निचला गोयरा प्राथमिक विद्यालय में आप ऐसा गेहूं दे रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी बताना चाहता हूं मंत्री महोदय को, ये लंबी-लंबी बातें कर रहे हैं, प्रतापगढ़ से आने वाले मेरे भाई और सदस्य रामलाल जी मीणा साहब कह रहे हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, मगर वे भी उनके विधान सभा क्षेत्र की पीड़ा अभी बता रहे थे कि वहां पर रोड तक नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इस सरकार का जन-प्रतिनिधि होने के बाद में भी जो एक रोड भी न बनवा सके, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और तो और, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने दीनदयाल ज्योति योजना के माध्यम से हर घर को लाइट से जोड़ने का काम किया था। सरकार बदल गयी, मगर आज भी हमारे रामलाल जी विधायक महोदय यह कह रहे हैं कि आज भी हमारे यहां लाइट नहीं है। माननीय सभापति महोदय, रामलाल जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप आदिवासियों की बात करने वाले चार साल कहां चले गये? चार साल में भी आप उस आदिवासी को लाइट नहीं दिला सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य जनजाति का क्या हो सकता है?

माननीय सभापति महोदय, हमारी उस निचला गोयरा की स्कूल के अंदर 110 बच्चों के लिए दो कमरे हैं। उसमें से एक कमरा क्षतिग्रस्त है। दूसरे कमरे के अंदर विद्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हैं और खाद्य सामग्री भी उसमें है। एक ही कमरे के अंदर पहली और दूसरी के बालक अध्ययन कर रहे हैं। तीसरी, चौथी और पांचवीं के बालक बाहर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। मैं यह खाली एक स्कूल का नहीं कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, अनेक स्कूलों के अंदर आज भी हमारी बिल्डिंगें जर्जर हो रही हैं। अभी हमारे प्रताप जी गमेती, गोगुन्दा से आने वालों ने छात्रावास का एक प्रश्न लगाया था, आज से 20 साल पहले जो छात्रावास खोला था, उसके अंदर 100 बालक-बालिकाएं थीं। आज उसके अंदर बच्चे बढ़ने चाहिये, परंतु वह घटकर 50 रह गये और उसका भवन जर्जर है। इनके प्रश्न के जवाब में भी आया कि वह बिलकुल

(श्री फूल सिंह मीणा)

क्षतिग्रस्त हो गया। वह भी ये ठीक नहीं कर सकते हैं तो मंत्री महोदय हमारे इन आदिवासियों का क्या भला करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में बहुत अच्छा काम किया और आपने अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय तो खोल दिये, मगर उनके अंदर हिन्दी माध्यम का आपने कोई प्रावधान नहीं किया। यही बारापाल स्कूल के अंदर हमारे बालक, जो हिन्दी मीडियम से पढ़ने वाले थे, आज वे 10-15 किलोमीटर जाने की वजह से पढ़ाई छोड़कर घर बैठ गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वास्तव में आपके लोग इसी पंचायत से प्रमुख भी रह चुके, दो-दो, तीन-तीन उसी पंचायत से MLA रह गये, मंत्री रह गये, दो बार प्रधान रह चुके, मगर उस पंचायत का भला कांग्रेस के जन-प्रतिनिधि नहीं कर सकते तो यह दूसरों का क्या भला करेंगे? माननीय सभापति महोदय, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस ने केवल और केवल वोटों की राजनीति की और वोट लेकर उस जनता को भूल गये। उसी पंचायत की और उसके स्कूल की मैं बात कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे टी.एस.पी. के अंदर जैसे रामलाल जी भाईसाहब कह रहे थे कि वास्तव में हमारे टी.एस.पी. एरिये के अंदर नॉन टी.एस.पी. एरिये के अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। उनको नॉन टी.एस.पी. एरिये में भेजकर हमारे टी.एस.पी. एरिये के बालक-बालिका, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाने का आप प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मां-बाड़ी की घोषणा तो की है, मगर उसका वास्तव में सर्वे करके जानकारी लेकर करना चाहिये। आज वहां पर वास्तव में स्कूलें नहीं हैं, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। वहां पर यह मां-बाड़ी खोलेंगे और भवन बनाने के लिए भी बजट देंगे, तभी जाकर हमारे आदिवासियों का भला होगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे आदिवासी, जो वास्तव में इस वन विभाग एरिया के अंदर बचे हुए हैं, जैसा रामलाल जी कह रहे थे, अधिकारी लगाने का, इनकी सरकार के विधायकों का भी ये कहना नहीं मान रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे मंत्री महोदय हमारे

(श्री फूल सिंह मीणा)

टी.एस.पी. एरिया के हैं, मगर आपको बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर केवल और केवल इन्होंने हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया और इन्होंने चार वर्षों के अंदर लगभग 28 करोड़ की स्वीकृति जारी की है। 22 करोड़ तो केवल दो छात्रावासों में दिये हैं और 6 करोड़ हमारे टी.एस.पी. एरिया में, चाहे वह सड़क में हो, पानी में हो और चाहे वह किसी और अन्य विकास के अंदर लगाये हों। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, माननीय सभापति महोदय, केवल बांसवाड़ा के अंदर 157 करोड़ 55 लाख रुपये दे दिये और मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल 29 करोड़ 04 लाख रुपये ही दिये हैं। ऐसे मैं अगर पूरी लिस्ट बताऊं तो किसी भी विधान सभा क्षेत्र के अंदर, मैंने 15 विधान सभा क्षेत्रों का आंकड़ा मांगा है, उनके अंदर 200 करोड़ से ज्यादा एक भी जगह इन्होंने नहीं दिया। ये केवल बांसवाड़ा के ही मंत्री नहीं हैं, पूरे राजस्थान के मंत्री हैं। हमारे टी.एस.पी. एरिया के अंदर भी विकास नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गत वर्ष एक पुलिया के लिए मैंने जन सहभागिता में दिया था। मगर उसमें भी जब दुबारा विधान सभा सत्र चला था, तब जाकर उस काम को वापस क्रियान्वित करने का इन्होंने प्रयास किया। आज हमारे टी.ए.डी. में, जनजाति विभाग के अंदर विधायक की अनुशंसा से पैसे पास नहीं हो रहे हैं। सरपंच अगर वहां पर लिखकर के देता है तो उसको यह तुरंत पैसे पास कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में मंत्री महोदय आप जांच कर लेना। इसके अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जब जन प्रतिनिधि को आप नहीं पूछ रहे हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा?

सभापति महोदय, मैं, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि पुरानी घोषणाएं पूरी नहीं की गयी हैं और नयी घोषणाएं कर दी गयी हैं। आपका लक्ष्य सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म की बजाय सत्ता ही कर्म और सत्ता ही धर्म का है। यह जो आपने स्टैण्ड लागू कर रखा है, इससे बाहर निकलकर इस जनता का विकास करो।

आपने कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है, जबकि आपके ही नेता राहुल जी के द्वारा किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा यूं की यूं रह गयी। अगर वह घोषणा की है और माफ कर दिया तो अब दुबारा यह राशि देने की जरूरत कहां पड़ी?

सभापति महोदय, सम्पर्क पोर्टल 181 पर शिकायत दर्ज करने की

(श्री फूल सिंह मीणा)

प्रक्रिया काफी जटिल है। वहां पर फोन करते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता है। मंत्री महोदय, मैं तो आपसे निवेदन चाहता हूं कि इस पोर्टल पर आप शिकायत करके देखो, यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके द्वारा वास्तव में शिकायत करने का मौका नहीं मिलता है। (व्यवधान) आपका नम्बर आया था, घोघरा साहब, आपने बोल दिया।

सभापति महोदय, जनजाति वर्ग में कामकाजी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अत उनकी सुविधाओं के लिए सुरक्षा संबंधी प्रावधान विशेष तौर पर किया जाये। अपनी गद्दी बचाने के लिए हर योजना का इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर करना आपकी मजबूरी भले ही हो सकती है, मगर एकलव्य जी, भीलू राणा, पूंजा, टांट्या जी भील, नाना भाई, सेंदा भाई, गोविन्द गुरु, मोतीलाल तेजावत, रतन लाल जी मीणा, इनके नाम से भी अगर आप एक भी योजना का नाम रख देते तो मैं समझता हूं कि आप वास्तव में आदिवासियों का भला करने वाले हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हस्तशिल्प, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को प्रोत्साहन के लिए राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना आपने घोषित तो की, लेकिन इसमें टी.एस.पी. क्षेत्र को तवज्जोह नहीं दी गयी है। जनजातीय हस्तशिल्प, कला और उत्पादन को प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर ग्रामीण जनजाति हाट का आयोजन किया जाना चाहिए। उदयपुर जिले के कोटड़ा में आदिम महोत्सव और मिशन कोटड़ा को जिस तरह से जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा ने लागू किया, उसी तरह मॉडल बनाकर राजस्थान में जनजाति क्षेत्र पर विशेष फोकस कर विकास करना चाहिए। जनजाति शिल्प उत्पादनों को प्रोत्साहन देने के लिए सेन्टर फोर एक्सीलेंस की स्थापना उदयपुर में की जानी चाहिए।

पिछले दिनों बारिश होने और ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है। टी.एस.पी. क्षेत्र में सर्वोच्च वरीयता देते हुए जनजाति वर्ग को पर्याप्त मात्रा में मुआवजा देना चाहिए। इसमें सरकारी औपचारिकता और कागजी कार्यवाही को कम करना चाहिए।

नयी बस चालू करने की घोषणा करते हो और पुरानी बसों को बंद कर देते हो।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): एक हाथ से छीनकर दूसरे हाथ में देना, यह बात आपके सिद्धांत के परे होनी चाहिए। मगर आप एक हाथ में दे रहे हो और दूसरे हाथ से ले रहे हो।

इसी तरह से राज्य स्तर पर भी जनजाति क्षेत्र को विकसित करने की योजना मिशन मोड पर चलानी चाहिए। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना आपने घोषित की है। इसमें जनजाति क्षेत्र एवं जनजाति कलाकारों के लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। जनजाति क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रावधान ही नहीं है। 20 करोड़ का कॉरपस फंड, नाम मात्र का है। जनजाति क्षेत्र के विकास को देखते हुए इसको बढ़ाकर 100 करोड़ किया जाना चाहिए, ताकि आदिवासी, जनजाति परिवारों का उत्थान हो सके।

आपने परीक्षाओं में बायोमेट्रिक्स मशीनें लगाकर फर्जी परीक्षार्थियों को रोकने का विश्वास दिलाया है, लेकिन जनजाति विभाग के हॉस्टलों में जो बायोमेट्रिक्स मशीनें पड़ी हुई हैं उनका क्या हो रहा है? उनको ठीक करने का आपके पास समय नहीं है। वे तो धूल खा रही हैं। जनजाति छात्रावासों के बारे में आप इनकी पुन: जानकारी लेकर देखरेख करें। मशीनों को ठीक कराएं।

जनजाति युवाओं को शराब और नशे की लत से बचाने के लिए नशा मुक्ति केन्द्र जनजाति क्षेत्र में अधिकाधिक संख्या में खोले जायें। जनजाति क्षेत्र में स्थानीय चिकित्सा पद्धति सिद्धा के बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति: श्रीमती मनीषा पंवार।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, भाजपा की पूर्व सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं....

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य। विराजिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। विराजिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्री फूल सिंह मीणा द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें।)

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 32-महिला एवं बाल विकास पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज का विषय बड़ा संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो बच्चे होते हैं, वे भविष्य में राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख एवं उपयोगी हिस्सा बनते हैं। वे राष्ट्र के निर्माण में नींव से शिखर तक अपनी भूमिका अदा करते हैं। इस पीढ़ी को संजोने और आगे प्रेरित करने का कार्य महिलाएं एक मां के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में और एक बहू के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किसी न किसी तरीके से करती रहती हैं।

एक सभ्य समाज में बालक और महिलाओं के मान-सम्मान और उसकी विभिन्न परिस्थितियों में कैसे सार-संभाल रखी जाये, यह महत्वपूर्ण रहता है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत इन विषयों को लेकर काफी गंभीर और संवेदनशील रहते हैं। वर्तमान में माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में हमारी सरकार इस विषय पर अपनी योजनाओं के माध्यम से राहतकारी कदम उठाने का कार्य कर रही है।

मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी यह कहा था कि यदि महिलाओं की दशा नहीं सुधारी गयी तो विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है क्योंकि किसी भी चिड़िया के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। इसी बात को मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में महिलाओं एवं बच्चों के लिए योजना लाकर चरितार्थ किया है। मैं बात करूंगी, जब मुख्य मंत्री जी ने दूसरी बार राजस्थान सरकार का कार्यभार संभाला था और उन्होंने अपनी हर कलम से, हर लिखावट में जरूरतमंद लोगों, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए राहत पहुंचाई थी और योजना लाये थे।

महिलाओं को राहत प्रदान करने और शिशु विकास के लिए मुख्य मंत्री जी जननी शिशु सुरक्षा योजना लाये थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। जहां दूर-दराज क्षेत्रों में महिलाओं के प्रसव के समय में उनको हास्पिटल नहीं ले जाया जाता था, काफी महिलाएं उस समय बीमार हो जाती थीं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था और बच्चे बच नहीं पाते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री जी योजना लेकर आये। उनको लाने, ले जाने का खर्चा मुख्य मंत्री जी ने उठाया। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए सही ढंग से प्रसव हो, 1,400 रुपये एकमुश्त प्रसूता को दिये जाते थे। इसके साथ-

(श्रीमती मनीषा पंवार)

(समय: 17.00 बजे)

साथ मां-बाप बनकर पांच किलो घी की व्यवस्था भी मुख्य मंत्रीजी ने की थी। यह एक ऐसी योजना थी जो हर एक उस मां के लिए वरदान साबित हुई। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ-साथ माननीय मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि एक महिला होने के नाते उन्होंने इस विभाग में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो योजनाएं दीं, उन पर बहुत ही सार्थक तरीके से काम किया और इन योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, इस विभाग के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना हो, बच्चों के विकास की बात करनी हो, ऐसी कई योजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी लेकर आये। चाहे हम बात करें इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की, चाहे हम बात करें उड़ान योजना की, इन योजनाओं के अंतर्गत महिला के गर्भवती होने पर जांच के दौरान एक-एक हजार रुपये दो किस्तों में, प्रसूता को लड़का होने पर 6 हजार रुपये विभिन्न प्रकार से उपलब्ध कराये जाते हैं और लड़की होने पर, इसकी राशि 8 हजार रुपये प्रसूता को किस्त में उपलब्ध कराये जा रहे हैं, ताकि प्रसूति के समय उसको कोई परेशानी नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी देश और प्रदेश की सफलता महिला व बच्चों पर ही निर्भर करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी एक हजार करोड़ रुपये के पैकेज से आई.एम. शक्ति जैसी योजना लेकर आये और महिलाओं को सशक्त किया।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मुख्य मंत्रीजी ने उड़ान योजना दी। आप देखिए, कितनी अलग-अलग बीमारियां हम दूर-दराज के गांवों में देखते हैं। जहां हमारा पश्चिमी राजस्थान है, जहां पर पहले बच्चियों को पैदा तक नहीं होने दिया जाता था, आज शिक्षा के क्षेत्र में जैसे-जैसे बढ़ावा हो रहा है वैसे-वैसे परिवर्तन आ रहा है। आज बच्चियां वैसी ही उड़ान भर रही हैं जैसे लड़के उड़ान भरा करते थे। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हों, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हों, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हों, उड़ान जैसी योजना लाकर महिलाओं को एक सम्बल प्रदान किया। उनको जो अलग-अलग बीमारियां लग जाती थीं, उनमें सुधार लाने के लिए महिलाओं को 12 सैनेटरी नैपकिन भी मुहैया कराई जाती है। वे ऐसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाती थीं, न तो वे अपने परिवार के

(श्रीमती मनीषा पंवार)

लोगों को कह पाती थीं और न ही किसी प्रकार से वे हास्पिटल जाकर बता सकती थीं। इस योजना से उनके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने व उनमें समानता को लाने के लिए एक स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया। यह एक बहुत प्रमुख योजना है, जिसके माध्यम से गांवों में बैठी, शहरों में बैठी महिलाएं हैं, वे घर पर अपने स्वयं सहायता समूह चलाकर अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। जिस तरह से एक पुरुष परिवार को चलाता है उसी तरीके से 50 परसेंट कमाकर एक तरीके से अपने परिवार को चलाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकती हैं। इन स्वयं सहायता समूहों को एक लाख रुपये तक के ऋण 8 प्रतिशत ब्याज-अनुदान में दिए जाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की। इसके साथ ही 5 लाख परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा भी गया है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगी कि पश्चिमी राजस्थान से एक रूमा देवीजी आती हैं, जो कि इतनी ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने घर-घर जाकर स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को जोड़ा, जिस तरह से मुख्य मंत्रीजी लगातार छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, चाहे दरी बनाने का काम हो, चाहे बड़ी बनाने का काम हो, चाहे पापड़-खीची बनाने का काम हो, इनके माध्यम से आज इतना बड़ा समूह उनके साथ जुड़ गया है कि हमारी पश्चिमी राजस्थान की रूमा देवी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनको सम्मानित किया गया और कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो में बुलाकर उनको सम्मान दिया गया। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हम बात करें आंगनबाड़ियों की, लम्बे समय से आंगनबाड़ियों की मांग हो रही थी। पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने लगातार यह मांग उठाई कि उनके यहां आंगनबाड़ी और होनी चाहिए, लेकिन 2016 के बाद एक भी आंगनबाड़ी का निर्माण नहीं हुआ। हम लोग लगातार कहते रहे कि आप जाइये और प्रधान मंत्रीजी से मांग कीजिये। जहां आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वहां आंगनबाड़ी एक ऐसी जगह है, जहां महिला जब प्रसूता होती है तब से लेकर जब उसका बच्चा पैदा होता है तब तक उसकी दवाई का इंतजाम करते हैं, उसके खाने का इंतजाम करते हैं। उसके बाद

(श्रीमती मनीषा पंवार)

उसके बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। यह आंगनबाड़ी मोहल्ले के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन आम गरीब बच्चों के लिए, जहां उनको पढ़ाया जाता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। इसी बात को मुख्य मंत्रीजी ने समझा और राज्य स्तर की 8 हजार आंगनबाड़ियां खोलने की घोषणा की। इसके साथ-साथ 2 हजार लघु आंगनबाड़ियां खोलने की भी घोषणा की। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, कोरोना काल में, आंगनबाड़ी की चाहे आशा सहयोगिनी हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, उन्होंने जिस तरह से घर-घर जाकर वैक्सीनेशन का काम किया हो, दवाई पहुंचाने का काम किया हो, सर्वे का काम किया हो, अपनी जान को बहुत खतरे में डालकर घर-घर हर बात की सूचना, चाहे वह सरकार तक पहुंचानी हो या उस घर तक पहुंचानी हो, वह काम एक सेतु के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट भी नहीं हुए हैं अभी तो।

माननीय सभापति महोदय, पोलियो की दवा पिलाने का काम भी राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए किराये के कमरे लिए जाते हैं। उनकी रकम इतनी कम होती है कि कोई भी आदमी उस दर पर मकान किराये नहीं देता है। इसलिए उस किराये की रकम को भी बढ़ाया जाए। इसके साथ-साथ इनके रिटायरमेंट के बाद दो-तीन लाख रुपये मुख्य मंत्रीजी ने दिये हैं। उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी वर्किंग महिला हॉस्टल के माध्यम से कामकाजी महिलाओं हेतु मुख्यालयों पर 100 एवं जिला मुख्यालयों पर 50 हॉस्टल खोले जाएंगे ताकि वे वहां आकर, शहरों में आकर अपने कामकाज को कर सकें। महिलाओं को सुरक्षित दूरदराज औद्योगिक क्षेत्र में जाने के लिए और अपनी नौकरियों पर जाने के लिए भी वूमन स्पेशल बस सेवा की जो योजना बनाई है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बसों के किराये में छूट 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की गई है। उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सामूहिक

(श्रीमती मनीषा पंवार)

विवाह अनुदान 18 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है। हमारे संविधान में एक बात कही गई है, 'अनेकता में एकता', इसी बात को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने, सामूहिक विवाह आयोजनों में अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक समाज के लोग मिलकर उसमें शादी करते हैं, तो उसमें भी अनुदान 10 लाख रुपये बढ़ाकर सहायता देने की घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, बच्चों का विकास भी उतना ही आवश्यक है जितना हरेक आदमी का। स्कूली बच्चों का समुचित विकास हो सके, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो दिन की बजाय प्रतिदिन मिड-डे-मील में दूध उपलब्ध कराने का काम किया है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अमृतलाल मीणा।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): सभापति महोदय, दो मिनट भी नहीं हुए हैं अभी। प्लीज, दो मिनट और दे दें।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): प्लीज, दो मिनट और।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल में जिस तरीके से अनाथ बच्चों को, जिनके मां-बाप नहीं है, उनको नौकरी देने का काम भी मुख्य मंत्रीजी ने किया है। इसके साथ-साथ महिलाओं को सम्बल प्रदान करने के लिए चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, विपक्ष की पार्टी की स्मृति ईरानीजी सड़कों पर आती थी, पांच रुपये जब गैस के बढ़ते थे और आज सौ-सौ रुपये गैस पर बढ़ते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य मंत्रीजी ने इस मर्म को समझा और 76 लाख परिवारों को गैस को 500 रुपये में उपलब्ध कराने का काम किया है। चाहे विधवा पेंशन के जरिये महिलाओं को आत्म सम्मान दिलाना हो, तीर्थयात्रा करवानी हो...

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। अंकित नहीं होगा।

श्री अमृतलाल मीणा।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सभी वक्ताओं का समय आपकी पार्टी द्वारा निर्धारित किया गया है। समय कम है। सात बजे मैं माननीय मंत्री महोदय की रिप्लाई करवाऊंगा। इसलिए समय का ध्यान रखें और अपनी बात को निर्धारित समय में पूरी करें। अपनी प्राथमिकता तय कर लें कि कौनसी बात जरूरी है, वह बात पहले कह दें। बोलें आप।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 - जनजातीय क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 32 - महिला और बाल विकास पर गहन चर्चा हो रही है। दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले मैं मांग संख्या 30 पर बोलना चाहूंगा। हमारे बीच में माननीय मंत्रीजी बैठे हुए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट 2023-24 में पैरा संख्या 71 और 72 में एस.सी., एस.टी. के उत्थान के बारे में लिखा गया है। मुझे आश्चर्य है कि इतने बड़े बजट में, 170 पेज का बजट और 270 पैरा में एस.सी., एस.टी. उत्थान के लिए दो पैरा में, मात्र चार लाइनों में लिखकर इतिश्री किया है। राजस्थान में एस.सी., एस.टी. की करीब 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। एस.सी., एस.टी. के करीब 60 विधायक यहां पर सदन में आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का हमारे जनजातीय विकास विभाग का उद्देश्य था, जनजाति क्षेत्र के सभी व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक विकास हो, इस पर अधिक ध्यान दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में 1975 में जब एस.टी., एस.सी. समाज के उत्थान के लिए...। सबसे पहले 1975 में भीखाभाई ट्राइबल मिनिस्टर रहे, नन्द लाल जी मीणा भी रहे, डा. दयाराम परमार साहब भी रहे, कनकमल कटारा जी भी रहे, महेन्द्रजीत मालविया भी रहे और अभी अर्जुन सिंह जी बामनिया हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि 1975 में जिस उद्देश्य के लिए हमारा यह विभाग गठित हुआ, समग्र जनजाति क्षेत्र विभाग के प्रमुख आश्रम छात्रावास खुले, आवासीय विद्यालयों का संचालन हो, मॉडल पब्लिक रेजीडेंसी स्कूल हों, एकलव्य मॉडल हों, बहुद्देशीय संरचना हो, इस बात को लेकर माननीय मंत्री जी हमारे बीच में हैं।

कालेज छात्रावासों का संचालन हो, जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त हो। उन्हें 11वीं और 12वीं में जो देते हैं, उस उद्देश्य की दृष्टि से मैं यह भी कहना चाहूंगा, नि:शुल्क स्कूटी का वितरण हो, खेल अकादमियों का निर्माण हो, खेल शिक्षकों की नियुक्तियां हों, एकल मॉडल स्कूल्स हों, खेल-कूद प्रतियोगिता हो, सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना की बात हो, नहरों का सुदृढ़ीकरण हो और एनिकट बनें। इसे लेकर मैं और आगे कहना चाहूंगा। मेरा यह कहना है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना में जैसे आपने 45 हजार की बात की है, लेकिन नहीं के बराबर हुआ है। मैं यह भी कहना चाहता हूं किजनजाति क्षेत्र सेवा केन्द्रों में जनजाति भागीदारी होनी चाहिये।

भागीदारी के विषय में मैं कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी, जब आप

(श्री अमृतलाल मीणा)

उत्तर दें तो बताएं, 2021-22 में आपने एस.सी., एस.टी. के लिए सौ-सौ करोड़ रुपये रखे थे, वे पैसे कहां गये, आप जरूर बताएं। 2022-23 में 500-500 करोड़ किये थे, वे कहां गये, यह भी बताएं। 2023-24 में एक-एक हजार करोड़ किये, वे आप कहां खर्च करेंगे, यह आप अवश्य उत्तर देते समय बताएं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि क्षेत्र में भागीदारी में जिस प्रकार के विद्यालय, छात्रावास, चिकित्सा केन्द्रों, सड़कों, पुलियाओं का निर्माण हो, यह बात जन भागीदारी में शो की गयी है।

मेरा आपसे निवेदन है कि छह जनजाति मंत्री मेरे ध्यान में हैं, लेकिन सबसे मीठा आप बोलते हैं, मनख जाते हैं, लेकिन एक भी काम आज की तारीख में, जो साठ विधायक यहां आते हैं, एस.टी. के 25 विधायक और एस.सी. के 34 विधायक, सबसे ज्यादा इस विभाग को, जिसमें 13.48 परसेंट बजट आता है, आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? जो आपके पड़ोस में बैठे हैं, उन्हें तो दे दें। मेरा निवेदन है, एकलव्य मॉडल स्कूल के अलावा छात्रावासों में विभिन्न विकास कार्यों की बात हो, 1978 में जब छात्रावासों का निर्माण हुआ, आपके विभाग को आज तक यह नहीं पता है कि गोगुन्दा में आज वह गिरने की स्थिति में है। सामुदायिक भवन की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो या कौशल विकास की बात हो, मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आपने क्या काम किया, कहां काम किया और किसके दबाव में, यह भी पता नहीं लगा।

हम तो आपके अपोजिट में हैं, मत दीजियेगा, लेकिन जो अभी सत्ता में हैं, उन्हें तो दे दीजिये। सारा पैसा आप अपनी कान्स्टीट्यूएंसी बांसवाड़ा में ले गये। यह सत्य है। इसके बाद चाहे हमें विशेषाधिकार लगाना पड़े, मेरा आपसे निवेदन है, यह विभाग क्यों बना था? जब 1975 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो बात थी, इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का विकास हो, चाहे माडा क्लस्टर हो, चाहे बिखरी बस्ती हो। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है, जनजाति विकास विभाग का वित्त पोषण, आपका पैसा राज्य योजना कल्याण निधि से मिलता है। संविधान में अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान मिल रहा है। विशेष केन्द्र सहायता में भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में भी मिलता है। केन्द्र प्रवर्तित योजना में भी मिलता है। सेंट्रल स्पोन्सर्ड योजना में भी मिलता है।

इसके अलावा प्रत्येक विभाग में जनजाति विकास हेतु उपयोजनाएं प्रस्तावित हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री

(श्री अमृतलाल मीणा)

योजना की मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इस बारे में आप खुद जानते हैं। पूर्व में जिक्र हुआ है। जब हमारे यहां के माननीय सदस्य को लिया, इसके अलावा अदर को लिया, वह क्या समझेगा ट्राइबल का, रहन-सहन का, खाने का, जाने का, आने का, पुलिया का, रोड का?

मैं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या बताता हूं। आपके विभाग में 426 कर्मचारी स्वीकृत हैं, 171 कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत हैं, 255 अधिकारी और कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। कहां से विकास होगा? क्या करना चाहते हैं? मंत्री जी, जब आप उत्तर दें तो मैं यह अवश्य आपसे जानना चाहूंगा।

मेरा आपसे यही निवेदन है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में प्रमुख योजना भी है। आपके पास 410 छात्रावास हैं, लेकिन जिस प्रकार से, अब मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, सामुदायिक जलोत्थान योजना का निर्माण एवं पुनरुद्धार, इस योजना के सोलर विद्युत मोटर द्वारा मात्र 10 प्रतिशत उपभोक्ताओं को वहन करना होता है, बाकी 90 प्रतिशत सरकार द्वारा किया जाता है। न तो नहरों का सुदृढ़ीकरण हुआ, न ही एनिकट बने। मंत्री जी, आप सांप की तरह कुण्डली मारकर बैठ गये। जैसे किसी ने आंकड़ा बोल दिया तो दो-चार एम.एल.एज. को बुला लिया आपने। आ जाओ, आ जाओ, अपन ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है। आप पूरे राजस्थान के ट्राइबल जनजाति विभाग के मंत्री हैं। आपसे पहले 6 मंत्री भी रहे। आपने पिछले चार साल में जितने छात्रावासों का निर्माण किया, उसका भी उत्तर दे देना। कालेज का निर्माण किया, उसका भी उत्तर दे देना। राजस्थान में दो-ढाई करोड़ की जनसंख्या को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या विकास करना चाहते हैं? इस बारे में मैं कहना चाहूंगा। मैंने सामुदायिक भवन अपने विधान सभा क्षेत्र में दिया था। मैंने अपनी जिन्दगी के चार-साढ़े चार साल, आपसे निवेदन किया था और वह भी मैंने आपके घर आकर दो 5-5 लाख के सामुदायिक भवन 2018-19 में दिये, आज तक आपकी उस सामुदायिक भवन की कोई स्वीकृति नहीं निकली। मत देना। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मंत्री हैं, हम विधायक हैं। काम चलता रहेगा, कभी इधर, कभी उधर।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने प्रधानमंत्री कुसुम योजना में जोर-शोर से 45 हजार रुपये तक की विशेष मदद की घोषणा की थी, लेकिन आज

(श्री अमृतलाल मीणा)

दिनांक तक कितने किसानों को फायदा पहुंचा, यह आप कुसुम योजना के बारे में उत्तर जरूर देना।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्कूटी वितरण का एक कार्यक्रम हुआ था। पूर्व जनजाति मंत्री जी भी हमारे बीच में हैं, अभी सिंचाई मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया, मेरे जनजाति क्षेत्र की बालिका स्कूटी वितरण योजना के अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों ने कागजी कार्यवाही पूर्ण कर ली, बच्चियों को हैलमेट दे दिया, स्कूटी की चाबी भी दे दी, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दिया, कागजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए, इसके बाद गेट पर स्कूटी का वितरण करते हुए फोटो खिंचवाकर उन बालिकाओं से स्कूटी वापस ले ली। किस कारण से ली? यह किसी मजाक से कम नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आप अपने जवाब में यह जरूर बताएं कि ये स्कूटीज गयीं कहां? आपकी सरकार में जनजाति कल्याण निधि के तहत 2022-23 में 36 करोड़ की लागत से जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरित करने का प्रावधान किया गया था। माडा में आपने 2022-23 में 3 हजार 18 करोड़ का प्रावधान किया। तीन हजार जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरित करने का प्रावधान किया। माडा क्लस्टर क्षेत्र में 30 लाख रुपये की लागत से 50 जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरित करने का प्रावधान किया। बिखरी बस्तियों के लिए 17.40 करोड़ की लागत से 2,900 जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरित करने का प्रावधान किया, लेकिन मजे की बात यह है कि आज दिनांक तक उन स्कूटीज का वितरण तो दूर की बात है, उन स्कूटीज को खरीदने के टेंडर तक नहीं हुए हैं।

माननीय मंत्री जी किधर गये? दिख नहीं रहे हैं। स्कूटी वितरण के टेंडर तक नहीं हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा 2022-23 में प्रदेश के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा 250 मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस घोषणा के तहत मेरे सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में कितने मां-बाड़ी केन्द्र खोले गये हैं, यह भी आप अवश्य बताएं। सहभागिता के अन्तर्गत 70 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है और 30 प्रतिशत एम.एल.ए., एम.पी., पंचायत, अन्य जन-प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है, लेकिन आज तक एक भी काम नहीं किया गया है। जब भी विभाग में गये हैं तो कहा है कि दस करोड़ रुपये ही आये हैं, जबकि 100 करोड़ रुपये थे।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय, एक मिनट में, बहुत जल्दी करने वाला हूं। मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहता कि पिछली सरकार का नाम लेते ही आप +++ जाते हैं।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में राज्य में जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत 659 करोड़ रुपये की राशि के विरुद्ध नवम्बर, 2022 तक 368 करोड़ रुपये ही खर्च हुए। 659 के विरुद्ध में 368 करोड़ ही खर्च हुए। नवम्बर का महीना चला गया, दो महीने और रह गये तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे यह, मंत्री जी, आप अवश्य बतायें। जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए चल रही केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत लघु वन उपज संग्रह, टी.आर.आई. की योजना, वन बंधु कल्याण योजना, सहरिया विकास के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आश्रम स्कूल के लिए 873 करोड़ रुपये की राशि के विरुद्ध नवम्बर, 2022 तक 491 करोड़ रुपये ही खर्च हुए। 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जिसमें नवम्बर, 2022 तक केवल 48.20 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं, जो 110 के मुकाबले 50 प्रतिशत भी नहीं हुआ। एकलव्य योजना, जनजाति महत्व के धार्मिक, ऐतिहासिक कार्य में खर्चा नहीं हुआ।

माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में वनाधिकार पट्टों के अभाव में प्रधानमंत्री सड़क 2013 से स्वीकृत है, वह नहीं हुई है। आपके विभाग की शिथिलता या पी.डब्ल्यू.डी., जो भी हो, लेकिन इनके अभाव में आज भी पानी, बिजली, सड़क, पुलिया आदि मूलभूत सुविधाओं से मेरे क्षेत्र की जनता वंचित है। मंत्री जी के पास कोई जवाब हो तो वे बता दें। वनाधिकार पट्टों के अभाव में मेरे विधान सभा क्षेत्र की पांच सड़कें 2013 से रुकी हुई हैं, जब आपकी सरकार थी। बीजेपी की चली गयी, आप फिर आ गये, पर पांच सड़कें नठारा बड़ा चौराहा से गोटपाणी, मण्डा से राताखेत, मण्डा से कलाद, बलुआ से हरगेटा की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2013 से रुकी हुई है।

श्री सभापति: विराजिये। श्रीमती रमीला खड़िया।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मुझे टेबल करने की इजाजत दी जाए।

श्री सभापति: इजाजत दी गयी, टेबल करें।

(माननीय सदस्य श्री अमृतलाल मीणा द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें।)

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 30 और 32 के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के दक्षिण से मैं आती हूं जो जनजाति क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत से छात्रावास भी खुले हुए हैं। हमारे मालविया जी मंत्री पहले जब थे उस समय के छात्रावास खुले हुए हैं। मैं यह कहना चाहती हूं मंत्री जी, जो पहले के छात्रावास थे, उन छात्रावासों की खिड़कियां टूटी हुई हैं और बहुत सारे छात्रावासों में पीने का साफ पानी भी नहीं है। मैं गोड़िया पोटलिया में बालिका छात्रावास में गई थी, बस्सी में गई थी, छोटी सरवा में भी गई थी। जहां भी मैं गई हूं उनके लिए मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जो बालिका छात्रावास हैं उनकी खिड़कियां टूटी हुई हैं तथा पानी नहीं है। आप टी.ए.डी. मंत्री हैं, अभी गर्मी का समय आ गया है और बालिकाओं की परीक्षा भी चल रही है तो तत्काल प्रभाव से हैण्डपम्प खुदवाएं या बोरिंग करवाकर उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। जो उस समय से छात्रावास खुले हुए हैं, उन छात्रावासों का अभी तक रंग-रोगन नहीं हुआ है। मैं कहना चाहती हूं कि इन छात्रावासों में रंग-रोगन कराया जाए और जहां-जहां खिड़कियां टूटी हुई हैं उनके लिए पैसे देकर उनकी खिड़कियां ठीक कराएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र जनजाति बहुल एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तथा मध्य प्रदेश और गुजरात से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र में सड़कों का भी अभाव है तथा घाटा क्षेत्र में पानी भी नहीं है। मैं मंत्री जी से मांग करती हूं और कहना भी चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प दें, छोटे-छोटे एनिकट बनाएं तथा जो तालाब हैं, उनकी जो छोटी-मोटी मरम्मत की आवश्यकता है, वह मरम्मत करवाएं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में वन विभाग की जमीन पर हाथियादिली, गलधर और पाटन में किसान भाई काफी समय से बसे हुए हैं, पर पता नहीं आज तक इन किसानों को पट्टे क्यों नहीं मिले हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं, आयुक्त साहब भी बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक कमेटी गठित कर इन्हें पट्टे दिये जाएं। मेरे सामने काफी समय से एक मामला गलधर के लक्ष्मण प्रकाश का आया हुआ है कि इनके पिताजी भी नहीं रहे और पिछले साल वन विभाग वालों ने उनकी खड़ी फसल जे.सी.बी. चलाकर नष्ट कर दी थी। इसलिए इनकी जांच कर इनको पट्टा दिया जाए, इसकी मैं मांग करती हूं। हाथियादिली में भी काफी समय से हमारे लोग बसे हुए हैं जिनकी

(श्रीमती रमीला खड़िया)

भी इसी तरह से फसल नष्ट कर दी गई थी। पाटन में, छोटी सरवा में भी हमारे लोग बसे हुए हैं, काफी पट्टे दिये भी हैं, पर अभी भी बाकी हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरा पहाड़ी इलाका है। यहां बहुत सारे बच्चे हैं और आंगनबाड़ी केन्द्रों में आज भी बहुत सारी जगह भवन नहीं हैं। वे कहीं घरों में चल रहे हैं, और जो भवन हैं वे भी जर्जर अवस्था में हैं। हमारी मैडम आ गई हैं तो मैं आपके माध्यम से मैडम से कहना चाहती हूं कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की जांच करवाकर, जो भवन जर्जर अवस्था में हैं उनकी जांच कर नये भवन बनवाने का कष्ट करें। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने 8 से 9 हजार आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की जो घोषणा की है, उससे हमारे पिछड़े इलाकों में बच्चों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।

मैं यह कहना चाहती हूं कि बालिका छात्रावासों में कोच के करीब 11 पद रिक्त हैं। मंत्री जी, इन रिक्त पदों को भरने की कोशिश करें। काफी समय से इंटरव्यू दिया हुआ है, पर अभी तक इनकी एन.ओ.सी. नहीं आयी है। जिन -जिन छात्रावासों में कोच का पद खाली पड़ा है उनको भरें, जो खिड़की-दरवाजे टूटे हुए हैं उनको ठीक करावें तथा जहां पानी नहीं है उसकी व्यवस्था भी करें तथा कलर नहीं है वहां कलर भी करवायें।

एक मामला जनजाति और महिला बाल विकास से सम्बन्धित नहीं हैं, पर अंधेश्वर का यह मामला है, जिसमें एक महिला है, जिसके साथ सरपंच के परिवार या सरपंच ने सरदार की पत्नी के साथ मारपीट की तथा उसको अंगारों पर चलाया गया। उसको दो दिन तक उनके घर पर रखा और आज तक पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। इस पर तत्काल प्रभाव से इसकी कार्यवाही की जाए। राजेश नाम का हैड कांस्टेबल है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। मेरे भी नॉलेज में नहीं था। आज मुझे मेरे भाई गणेश जी ने बताया। इस तरह हमारी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं उन पर सख्त कार्यवाही करें। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि छोटे-छोटे एनिकट, तालाब और सड़कें मैंने पहले दी हैं, वे देने का कष्ट करें, मैं मांग करती हूं। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपीचंद मीणा।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 30 और 32 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता

(श्री गोपीचंद मीणा)

हूं। महानुभाव सदस्यों ने जो बातें रखी हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बात कह रहा हूं। सभापति महोदय, आपके मार्फत हमारे मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। अभी हमारे अमृत जी भाई साहब ने बताया था कि हमारे 6 मंत्री अब तक इस राजस्थान सरकार में जनजाति विभाग के बने हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो भी विकास किया, किया भी होगा, नहीं भी किया होगा, मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन एक बात कह रहा हूं कि हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने जनजाति विभाग का मंत्रालय खोलकर, जनजाति के लोगों को ऊपर उठाने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा।

आपसे भी उम्मीद करता हूं कि इस जाति को हम किस प्रकार से ऊपर उठाएं और इनको विकास की लाइन से कैसे जोड़ सकें, ऐसा भाव भी आपके मन में हमेशा बनता रहे। मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने अभी एक योजना लागू की है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जनजाति, टी.ए.डी. के अन्तर्गत एक रेवेन्यू विलेज को 22-22 लाख रुपये पहुंचाने का काम किया है। उस रेवेन्यू विलेज में 22-22 लाख पांच साल तक आयेंगे, जिसके बारे में मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि मंत्री जी, यह जो पैसा है, आप कोई सक्षम अधिकारी, चाहे हमारा एस.डी.ओ. हो सकता है, कलेक्टर हो सकता हो, सी.ई.ओ. हो सकता है, इनके नेतृत्व के अन्दर इस पैसे को खर्च कराया जायेगा तो हमारी पंचायतों के अन्दर विकास होगा, क्योंकि इन पैसों की बंदरबाट नहीं हो। विशेषकर आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके।

मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी हमारे जितने भी जनजाति के विधायक बोल रहे थे, चाहे किसी भी दल के हों, वे कहीं न कहीं आपको आरोपित कर रहे थे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारी परामर्शदात्री परिषद् की एक भी बैठक बुलाकर के, हमारे सभी एम.एल.एज. की कौन-कौन सी डिमांड है, क्या-क्या काम करना चाहिए, आपने यह काम किया होता तो आपके ऊपर यह उंगली नहीं उठती। मैं हमेशा कहता आया हूं कि, मंत्री जी, आप हमारी परामर्शदात्री परिषद् की बैठक बुलाएं, जिसमें क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं, वे सभी अपनी-अपनी बात आपके सामने रख सकें। वह बात हमारे उच्चाधिकारियों तक जाए, ताकि क्षेत्र का विकास हमको किस प्रकार से करना चाहिए, आपने यह आज तक नहीं किया। यह आपकी भारी भूल है, जिस

(श्री गोपीचंद मीणा)

कारण हमारे सब विधायक आपके खिलाफ बोलते हैं। बाकी आप काम कर रहे हैं, मैं इसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कमी रही है।

मैं चाहूंगा कि क्षेत्र के विकास में, हमारे सभी विधायकों ने कहा है, हमारे चाहे हॉस्टल हों, चाहे हमारे स्कूल हों, चाहे हमारी मां-बाड़ी हों, इनके अन्दर अभी जो पोषाहार का वितरण किया जा रहा है, जिस पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पोषाहार सही ढंग से धरातल पर वितरित नहीं होता। मैं एक बार पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं कि मां-बाड़ी केन्द्र जो हैं, जिनके अन्दर पोषाहार जो दिया जा रहा है, वह आटा जो आ रहा है, वह महीने का, दो-दो महीने का आटा आता है। उसके अन्दर झुर्रियां पड़ जाती हैं। वह आटा बच्चों को खिलाया जाता है। इससे पहले जो गेहूं दिया जाता था और गेहूं पीसकर वहां बच्चों के लिए भोजन बनाया जाता था। वह उचित रहेगा।

दूसरी बात रही, मैंने एक प्रश्न लगाया था, जिसमें आपने जवाब तो दे दिया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने 2021 के अन्दर ढाई सौ मां-बाड़ियां दी थीं और इस वर्ष भी ढाई सौ मां-बाड़ियों का प्रावधान रखा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इनको ढाई सौ से बढ़ाकर, जो भी आपके नियम में आता हो, और बढ़ाकर, जनजाति क्षेत्र में मां-बाड़ी केन्द्र खोलने का काम कराएं।

दूसरी बात रही, पूर्ववर्ती सरकार के समय एक हजार मां-बाड़ी केन्द्र वसुन्धरा जी ने खोले थे। उन मां-बाड़ी केन्द्रों को डे-केयर में किया जाए जिससे हमारे क्षेत्र के अन्दर, ऐसे बेरोजगार लोग बैठे हैं, एक हजार लोगों को उन केन्द्रों में लगाएं। उनको भी शिक्षा सहयोगी के रूप में रोजगार उपलब्ध होगा। यह काम आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि आपके जितने भी कॉर्डिनेटर लगा रखे हैं, जिनकी मॉनिटरिंग हमारे तो स्वच्छता परियोजना अधिकारी के मार्फत करायी जाए, धरातल पर जाकर बच्चों को पोषाहार वितरण सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर आप जरूर थोड़ा ध्यान देंगे तो क्षेत्र में जनता को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।

मैं एक दूसरी बात आपके बीच में कहना चाह रहा था कि अभी पिछले टाइम में आपने हमारे किसानों को मक्के का बीज दिया था। वह मक्के का बीज बहुत गलत था। पूरे क्षेत्र में जब काश्तकारों ने वह बीज बोया, वह बीज उगा नहीं और उन काश्तकारों के लिए वह बहुत हानिकारक हुआ। इसके

(श्री गोपीचंद मीणा)

बारे में भी मैंने एक प्रश्न लगाया था, लेकिन उसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि समय रहते यदि आप काश्तकारों को, जो बी.पी.एल. परिवार से हैं, जिनको आप लाभ देना चाहते हैं तो समय रहते उनको बीज मिलना चाहिए, बारिश होते ही वह खेती कर सके। बीज भी अच्छे किस्म का हो। जो पिछले टाइम में दिया था, उसके बारे में, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उस कम्पनी से तो आप पैसा वापस वसूल करें। उन काश्तकारों का बहुत अहित हुआ है। खेती पड़ी रही, इतना सारा नुकसान हुआ।

मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि हमारे टी.एस.पी. एरिये के अन्दर जितने भी नॉन टी.एस.पी. के अध्यापक हैं, और भी कर्मचारी हैं, जिनको आप नॉन टी.एस.पी. में भेजेंगे तो टी.एस.पी. एरिये के अन्दर सारी जगहें खाली होंगी। हमारे क्षेत्र के पढ़े-लिखे युवक-युवती हैं, उनको नौकरी का अवसर मिलेगा। हमने आपसे इस बारे में कई बार निवेदन किया है। मैं इस अवसर पर हमारे जितने भी सदन में जनजाति टी.एस.पी. एरिये के विधायक हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं, इस बात को हम सब मिलकर के, चाहे हमें मुख्य मंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे राज्यपाल महोदय से भी मिलना पड़े, मिलकर के इस काम को करायेंगे तो हमारे क्षेत्र में नौकरी के अवसर मिलेंगे।

मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरे पास मात्र आठ मिनट हैं, लेकिन मैं दो-तीन मांगें आपके सामने रख रहा हूं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): बेणेश्वर धाम में, पिछली बार आपने मुझे बुलाकर एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग के अन्दर हमारे बेणेश्वर धाम के चारों तरफ आपने बाउण्ड्रीवाल बनाई एक करोड़ रुपया देकर, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। साथ में, एक दूसरी बात भी रखूंगा कि वहां पर 218 बीघा भूमि है, जिसका हम समतलीकरण कराना चाहते हैं। वहां पर जितनी झाड़ियां हैं, विलायती बबूल हैं, उनकी सफाई करके उस मैदान को यदि समतल कर दिया जाए तो हमारे वहां पर गार्डन टाइप बन सकता है। इस काम को आप अपने टी.ए.डी. विभाग के मार्फत करायेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

दूसरा, बेणेश्वर धाम में टी.एस.पी. विभाग के जो काम चल रहे हैं, वे आज भी आधे-अधूरे हैं। उनको आप जितना जल्दी से जल्दी कराएं, ताकि हमको उस क्षेत्र में लाभ होगा। मैं मालविया जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने वहां पर एक एनिकट की स्वीकृति देकर के, आपके प्रयास से पुल बन

(श्री गोपीचंद मीणा)

रहा है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन एक दूसरी बात भी मैंने आपको बताई है। मेरे उस काम को भी करना, मैं बार-बार आपको नहीं कहूंगा।

एक दूसरी बात बता रहा हूं कि हमारे पिछले मंत्री महोदय नन्द लाल मीणा साहब थे। उस टाइम एक योजना चलाई थी। वह योजना क्या थी कि बी.पी.एल. परिवार के जो काश्तकार हैं, उनको 10 हजार रुपये विद्युत कनेक्शन का मिलता था और 15 हजार रुपये मोटर का मिलता था। वह योजना अभी बन्द कर रखी है, उस योजना को लागू करें। हमारे काश्तकारों के जो नये कनेक्शन होते हैं, उनको यह बेनिफिट मिल सकता है। इस योजना के अन्दर भी एस.टी. भाइयों को आप लाभ पहुंचाने का काम करें। यह डे केयर वाला मैं आपको पुन: याद कराता हूं कि हमारे एक हजार मां-बाड़ी केन्द्र हैं, इन एक हजार मां-बाड़ियों को यदि आप डे केयर में परिवर्तन करेंगे तो उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। यही कहता हुआ आपसे उम्मीद रखता हूं कि हमारी बातों पर आप जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद, सभापति महोदय, जो आपने मुझे मांग संख्या 30 पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में रूपपुरा पंचायत के स्वीपुरा गांव में इसी बजट में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यह मेरे क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग थी और मैं आशा करता हूं कि अतिशीघ्र ही स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा।

सभापति महोदय, इसी तरह मैंने 15 फरवरी को तारांकित प्रश्न के माध्यम से एक सवाल रखा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोला जाए, जिसका आदरणीय मंत्री महोदय ने जवाब में दिया था कि हां, आपके एक जनजाति छात्रावास खोला जायेगा। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसका काम जल्दी शुरू करवाएं, स्थान चिह्नित कर लें, गांव का नाम बता दें, ताकि हम गांव वालों को जाकर बता दें कि आपके यहां यह खुलने वाला है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 154 गांव माडा योजना

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

के तहत चयनित हैं, जिनमें प्रमुख ग्राम पंचायतों का मैं नाम बता देता हूं, ग्राम पंचायत, उखलाना, बिलोता, देवली, हैदरीपुरा, खेलनिया, मण्डावरा, मोहम्मदगढ़, खोल्या, पचाला, पाटोली, रिजोदा, बिलासपुरा, रानीपुरा, श्योराजपुरा, चारनेट, देवड़ावास, निवारिया, राजकोट, सावंतगढ़, सीतापुरा एवं टोकरावास व कासीर है। यह जनजाति बहुल इलाका है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माडा योजना का बहुत ज्यादा लाभ इन क्षेत्रों को नहीं मिल रहा है। मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं और मैंने आपको लिख कर भी दे दिया कि जो भी माडा योजना के तहत काम क्षेत्र में आते हैं, कृपया उनको आप प्राथमिकता के तौर पर दिखाने का प्रयास करें।

सभापति महोदय, मैं कुछ स्पेसिफिक काम आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मेरे राजकोट एक गांव है, पंचायत मुख्यालय है, उसमें जनजाति बालिका छात्रावास चल रहा है, अब उस छात्रावास के चारदीवारी नहीं है। उसके अभाव में आप जानते हैं कि बच्चियों को कितनी दिक्कत होती होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसको दिखवा लें और अतिशीघ्र राजकोट का जो बालिका विद्यालय है, उसकी चारदीवारी करवाने की कृपा करें।

सभापति महोदय, इसी तरह माडा के तहत कुछ स्कूल वहां पर संचालित हैं। अब स्कूल एक बार बन तो गयी, बीस-बीस साल हो गये, इन स्कूलों की रिपेयर नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग कहता है कि, साहब, ये माडा योजना के तहत बनी हैं। माडा योजना कहती है कि हमने तो बना दिया। फिर इसका रिपयेर कौन करेगा? तो उसके रिपेयर की जो भी माडा योजना के तहत माडा गांव में जो स्कूल बनी हैं, उनके रिपेयर की भी समय-समय पर बता दें। मैं आपको लिस्ट बता देता हूं।पाटोली पंचायत का अली नगर गांव है, खोल्या, कूंड़िया, लसाड़िया विद्यालयों में कक्षा कक्ष नहीं हैं, जो बने थे, पहले प्राइमरी स्तर की स्कूल थी, अब आठवीं तक हो गयी, बारहवीं तक हो गयी, लेकिन कमरे उतने के उतने ही हैं। इनको कृपया आप प्राथमिकता के आधार पर देखें। मैं इनके लिए मेरे विधायक कोष से जो 30 प्रतिशत की राशि है वह देने को तैयार हूं। मैं आपको लिख कर दे दूंगा। बाकी सरकार का जो अनुदान है, वह सरकार दे।

सभापति महोदय, इसी तरह मुख्य जो पूरे राजस्थान की समस्या है उससे मेरा विधान सभा क्षेत्र भी प्रभावित है। मैंने तारांकित प्रश्न के माध्यम से पूछा था कि विगत पांच वर्षों में कितने लोगों ने वनवासी क्षेत्र में पट्टों के

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

वनाधिकार योजना के तहत आवेदन किया था? मुझे जवाब दिया गया कि 209 आदमियों ने आवेदन किये थे। पांच साल के बाद भी 209 में से एक को भी पट्टा नहीं दिया गया है। वे पात्र हैं तो इसको दिखवाएं, क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अतिशीघ्र, जैसे राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि आप एक अभियान चला रहे हैं, वनवासियों को उनकी भूमि का पट्टा दिलवाने हेतु 01 मार्च से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जायेगा। अब उन्हीं लोगों को अगर आप निरस्त ही करेंगे तो क्यों उनसे फार्म भरवा रहे हो? इच्छा शक्ति आप देखिए, और उसके अभाव में नुकसान क्या होता है कि ये लोग जमीन पर काश्त कर रहे हैं, फोरेस्ट वाले आते हैं, मैं नाम भी बताता हूं उसका कि, आपका तो अवैध है, आपके पट्टा नहीं है, तो प्रति बीघा पांच हजार रुपये ले रहे हैं मंत्री महोदय, रैंजर है एक उसका नाम है केदार शर्मा। मैं कल ही वहां से आया हूं, पांच-पांच हजार रुपये, अब उन्होंने वहां फसल कर ली या तो फसल करने ही नहीं देते उनको। आपने बोने क्यों दिया? जब बो लिया तो अब काटने का टाइम आ रहा है, तो उनसे कह रहे हो कि पैसे दीजिये तो उनको पट्टे दीजिये, उनको मालिक बनाइये उस जमीन का, अन्यथा उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करें। मैंने वहां के डी.एफ.ओ. से भी बात की है कि यह क्या तरीका है आपका? अगर ये अवैध थे, उनके पट्टे नहीं थे तो इनको खेती क्यों करने दी और अब पकने का टाइम आ गया, काटने का टाइम आ गया तो आप फीस वसूल कर रहे हो उनसे। यह अन्याय है और सरकार बदनाम होती है। सरकार का इसमें कोई लेना-देना नहीं है। गलती यहां के स्थानीय अधिकारियों की है।

सभापति महोदय, इसी तरह मेरे कुछ प्रस्ताव हैं जो मैंने विभाग को भी लिखे हैं, सरकार को भी लिखे हैं, जो मंत्री महोदय, आपके पास हैं, सहानुभूतिपूर्वक उन पर विचार करें। मैं आशा करता हूं कि आप उनका निस्तारण अतिशीघ्र करेंगे।

सभापति महोदय, अब आ गया यह महिला एवं बाल विकास विभाग का। मंत्री महोदया, बड़ा सेंसेटिव डिपार्टमेंट है। आप सेंसेटिव व्यक्ति हैं, अनुभवी मंत्री हैं। मैं आपसे आशा करता हूं कि कम से कम देखो तो सही कि आपको कितने आंगनबाड़ी खोलने हैं, उसका मापदण्ड क्या है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है। जहां किसी की इच्छा शक्ति होती है, आपने एक गांव में दो-दो खोल दिये और जहां इच्छा शक्ति नहीं है, वहां पांच पंचायतों में एक भी नहीं है, तो

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

मापदण्ड तो बनना चाहिये। सरकारी विभाग है सरकारी नियम से चले, जैसे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ब्लाक हैं, अलीगढ़ एवं देवली, जिनमें 356 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 72 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, पर इनमें मात्र 230 के पास खुद का भवन है, बाकी किराये के मिले हुए हैं। किराया आप देते हैं, नहीं देते हैं, कब देते हैं, कैसा भवन है, क्या है, देखा तो करो, क्योंकि उसमें मां और बच्चे दोनों जाते हैं। वह स्थिति देखिए। जहां भवन नहीं हैं उनका भवन बनाइए और जो भवन क्षतिग्रस्त हैं उनकी आप मरम्मत करवाने की व्यवस्था करवाएं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादातर जो आंगनबाड़ी केन्द्र हैं उनमें शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कम से कम जिनमें महिला कर्मचारी हैं तो वे महिलाएं कहां जायेंगी? आंगनबाड़ी केन्द्र गांव के बीच में है, अब कहां जायेंगी, बताइये, वह महिला कर्मचारी? तो हर आंगनबाड़ी केन्द्र में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कम से कम महिला शौचालय की तो व्यवस्था करवाएं, ताकि वह सम्मानजनक तरीके से अपना कार्य निष्पादित कर सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दोनों ब्लाक्स में पांच नगरपालिका क्षेत्र एवं दो ग्राम पंचायत सोप एवं ग्राम पंचायत पायगा में आंगनबाड़ी केन्द्र की अतिशीघ्र खोलने की आवश्यकता है, बिलकुल ही नहीं हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): जब खोले थे आपने उसकी आबादी दस हजार थी। अब देवली की तीस हजार हो गयी, तो उस अनुपात में ये भी तो बढ़ने चाहिये, तो महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि लेटेस्ट जनगणना के आधार पर आप आपके मापदण्ड के अनुसार नये आंगनबाड़ी केन्द्र खुलवाने की व्यवस्था करें। नाम मैं आपको बता देता हूं। जहा बड़े गांव हैं उनमें तो आप आंगनबाड़ी केन्द्र खोलें और जो छोटे गांव हैं, जहां आबादी कम है वहां मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की सरकार से मैं मांग करता हूं। जगह का मैं आपको बता देता हूं। मैंने सरपंचों से बात की है। सब सरपंच जगह देने को तैयार हैं। यह बहाना नहीं हो सकता कि हमें पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताइए कि किस जगह आपको जमीन की कमी है। मैं वहां की पंचायत में जाऊंगा, आम सभा की बैठक बुलायेंगे और आपको पट्टा दिलवायेंगे, पर निर्माण तो आप ही करायेंगे। आप जब अपना जवाब दें तो कृपया मुझे बताइए कि आप कहां-कहां खुलवायेंगी, कहां-कहां आपको जमीन

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

की कमी आ रही है? आप बहुत सेंसेटिव मंत्री हैं और मैं आशा करता हूं कि जो मैंने मेरे क्षेत्र की मांगें उठायी हैं, उनको पूरी करेंगी।

सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। अभी माननीय सदस्य हमारे बोल रहे थे। उनको जब देखता हूं और इस जयपुर क्षेत्र को देखता हूं पूरा मैं, अनेक गांवों में घूमा हूं मैं, तो दृश्य ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र में पूरे राजस्थान में चौबीस जनजाति की सीटें हैं और उसमें लगभग 16 सीटें, सिरोही की और कोटा की जोड़ दें तो और बढ़ जाती हैं। 16 सीटें तो बिलकुल हमारे उदयपुर के पास में ही हैं। वहां की स्थिति और यहां की स्थिति देखें। उदयपुर डिवीजन में जनजाति की लगभग 60 लाख की पापुलेशन है। शिक्षा के प्रसार में जयपुर जिले को देखता हूं, इधर के जिलों को देखता हूं तो लगता है कि यहां बहुत पहले से स्कूल खुल गये। इसलिए आज डी.जी. और ऐसे लेवल पर ये लोग पहुंचे हैं। यह जनजाति विभाग 1975 में बना, 1977 में नंदलाल जी मंत्री बने। लगभग 45 साल के आस-पास हो गये जनजाति विभाग को बने। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा मेवाड़ क्षेत्र पूरा ही जनजाति क्षेत्र है, आपके मंत्री रहते हुए एक-दो गांव मॉडल डवलप कीजिए। आज मैं मेवाड़ में नजर दौड़ाता हूं तो देखता हूं कि 60 लाख की पापुलेशन है, लेकिन आई.ए.एस., आर.ए.एस. कितने हैं? शायद चार नाम भी आई.ए.एस. के जुबान पर नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति हमारे यहां की है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई मॉडल गांव डवलप करके उसमें सब प्रकार की सुविधाएं दीजिए। मुख्य मंत्री जी से स्पेशल परमिशन लेकर जनजाति का मॉडल गांव विकसित कीजिए, जहां पर सारी सुविधाएं, स्कूल, हास्पिटल, बच्चों का हॉस्टल हो।

माननीय सभापति महोदय, भैरोंसिंह जी ने आरक्षण दिया, स्थानीय निकाय में दिया और पंचायती राज में भी दिया। आज वहां थोड़ी-बहुत लीडरशिप डवलप हुई है, शिक्षा का थोड़ा-बहुत प्रचार हुआ है वह भैरोंसिंह जी के कारण हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं कि केन्द्र सरकार ने एक आदिवासी

(श्री धर्मनारायण जोशी)

बहन को भारत का राष्ट्रपति बनाया। केन्द्र सरकार ने एक मैसेज दिया कि हमारा आदिवासी भाई कमजोर नहीं है। केन्द्र सरकार ने देश में 370 एकलव्य विद्यालय बनाये। माननीय सभापति महोदय, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हमारे गोगुन्दा में एक साल पहले एकलव्य विद्यालय में 10 लाख के बिस्तर भेजे, वे बिस्तर अभी तक बंद पड़े हैं, बिस्तरों को खोला ही नहीं। ऐसे सारे एकलव्य विद्यालयों में 10 लाख के बिस्तर पडे हैं, कोई धणी-धोरी ही नहीं है। किसने किया यह, कहां से आया पैसा? माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि प्रधान मंत्री जी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। 50 साल से आप भी राज कर रहे हो। गोविन्द गुरु के नेतृत्व में संघर्षरत 1,500 आदिवासी भाइयों को गोलियों से भून दिया। उन 1,500 आदिवासी भाइयों का इतिहास में कहीं नाम ही नहीं था। यह तो भाजपा सरकार ने मानगढ़ धाम को प्रसिद्ध किया। मोदी जी जब मुख्य मंत्री थे, वहां एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। मैं 2013 में वहां गया हूं।उस कार्यक्रम ने मानगढ़ धाम को प्रसिद्ध किया।

माननीय सभापति महोदय, हमारे इतिहास में चाहे निषादराज हो, चाहे केवट हो, चाहे शबरी हो...। अर्जुन के लिए कह दिया कि अर्जुन रास्ता भटक गये थे। वे नागालैंड के आदिवासी भाइयों में गये, वहां की आदिवासी राजकुमारी उलूपी से विवाह किया। उस राजकुमारी से विवाह करने के बाद उनका एक पुत्र हुआ। अर्जुन के उस पुत्र का नाम हीरावन था। हमारे यहां पर कालीबाई का बहुत प्रसिद्ध नाम है। रास्तापाल की एक छोटी सी बच्ची, एक अध्यापक सांगाभाई को अंग्रेज गाड़ी से घसीट कर ले जा रहे थे, छोटी बच्ची कालीबाई ने रस्सी काटी, उसको बलिदान होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तब कालीबाई का नाम भी प्रसिद्ध हुआ, सांगाभाई का नाम भी प्रसिद्ध हुआ।

हमारे बिरसा मुंडा 19 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे। बिरसा मुंडा का इतिहास में कहीं नाम नहीं था। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 17 नवम्बर, 1913 को मानगढ़ धाम का इतिहास रचा। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आदिवासी गौरव दिवस की केन्द्र सरकार ने घोषणा की। ऐसी अनेक योजनाएं केन्द्र सरकार की हैं।

एक छोटा-सा निवेदन करता हूं, केन्द्र सरकार ने जनजाति क्षेत्र में 27 जनजाति अनुसंधान संस्थान खोले हैं। हमारे यहां पर्यटन की बहुत गुंजाइश

(श्री धर्मनारायण जोशी)

है। यहां हमारे केबिनेट मंत्री महेन्द्रजीत मालविया जी बैठे हैं। ये बेणेश्वर धाम में गले में ढोल डालकर गीत-भजन गाते हैं। यह बात हमारे लिए आदर्श नहीं है क्या? केन्द्र सरकार टी.ए.डी. में पैसा बहुत देती है। उस पैसे का क्या होता है? माननीय सभापति महोदय, टी.ए.डी. विभाग में फर्नीचर घोटाला, माननीय मंत्री महोदय, मनचाही फर्म को 69 फीसदी ज्यादा रेट पर 10 करोड़ का टेंडर, दरें बढ़ी तो सामान घटा दिया। जब राज्यपाल महोदय ने हस्तक्षेप किया तो वहीं के डिपार्टमेंट के लोगों को जांच अधिकारी बना दिया। यह दुर्भाग्य है इस देश का और जनजाति समाज का। आज गरीबों के नाम माइन्स चल रही हैं। आपको आश्चर्य होगा, आदिवासी भाई को पता नहीं होगा कि मेरे नाम से माइन्स है। वह तो नरेगा में काम करता है। उसके नाम से माइन्स ले रखी हैं। उसके नाम से खाते खुलवा रखे हैं। उसके नाम से करोड़ों का लेनदेन हो रहा है। बिजौलिया में गरीबों के नाम से जमीनों और खानों का खेल, कई गरीब आदिवासी गायब, यह स्थिति यहां की सरकार ने बना रखी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको छोटे से दो-तीन उदाहरण देता हूं। उदयपुर में जनजाति क्षेत्र में राजसंघ में एक सज्जन लियाकत हुसैन काम करते हैं। उनका रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद उनको 22 हजार रुपये महीने में रखा। फिर वह 65 साल के हो गये। अभी उनको 50 हजार रुपये महीने में फिर नियुक्ति दे दी है। वित्त विभाग की कोई स्वीकृति नहीं है, माननीय सभापति महोदय, जनजाति विभाग में यह खेल चल रहा है। केन्द्र सरकार की वन धन योजना में केवल आदिवासियों के लिए खर्चा हो सकता है। अनेक अनरजिस्टर्ड ऐसी संस्थाओं को 5-5 करोड़ रुपये, 1-1 करोड़ रुपये बांट दिये जैसे बंदरबाट हो रही हो। यह केन्द्र सरकार की योजना है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने 9 सितम्बर, 2021 को जन सहभागिता योजना निकाली। उसके लिए 100 करोड़ रुपये पास किये गये। मैंने 27 प्रस्ताव दिये, 27 में से केवल 05 प्रस्ताव, यानी डेढ़ सौ करोड़ रुपये केवल बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में, सोलर की योजना केवल बांसवाड़ा में... मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुशलगढ़ में लगा देते बागीदोरा में लगा देते, आपके घाटोल, डूंगरपुर में लगा देते, परंतु कहीं नहीं लगाया।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, 2020-21 के बजट में घोषणा थी सागवाड़ा-उदयपुर में जनजाति छात्रों के लिए

(श्री धर्मनारायण जोशी)

कोचिंग सेन्टर होंगे। जयपुर में 10 करोड़ की लागत से कोचिंग सेन्टर की घोषणा होगी, मंत्री महोदय, इसमें क्या प्रगति हुई, मुझे अवगत कराएं। 2021-22 के बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 100 करोड़ के विकास कोष की घोषणा, धरातल पर कुछ नहीं है। अभी भी आपने बजट में घोषणा की है। मुझे बहुत आश्चर्य है, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पांचों बजटों में 721 पेज रंगे हुए हैं, जिनमें 1,279 पाइंट हैं। इनमें एस.टी., एस.सी. के लिए मुश्किल से 16-17 पाइंट हैं। अभी आपने 500-500 करोड़ रुपये एस.टी., एस.सी. के लिए केवल घोषणा कर दी कि उनके लिए कोष स्थापित किया जायेगा, धरती पर कुछ भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पास एक कागज पड़ा है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रशासनिक स्वीकृति जीरो, जीरो और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। पहले प्रशासनिक स्वीकृति होती है, उसके बाद वित्तीय स्वीकृति होती है, परंतु प्रशासनिक स्वीकृति में लिखा हुआ है कि मावली जीरो, जीरो और वित्तीय स्वीकृति हो गई। माननीय सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि हमारे आदिवासी भाइयों की संस्कृति, उनके शादी ब्याह देखिए, उनका रहन-सहन देखिए। उनकी पूजा-पाठ देखिए। गांव की गंवरी के नृत्य देखिये, ऐसा लगता है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में हमारी संस्कृति को विकसित करने की अनेक संभावनाएं हैं, परन्तु सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण मेवाड़ का आदिवासी यूं का यूं ही पिछड़ा हुआ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनके लिए एक मॉडल बनाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय: 18.00 बजे)

श्री सभापति: श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 32-महिला एवं बाल विकास विभाग पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सदन के माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए भी संकल्पबद्ध है। किसी भी देश का सर्वांगीण विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रदेश के

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

कल्याण हेतु सदन में जो बजट पेश किया गया है, उसमें अधिकांश निर्णयों के केन्द्र में महिलाएं ही हैं। हमारे संविधान में महिलाओं की स्थिति को समान रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी गयी है। साथ ही, संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सकारात्मक कदम उठाने का भी अधिकार देता है।

सभापति महोदय, बजट में अल्प आय वर्ग की महिलाओं के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना प्रस्तावित की गयी है। इसके अन्तर्गत आवश्यक किट, उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने के लिए, सहायता उपलब्ध कराने के लिए पांच-पांच हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। बजट में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले एक लाख रुपये तक ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा भी की गयी है। प्रदेश में आंगनबाड़ियों की सुविधा को विस्तार एवं बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से 8 हजार आंगनबाड़ी एवं 2 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की भी घोषणा की गयी है। साथ ही, जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ढाई सौ मां-बाड़ी केन्द्र भी खोले जायेंगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु उदयपुर में महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाये जाने की घोषणा की है। साथ ही, कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल हेतु प्रियदर्शनी डे-केयर सेन्टर योजना के अन्तर्गत डे-केयर सेन्टर भी खोले जायेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया का आभार व्यक्त करती हूं कि पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को उचित संरक्षण देने हेतु इनके रिटायरमेंट के समय दो से तीन लाख रुपये का रिटायरमेंट सहायता पैकेज दिये जाने की भी घोषणा की गयी है। इससे लगभग दो लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही, आगामी वर्ष से समस्त मानदेय कर्मियों यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, मां-बाड़ी कार्यकर्ता, मिड-डे-मील कुक-कम-हैल्पर आदि के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

(समय: 18.03 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, राज्य में मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत अब स्कूली बच्चों को दो दिन नहीं, बल्कि प्रति दिन दूध उपलब्ध कराया जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा कोरोना काल में अनेक जन कल्याणकारी कदम उठाये गये हैं, जिसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को वयस्क होने पर उनको नौकरी दिये जाने की भी घोषणा की गयी है। पालनहार योजना में छह वर्ष की उम्र तक की बच्चों के लिए प्रति माह दी जाने वाली 500 रुपये की सहायता बढ़ाकर 750 रुपये कर दी गयी है। साथ ही, 7 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की सहायता एक हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपये कर दी गयी है। इससे प्रतिवर्ष 6 लाख 50 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जिस प्रकार सरकार द्वारा किसानों के लिए, युवाओं के लिए, अलग से बजट पेश किया जाता है, उसी प्रकार महिलाओं के लिए भी प्राथमिकता प्रदान कर, उनके लिए भी अलग से एक बजट का प्रावधान रखा जाये। साथ ही, मेरा मंत्री महोदया से भी अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में बाल विकास परियोजना, भीण्डर के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह आंगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा दिये गये सूखे पोषाहार का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाए। जो महिलाएं समूह चलाती हैं, वे उधार लेकर ब्याज की राशि पर काम चला रही हैं तथा उन्हें बाजार से ली गयी सामग्री के भी रुपये देने होते हैं। अत: इस परियोजना का बजट आबंटन समय पर करने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देश दिये जाएं। साथ ही, ब्लाक भीण्डर की आंगनबाड़ी कर्मियों ने कई बार अवगत कराया है कि इन्हें कई बार समयबद्ध तरीके से मानदेय प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण इन्हें काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अत: इस सम्बन्ध में भी उच्च अधिकारियों को निर्देश दें कि आंगनबाड़ी कर्मियों को समय पर मानदेय का भुगतान किया जाए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, मां-बाड़ी कार्यकर्ताओं को राजकीय सेवा में स्थायी रूप से नियोजित किया जाए। जब तक इनके सेवा नियम बनते हैं, तब तक इनका मानदेय बढ़ाया जाए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सदन में सभी सम्मानित

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

सदस्यों से निवेदन है कि वे महिला सशक्तीकरण की दिशा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और उन्नत एवं खुशहाल राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह जी।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 32- महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सुबह से जनजाति विकास के बारे में अलग-अलग माननीय सदस्यों ने मांग उठायी है और पिछली बार भी इसी विषय को लेकर चर्चा हुई। उस समय भी बड़ी मांग उठी। आज प्रश्न काल में माननीय सदस्य श्री अर्जुन जी के प्रश्न में कि जनजाति क्षेत्र में कृषि कनेक्शन में एस.सी. वर्ग को तो आरक्षण मिल रहा है, लेकिन एस.टी. वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप हमारे जिले में प्रभारी मंत्री भी हैं। आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है। बाहुल्य होने के साथसाथ, उदयपुर जिले को तो टाडा में लिया हुआ है, हमारा क्षेत्र बिखरे हुए क्षेत्र में आता है, इसलिए माडा में भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जो विद्युत कनेक्शन हैं, उसमें हमारे छोटे-छोटे लघु सीमान्त कृषक हैं, उनकी हमेशा मुख्य मांग रहती है कि कृषि कनेक्शन में हमारे को भी आरक्षण मिले और उसमें हमें प्राथमिकता से कनेक्शन मिलें। 1994 से इस विषय को लेकर मांग उठ रही है। अभी माननीय अमृत जी ने कहा कि छह-छह मंत्री इसी जनजाति क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया, तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विषय को गंभीरता से लें और आज जब जवाब दें तो जनजाति क्षेत्र में जो जनजाति के कृषक हैं, उन्हें भी विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज सभी जनजाति क्षेत्रीय विकास की चर्चा कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र जोधपुर संभाग में आता है और मारवाड़ क्षेत्र में आता है। जिस प्रकार से उदयपुर संभाग जनजाति क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र है, मारवाड़ का क्षेत्र भी जनजाति के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। भले ही वहां पर बिखरी हुई जातियां हैं, जनजाति एक जगह पर नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री छगनसिंह)

में चार-पांच ग्राम पंचायतें 70-80 परसेंट की हैं, लेकिन बिखरा हुआ जनजाति क्षेत्र है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मारवाड़ क्षेत्र में जो आरक्षण का विषय है, हमारे वहां पर आरक्षण कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। मैं बार-बार इस विषय को लेकर चर्चा कर रहा हूं कि मारवाड़ में अलग से 5 परसेंट का आरक्षण दिया है। जो एस.टी. वर्ग का आरक्षण वर्ग है, उसमें से 5 परसेंट मारवाड़ क्षेत्र में दिया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में भी, जालौर में भी, सिरोही में भी और पाली में हमारे जनजाति भाई बड़ी-बड़ी सिविल सर्विस में जाएं और अधिकारी बनें। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की पहल करते हुए, जो भरतपुर संभाग से आते हैं, जो जयपुर संभाग से आते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसी पहल करें कि मारवाड़ के जनजाति क्षेत्र में इस आरक्षण का लाभ अलग से कैसे मिले, इसके लिए आप सबको प्रयास करते हुए उन भाइयों का भी..। सिर्फ और सिर्फ यहां पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर उस क्षेत्र के लोगों को आगे कैसे बढ़ाना है, हम सिर्फ भाषणों में उनके लिए बड़ी-बड़ी बातें कर लेते है, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। सिविल सर्विस में देखिए, प्रशासनिक आर.ए.एस. वाले क्षेत्र में देखें तो हमारे क्षेत्र में बिलकुल भी नहीं हैं। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में, मैं तो यह कहूंगा माननीय मंत्री जी, जो तीन-चार गांव हैं, वहां का मेवासा गांव देखिए, वहां का बेदाणा खुर्द देखिए, हरियाली देखिए, अलावा ए, अलावा बी, अलावा सी, ये गांव पूरे के पूरे जनजाति क्षेत्र के हैं। अलावा सी की स्थिति तो यह है कि वहां अभी तक प्राथमिक विद्यालय ही है।

मैं बार-बार इस विषय को विधान सभा में उठाता हूं और मैंने इस विषय को गंभीरता से लिया है। मैंने बात उठायी कि इस अलावा सी में 5वीं तक का स्कूल है। शत-प्रतिशत छात्र, वहां पर 5वीं में पढ़ने वाले सभी के सभी जनजाति क्षेत्र से पढ़ रहे हैं। वहां अभी तक उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। 5 किलोमीटर तक पास में स्कूल नहीं है। उसको 5वीं से 8वीं करवाना चाहिए। कोई बड़ी बात भी नहीं है। मेवासा, जहां जनजाति के पूरे के पूरे 400 बच्चे पढ़ते हैं, वहां 8वीं तक स्कूल है। उसको भी क्रमोन्नत करके 12वीं तक करवाना चाहिए। तब लगेगा वास्तव में हम जनजाति क्षेत्र के लिए कुछ करते हैं, नहीं तो हम लोगों ने बोला और आप लोगों ने सुना। अधिकारियों ने जो

(श्री छगनसिंह)

लिखकर दिया होगा, वह आप जवाब दे देंगे। हमारे विषय का कोई मतलब निकलता नहीं है। भले ही वह अलावा सी का विषय हो, भले ही वह बेदाणा का विषय हो, भले ही रशियावास खुर्द का हो, भले ही मेवासा का विषय हो।

मेरे क्षेत्र में करीब 40 हजार जनजाति की आबादी है। वहां पर एकलव्य मॉडल स्कूल की आवश्यकता है। वैसे वहां पर एक बालिका छात्रावास चार साल से बन रहा है। अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तीन साल पहले उसका मंत्री जी ने जवाब दिया था कि काम शुरू हो जायेगा, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मंत्री जी, मैं इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप विशेषकर जालौर जिले में प्रभारी भी हैं। आज आवश्यक रूप से वहां पर एक मॉडल स्कूल, भले ही वह भाद्राजून तहसील में खोलें या आहोर तहसील में खोलें, एक आवासीय स्कूल जनजाति के लिए बहुत आवश्यक है। वास्तव में वहां शिक्षा की अति आवश्यकता है।

सभापति महोदय, सिर्फ चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से उदयपुर संभाग से आने वाले सभी भाइयों ने जो पीड़ा बतायी है, वह पीड़ा हमारे क्षेत्र में भी है। मारवाड़ क्षेत्र की भी वही की वही पीड़ा है। हम उस क्षेत्र में नहीं आये। टाडा, माडा में हमारा क्षेत्र नहीं है। टी.एस.पी. में हमारा क्षेत्र नहीं है। उस क्षेत्र को आप देख लीजिए। आप आते हैं, लेकिन छिपकर मीटिंग करके चले जाते हैं। हमारे को कभी बताते नहीं। हमारे से कभी चर्चा नहीं करना चाहते। आप वहां पर जैसे कांग्रेस की मीटिंग करने आये हों, ऐसे कांग्रेस की मीटिंग करके चले जाते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री छगनसिंह (आहोर): हम एम.एल.ए. हैं तो हमें बताना चाहिए कि उस दिन आयेंगे और मीटिंग करेंगे। जिला स्तर पर मीटिंग होती है। इससे कहीं न कहीं जनता का भला होगा। हमें जनता ने चुनकर भेजा है। आप और हम मिलकर जनता का भला कर सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में आवासीय विद्यालय की आवश्यकता है। आज आपको बड़ा दिल रखते हुए, मैंने आपको लास्ट ईयर भी कहा था, लेकिन उस समय भी आपने जवाब नहीं दिया, बड़ा दिल रखते हुए भले ही भाद्राजून में या आहोर में, दोनों बहुत बड़े तहसील हैडक्वार्टर हैं, एक आवासीय विद्यालय की घोषणा करवानी चाहिए। भले ही वह मुख्य मंत्री जी से करवाएं या आज ही आप करें

(श्री छगनसिंह)

या आश्वासन दे देना कि मैं जरूर खोलूंगा। इससे मुझे लगेगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों का, जनजाति क्षेत्र के लोगों का आप भला करना चाहते हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लास्ट समय हमारे तीन माननीय सदस्य कोरोना की महामारी में देवलोक हुए थे। बजट में तीन माननीय सदस्यों के नामकरण से कालेज की घोषणा हुई थी। बहुत अच्छी पहल थी, मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन अबकी बार माननीय विधायक जी गौतम लाल जी मीणा, धरियावद के जो विधायक थे, उनके बारे में कालेज की घोषणा नहीं हुई। मैं निवेदन करूंगा कि इनके नाम से भी राजकीय महाविद्यालय खोला जाए। जनजाति क्षेत्र से हैं, उनके नाम से भी कहीं न कहीं महाविद्यालय खोलना चाहिए, जिससे लगेगा कि वास्तव में हम सभी का मान-सम्मान बराबर रखते हैं। मैं आपका ध्यान इस पर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 32 में महिला एवं बाल विकास की जब बात आती है...।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। Thank you. Your time is over.

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, एक मिनट।

हमारे क्षेत्र में जो परियोजना चल रही है आंगनबाड़ी की, वह भी किराये के भवन में। जितने भी आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं, आधे से अधिक किराये पर चल रहे हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जमीन अलाट करवाकर उनके भवन बनाए जाएं। जो भी सुविधाएं हैं, वे सभी मिलनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती समय पर नहीं होती है, वह भी समय पर हो, जिससे वहां के क्षेत्र में सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री नगराज जी।

श्री नगराज (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 व 32 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत अच्छे काम स्वीकृत किये हैं। आज की तारीख में मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 300 करोड़ के काम चल रहे हैं, जिनमें पुलियाएं, सड़कें, तालाब, एनिकट आदि सब काम हो रहे हैं।

(श्री नगराज)

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने चिरंजीवी योजना में आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए गंभीर बीमारी होने पर जो पहले 10 लाख रुपये दिये जा रहे थे, उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया और चिरंजीवी योजना में दुर्घटना का बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनेक योजनाएं हमारी राजस्थान की जनता को दी हैं। मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज जनजाति विभाग की जो मांगें हैं, मेरी विशेष मांग यह है कि विधान सभा क्षेत्र धरियावद में जनजाति के लोगों की गैर खातेदारी जमीन है, उस गैर खातेदारी जमीन में डी.एल.सी. रेट का 25 परसेंट शुल्क जमा कराने पर उसको खातेदारी अधिकार मिल रहा है। मेरा मानना यह है कि बांसवाड़ा में डी.एल.सी. रेट के 25 परसेंट का 25 परसेंट जमा होता है और उसको खातेदारी अधिकार मिल जाता है। धरियावद में कमांड क्षेत्र में डी.एल.सी. रेट का 25 परसेंट है। यह दो तरह की नीति क्यों है? इसको सुधारा जाए। यह मेरी मुख्य मांग है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे धरियावद विधान सभा क्षेत्र में काफी लम्बे समय से भूमि आबंटन नहीं हुआ है। लोगों का कब्जा है और वे पेनल्टी भर-भर कर परेशान हो गये। उनको भी खातेदारी आबंटन करवाने की कार्यवाही की जाए। एक मेरी मुख्य मांग है, मेरी क्या, सबकी मांग है। टी.एस.पी. क्षेत्र में जो क्लोज कैडर लगा रखा है, हमारे यहां पर जो बाहर के 1 से 9 पे-स्केल वाले कर्मचारी, जो पहले हमारे यहां भर्ती होकर चले जाते थे, सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी। उसको हटाया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाहर के करीब 2,600 लोग कार्यरत हैं। उनको अपने गांवों में भेज दिया जाए और 2,600 लोगों की हमारे यहां नई भर्ती की जाए, ताकि हमारे यहां के जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, उनको नौकरी मिल सके।

सभापति महोदय, इसके अलावा टी.एस.पी. क्षेत्र में हमारे टी.ए.डी. विभाग से प्रतिवर्ष मक्का वितरण किया जाता है। मक्का तो मिलता है, परंतु बरसात होने के बाद में विभाग मक्का पहुंचाता है। किसान खेती कर लेते हैं और खेती करने के बाद में वे थैली लेकर आते हैं। जमीन की तो पहले ही बुवाई हो जाती है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसकी व्यवस्था करें कि समय रहते पहले वह किसानों को मिल जाए जिससे किसान उचित व्यवस्था कर सकें और खेती में बढ़िया वाले बीज को बो सकें।

(श्री नगराज)

मानननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक और निवेदन है कि आपने सभी जगह छात्रावास दिये हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है अगड़ में, परंतु एक बालिका छात्रावास की हमको जरूरत है। एक लोहागढ़, ब्लाक धरियावद, प्रतापगढ़, एक कुण या काली बिंद, दोनों में से एक ब्लाक लसाड़िया, उदयपुर। तीसरा है, झल्लारा, मातासुला में, ये भी उदयपुर, मुहाना, ब्लाक धरियावद।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में मुझे चार पी.एच.सी. दीं। अभी एक पी.एच.सी. की और घोषणा हुई है। मैं मांग करता हूं कि तीन पी.एच.सी. और दी जाएं, एक खोता में, एक जसल्लारा में, एक लसाड़िया में, ताकि हमारे आदिवासी क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए समुचित व्यवस्था हो सके।

माननीय सभापति महोदय, जनजाति छात्रावास के बारे में निवेदन है, आदिवासी इलाका है और गरीब लोग पढ़ते हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ब्लाक वाइज अलग से कोचिंग सेंटर करके, उन बच्चों को कोचिंग कराई जाए, ताकि वहां के जो प्रतिभागी हैं, वे पढ़कर आगे जा सकें, उच्च पद पर पहुंच सकें। यह व्यवस्था की जाए। यह जनजाति बालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, पहले टी.ए.डी. डिपार्टमेंट से कुएं गहरे करते थे, कुएं बांधने का काम भी था। मंत्री महोदय, वह आपने बंद कर रखे हैं, उसको चालू किया जाए, ताकि किसानों को उसका पूरा लाभ मिल सके। मोटर लेने का, कुओं का कनेक्शन करने का, कुओं को गहरा करके उसको बांधने का, ताकि गरीब किसानों को उसका पूरा फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 32-महिला एवं बाल विकास पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, पर उनको मानदेय कितना मिलता है? कार्यकर्ताओं को 45 रुपये केन्द्र से, 4000 रुपये राज्य सरकार देती है। सहायिका को केवल 4500 रुपये। सहयोगिनी को 4000 रुपये। यह नरेगा की लेबर से भी कम है। मेरा निवेदन है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होकर घर जाता है तो उसको पेंशन मिलती है। इस सदन में बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों को भी पेंशन मिलती है, सरकार पेंशन देती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,

(श्री नगराज)
सहयोगिनी, सहायिका को पेंशन क्यों नहीं मिले? इन्होंने क्या गुनाह किया है? मेरी सदन के माध्यम से यह मांग है कि इनको भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का प्रावधान हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए।

सभापति महोदय, बहुत सारे कर्मचारी जो संविदा पर थे, इधर-उधर घूम रहे थे, जहां-जहां मीटिंग होती थी, झण्डा लेकर खड़े हो जाते थे, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सबको परमानेंट करने की घोषणा की है। कुछ लोग और रह गये हैं, हमारे पंचायत सहायक थे, इस प्रकार और रह गये हैं, करीब-करीब 5,600 लोग हैं, उनको भी नियमित करने की कार्यवाही करें, ताकि उनको भी रोजगार मिल सके।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री नगराज (धरियावद): इसके अलावा भी छोटे-मोटे और काम हैं। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां ट्राइबल एरिया में नॉन ट्राइबल का आदमी आकर कैसे नौकरी करता है? 1970 के पहले अगर यहां आता है, उसको यहां का मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता है, परन्तु हमारे यहां जन प्रतिनिधि, अधिकारी या कर्मचारी, फर्जी तरीके से मूल निवास प्रमाण-पत्र लेकर यहां पर राजकीय सेवा या राजनीति में आ जाते हैं। एक कमेटी का गठन करके इसकी जांच की जाए और उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाए, यह मेरी मांग है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का जितना धन्यवाद दूं, उतना ही कम है। उन्होंने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राजस्थान की जनता ने जो मांगा, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा, मैं देते-देते नहीं थकूंगा, आप मांगते-मांगते थक जाओगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वह करिश्मा करके दिखाया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटा-सा चुटकुला सुनाकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने नारा तो दिया सबका साथ, सबका विकास, पर साबित हो रहा है सबका साथ, सबका विनाश। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसको उल्टा नारा साबित कर दिया।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री नगराज (धरियावद): मैं कहना चाहूंगा, एक बार क्या हुआ, एक घोड़े वाला घोड़े से परेशान था। घोड़ा हरी घास मांग रहा था। हरी घास कहीं

(श्री नगराज)

नहीं मिल रही थी। सूखी घास दी तो घोड़े ने नहीं खाई। इधर से +++ आये कि घोड़े वाले क्यों परेशान है? घोड़े वाले ने कहा कि घोड़ा हरी घास मांग रहा है, मेरे पास हरी घास नहीं है, क्या किया जाए? मूर्ख तुझे इतनी अक्ल नहीं है क्या? मैंने पूरे हिन्दुस्तान को सूखी घास खिला दी हरा चश्मा लगाकर, जा ले आ 100 रुपये का चश्मा, इसके हरा चश्मा लगा देना, खा लेगा तो पूरे देश को सूखी घास खिलाकर हरा चश्मा दिखा दिया, +++ ने। आज हिन्दुस्तान की जनता महंगाई के नाम से त्राहि-त्राहि कर रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां। थैंक यू।

श्री नगराज (धरियावद): महंगाई के नाम से, बेरोजगारी के नाम से। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 30-जनजाति और मांग संख्या 32-महिला एवं बाल विकास पर आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं महिलाओं से अपनी बात शुरू करता हूं। राजस्थानी कवि गिरधारी सिंह पड़िहार ने कहा, रल आधो आज अंग पूरो, जिद मिनख लुगाई, कुण कम है। जे नर है नद पुरुषार्थ रो, तो नारी उनरो उद्गम है। जीव जो बने, उसमें नर और मादा दोनों बने। दोनों के अस्तित्व में कम या ज्यादा किसी को नहीं आंका जा सकता। एक जमाना था जब मातृ सत्तात्मक परिवार था। मां जननी थी, उससे सृष्टि आगे बढ़ी। लेकिन आज पितृ सत्तात्मक परिवार है। यह व्यवस्था पूरी दुनिया में ज्यादा प्रभावी है कि मनुष्य में आदमी ज्यादा ताकतवर है, महिला कम ताकतवर है जबकि समाज में बराबरी की जरूरत है। हम जब मनुष्य में बराबरी की बात करते हैं तो जातियों में बराबरी से पहले महिला व पुरुष की बराबरी की बात करनी चाहिए। एक सभ्य राष्ट्र के लिए, एक विकसित राष्ट्र के लिए अगर हम अग्रसर होना चाहते हैं तो हमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इसी तरह से, इस सन्दर्भ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जनजाति विकास की बात करें तो भी, मेरे बहुत सारे साथियों ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जनजाति क्षेत्र में आज भी स्थिति ठीक नहीं है। मैंने इसी सदन में, बार-बार यह बात दोहराई कि जनजाति क्षेत्र का उतना विकास नहीं हुआ, जितना विकास होना चाहिए था। साथियों ने रेखांकित किया है कि वहां से अफसर नहीं बने, वहां से कर्मचारी नहीं बने। जो कांकरी डूंगरी का

(श्री बलवान पूनियां)

मसला था, वह इसी बात की उपज थी। वे लोग मांग कर रहे थे कि हमारे यहां जो बाहर के लोग नौकरी लगे हुए हैं इनको भेजो, हमारे लोगों को रोजगार दो। हालांकि आंदोलन का तरीका गलत हो सकता है, इसी वजह से उनका दमन भी हो गया। हम चाहते हैं कि बराबरी का दर्जा हो। टी.एस.पी. क्षेत्र की मांग बार-बार उठती है, जो 10-10, 12-12, 14-14 साल से लोग बैठे हैं, उन लोगों को नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र में भेजो, टी.एस.पी. क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाए। अगर जनजाति क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो उनकी भाषा में, उनके तरीके से, उनके लोगों को हम जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक उनका विकास नहीं होगा। सिर्फ कुछ एनिकट या कुछ योजनाओं से हम उनको बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते, हम उनको बराबर लाकर खड़ा नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, पूरा का पूरा राजस्थान, जिसका अच्छा और सुन्दर इलाका, जहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, हरा-भरा इलाका है, जहां खनिज सम्पदा भी है, लेकिन उस इलाक़े के लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप तो वहां रहे होंगे, पोस्टेड भी रहे होंगे। हमारे इलाके में कोई खनिज सम्पदा नहीं है। दो फ़सलों में से एक फसल होती है, फिर भी लोगों का लिविंग स्टैण्डर्ड अच्छा है। लोग अच्छे पढ़े-लिखे हैं। बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि स्कूलों की स्थिति खराब है। हमारे यहां स्कूलों की अच्छी स्थिति है, क्योंकि पढ़ाई पहले आ गई, जागरूकता पहले आ गई, तो लोगों ने स्कूलों को उतनी तवज्जोह दी, जितना लोग मंदिर को तवज्जोह देते हैं। घर में मां-बाप की पूजा करते हैं, वैसे लोगों ने स्कूलों-कालेजों की पूजा की।

मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने एक हजार आंगनबाड़ियों का जिक्र किया, लेकिन स्कूल खोलने चाहिए थे कम से कम एक हजार, ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने चाहिए थे। पचास घरों की बस्ती है कहीं आदिवासी की तो वहां पर एक स्कूल होना चाहिए, ताकि वहां के बच्चे पढ़ें। प्राइमरी स्कूल भी खुल जायेगा तो वहां के बच्चे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद-जो बच्चा पांचवीं तक पढ़ लेता है तो उसके बाद हो सकता है कि वे दूसरे साधन से दूसरी जगह, दस किलोमीटर, पांच किलोमीटर दूर जाकर भी पढ़ लें। ऐसी स्थिति में हम सरकार से यह मांग करेंगे कि सरकार उनके बेहतर जीवन के लिए, उनके बच्चों को कुपोषण से उबारने के लिए, महिलाओं को कुपोषण से उबारने के लिए सरकार टाडा-माडा में जो भी योजना लेकर आयी है, उसकी गम्भीरता से जांच करे और गम्भीरता से उन पर काम करे, उनका अमल ढंग से करे।

(श्री बलवान पूनियां)

बार-बार जो बात पूरे दिन से डिस्कशन में आ रही है, वह यही बात है कि, साहब, बजट तो आया लेकिन लगा नहीं। यदि लगा है तो मंत्री महोदय बताएं और इस चीज का प्रचार भी करें। अब जैसे महिलाओं को बराबरी पर लाने के लिए या महिलाओं को स्वाभिमान प्रदान करने के लिए मुख्य मंत्रीजी एक योजना लाये, उड़ान योजना, मैं तो यह कहता हूं कि महिला बाल विकास विभाग की इससे अच्छी कोई योजना ही नहीं हो सकती, लेकिन पूरे दिन में केवल दो आदमियों ने जिक्र किया है उड़ान योजना का। उड़ान वह योजना है, जिससे आज से पचास साल पहले के हर किसी के समाज की बात को, महिला को आज स्वाभिमान मिला है कि सरकार ने उसके स्वास्थ्य की चिंता की है। महिलाओं में जो गुप्त रोग होते थे, इससे उन पर पाबंदी लगेगी और महिलाओं में बराबरी के दर्जे की एक स्थिति पैदा होगी।

माननीय सभापति महोदय, हम यह भी चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में वनवासी के नाम से जो विभिन्न संगठन चलते हैं, शायद उन संगठनों ने ठगा ही होगा। वनवासी अधिकार कानून आया तो आज कितने वनवासियों को पट्टे दिये गये? उन वनवासियों की जमीन आज भी बड़े पूंजीपति छीनने की फिराक में हैं। आप पूरे देश की बात करें तो एन.जी.टी. कानून लाकर वनवासियों को रोका गया है, मगर वहां कोयला खोदने की बात चली तो वह तो आराम से खुदा होगा, लेकिन वनवासी को एन.जी.टी. के नाम पर पट्टे नहीं दिये गये। उनके जमीन का कानून, उनका अधिकार छीन लिया गया। इसलिए वनवासी जो लोग हैं, उनको जमीनों के पट्टे बिना किसी शर्त के तुरंत प्रभाव से जारी किये जाएं।

मैं आंगनबाड़ी पर अपनी बात रखते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो पोषाहार आंगनबाड़ी में बन रहा है, वे पोषाहार जो बाहर से लाकर देते हैं, शुष्क पोषाहार, जबकि गर्म पोषाहार देना चाहिए और आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही तैयार होना चाहिए। पोषाहार देने के लिए आपका जो स्वयं सहायता समूह है, जो खुद आंगनबाड़ी का है, वह समूह ही उस पोषाहार का निर्माण करे।

आंगनबाड़ी में आशा सहयोगिनियों को, सहायिका को, साथिनों को और कार्यकर्ताओं को जो मानदेय दिया जा रहा है, यह मानदेय आज के दिन में बहुत कम है। मेरे सारे साथियों ने इस बात की चिंता जाहिर की है। मुझे भी इस बात की चिंता है कि हर चीज में, हर सरकारी काम में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, साथिन, सहयोगिनी, ये सब भाग लेती हैं तो इनका मानदेय बढ़ाया

(श्री बलवान पूनियां)

जाए और जब इनका रिटायरमेंट हो तो इनके भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। जैसे कर्मचारियों के लिए ओ.पी.एस. लागू की है, वैसे ही आंगनबाड़ी के लिए गम्भीरता से काम करना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से यह मांग करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो चक ऐसे हैं, जिनमें अभी तक भी स्कूल नहीं हैं। उनमें बीस-बीस ढाणियां हैं, उनमें 12 डी.पी.एन. और 15 डी.पी.एन., जहां पर आंगनबाड़ी सेन्टर एक बार आप खोल दें, उनके नजदीक फिर सात किलोमीटर दूर स्कूल है, बच्चे फिर वहां जाने लायक हो जायेंगे। मैं यह मांग करता हूं कि जो आपने आंगनबाड़ी सेन्टर खोलने की घोषणा की है, वह जल्दी से जल्दी इन आंगनबाड़ी सेन्टरों को चालू करवाया जाए ताकि लोगों को यह महसूस हो कि बजट में जो घोषणा हुई है, उसको लागू किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, जो प्रशासन गांवों के संग कैम्प हुआ, उन कैम्पों में, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 56 कैम्प गांवों में लगे तो उन 56 में से 28 कैम्पों में मैं उपस्थित रहा हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आंगनबाड़ी की बहनों का कि उन्होंने गोद भराई रस्म को और दूसरी जो रस्में आपकी थीं, उनको इतने जोरदार तरीके से लागू करा। मैं मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि यह ऐसा जोरदार कार्यक्रम हुआ कि उस पूरे कैम्प की रौनक भी आपका विभाग था और उस कैम्प में खूब काम हुए, लेकिन उसकी जो रौनक आंगनबाड़ी ने की, उन्हीं बातों को और उसी सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए आप उनका मानदेय बढ़ाओ और उनकी हौसला अफजाई करो, बहनें बहुत जोरदार मांग कर रही हैं। थोड़े दिन पहले मुख्य मंत्रीजी ने जब घोषणा की तो उनके 15 परसेंट बढ़ाया है, पर 15 परसेंट की बजाय कम से कम 50 परसेंट उनका मानदेय बढ़ाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सुना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पुखराजजी गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 और 32 पर चर्चा में बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद एवं आभार।

माननीय सभापति महोदय, आज जिन दोनों मांगों पर चर्चा हो रही है, ये दोनों ही मांगें बहुत महत्वपूर्ण मांगें हैं। इन दोनों मांगों में चाहे जनजाति क्षेत्रीय विकास की बात हो या चाहे महिला और बाल विकास विभाग की बात

(श्री पुखराज)

हो, दोनों मांगों के अन्दर उन सभी लोगों की चिंता की गयी है जो शोषित हैं, वंचित हैं और जो दूरदराज ढाणियों के अन्दर रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की बात करें तो हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य कैलाश जी मेघवाल साहब ने चिंता जाहिर की है कि राजस्थान के दक्षिण भाग के अन्दर जिस तरह का जो माहौल बन रहा है, जिस तरह की एक्टीविटीज हो रही हैं, उन पर रोक लगायी जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि देश आजाद होने के 75 साल बाद जहां हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, इन परिस्थितियों के अन्दर उस राजस्थान के दक्षिणी भाग के अन्दर इस तरह की जो परिस्थितियां बनी हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जो जिम्मेदार है, वे कहीं न कहीं, 75 साल के अन्दर जो सरकारें सत्ता में रही हैं, वे ही जिम्मेदार हैं। उन लोगों ने उस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार की रोजगार की व्यवस्था नहीं की, उन लोगों ने वहां के लोगों की जो समस्या है, उसके निवारण की कोशिश नहीं की। उन लोगों ने, जो लोग-बाग जनजाति क्षेत्र में काफी समय से रहते हैं, उसके बावजूद भी उनके निवास स्थान के पट्टे नहीं देना, जमीनों के खातेदारी अधिकार नहीं देना, उनको रोजगार नहीं देना, ये सारी परिस्थितियां ही उनको उस तरफ ले जा रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों पर हमारे इस सदन के अन्दर एक सार्थक बहस होनी चाहिए, एक सार्थक चिंतन होना चाहिए और इस पर यह काम करना चाहिए कि कहीं न कहीं 75 साल के अन्दर जो भी सरकारें रही हैं, उनके उस काम के अन्दर, उनकी नीति और नीयत के अन्दर फर्क रहा है, तभी जाकर कहीं न कहीं यह परिस्थितियां बनी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जनजाति क्षेत्र विकास की बात निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में टी.एस.पी. और नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र है। इसके अन्दर अलग-अलग व्यवस्था की गयी है और अलग-अलग सुविधा दी गयी है जबकि नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र के अन्दर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के जो जिले हैं उन जिलों के अन्दर जो आदिवासी रहते हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग रहते हैं, जो दूरदराज खेतों के अन्दर, ढाणियों के अन्दर रहते हैं, उनकी स्थिति उनसे भी खराब स्थिति है।

(श्री पुखराज)

पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जो जनजाति के लोग हैं उनकी मुख्य आजीविका खेती और पशुपालन है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से यह मांग करना चाहूंगा और मेरे से पूर्व भी जो माननीय सदस्य बोले हैं, उन्होंने भी इसकी चिंता जाहिर की थी कि जो जनजाति के लोग हैं उनका मुख्य आजीविका का आधार खेती और पशुपालन है। उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह कृषि विद्युत कनेक्शन है। जो पिछले सत्र थे, उनमें भी सदन में बार-बार यह मांग उठायी गयी थी और बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी चिंता जाहिर की थी। मैं भी आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से और सरकार से यह मांग करूंगा कि जैसे टी.एस.पी. क्षेत्र के अन्दर विशेष सुविधा कृषि कनेक्शन की दी हुई है वैसे ही जनजातीय क्षेत्र, जो नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र है, उसके अन्दर भी दी जाए, ताकि वे लोग विद्युत कनेक्शन लेकर अपनी खेती, जो कि उनकी मुख्य आजीविका का साधन है, उसमें मजबूती से आगे बढ़ सकें, विकास की कल्पना और विकास की बात कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूंगा महिला एवं बाल विकास विभाग की। अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जितने भी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, उनमें बहुत सारे आंगनबाड़ी केन्द्रों के अन्दर तो भवन ही नहीं हैं। वे किराये पर चल रहे हैं। जो भवन हैं, वे ऐसी जीर्ण-शीर्ण स्थिति के अन्दर हैं कि वहां पर बैठने में भी बच्चों को और उनको डर लगता है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह मांग करना चाहूंगा कि जो आंगनबाड़ी भवन पुराने बने हुए हैं उनके रिपेयर की व्यवस्था करें, उनकी मैंटिनेंस की व्यवस्था करें, ताकि उन बच्चों को सही सुविधा मिले, उनकी अच्छी व्यवस्था हो सके।

माननीय सभापति महोदय, जो आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं और उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से राजकीय विद्यालयों के अन्दर बच्चों को दूध की व्यवस्था की गयी है, इन आंगनबाड़ी केन्द्रों के अन्दर जो बच्चे आ रहे हैं, उनको भी दूध उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बहुत सारे आंगनबाड़ी केन्द्र ऐसे हैं, जिनमें शौचालय नहीं हैं। उनमें शौचालयों का निर्माण करवाना चाहिए। कुपोषण और अति कुपोषण को मिटाने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अच्छी गुणवत्ता का पोषाहार दिया जाना चाहिए।

(श्री पुखराज)

(समय: 18.41 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पोषाहार का आंगनबाड़ी केन्द्रों के अन्दर जो काम हो रहा है और उसका जो परिवहन हो रहा है, परिवहन और सप्लाई के अन्दर बहुत भारी घोटाला हो रहा है। इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि इसकी जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जो ग्राम पंचायतें आंगनबाड़ी केन्द्र से वंचित हैं, उनमें नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके मानदेय में 50 परसेंट की वृद्धि की जाए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इसकी मांग की है।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा कि मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मण्डोर पंचायत समिति में अनुसूचित जनजाति का एक छात्रावास खोला जाए, ताकि पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्दर अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को पढ़ने व रहने के लिए व्यवस्था हो सके।

साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों के अन्दर जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी भी सामाजिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए राज्य कर्मचारियों की तरह उनको भी पेंशन की व्यवस्था की जाए, ताकि वे लोग लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला (अनुपस्थित)। श्री खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास और 32-महिला बाल विकास विभाग के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 75 वर्ष के लोकतंत्र की यात्रा के बाद में हम अगर आकलन करें कि हमारे जनजाति भाइयों को जो आरक्षण मिला है और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिली हैं, हम इसके बारे में चिन्तन करें तो बहुत बड़ा गैप पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में आ रहा है। हमारे पश्चिमी राजस्थान से जनजाति का एक भी भाई आज दिन तक सरकारी नौकरी में तहसीलदार और थानेदार तक नहीं बन पाया। जो हालात दक्षिणी राजस्थान में हैं, और दक्षिणी राजस्थान में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, वे

(श्री खुशवीरसिंह)

गम्भीर चिन्ता का विषय हैं। उसके बारे में हमें सरकार की व्यवस्थाओं से रूबरू कराना होगा और व्यवस्थाओं पर परिवर्तन करना होगा, अन्यथा बहुत गम्भीर नतीजा हो सकता है। जो हालात बन रहे हैं, वे हम महसूस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करूंगा। हमारे जनजाति क्षेत्र के भाइयों को, जनजाति के भाइयों को किसी तरह का कोई लाभ वहां नहीं मिल रहा है। पश्चिमी राजस्थान पाली, जालौर, सिरोही में मीणा जाति के लोगों और बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर यहां भील जाति के लोगों को आज दिन तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है। वे जहां थे, उसी स्थिति में आज भी बैठे हैं। इस बार जरूर मुख्य मंत्रीजी ने चिन्तन और चिन्ता की है। मुख्य मंत्री महोदय ने मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का भी गठन किया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जोधपुर में आवासीय विद्यालय खोला है। इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा।

साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन पर मेरी मांग पर, पहली बार किसी ने मांग की और मुख्य मंत्री महोदय ने उस मांग को पूरा करते हुए जनजाति छात्रावास की घोषणा की। उसके लिए जमीन भी आबंटित हो गयी है और बहुत जल्दी ही कार्य प्रारम्भ होने वाला है। वहां के जनजाति के भाइयों में खुशी की लहर है। मुझे वहां पर चार बार बुलाया गया और वहां जो स्वागत उनके द्वारा किया गया, मेरी आंखों में पानी आ गया कि पहली बार हमारी तरफ भी किसी सरकार ने देखा है। आज दिन तक हमें मात्र वोट ही समझा है और वोट के हिसाब से ही लोग हमारे पास आते थे, वोटों के हिसाब से ही हमारे साथ व्यवहार किया जाता था, लेकिन पहली बार जनजाति के भाइयों की पीड़ा को समझा। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं महिला बाल विकास विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनियों को हमने आज टेलीफोन उपलब्ध करवाया। बहुत खुशी हुई। मैंने भी पंचायत समिति में जाकर मेरे हाथों से उनको टेलीफोन वितरण किया और उनको जी.पी.एस. से जोड़ दिया है। उनकी डेली मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन बदले में हम उनको दे क्या रहे हैं? बड़ा दु:ख होता है कि वे अल्प वेतनभोगी

(श्री खुशवीरसिंह)

हैं उनको नरेगाकर्मी से कम हम दे रहे हैं। उनको इतना बड़ा काम दिया गया है, उन्होंने कोरोना के अन्दर इतना बड़ा काम किया। कोरोना का मैनेजमेंट बहुत ही शानदार रहा है। मैं चाहूंगा कि कम से कम उनका 20 हजार रुपये मानदेय किया जाए। मुझे मुख्य मंत्री महोदय पर विश्वास है कि वे निश्चित रूप से इस बार करेंगे। वे दिल खोल कर दे रहे हैं राजस्थान की जनता को, आम जन को। आज जो हम सदन में बैठे हैं, हमें भी मुख्य मंत्री महोदय ने अनुदान दे दिया। हम 200 विधायक बैठे हैं, बिजली में जो फायदा किया है, उसका फायदा हम भी उठा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय इस बार दिल खोल कर दे रहे हैं।

मुझे बचपन की एक कहानी याद आती है। हमारे गांव में एक सेठजी कहते थे कि हमारे पूर्व सेठों का करोड़ों का उस जमाने में बिजनस था। उनको किसी ने आकर कहा कि सेठ साहब कि आपका एक माह के अन्दर पूरा व्यवसाय ठप हो जायेगा और आप कंगाल हो जाओगे। तब सेठजी ने पूछा कि इसका उपाय क्या है? उसने कहा कि उपाय कुछ नहीं है, वक्त की बात है। सेठजी ने रातों रात अपनी पूरी धनराशि गरीबों में लुटा दी और सोचा कि मेरा अब क्या होगा? ज्यों ही लुटायी और लक्ष्मी सेठ के पांवों में आकर बोली कि सेठजी अब तो चार गुना मैं आपके साथ हूं। आप चिन्ता मत करो। मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगिनियों, सहायिका का जो आशीष मिलेगा तो निश्चित रूप से यह लक्ष्मी आपसे दूर जाने वाली नहीं है। दावे के साथ मैं कह रहा हूं। माहौल बन चुका है। हमारे साथी भाई चुनाव के अन्दर जायेंगे, तब उनको एक-एक बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या बिजली का बिल जो माफ किया गया है, उसको चालू रखेंगे? ओ.पी.एस. जो लागू की गई है, क्या उसको चालू रखेंगे? ये तो पहले से ही कह रहे हैं कि हम तो आते ही बंद करेंगे। ये कह रहे हैं कि सरकार रेवड़ियां बांट रही है। लोक कल्याणकारी सरकार यदि कोई सुविधा देती है तो वे रेवड़ियां हो जाती हैं? जजिया कर जब लगता था हमारे ऊपर मुगलों के काल में, वह कर चाहिये हमारे को? नमक पर गोरों ने जो कर लगाया था, वैसा कर हमें चाहिये? जो लोक कल्याणकारी सरकार जनता के लिए सहायता कर रही है, उसको हम रेवड़ियां कह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

मैं इतना-सा निवेदन और करूंगा और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी हाल ही में 50 हजार के करीब रावणा राजपूत समाज के लोग एकत्रित हुए थे। उनकी एक

(श्री खुशवीरसिंह)

मांग थी कि उनके कुछ नाम इस तरह से अंकित हो चुके हैं तो उनका नाम परिवर्तन करना, जाति के नाम के आगे, तो उनकी यह जायज मांग है और उसके लिए किसी भी तरह के बजट की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से एक सरगना समाज है अनुसूचित जाति में, उनके भी नाम के आगे जो कुछ अक्षरों का फेर है, उन अक्षरों को बदलने की मांग करता हूं। उनकी यह जायज मांग है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): जो सरगना समाज की भी मांग है, उसको भी सरकार पूरा करे। मैं पुन: एक बार मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में एक छात्रावास दिया। धन्यवाद।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं सीधे ही मांग रखता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1958 में राज्य सरकार के द्वारा एक छात्रावास खोला गया था। हम बात करते हैं जनजाति के उत्थान की, गरीब के कल्याण की, लेकिन 1958 में जिस छात्रावास का निर्माण किया गया था और छात्रावास चालू किया गया था, 2019 में इस सरकार ने क्षतिग्रस्त भवन बताते हुए उस छात्रावास को बंद कर दिया। माननीय मंत्री महोदय से मैं बार-बार मिला भी, लेकिन मंत्री महोदय ने यह कहा कि यह SDM की रिपोर्ट है। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया कि आप SDM से दुबारा रिपोर्ट मंगाओ। आदिम जनजाति अनुदानित छात्रावास एक संस्था के द्वारा चलाया गया था, लेकिन भवन का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया गया था और करीब 100 गरीब बच्चे वहां उस आश्रम छात्रावास में अध्ययनरत थे। मैं मांग करता हूं कि इस छात्रावास का नया भवन स्वीकृत कर उसमें 100 बच्चों की जो सीटें थीं, उनको प्रवेश दिया जाए। मंत्री महोदय, मेरा ऐसा आग्रह है। कमिश्नर साहब भी

(श्री गोपी चन्द मीणा)

यहां बैठे हैं। मैंने बार-बार इनको भी पत्र लिखा, लेकिन मेरे संज्ञान में आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में TAD विभाग के द्वारा एक एनिकट का 15 साल पहले निर्माण किया गया था। अब वह एनिकट टूट गया है। कम से कम वहां पर उससे 1,500 किसान लाभान्वित होते थे। उस कुराडिया माताजी का खेड़ा में जो एनिकट टूट गया है, उस एनिकट का पुनर्निर्माण करवाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को जो खाद और बीज मुहैया कराया जाता है वह समय पर नहीं करवाया जाता। जब सीजन होता है, उसके बाद बीज आता है। मेरा आग्रह है कि मक्का का बीज या अन्य जो मिनिकिट का वितरण किया जाता है, वह समय से पूर्व किसानों को दिया जाए, ताकि उनसे किसानों को लाभ हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा जहाजपुर उप खण्ड मुख्यालय एस.टी. बहुल क्षेत्र है। वहां 4-5 सीनियर स्कूल हैं। बिंदियामाटा में जहाजपुर सीनियर सैकण्डरी स्कूल में 90 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्र अध्ययनरत हैं। ग्राम बिंदियामाटा में 100 सीटों का आवासीय आश्रम छात्रावास मैं खोलने की मांग करता हूं, ताकि गरीब छात्रों के उत्थान के लिए उनको सुविधा मिल सके, गरीब छात्रों का कल्याण हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लुहारीकलां राजकीय सीनियर बालिका माध्यमिक विद्यालय में नामांकन है। इसी तरह राजकीय सीनियर बालिका विद्यालय, भाकरा में, राजकीय सीनियर बालिका विद्यालय, सरस्या में नामांकन है। मेरा आपसे आग्रह है बालिका छात्रावास खोलने की स्वीकृति दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि सरस्या में 2010 में बालिका छात्रावास के लिए कलेक्टर ने 5 बीघा भूमि का आबंटन भी कर दिया था, लेकिन 13 साल होने के बाद भी आश्रम छात्रावास की स्वीकृति जारी नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि जमीन उपलब्ध है, सरकार ने आबंटित कर रखी है। वहां पर बालिका आश्रम छात्रावास खोला जाए और 100 सीटों की स्वीकृति प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह मैं जनजाति के जो गरीब

(श्री गोपी चन्द मीणा)

किसान हैं, उनके उत्थान के लिए किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है, जैसे स्प्रिंकलर सैट, डीजल पम्प सैट, फव्वारा सैट, पाइप लाइन और अन्य कृषि यंत्रों में छूट दी जाती है, इसके लिए मेरा निवेदन है कि उसमें किसानों के उत्थान के लिए, जनजाति के कल्याण के लिए 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाए। भारत सरकार से जो पैसा आता है, स्टेट गवर्नमेंट खर्च नहीं कर पा रही है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि उन गरीब किसानों को 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाए और भविष्य में किसानों को तारबंदी और फेंसिंग में 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाए, ताकि किसानों की उपज बढ़ सके।

माननीय सभापति महोदय, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में 'एकलव्य मॉडल' की मैं मांग करता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी मिला था। वहां पर 80-90 हजार अनुसूचित जनजाति के परिवार निवासरत हैं। इतनी आबादी है तो मेरा निवेदन है कि गुढ़ा फतेहपुर में 25 बीघा भूमि आरक्षित करा दी गयी है, वहां पर 'एकलव्य मॉडल' स्कूल खोलने की मैं मांग करता हूं। भारत सरकार को आप प्रस्ताव भेजें तो 'एकलव्य मॉडल' स्कूल खुलने से गरीब बच्चों को लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह मैं मांग करता हूं कि आपने बजट घोषणा में जनजाति के कल्याण के लिए 'जनसहभागिता योजना' चालू की है, उसके लिए मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे यहां पांच कार्य स्वीकृत किये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री राकेश पारीक। माननीय, आप अपनी बात पांच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): लेकिन 80 प्रतिशत राशि नहीं दी, केवल 20 प्रतिशत राशि दी है। मैं मांग करता हूं कि 80 प्रतिशत राशि और दी जाए। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 8.00 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 8.00 बजे तक किया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास व 32-महिला एवं बाल विकास पर विचार

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, जनजाति विकास और महिला एवं बाल विकास की मांगों पर बोलने के लिए आपने जो मौका दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले जनजाति के बारे में कहूंगा कि मैं जनजाति के इलाकों में काफी घूमा भी हूं और देखा भी है। आज भी जनजाति के इलाकों के सरकारों द्वारा इतने काम करने के बाद भी जनजाति के लोग किस तरह से कुपोषण और गरीबी का शिकार हैं। सरकार से मांग करता हूं कि मेरे इलाके में भील जनजाति के लोग रहते हैं। उनके पढ़ने-लिखने के लिए मेरे विजयनगर में 'एकलव्य छात्रावास' की व्यवस्था की जाए, जिससे जनजाति के बच्चे जो पिछड़ रहे हैं, वे आगे बढ़ सकें।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक महिला विकास का सवाल है, आज राजस्थान की आधी वोटर महिलाएं हैं। यह विभाग इतना विशाल विभाग है और इसमें मंत्रीजी भी आपने जागरूक लगाये हुए हैं ममता भूपेश जी, तो इन महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार ने और मुख्य मंत्रीजी ने बहुत योजनाएं दी हैं। अभी तमाम चीजों पर बात हो रही थी, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी, जो कार्यकर्ता हैं, अपन उनको सैलेरी भी कम देते हैं और 60 साल की उम्र होते ही उनको निकालकर भेजते हैं। इन लोगों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था की जाए। दूसरा, जो 20 प्रतिशत सरकार ने बढ़ाया, इनका मानदेय, वह तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनको कम से कम 20 हजार रुपये महीने के मिलने चाहिये। आज महंगाई का दौर है। जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, गैस, चूल्हा, चीनी किस ढंग से महंगी आ रही है, कैसे इन लोगों को परेशानी हो रही है, ये लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसी महिलाओं के लिए, क्योंकि सारा घर महिलाओं के अधिकार में चलता है...। घर में आटा, नमक, चीनी हर चीज वे लेकर आती हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर पति तक की आवश्यकताओं के

(श्री राकेश पारीक)

सामान वे इकट्ठा करती हैं और इन आंगनबाड़ी वाली महिलाओं को काम भी बहुत दिया जाता है। वे रजिस्टर लेकर यह गांवों के अंदर जाती है, पढ़ाती हैं। इन लोगों की तनख्वाह-मानदेय 20 हजार किया जाए और इनको रिटायर होने के बाद इनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। यह मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से और सरकार से मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक सवाल है कि अभी एक हजार आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की राजस्थान सरकार ने मंजूरी दी है, तो इसके लिए मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद। मैं यह चाहूंगा कि एक हजार के बजाय दो हजार आंगनबाड़ी केन्द्र राजस्थान में खोले जाएं। आने वाले समय में आबादी बढ़ रही है, स्कूल बढ़ रहे हैं, कालेज बढ़ रहे हैं तो महिलाओं के लिए छोटे-छोटे और प्यारे बच्चे हैं, इनके लिए दो हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों की घोषणा की जाए। दूसरा, यह महिलाओं का विभाग है, मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करूंगा कि मेरे इलाके में एक भी कन्या माध्यमिक विद्यालय नहीं है। बांदनबाड़ा में कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलकर हमारी प्यारी-प्यारी बच्चियों को यह सौगात दें, जिससे लोग दुआ दे सकें कि इस कांग्रेस के राज में महिलाओं के लिए भी काम हुआ है। धन्यवाद। जय हिन्द। राम-राम साहब।

(समय: 19.00 बजे)

श्री सभापति: श्री समाराम गरासिया। माननीय सदस्य, हां, आप फरमाएं।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, मेरे कुछ बिन्दु छूट गये थे, उनको टेबल करना चाहता हूं।

श्री सभापति: इजाजत है।

(माननीय सदस्य श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर) द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें)

श्री समाराम गरासिया। 5 मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 और 32 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से 4 साल हुए हैं और मंत्री महोदय जी ने परामर्शदात्री की मीटिंग तक नहीं बुलायी, अगर हम लोग लिखकर के भी दे देवें, हम अगर जीतकर आये हैं तो आबू-पिंडवाड़ा की आदिवासी, भोली-

(श्री समाराम गरासिया)

भाली जनता ने क्या बिगाड़ा है? एक भी मां-बाड़ी नहीं दी। एक भी हैंडपंप नहीं दिया।

2003-04 में मंत्री जी और हम एक ही कमेटी में थे। उसका भी लिहाज नहीं रखते हुए हमारे साथ में अनदेखी कर रहे हैं। कम से कम थोड़ा उस जनता के साथ में तो न्याय करो। आप कहते हो कि हमने यह किया। जोधपुर संभाग में एक मात्र एस.टी. का, जनजाति का एम.एल.ए. मैं ही हूं। उसमें भी आपने कुछ दिया ही नहीं।

जनजाति क्षेत्र में थोड़ा-बहुत छात्रावास, जब पिंडवाड़ा-आबू टी.एस.पी. नहीं था, उस समय में पिंडवाड़ा में 2 जनजातीय आवासीय बालिका छात्रावास खुलवाये थे। अब तो टी.एस.पी. क्षेत्र हुआ है, एक-आध भी जनजाति बालिका छात्रावास किया होता तो हम भी वाहवाही करते। जनता तो बोलती। वह भी तो कहती कि वास्तव में कांग्रेस सरकार में हुआ। हम तो नहीं कहते। हम तो यही कहते कि मां-बाड़ी मंत्री महोदय ने दिया है। ऐसे-ऐसे एरिये हैं, कई गांवों के अंदर जा नहीं पाते, 4-4 किलोमीटर तक ऐसी जगहें हैं, वहां मां-बाड़ी खोलते।

आज जिस प्रकार से दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी, जनजाति अपने आपको हिन्दू नहीं हैं, यह कहते हैं, यह अभी तो चिंगारी है, कहीं आग निकल जायेगी। इनको कम से कम इस प्रकार के जो हैं उनको डी-लिस्टिंग किया जाए। जो ईसाई धर्म अपनाते हैं तो उनको जनजाति का किस प्रकार का फायदा? वे दोनों फायदे लेते हैं। वे फायदा भी लेते हैं और हम हिन्दू नहीं हैं, यह भी कहते हैं। आदिवासी तो परंपरा ही हिन्दू है। रामचंद्र जी जब वन में गये थे तो उस समय भी शबरी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। फिर कैसे कह सकते हैं कि आदिवासी हिन्दू नहीं हैं। परंपरागत आदिवासी हिन्दू हैं। अपने आपको हिन्दू नहीं कहने वालों को डी-लिस्टिंग किया जाए। यह मैं सरकार से निवेदन करता हूं। सभापति महोदय, मंत्री महोदय भी हिन्दू हैं। राजनीति करें। राजनीति करो, अपनी राजनीति चमकाओ, लेकिन हिन्दू नहीं हैं, ऐसा कहकर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इसमें मेरा निवेदन है कि यह किया जाए।

जनजाति क्षेत्र पूरे राजस्थान में है। टी.एस.पी. में ही नहीं, नॉन टीएसपी में भी है। उनको भी कृषि कनेक्शन का मौका दिया जाए। जिस प्रकार से एस.सी. को दिया जाता है, उसी तर्ज पर उनको भी यह मौका दिया जाए। कृषि कनेक्शन उनको भी नियम के अनुसार मिलें। वहां छात्रावास भी खोले जाएं। जहां-जहां पर मां-बाड़ी नहीं हैं, वहां खोली जाएं।

(श्री समाराम गरासिया)

सभापति महोदय, महिला एवं बाल विकास के अंदर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। पौष्टिक पोषाहार की व्यवस्था की जाए। आदिवासी क्षेत्रों में भी बहुत से बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। कभी-कभी कैम्प लगाकर के उनकी व्यवस्था की जाती है। मेरा यही निवेदन है कि पौष्टिक पोषाहार और उनकी पूरी व्यवस्था की जाए।

जहां आंगनबाड़ी भवन नहीं हैं, वहां दिये जाएं। कहीं-कहीं किराये पर चलते हैं। जैसे एक स्वरूपगंज में है। इस प्रकार से कई हैं। अगर वहां आंगनबाड़ी नहीं चलती हैं तो दूसरी जगह किया जाए। कई जगह अव्यवस्था हो रही है। उसको सुधारा जाए।

पेसा एक्ट के मामले में पंचायतों में यह भी मालूम नहीं है कि यह क्या है। हर पंचायतों में जो पेसा एक्ट का नियम लागू होता है, वह भी करें। मंत्री महोदय, अब की बार यह आपका लास्ट है तो थोड़े-बहुत हैंडपंप दे दो। मां-बाड़ी सभी जगहों पर बराबर भागों में दे दो तो मानेंगे कि वास्तव में जनता के साथ में अन्याय नहीं किया। हमारे साथ में भले ही अन्याय करो। समय वही का वही है। उतर बीरा मोरी बारी, फिर आप इस साइड में आयेंगे। हम उस साइड में आएंगे। जनता सब समझती है। आप इतने उत्तेजित मत होना कि हम यह करेंगे। आप सारे राजस्थान के बराबर जनजाति मंत्री हैं, सबकी अनदेखी न करें, सबका बराबर भागों में करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री कैलाशचन्द मीणा। श्री प्रताप लाल भील। 5 मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): हां जी। हां जी। इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 30 एवं 32 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि टी.एस.पी. क्षेत्र में जनजाति परिवारों के लोग गांवों में, पहाड़ियों में, बिखरी बस्तियों में निवास करते हैं। उक्त परिवार मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा आदि असुविधाओं से जूझ रहे हैं। अधिकतर परिवार वन भूमि में निवासरत हैं, जिन्हें वन अधिकार पट्टे नहीं मिले हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा के क्षेत्र में वन भूमि में विस्तार नहीं होता है। उक्त कार्यों के लिए

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

योजना बनाकर लाभ देना आवश्यक है। पिछले बजट में सरकार ने 250 मां-बाड़ी की घोषणा की थी और इस साल भी 250 मां-बाड़ी की घोषणा का प्रावधान किया गया है, परंतु विधायकों की अनुशंसा के आधार पर हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र के अंतर्गत एक भी मां-बाड़ी स्वीकृत नहीं की गयी है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि विधायकों की अनुशंसा के आधार पर कुछ कार्य माननीय मंत्री महोदय जी स्वीकृत करते हैं तो हम सब आपके आभारी रहेंगे।

मेरी आपसे एक विशेष मांग है कि राज्य के कुल बजट का 13.5 प्रतिशत टी.एस.पी. क्षेत्र को मिलना चाहिए। आज दिन तक हमें यह नहीं मिल रहा है, जो हमें दिया जाये। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 12 प्रतिशत निर्धारित है। 2011 की जनगणना के आधार पर हमारी जनसंख्या 13.5 प्रतिशत हो रही है। जनजाति क्षेत्र में 13.5 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी मांग है कि अनुसूचित जनजाति का 12 प्रतिशत निर्धारित है। उसमें से टी.एस.पी. क्षेत्र में उच्च पदों पर लाभ नहीं दिया जा रहा है। मेरी मांग है कि 12 प्रतिशत में से टी.एस.पी. क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का बंटवारा सम्पूर्ण भर्ती पदों पर मिलना चाहिए, जो हमें नहीं मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में ग्राम पंचायत बिलोदा बेड़िया, ग्राम पंचायत इटावा, डामोरपाड़ा, ओड़ा, लालपुरा, भतार, गुवरपाड़ा, गोविंदपुरा, नाहली, बिलौदा, खरवाड़ा, कुंवालियां आदि क्षेत्रों में हमें सौर ऊर्जा चलित लिफ्ट की आवश्यकता है, जिसको स्वीकृत किया जाए।

जनजाति कृषक युवकों को पिछली भा.ज.पा. सरकार में व्यक्तिगत निजी कुओं को गहरा करने के लिए एक-एक लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गयी थी, जिसको आपने बंद कर दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम व्यक्तिगत लाभ योजना के तहत इन कृषकों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपया स्वीकृत करके पुराने कुओं को गहरा किया जाए। उनकी मरम्मत की जाए, ताकि क्षेत्र का किसान अपनी खेती कर सके। क्षेत्र में पेयजल के संकट को देखते हुए अधिक से अधिक हैंडपंप खोदे जाएं।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि टी.एस.पी. क्षेत्र में अन्य वर्ग के लोग भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। उन वर्गों को भी

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

टी.एस.पी. क्षेत्र की योजना का लाभ मिलना चाहिए। उनको भी टी.एस.पी. योजना से जोड़कर के लाभ दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका, साथिन आदि कार्यरत हैं। उनसे अपनी ड्यूटी के अलावा विभिन्न अभियान जो सरकारों द्वारा चलाये जाते हैं, सम्पूर्ण कार्य कराये जाते हैं, लेकिन उन्हें मानदेय कम दिया जाता है। मेरी मांग है कि उनका स्थायीकरण किया जाए। सरकारी कर्मचारियों को जो लाभ मिल रहे हैं वे सम्पूर्ण लाभ उन्हें भी दिये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को योग्यता के अनुसार सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति दी जाए। उन्हें भर्ती परीक्षा से अलग रखा जाए। अनुभव के आधार पर पद भरे जाएं। सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका, साथिन आदि को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन दी जाए। चिरंजीवी योजना बीमे का लाभ दिया जाए एवं मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को भी उसी विभाग में नियुक्ति दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण टेंडर प्रक्रिया से कराने में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। (व्यवधान) महिला समूहों के हाथों से आपने रोजगार छीनकर बेकार कर दिया है, जिससे राजस्थान की महिला समूहों की महिलाओं में बड़ा आक्रोश है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पूर्व की तरह से पोषाहार की व्यवस्था महिला समूहों से कराई जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना तलवाड़ा एवं महिला बाल विकास परियोजना गढ़ी में, दोनों कार्यालयों में सी.डी.पी.ओ., सुपरवाइजर, आफिस के कर्मचारियों एवं पोषाहार वितरण करने वाले स्टाफ आदि की मिलीभगत से 2021-22, 2022-23 में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों पर आने वाले पोषाहार के वितरण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री कैलाशचन्द्र मीणा द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें)

श्री सभापति: श्री प्रताप लाल भील (गमेती)। (व्यवधान) नहीं बोलना है? खड़े होकर बोलते क्यों नहीं फिर आप? (व्यवधान) आप समाप्त करें।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की मांग पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: पांच मिनट में समाप्त करें आप।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): मैं टेबल कर देता हूं।

श्री सभापति: हां, टेबल कर दीजिए आप।

(माननीय सदस्य श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा) द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें)

श्री ज्ञानचंद पारख, आप 15 मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में चर्चा जनजाति क्षेत्रीय विकास और महिला एवं बाल विकास पर हो रही है। कितना सुखद अहसास होता है जब देश का सर्वोच्च पद, महामहिम राष्ट्रपति का और वहां कौन विराजमान? एक जनजाति से और वे भी महिला, यह किसकी खोज, यह किसकी सोच? देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, दिव्य पुरुष, नरेन्द्र मोदी की यह सोच और उनकी यह खोज है।

माननीय सभापति महोदय, आज सदन में विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष, श्रद्धेय कैलाशजी मेघवाल ने अलगाव के जिस संभावित खतरे की ओर हमें आगाह किया है, यदि सही समय पर हमने जनजातियों का, जिन्होंने देश, धर्म और संस्कृति के लिए योगदान दिया, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनको यदि सही स्थान दे देते तो अलगाववाद की बात आज कहीं भी किसी क्षेत्र से उठती नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जन घोषणा पत्र के पैरा 25 और उसकी क्रम संख्या 5, आपका वादा, आपका वचन, आपकी घोषणा, क्या लिखा आपने उसमें? सरकार में संविदाकर्मियों, एन.आर.एच.एम. एवं एन.यू.एच.एम. कर्मियों, उर्दू पैराटीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मियों, आंगनबाड़ी कर्मियों, शिक्षा कर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायक आदि के अंतर्गत कर्मचारियों की समस्याओं का यथोचित समाधान कर नियमित किया जाएगा। यह आपकी जन घोषणा पत्र में जनता को दिया हुआ वचन, कर दिया आपने नियमित? वादा खिलाफी कांग्रेस की फितरत में है। चाहे वह किसानों के साथ की, चाहे वह युवाओं के साथ की, आंगनबाड़ी की बहनों को भी आपने बख्शा नहीं और आपने एक बड़ा झुनझुना पकड़ा दिया नियमितीकरण का और साढ़े

(श्री ज्ञानचंद पारख)

चार साल बीत गये, माननीय मंत्रीजी, नियमितीकरण की बात तो दूर, एक सम्मानजनक मानदेय देने की बात भी आप स्वीकार नहीं करते। इतना बड़ा विभाग आपका, राजस्थान के 33 जिले, 62,020 के करीब आपके आंगनबाड़ी, 59,421 लगभग आपके कार्यकर्ता, 53,243 सहायिकाएं, 17 लाख बच्चे, बजट तो महिला और बाल विकास विभाग के लिए, 3057.42 करोड़ रुपये बाल विकास सेवाओं के लिए। इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा लवाजमा और उसका परिणाम देखा आपने? कुपोषण के मामले में हम देश में तीसरे स्थान पर हैं, असम पहले स्थान पर, पर कारण है वहां। वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वहां के आदिवासी क्षेत्रों में संसाधनों पर कब्जा कर लिया। वहां पर कुपोषण का बड़ा कारण यह रहा। दूसरे नम्बर पर बिहार है। वहां तो सत्तानशीनों ने गाय का चारा तक नहीं छोड़ा तो पोषाहार भी बच्चों का उन्होंने खाया ही होगा तो वहां तो कुपोषण होगा, पर राजस्थान, जो तीसरे स्थान पर है, यहां कुपोषण क्यों? कहां कमी रही हमसे? यहां न तो घुसपैठिए हैं, न पशु का चारा खाने वाले राजनेता हैं। बच्चों का पोषाहार खाने वाले बिचौलियों को यदि आप लपेटे में नहीं लेंगे तो आपके ये पोषाहार केन्द्र नाममात्र के रह जाएंगे, आपके पोषाहार लेने वाला कोई नहीं होगा। यह सारा का सारा तंत्र और कार्यक्रम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है।

माननीय मंत्रीजी, आपको कहीं न कहीं, कोई न कोई सख्ती करनी होगी, कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा, जो पोषाहार आप दे रहे हो वह वाकई में बच्चों के खाने लायक है या नहीं, आप यदि खुद जांच कर लेंगे तो आप खुद कह देंगे कि हम वास्तव में बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। बच्चों को यह पोषाहार देना उनको बीमारियों की ओर धकेलने के बराबर है।

माननीय सभापति महोदय, अगस्त, 2021 से अगस्त, 2022 तक जो सर्वे हुआ था देश का, राजस्थान का, इतना कुछ करने के बाद में हमारे यहां 62,700 बच्चे मध्यम कुपोषित हैं। 3,170 बच्चे अति गम्भीर कुपोषित हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-चार के अनुसार हमारे राज्य में 38.4 परसेंट बच्चों का वज़न औसत से कम है। यह सारा इस पोषाहार का कारनामा है। 23.4 प्रतिशत बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर और 8.7 प्रतिशत बच्चे अति कमजोर हैं। ये जो अति कमजोर बच्चे हैं, उनके लिए आप अलग से क्या प्रोविजन करेंगे, ताकि हम इस शर्मनाक स्थिति से राजस्थान को बचा सकें।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 40.8 परसेंट बच्चे अविकसित हैं। राजस्थान, जो वीरों की भूमि, बलशालियों की भूमि, यहां के 40 परसेंट बच्चे अविकसित होना कहीं न कहीं हमारी सरकारों के ऊपर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। इसके लिए हमें कहीं न कहीं इसको देखना होगा। माननीय सभापति महोदय, आज पूरे विश्व में भारत की पहचान कैसी, हम स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, वैसी पहचान हमने पूरे विश्व में हमारी बना दी, पर हमारे खुद के विभाग के कुपोषण को जब तक दूर नहीं करेंगे, आपके विभाग का कुपोषण थोड़ा ठीक करें, मेहरबानी करें, आपके विभाग के कुपोषण आप ठीक करो, तब कहीं जाकर आपके आंगनबाड़ियां दुरुस्त होंगी। जब तक हम हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को उनके काम का सम्मानजनक मानदेय नहीं देंगे, माननीय मंत्रीजी, घोषणा आपने की थी नियमितीकरण की, पर मानदेय बढ़ाने की बात तो लगभग-लगभग सारे सदस्यों ने आज की है। आपके पास समय बचा है 8 महीने का, 8 महीने बाद राजस्थान से कांग्रेस खतम और उसके साथ आपका कैरियर भी लगभग-लगभग खतम। मेरी आपको राय है, अगर राजस्थान के इतिहास में आपको अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाना है...

श्री सभापति: आप भविष्यवक्ता हैं क्या?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): तो आपने अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया है, आप अपने जवाब के दौरान आज घोषणा कर दो तो कम से कम इतिहास में तो आपका नाम हमेशा-हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, स्थिति क्या है? आप कमिटमेंट करते हो, वह पैसा भी आप समय पर नहीं देते हो। हमारी बहनों से आप इतनी बेगार करवाते हो, 4 घंटे की उसकी आंगनबाड़ी की ड्यूटी, 2 घंटे आफिस में जाकर वहां हाजिरी लगाओ, बाकी भी कहीं किसी प्रकार का कोई भी आपका सरकारी कार्यक्रम है, किसी मंत्री महोदय का कार्यक्रम है, कहीं भीड़ जुटानी हो तो वहां पर इन बहनों को ले जाते हैं आप, ताकि कार्यक्रम आपको ऐसा लगे कि कोई कार्यक्रम हुआ है। कितना शोषण किया आपने इन कार्यकर्ताओं का सहायकों का? यह उनसे पूछेंगे, आप उन महिलाओं से उनकी पीड़ा पूछेंगे कि वास्तविकता में उनकी पीड़ा क्या है तो आपको अहसास हो जाएगा कि वाकई में इन बहनों को,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

हमको आगे बढ़कर कोई न कोई ऐसा काम करना चाहिए, ताकि कम से कम इनका शोषण तो न हो। जो पोषाहार आप दे रहे हो, जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया था, किसी पशु के सामने रखकर देख लेना, वो पशु भी मुंह फेर लेगा, पर आपका दिया हुआ पोषाहार नहीं खाएगा। फिर आप ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं करते? आपकी दाल है, दलिया है, कितने कंकर, कितनी इल्लियां उसमें हैं, मैंने स्वयं देखा है। यदि कोई आंगनबाड़ी की बहन अधिकारियों से इसकी शिकायत करती है तो उसकी बात सुनने की बजाय उसे धमका दिया जाता है कि शिकायत करेगी तो हम तेरे साथ ऐसा कर देंगे। माननीय मंत्री महोदय, मेहरबानी करके यह जो पोषाहार है, जिसके माध्यम से हम राजस्थान से कुपोषण को खतम करना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी की तरफ थोड़ा ध्यान दें और सप्लाई करने वाली एजेंसी को गुणवत्ता के अनुरूप सप्लाई करने के लिए पाबन्द करें, वरना यह कुपोषण नहीं मिटेगा।

माननीय सभापति महोदय, हम इन्हें कितना मानदेय दे रहे हैं? हम इन्हें प्रतिमाह मानदेय दे रहे हैं 8,460 रुपये। उसमें भारत सरकार के 4,500 रुपये हैं और 3,960 राज्य के हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रतिमाह उन्हें मानदेय मिल जाए? तीन-चार महीने बाद उन्हें मानदेय देने की स्थिति में हम होते हैं। तीन-तीन, चार-चार महीने तक हम उन्हें मानदेय नहीं देते। जिस आंगनबाड़ी के पास अपना भवन नहीं है, उसके भवन की व्यवस्था भी उस कार्यकर्ता को अपने स्तर पर करनी पड़ती है। उसके लिए आपने 750 रुपये किराया निर्धारित कर दिया। 750 रुपये में कहां भवन मिलता है शहरी क्षेत्र में। ऊपर से उसमें लाइट-पानी भी शामिल। यदि 750 में नहीं मिले तो वह आंगनबाड़ी बंद। उस डर से वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहीं ज्यादा किराया अपनी जेब से भरती है और आंगनबाड़ी चलाती है। मेरा आग्रह है कि आप यह किराया बढ़ाएं या आप उस मकान मालिक से बात कर लें कि वास्तविक किराया कितना है, बिजली कितनी, पानी कितना, आप सीधा उसका पेमेंट कर दें ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की स्वयं की जेब से वह अतिरिक्त राशि न जाए। माननीय सभापति महोदय, एक तो नाममात्र का मानदेय, उसके ऊपर से यह कटौती अलग। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की चुनावों में ड्यूटी भी लगती है। चुनाव ड्यूटी में बाकी विभागों के जो भी कर्मचारी लगते हैं, उन्हें भत्ता मिलता

(श्री ज्ञानचंद पारख)

है, चाय मिलती है, खाना मिलता है, सब-कुछ मिलता है, पर इन बहनों को न तो खाना मिलता है, न कोई चाय मिलती है। सुबह से शाम तक खड़े रहो वहां पर, लेकिन कोई भत्ते का प्रावधान नहीं। अगर आपको इनकी चुनाव ड्यूटी में आवश्यकता महसूस होती है और आप इन्हें लगाना चाहते हैं तो कम से कम विभाग इनके लिए भत्ते, चाय और खाने की व्यवस्था तो करवा दे, ताकि जो समय ये लगा रही हैं, उसकी राशि उन्हें मिल जाए। आप उन्हें मीटिंग में बुलाते हैं, वहां भी वे अपने खर्चे से जाती हैं, कोई टी.ए., डी.ए. नहीं जबकि आशा सहयोगिनी को अगर मीटिंग में बुलाया जाता है तो उन्हें भी टी.ए., डी.ए. मिलता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को टी.ए., डी.ए. देने का कोई प्रावधान नहीं है। मेहरबानी करके इन पर थोड़ा रहम करें। यदि आप इन्हें मीटिंग में बुलाना आवश्यक समझते हैं तो इन्हें उसका खर्चा दें।

माननीय सभापति महोदय, पोषाहार बनाने के लिए जो रसोई गैस है, कैसी स्थिति कर दी, महीने में मात्र 150 रुपये ही रसोई गैस का देंगे। अब 150 रुपये में पूरे महीने का गर्म खाना, पोषाहार बनाना क्या सम्भव है? जो अतिरिक्त पैसा लगता है, वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जेब से लगता है। अगर वह नहीं देती है तो वही धमकी दी जाती है कि तेरी आंगनबाड़ी बंद कर देंगे और तू सड़क पर आ जायेगी। कम से कम जितनी गैस खर्च होती है, उसका आकलन करवा लें, बड़ा काम नहीं है कि कितने घण्टे गैस चलती है और कितना उसका खर्चा होता है। विभाग यह अपने मद से दे। क्यों उस बहन के खाते में आप वह डालते हैं?

माननीय सभापति महोदय, यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले से ही कंगाली से जूझ रही है। उस पर से आप इस तरह के खर्चे भी उसके माथे मढ़ देते हैं। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने पिछले वर्ष स्टील ड्रम क्रय करने के आदेश दिये। साढ़े पांच महीने हो गये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कह दिया, आप बाजार से यह ड्रम परचेज कर लें और इसकी एवज में आप बिल पेश करेंगे तो आपको 5,800 की राशि भुगतान कर दी जायेगी। आपने 6 हजार का निर्वहन किया, 6 हजार का आपका आदेश। पाली में दो सैक्टर में तो दिया, लेकिन 6 सैक्टर में साढ़े पांच महीने से इस ड्रम का पैसा उन बहनों को देना बाकी है। मेहरबानी करके इनका साढ़े पांच महीने पुराना पेमेंट कर दें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पांच मिनट और हैं साहब। बीस मिनट का टाइम दिया गया है मुझे।

माननीय मंत्री महोदय, कोरोना काल में आपने इनसे घर-घर सर्वे करवाया और उस समय इनसे यह भी कहा कि आप इसका मानदेय उन्हें देंगे। दो साल बीत गये, सर्वे कराने के बावजूद एक कार्यकर्ता को जो तीन हजार रुपये बनते हैं, उनका भुगतान अभी तक नहीं किया। मेहरबानी करके दो साल पहले का पैसा इन्हें दे दें। कोरोना काल में साबुत अनाज की पैकिंग और परिवहन की राशि, जो 1,500 रुपये है, आपने कह दिया, एक साथ बल्क में ले लो, पैकिंग आपकी, परिवहन आपका। तो यह जो पैसा है, जो डेढ़-दो साल से बाकी है, मेहरबानी करके इनका जो पैसा बनता है, वह आप इन्हें दिलवा दें।

ये +++ चक्कर भी लगाती हैं, अफसरों के सामने हाथ भी जोड़ती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पर आज मुझे विश्वास है कि चूंकि माननीय मंत्री महोदया की जानकारी में यह बात आयी है तो वे निश्चित रूप से अधिकारियों को निर्देश देकर इनका बकाया पैसा दिलवाएंगी और जन घोषणा पत्र के अनुरूप नियमितीकरण और इनका मानदेय बढ़ाने का काम करेंगी। माननीय मंत्री महोदया, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा। माननीय सभापति महोदय, शारीरिक कुपोषण तो समझ में आता है, पर कांग्रेस के दिमाग में जो मानसिक कुपोषण हो गया है, उसका इलाज भी जनता करने वाली है। आप तो नहीं कर पाएंगे। क्या हालत कर दी? कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता विदेशों में जाकर अपने इस मानसिक कुपोषण के कारण देश की किस तरह से बदनामी कर रहे हैं, यह शर्मनाक है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। फालतू की बात करते हैं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

(माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़) द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें)

श्री सभापति: श्री अर्जुन सिंह बामनिया।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों का चर्चा में भाग लेने हेतु धन्यवाद। माननीय सदस्यों से कुल 118 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके जवाब माननीय सदस्यों को निर्धारित अवधि में प्रेषित कर दिये जाएंगे। मांग

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

संख्या 30 की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान करीब 22 सदस्यों ने अपने विचार रखते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मेरा विश्वास है कि उक्त सुझाव जनजाति विकास की हमारी महत्वाकांक्षी योजना हेतु सहायक सिद्ध होंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जनजाति समाज प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य, प्रकृति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण, वीर योद्धा, देश प्रेमी परम्परा और संस्कृति को सहेजने वाला रहा है। इस समाज के लोक गीत, नृत्य, काव्य, संगीत, चित्रित वस्तुएं एवं ललित कलाएं उनके जीवन की गाथा को दर्शाते हैं। उनकी शिल्पकला एवं हस्तकला में जनजाति समाजों के रीति-रिवाज, खान-पान तथा संगठित जीवन की झलक मिलती है। उनकी कौशलपूर्ण अभिव्यक्तियां उनके सामुदायिक जीवन की धरोहर हैं। यह समाज इन्हीं विशेषताओं के कारण देश ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व में अपनी अनूठी कला एवं संस्कृति के लिए विख्यात है।

माननीय सभापति जी, बाबा साहेब अम्बेडकर की दो लाइनें हैं। उन्होंने कहा था, ''अगर आपके पास दो रुपये हैं तो एक रुपये से रोटी और एक रुपये से किताब लीजिये, क्योंकि रोटी आपको जीने में मदद करेगी और किताब आपको जीना सिखायेगी।''

माननीय सभापति जी, शिक्षा के सम्बन्ध में अभी काफी सारे माननीय सदस्यों ने आरोप-प्रत्यारोप किये हैं। मैं शिक्षा जगत के बारे में अवगत कराना चाहता हूं कि जनजाति वर्ग की शिक्षा के उत्थान हेतु 410 आश्रम छात्रावास और 46 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें करीब 40 हजार विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवास, भोजन एवं कोचिंग आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

अनुसूचित क्षेत्र में 9 कालेज छात्रावासों का संचालन किया जाकर 500 छात्र-छात्राओं को तथा 6 बहु-उद्देश्यीय छात्रावासों में 700 बालिकाओं को नि:शुल्क आवास तथा भोजन की सुविधा उपलब्ध है। हमारी सरकार द्वारा गत चार वर्षों में लगभग 4,37,000 जनजाति छात्र-छात्राओं को विभिन्न.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, टेबल करवा लो। पढ़ ही तो रहे हैं। हम मान लेंगे। हम बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे इनका उत्तर। पढ़ ही रहे हैं तो टेबल करवा ही लो, कोई दिक्कत थोड़े ही है।

श्री सभापति: प्लीज विराजें। प्लीज सहयोग करें। प्लीज सहयोग करें। विराजिये, अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: प्लीज। माननीय उप नेता महोदय, विराजिये। आप बहुत वरिष्ठ हैं, प्लीज विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): वह तो सुबह ही पता लग गया था कि आप जनजाति के प्रति कितना समर्पण रखते हो। मैं टेबल भी कर दूंगा, पर मेरी बात सुनने की क्षमता भी रखिये। हमारी सरकार ने पिछले चार साल में कोरोना जैसी महामारी होने के बावजूद भी 4,37,000 छात्र-छात्राओं को सभी तरह की सुविधाएं देकर लाभान्वित किया है।

माननीय सभापति महोदय, अभी झाडोल से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि कैडर का क्या हुआ? मुझे कहते हुए खुशी है कि सरकार ने जनजाति विभाग का पहला कैडर, जिसको पृथक से बनाकर उसकी विज्ञप्ति जारी कर ही रहे हैं, बाकी स्वीकृति मिल चुकी है। आप डी.ओ.पी. के आदेश का क्रमांक देख सकते हैं।

शिक्षा के लिए विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत विभागीय शिक्षण संस्थाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी द्वारा लगाकर शिक्षा की गुणवत्ता तथा बेहतर परिणाम सुनिश्चित किये हैं।

माननीय सभापति जी, सहरिया क्षेत्र में बालक-बालिकाओं की ड्रेस के लिए कक्षा 1 से 5 तक एक हजार रुपये और 6 से 12वीं क्लास तक के लिए 2,500 रुपये उनके खाते में DBT किये जाते हैं।

माननीय सभापति जी, अभी ट्रायबल की बात आ रही थी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अनुप्रति योजना लागू करके हमारे जनजाति के छात्र-छात्राओं की शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत यू.पी.एस.सी., आर.पी.एस.सी. एवं राज्य कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड की कोचिंग के जरिये करीब 3,529 बच्चों ने इसका लाभ लिया है। 200 बच्चों की नीट की तैयारी टी.ए.डी. के द्वारा और करायी जा रही है। माननीय सभापति महोदय, शैक्षणिक गुणवत्ता की बात को लेकर ई-कंटेंट लर्निंग को भी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 140 जनजाति आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना करके 20 हजार विद्यार्थियों को रिकार्डेड लेक्चर्स एवं एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से अध्यापन कराया जा रहा है। यह पहली बार है।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

विभाग द्वारा संचालित जनजाति छात्रावास, विद्यालयों के प्रभावी मॉनिटरिंग, विभागीय योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए डिजिटल शिक्षा ई-लर्निंग हेतु 321 आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों तथा खेल छात्रावासों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

माननीय सभापति महोदय, विभाग के द्वारा समस्त जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं खेल आवासीय छात्रावासों में, एकलव्य मॉडल में HSMS पोर्टल लागू किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन से लेकर छात्रावास अधीक्षकों द्वारा व्यय विवरण, खाद्य एवं खेल सामग्री की मांग आदि पोर्टल के माध्यम से देखी जा सकती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणा अनुसार डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा संचालित 88 आश्रम छात्रावासों, 45 आवासीय विद्यालयों एवं 6 बहु-उद्देश्यीय छात्रावासों में ई-लाइब्रेरी एवं अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

माननीय सभापति जी, अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, सहरिया क्षेत्र के लगभग 85 हजार बालक-बालिकाओं के लिए 2,834 मां-बाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, 375 भवन रहित मां-बाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण भी किया जा रहा है और 309 मां-बाड़ी केन्द्रों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण हेतु 17 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 250 नवीन मां-बाड़ी केन्द्र प्रारम्भ करने की बजट घोषणा की है। मां-बाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने की बजट घोषणा है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में निर्माण, 107.11 करोड़ की लागत से 18 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एवं 4 राज्य आवासीय विद्यालयों में लगभग 3 हजार छात्र-छात्राओं की क्षमता कर उच्च गुणवत्ता के शैक्षणिक अवसरों को उपलब्ध कराया है। 69 करोड़ रुपये की लागत से जनजाति वर्ग के बालक-बालिकाओं को उच्च श्रेणी के छात्रावास उपलब्ध कराने हेतु 15 जर्जर जनजाति आवासीय छात्रावासों का पुनर्निर्माण एवं 24 नवीन आश्रम छात्रावास निर्मित करवाये जा रहे हैं। इससे लगभग 2,500 बालक-बालिकाओं को गुणवत्ता के रहवास की सुविधा उपलब्ध होगी।

करौली जिले में 3.50 करोड़ रुपये की लागत से 100 की क्षमता का कालेज छात्रावास निर्मित किया जा रहा है। इसी तरह 100 छात्राओं की क्षमता

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

के दो खेल छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें आदिवासी बालक-बालिकाओं को खेल प्रतियोगिता की प्रतिस्पर्द्धा के लिए सुविधा उपलब्ध होगी।

अभी कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य रिपेयरिंग के मामले में बता रहे थे। माननीय सभापति जी, सारे माननीय सदस्य, जहां-जहां हॉस्टल हैं, इस चीज पर ध्यान दें कि विभाग प्रति छात्र दो हजार रुपये प्रतिवर्ष उस हॉस्टल की रिपेयरिंग के लिए देता है। सभी माननीय सदस्य, जिनके एरिया में छात्रावास हैं, वे कृपया जाकर उनको देखें और कहीं ऐसी कोई शिकायत हो तो उस पर कार्यवाही करने के लिए विभाग तैयार है। 17.76 करोड़ रुपये की लागत से उदयपुर जिला मुख्यालय पर बालिकाओं हेतु 160 क्षमता का सेन्टर आफ एक्सीलेंस निर्माणाधीन है। मावली से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वह 7 मंजिला बहु-उद्देश्यीय हॉस्टल है, जिसका चित्रकूट में निर्माण हो रहा है और 2023 में हम उसको चालू कर देंगे। आपने दूसरी चीज भी अपने वक्तव्य में बतायी थी कि जयपुर के अन्दर हमारा 18 करोड़ रुपये का हॉस्टल तैयार है। 18 करोड़ का हॉस्टल तैयार है और वहां अनुप्रति के जो भी बच्चे आएंगे, वह कल से चालू है और 9 अगस्त को माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका लोकार्पण कर दिया है। इसी तरह, माननीय सभापति जी, 132 ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा। विराजिये, प्लीज। आपस में वार्ता नहीं।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): मैं और भी बता रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं। राजकीय शिक्षण संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु 26.86 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त कक्षा कक्षों का भी निर्माण किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, 82.68 करोड़ रुपये की लागत से नवीन पुनरुत्थान सोलर ऊर्जा आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के 159 कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी है, जिसमें लगभग 5,893 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की वृद्धि होगी और 8,300 कृषक लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 हेतु सामुदायिक सिंचाई परियोजना से 85 हजार किसानों को लाभान्वित करने की घोषणा की गयी है। आपका रिकार्ड भी मेरे पास है झाडोल से पधारने वाले माननीय सदस्य। जनजाति क्षेत्र की आबादी में सुगम आवागमन हेतु 89.96 करोड़ रुपये की लागत से सर्वस्व सम्पर्क सड़कों के 504 कार्य स्वीकृत किये हैं।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

माननीय सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर एवं परम्पराओं को सुरक्षित रखने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न प्रकल्प किये जा रहे हैं। 4.93 करोड़ रुपये की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केन्द्र, 2 करोड़ रुपये की लागत लीलूड़ी बड़ली शहीद स्मारक, 0.87 करोड़ रुपये की लागत से बेणेश्वर धाम की बाउण्ड्री का कार्य, 0.93 करोड़ रुपये की लागत से घोटिया अम्बा, 1.46 करोड़ रुपये की लागत से समाई माता...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): 000

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): लागू कब हुई थी यह भी तो बता दें, 2000 में की तो? जनजाति विभाग की सहायता से 1.80 करोड़ रुपये की लागत द्वारा जनजाति क्षेत्रों के पुलिस थानों में...

माननीय सभापति महोदय, जनभागीदारी की बात कर रहे हैं और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये 52 विधान सभा क्षेत्रों की लिस्ट है, आप चाहे तो मैं टेबल कर दूं। एक-एक विधान सभा क्षेत्र में जो भी राशि दी है, सभी विधायक इसको देख सकते हैं। अभी बता रहे थे कि हमारे वहां क्या हुआ, हमारे वहां क्या हुआ। सलूम्बर से पधारने वाले माननीय सदस्य, आपके वहां उदयपुर ग्रामीण में 81.94 लाख के चार कार्य एवं उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में राशि 1.62 करोड़ की राशि के 13 कार्य स्वीकृत हुए हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): आप सुनने की क्षमता रखें।

श्री सभापति: किसी का भी अंकित नहीं होगा।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): 000

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चार वर्ष में 35.31 करोड़ की लागत से, पिछली टाइम पर मिले थे क्या? आपकी राशि भी तुलनात्मक बताऊं। उदयपुर ग्रामीण विधान

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

सभा क्षेत्र में, मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने सही राशि बोली 29 करोड़ रुपये आपको दिये।

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। यह आपसी वाद-विवाद का विषय नहीं है। आपने अपनी बात कही, पूरे सदन ने सुनी। अब उनको अपनी बात कहने दें। आप क्यों बीच में इंटरवीन कर रहे हैं? माननीय मंत्री महोदय।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय सभापति महोदय, जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने मारवाड़ की चिन्ता व्यक्त की। उसका भी मैं जवाब दे रहा हूं। मारवाड़ में जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु हमारी सरकार द्वारा मारवाड़ विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इस क्षेत्र में शिक्षा के उन्नयन के लिए जोधपुर मुख्यालय पर 30 करोड़ रुपये की लागत से 480 की क्षमता का एक आवासीय विद्यालय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, प्रार्थना है इनसे टेबल करा दें। इनको पढ़ाना ही है तो टेबल करवा लें। इनसे टेबल करवा लें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आप भी कन्क्लूड करें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): सभापति जी, यह 480 बालक-बालिकाओं का आवासीय विद्यालय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि यह राजस्थान स्टेट का बजट है, केन्द्र सरकार का नहीं। आप सुनने की क्षमता रखें। जोधपुर पर ही 12 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से 50 की क्षमता का जनजाति कन्या छात्रावास एवं 50 की क्षमता का जनजाति कन्या बहु-उद्देशीय छात्रावास और इसके अलावा यह आपको थोड़े ही पता है कि विभाग ने वहां के ट्राइबल्स को डवलप करने के लिए, वहां कार्यालय का निर्माण करवाकर सम्भाग में इसके अतिरिक्त... (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, शान्त रहें। विराजिए। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाइए। माननीय सदस्य, प्लीज यह क्या हो रहा है, कोई गम्भीरता नहीं। इतना महत्वपूर्ण विषय था, आपने सुबह कितना समय जाया किया।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: प्लीज आप विराजिये। अंकित नहीं होगा। माननीय उप नेता महोदय, मैं कतई अलाउ नहीं करूंगा, इधर से कोई नहीं बोलेगा। माननीय मंत्री महोदय, अब आप कन्क्लूड करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को पुन: धन्यवाद दूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा मारवाड़ जंक्शन में 50 विद्यार्थी क्षमता के एक छात्रावास की घोषणा की गयी है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री द्वारा गौतम ऋषि स्थल के भ्रमण के दौरान सुमेरपुर, जिला पाली में 480 क्षमता के आवासीय विद्यालय निर्माण की घोषणा की गयी है। हमारी सरकार के प्रयास से मारवाड़ सम्भाग में निवासरत जनजाति बालक-बालिकाओं को शिक्षा के उच्च अवसर प्राप्त होंगे।

यह और अच्छा नहीं लगेगा, जो मैं पढ़ रहा हूं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं शोर्ट करने की भी कोशिश कर रहा हूं।(व्यवधान) वह तो अभी पता लग जायेगा।

खेल जगत में भी विभाग ने ई.एम.आर.एस. खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर हैदराबाद में दिनांक 17.12.2022 से 23.12.2022 तक तीरंदाजी, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, फुटबाल, कबड्डी, खो-खो, वालीबाल खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अत्यन्त गर्व का विषय है कि भाग लेने वाले 115 छात्रों में से 9 छात्र-छात्राओं ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 2 ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

माननीय सभापति जी, जनजाति कला एवं संस्कृति, इनको काफी दु:ख होगा, बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक ई.एम.आर.एस. प्रतियोगिता 2022-23 में भाग लेने के लिए राज्य के 62 प्रतिभागियों को वायुयान से भेजा गया। ट्राइबल बच्चे पहली बार वायुयान से बेंगलुरु गये, जो उनके लिए हवाई यात्रा का प्रथम सुखद अनुभव है। वहां राष्ट्रीय स्तर पर चार बच्चे पुरस्कृत हुए।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

इसी तरह से अप्रैल माह में भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेले में हस्तलिपि प्रदर्शन हेतु तीन कलाकारों का चयन किया गया, जिसमें राजस्थान की प्रदर्शनी को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

उदयपुर जिले के दूरस्थ जनजाति कोटड़ा मुख्यालय पर सितम्बर, 2022 में तीन दिवसीय आदि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय स्तर के 400 कलाकारों ने भाग लिया। इस तीन दिवसीय आयोजन में लगभग 30 हजार आगुन्तक जनजाति संस्कृति से रूबरू हुए। यह तो सही है? प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है।

अब वनाधिकार पट्टे की बात। माननीय सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सब जनजाति की बात करते हैं और जनजाति विभाग के कार्य पर डिबेट हुई तो सारे वैल में आकर मुर्दाबाद जिंदाबाद करने लग गये। पिछले पांच साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में मात्र 4010 व्यक्तिगत पट्टे दिये गये और कोरोना होते हुए भी माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार 10,367 दावे हमने दिये। यह माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए हर्ष होगा कि हमारी सरकार द्वारा, पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक है।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ में हमने 421 सामूहिक पट्टे दिये हैं और सरकार ने वन में रहने वाले हमारे आदिवासी साथियों के लिए 01 मार्च से जून तक अभियान के तौर पर वापस पट्टे देने का कार्यक्रम शुरू कर रखा है।

माननीय सभापति महोदय, आपकी तरफ भी देखूंगा। पशुपालन में भी हमने काम किया है। कृषि के क्षेत्र में भी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 53.14 करोड़ की लागत से 11,06,000 कृषकों को एवं हमारी सरकार द्वारा 92.91 करोड़ की लागत से 13,08,000 कृषकों को शंकर मक्का बीज मिनी किट्स वितरित किये गये हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले 25 प्रतिशत अधिक है। उसी के साथ में अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में 45 हजार जायद मूंग मिनी किट्स उपलब्ध कराये जा रहे हैं एवं अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में रबी जायद के लिए 44,975 नि:शुल्क हाईब्रिड सब्जी बीज शंकर बीज किट उपलब्ध कराये हैं। ये तो कराये हैं बाबुलाल जी, ये तो ध्यान में हैं?

कौशल विकास में भी 2,260 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

दिया गया है और 394 उम्मीदवारों को रोजगार मेले के उपलक्ष्य में रोजगार दिया गया है।

विभाग का बजट, 2022-23 में कुल बजट प्रावधान की राशि 709.35 लाख करोड़ रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़ा कर 1033.14 करोड़ रुपये की गयी, जो गत वर्ष से लगभग 45 प्रतिशत अधिक है। जनजाति उपयोजना प्रवाह के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में 25,193.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया तथा जिसे 2023-24 में बढ़ा कर 26,931.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह सहरिया, खेरवा जाति और कथौड़ी को भी मिला कर 1,17,750 परिवार, 9,066 खेरवा परिवार, 3253 कथौड़ी परिवार, इन सबको दाल, तेल, घी नि:शुल्क वितरित किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अब अन्त में, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु की गयी घोषणाओं हेतु पुन: उनका आभार व्यक्त करता हूं तथा आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके द्वारा की गयी घोषणाओं को हम अतिशीघ्र पूरा करेंगे। हमारी सरकार ने जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति विकास निधि अधिनियम, 2022 पारित किया, जिससे जनजाति विकास को नये आयाम मिलेंगे। इसके बाद में मैं राठौड़ साहब को हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं किमेरी बात सुनना। अभी सभी टी.एस.पी. के माननीय सदस्यों ने नॉन टी.एस.पी. के कर्मचारियों को अपने-अपने जिलों में भेजने की बात कही और उन्होंने मांग भी उठायी। मुझे इसके साथ-साथ में दु:ख है कि आप टी.एस.पी. एरिये के आदिवासियों की बात कर रहे हो, उनके कल्याण की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ छुरी चला रहे हो। उदाहरण बता रहा हूं, हमारे टी.एस.पी. में आउट आफ टी.एस.पी. का नौकरी नहीं कर सकता, बिजनैस नहीं कर सकता, तो ये उदयपुर ग्रामीण से आने वाले आदमी को नेतागीरी क्यों करा रहे हो? यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारा गला मत काटिये। हमारा गला मत काटिये, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, मैं आपको वार्न करता हूं। मुझे आपके पूरे उद्‌बोधन को विलोपित करना पड़ेगा। माननीय राठौड़ साहब। प्लीज माननीय सदस्य, अब यदि आप बीच में बोले तो पूरा जो उद्‌बोधन आपने अभी दिया था वह पूरा विलोपित कराऊंगा मैं। पूरा उद्‌बोधन विलोपित

(श्री सभापति)

कराऊंगा मैं आपका। यह क्या आचरण है आपका? मैं निन्दा करता हूं आसन से आपके इस आचरण की। प्लीज विराजिये, अब आप।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय सभापति महोदय, मैं भी मेरा प्रस्ताव रख कर बैठ रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, कर्मचारी के लिए हमारा मूल निवास 1970 के पहले का मूल निवास है...

श्री सभापति: आपने अपना पूरा दे दिया?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): उस मूल निवास को लागू करायें। सब तरह से लागू करायें और मेरी मांग संख्या 30 को पारित कराने की मैं मांग करता हूं। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास की आज की मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: मांग के पारित होने तक समय बढ़ाया गया।

श्रीमती ममता भूपेश।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास व 32-महिला एवं बाल विकास पर विचार

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष सी.पी. जोशी साहब को, जिन्होंने पहली बार महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुदान मांगों पर बहस करने का, चर्चा करने का मौका सदन को दिया। इसके लिए मैं सबसे पहले उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

मैं सभी सम्माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करती हूं और

(श्रीमती ममता भूपेश)

सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि राजस्थान की आधी से अधिक आबादी की तरक्की, खुशहाली और स्वास्थ्य ठीक रहे, इसका प्रयास हमारी सरकार करेगी। सदन को विश्वास दिलाती हूं कि सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को मैं आलोचना नहीं मानते हुए समालोचनात्मक भाव से अधिकारियों के साथ बैठ कर चर्चा करूंगी व उनके हर सुझाव को अंजाम तक लाने का प्रयास करूंगी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान को एक समय रूढ़िवादी प्रदेश, बालिका अशिक्षा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह से ग्रसित प्रदेश माना जाता था, परन्तु आज सभी के अथक प्रयासों से प्रदेश में बालिका और महिलाओं की न सिर्फ दशा बदली है, अपितु उनके कार्य करने की दिशा भी बदल गयी है। आज हमारी बहनें आई.एम. शक्ति उड़ान योजना से जुड़ कर अनेक अपने उद्योग स्थापित कर रही हैं, अपनी कम्प्यूटर शिक्षा ले रही हैं, विभिन्न विषयों में कौशल प्रशिक्षण ले रही हैं। स्कूल से ड्रोप आउट वाली बालिकाएं पुन: शिक्षा से जुड़ कर अपने नये आयाम को स्थापित करने में राजस्थान की तरक्की और प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश कर रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी का सपना, प्रगतिशील राजस्थान हो अपना। आज इस सोच के साथ हमारी बेटियां लगातार राजस्थान की प्रगति में काम कर रही हैं।

'खोल दे पंख मेरे, कहता है परिन्दा, अभी और उड़ान बाकी है।
जमीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है।'

माननीय सभापति महोदय, इन्दिरा महिला शक्ति जिस निधि की मैं बात कर रही हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक हजार करोड़ रुपये बजट 2019-20 में दिया गया और मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि यह एक हजार करोड़ रुपये की सम्पूर्ण राशि हमारा राज्य अंशदान है, जो राजस्थान की महिलाओं की तरक्की और प्रगति के लिए हमारी सरकार ने दी है और इस योजना के माध्यम से बहुत सी बहनों ने उद्योग स्थापित किये। अब तक 93,48,00,000 रुपये के 1,694 महिलाओं को हम लोग सब्सिडाइज्ड ऋण दे चुके हैं, जिसके अन्दर 01 करोड़ तक का ऋण हमारी सरकार हमारे विभाग द्वारा दे रही है, जिसमें 25 प्रतिशत सब्सिडी हमारी बहनों को हमारा विभाग दे रहा है। बेसिक कम्प्यूटर कोर्स दिये जा रहे हैं, जिसमें 2,56,655 बालिकाओं और महिलाओं को बेसिक कम्प्यूटर कोर्स के द्वारा लाभान्वित किया गया। लेखांकन कोर्स में 18,095

(श्रीमती ममता भूपेश)

बालिकाएं, 18 लाख हमारी जुड़ी हैं इससे। स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनलिटी डवलपमेंट प्रशिक्षण में पांच हजार से ज्यादा बालिकाओं ने यह कार्य किया है। कौशल सामर्थ्य योजना में 10,900 बालिकाओं एवं महिलाओं को लाभान्वित किया गया। कोरोना काल, जो एक ऐसा समय आया था, माननीय सभापति महोदय, जिसमें पूरा देश और दुनिया अपने आप में हिल गयी थी। ऐसे समय में अगर शिक्षा पर मार पड़ी तो सबसे ज्यादा बालिकाओं पर पड़ी। गरीब घर की बच्चियों को स्कूल से वंचित रखा गया। माता-पिता, जिनके पास पैसा नहीं था जो गरीब थे, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के थे, उन्होंने अपनी बच्चियों

(समय: 20.00 बजे)

को यह कह कर कि पैसा नहीं है आप स्कूल छोड़ दीजिए, उन बालिकाओं को, मुझे सदन में बताते हुए खुशी है कि हमने शिक्षा सेतु योजना में ड्रापआउट बच्चियों को, 2,04,600 से ज्यादा बालिकाओं को पुन: शिक्षा से जोड़ा, उनको वापस स्कूल भेजा और राजस्थान की प्रगति में उन बालिकाओं का हिस्सा किसी तरह से जुड़ पाये, इसलिए उनको शिक्षित करने का प्रोत्साहन दिया। हमने बैंकों से चर्चा की कि लोन ढंग से मिल पाये, उनको फैसेलिटी ठीक से मिल पाये और लोन देने के लिए बैंकों का सरलीकरण हो, उसके लिए हमने स्टेट लेवल पर मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया। तमाम स्तरों पर हमने बैंकों से चर्चा की। इसी चर्चा की वजह से हमारी बहनों को करोड़ों रुपये का लोन हम लोग दे पाये। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि हमारी बेटी अवनी लेखरा, जो टोक्यो पैरालंपिक खेल, 2020 में निशानेबाजी में गोल्ड मैडल लेकर आई थी, उनको हमने इस बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो राजस्थान की बच्चियों के लिए एक मिसाल साबित हो रही है।

वर्ष 2015-16 में जहां जन लिंगानुपात, एस.आर.बी. रेट 929 थी, आज 2020-21 में हमारी एस.आर.बी. रेट बढ़कर 947 हो चुकी है। आज 947 लड़कियां 1000 लड़कों के अनुपात में राजस्थान में हैं। जहां बच्चियों की भ्रूण हत्याएं की जाती थीं, आज कहीं न कहीं हमारे विभाग के सकारात्मक सहयोग की वजह से, सकारात्मक कार्य करने की वजह से हमारी भ्रूण हत्या रुक कर आज लड़कियों की संख्या 947 हो चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा आंकड़ा है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में राजस्थान में

(श्रीमती ममता भूपेश)

हमारी बच्चियां 1000 से ऊपर हों, वे शिक्षित हों और उनका अनुपात बढ़ पाये। इसी कार्य के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के लिए राजस्थान को श्रेष्ठ राज्य के रूप में 2020 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत गौरव का विषय है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी, केन्द्रीय स्तर पर जब विभिन्न जिलों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना में सम्मानित किया गया, तो सबसे पहले हमारे राजस्थान के झुंझुनूं, सीकर, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर जिलों को महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहीं न कहीं हमारे यह जिले बेटियों, महिलाओं की उन्नति के लिए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं।

सामूहिक विवाह योजना, बहुत से सदस्यों ने इस बारे में चर्चा की और मुझे खुशी है कि इसी बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये अनुदान किया है, जो अपने आप में सामूहिक विवाह योजना को बढ़ावा देने का है। अनेकता में एकता की भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने विभिन्न समाजों के सामूहिक विवाह में अगर 25 से ज्यादा जोड़े होते हैं, जो संस्था सामूहिक विवाह करायेगी, उस संस्था को 10 लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा की, जिसमें गरीब, अमीर, जाति, धर्म, तमाम चीजों से ऊपर उठकर हम राजस्थान में अनेकता में एकता की भावना को ध्यान में रखते हुए सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से जोड़ेंगे। इसमें अगर 25 जोड़े हो जाते हैं तो 10 लाख रुपये दिये जायेंगे, यह हमारी इसी बजट की एक घोषणा है।

सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने आईएम. शक्ति उड़ान योजना के बारे में चिंता की। उन्होंने सोचा कि किस तरह से महिलाओं में तकलीफें होती हैं। आज हम हास्पिटल में देखेंगे कि महिलाएं अपना इलाज कराने जाती हैं तो 100 महिलाएं अगर जा रही हैं तो उनमें से 65 प्रतिशत महिलाएं माहवारी स्वच्छता नहीं रखने की वजह से बीमार होती हैं, विभिन्न रोगों से ग्रसित होती हैं। बांझपन का शिकार हो रही हैं, बच्चेदानी का यूट्रस कैंसर हो रहा है। इन चीजों के बारे में जिनमें लोग चुप रहते थे, हमने चुप्पी तोड़ने का प्रयास किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आई.एम. शक्ति उड़ान योजना में हमारी बेटियों के लिए, हमारी 10 साल से 45 वर्ष

(श्रीमती ममता भूपेश)

की महिलाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से फ्री सेनेटरी नेपकिन योजना का शुभारंभ किया। इसके लिए मैं समझती हूं कि यह एक अच्छा योग्य कदम था।

निरोगी राजस्थान की संकल्पना जो राजस्थान में हम लोग साकार करना चाहते हैं, उस निरोगी राजस्थान के सपने को माननीय मुख्य मंत्री जी पूरा करने के लिए उड़ान योजना लाये, जिसके प्रथम चरण में हमने 19 लाख किशोरी और महिलाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरित किये और द्वितीय चरण में, जो कि 26 अगस्त, 2022 से प्रारंभ किया गया, इसमें 1,51,00,000 किशोरी और बालिकाओं को लक्षित करते हुए नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन का वितरण किया गया।

माननीय सभापति महोदय, महिला बाल विकास विभाग, आई.सी.डी.एस. विभाग, जिस पर लगभग 48 लाख से अधिक बेटे-बेटियों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, हमारी किशोरी बालिकाओं की जिम्मेदारी है, जिनको हम विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमने पिछले चार साल में अथक प्रयास किये हैं और इन सबका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया है। 2018 में इस विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई, उस समय हमारे इस विभाग में लाभान्वितों की संख्या 36 लाख थी। आज मुझे सदन में बताते हुए खुशी है कि कहीं न कहीं हमारी मॉनिटरिंग, कहीं न कहीं हमारा पारदर्शिता से काम करने का तरीका और कहीं न कहीं हमारे विभाग से जुड़ी हुई आंगनबाड़ी की बहनें, हमारी आशा वर्कर, सबने एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ में इस विभाग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और जो 2018 में संख्या 36 लाख थी, मुझे सदन में बताते हुए खुशी है कि आज यह संख्या बढ़कर 48 लाख से ज्यादा हो चुकी है।

बहुत से साथियों की नवीन आंगनबाड़ी सेन्टर खोलने की लगातार पिछले चार वर्षों से मांग चली आ रही थी। सदन के साथी जब हमारा बजट सेशन आता था, विभिन्न प्रकार के सेशन आते थे, उसमें नवीन आंगनबाड़ी खोलने की मांग सतत रूप से करते रहते थे। यहां की उन मांगों को हम भी भारत सरकार को भेजते थे, लेकिन भारत सरकार के द्वारा कभी सकारात्मक सहयोग नहीं आया और 2015 के बाद न ही कोई नवीन आंगनबाड़ी खोलने का भारत सरकार ने राजस्थान को मौका दिया। मैं धन्यवाद दूंगी कि तमाम सदस्यों की मांग के आधार पर, जनसंख्या की वृद्धि के आधार पर और

(श्रीमती ममता भूपेश)

राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 8,000 नवीन आंगनबाड़ी और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का ऐलान किया है। यह अपने आप में हमारे उन बच्चों को, उन महिलाओं को, जो आंगनबाड़ी को बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, हमारा प्रथम स्कूल आंगनबाड़ी है, गरीब बच्चा जो जन्म लेता है, वह टीकाकरण कराता है, वह गर्भवती महिला वहां जाती है, अपने बच्चे का टीकाकरण कराती है, वह धात्री महिला जो वहां से पोषाहार लेकर अपने घर जाती है और वह गरीब परिवार सबसे पहले आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए भेजता है। मैं समझती हूं कि आंगनबाड़ी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो 10 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की हमने घोषणा की है, जनसंख्या के आधार पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के जो नोर्म्स हैं, माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत से सदस्य लिस्ट पकड़ाते हैं कि हमारे यहां यह आंगनबाड़ी केन्द्र खोल दीजिए, लेकिन चूंकि यह विभाग भारत सरकार और हमारे दोनों के कोलेबोरेशन से, दोनों के 60:40 के रेश्यो से चलता है, इसलिए सम्पूर्ण भारत में इस विभाग में नई आंगनबाड़ी खोलने के नोर्म्स बनाये हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि उन नोर्म्स के आधार पर आप अपने अधिकारी को, सी.डी.पी.ओ. को, अपने डिप्टी डाइरेक्टर को बताइए और अपने विधान सभा क्षेत्र में नोर्म्स में जो-जो नवीन आंगनबाड़ी आ रही हैं, उनके खोलने का प्रस्ताव आप हमारे पास में स्टेट लेवल पर भिजवाइए, हम लोग नवीन आंगनबाड़ी जरूर खोलेंगे।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आवश्यक उपकरणों की चर्चा चलती है, चाहे वह गैस सिलेंडर हो, चूल्हा हो, इनके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसी बजट में 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो हमारी बहनों के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत सकारात्मक कार्य रहेगा। राज्य में कुल 62 हजार के करीब आंगनबाड़ियां चल रही हैं और नवीन आंगनबाड़ियां खोलने की बात चल रही थी। बहुत-सी जगह पर भवन विहीन आंगनबाड़ियों की बात चल रही थी। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि भवन विहीन आंगनबाड़ियों के बारे में जो चर्चा माननीय सदस्यों ने की, वर्तमान में भारत सरकार की नई गाइड लाइन के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण के लिए 12 लाख रुपये आंकी गई है, जो कि सेन्ट्रल लेवल पर नोर्म्स बनाया गया है, जिसमें 8 लाख रुपये नरेगा का कन्वर्जन और 2 लाख रुपये विभागीय पैसा दिया जायेगा। इसमें केन्द्रांश 1,20,000 और 80,000 राज्यांश है। सभापति महोदय, मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहती हूं कि हमारे राज्यांश को रोकने की हमारी कभी भी

(श्रीमती ममता भूपेश)

मंशा नहीं है। मुख्य मंत्री जी नवीन आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए राज्यांश देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सतत रूप से लगातार केन्द्र को हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं कि नवीन आंगनबाड़ी भवनों के लिए आप अपना अंशदान 1,20,000 दीजिए, लेकिन केन्द्र हमारे पत्रों का जवाब नहीं देता है, अपना रेश्यो देने के लिए तैयार नहीं है।

आज भी विपक्ष के साथियों ने और हमारे साथियों ने सबने मिलकर नवीन आंगनबाड़ी भवन बनाने की चिन्ता व्यक्त की है। मैं हमारे विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस विभाग को राजनीति से ऊपर उठाकर, इस विभाग में आलोचना की भावना नहीं रखते हुए एक समानता के दृष्टिकोण से आप सब विधायक मिलकर केन्द्र सरकार को पत्र लिखिये कि जो केन्द्रांश है, आंगनबाड़ी के बच्चों का जो हक है, उसको केन्द्र सरकार दे। हमारी सरकार खुले दिल से इस भावना के आधार पर नवीन आंगनबाड़ी सेन्टर बनाने के लिए तैयार है।

सभापति महोदय, मानदेय कर्मचारियों की बात चली। हमें भी चिन्ता है। कोरोना काल आया, जो सबने देखा। ऐसे समय में जब भाई-भाई एक-दूसरे से दूर था, सामाजिक परिवेश इस प्रकार का बन गया था, ऐसे समय में हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, हमारी आशा वर्कर्स, हमारी सहयोगिनी, हमारी साथिन बहनों ने राजस्थान की जनता को संभालने का प्रयास किया। मैं यह नहीं कहना चाहूंगी कि यह बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी हमने लगातार, जो कि मानदेय सिस्टम है, माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं और तमाम सदन भी जानता है कि यह विभाग 60-40 के प्रतिशत से चलता है, 60 प्रतिशत केन्द्रांश, 40 प्रतिशत राज्यांश। 2018-19 में जब हम सरकार में आये, हमने 01 अप्रेल, 2019 को 10 प्रतिशत की वृद्धि की, 01 अप्रेल, 2022 को हमने 20 प्रतिशत की वृद्धि की और अभी बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 15 प्रतिशत बढ़ाने की वृद्धि की। लगातार तीनों साल में 45 प्रतिशत मानदेय की वृद्धि राज्य सरकार ने की है, लेकिन केन्द्र सरकार ने, जब से हम लोग सरकार में आये हैं, तब से एक रुपये की भी वृद्धि मानदेय में नहीं की है।

जो केन्द्रांश और राज्यांश का सिस्टम 60-40 का होना चाहिए था। माननीय सभापति महोदय, आज मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य 70 प्रतिशत मानदेय दे रहा है और केन्द्र 30 प्रतिशत मानदेय दे रहा है। केन्द्र का 60 और हमारा 40 होना चाहिए था। मैं इसके लिए भी हमारे विपक्ष

(श्रीमती ममता भूपेश)

के साथियों से कहना चाहूंगी कि हमारे मानदेय कर्मचारियों की इतनी चिन्ता जब आप और हम सब लोग मिलकर करते हैं तो हम तो अपने अथक प्रयास कर रहे हैं, आप भी कहीं न कहीं सकारात्मक सोच के साथ में केन्द्र सरकार को लिखें और 60-40 का जो अनुपात है, उसमें हमने जो 45 प्रतिशत अनुपात बढ़ाया है, उसका 60 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार बढ़ाए, जिससे मानदेय कर्मचारियों की जो चिन्ता है, वह कागजों में ही नहीं लिखी रहे।

माननीय सदस्य बहुत चिन्तित होकर बोल रहे थे कि हमारी +++ बहनें काम कर रही हैं। माननीय सभापति महोदय, पहली बात तो हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को +++ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वे सशक्त हैं, राजस्थान की मजबूत महिलाएं हैं, राजस्थान की एक मजबूत स्तम्भ हैं, जो राजस्थान की जनता के लिए 24 घंटे कार्य करने का प्रयास करती हैं। इसलिए +++ शब्द के साथ उनको जोड़ना, मैं समझती हूं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों का अपमान है। इसलिए ये बातें बोलना कि +++ का मानदेय नहीं बढ़ पा रहा, ये शब्द आप इससे भी डिलीट कराइयेगा। हमारी बहनें बहुत सशक्त हैं और मेहनत करती हैं।

शाला पूर्व शिक्षा, जो मैंने आपसे अभी कहा कि गरीब परिवार का बच्चा सबसे पहले आंगनबाड़ी के अन्दर पढ़ने जाता है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे जो आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शाला पूर्व शिक्षा के लिए जाते हैं, माननीय सभापति महोदय, 2018 में यह संख्या 10 लाख थी। 2018 में 10 लाख बच्चे आंगनबाड़ी में शाला पूर्व शिक्षा के लिए जाते थे, आज यह संख्या 10 लाख से बढ़कर 17 लाख हो चुकी है। आज 17 लाख बच्चे आंगनबाड़ी में शाला पूर्व शिक्षा के लिए जा रहे हैं। कोरोना काल के समय जब सब लोग बहुत विचलित थे, ऐसे समय में हमारी शाला पूर्व शिक्षा की बहनों ने घर-घर जाकर बुक्स देना, किताबें देना, हमारी उमंग, तरंग, किलकारी जो किताबें आती हैं, वे घर पर जाकर बांटना और बच्चों को ढंग से सारी चीजें समझाना...। इसके लिए भारत सरकार ने 2020-21 में ऑनलाइन शिक्षा के सार्थक प्रयासों के लिए राज्य सरकार को फैसिलेटेड किया। हम लोगों और हमारे विभाग को पुरस्कृत किया गया, इस बात के लिए कि शाला पूर्व शिक्षा में आप लोगों ने कोरोना काल के अन्दर अच्छा कार्य किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के माध्यम से हमारी बहनें जुड़ रही हैं।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, माननीय सभापति महोदय, प्रथम बच्चे पर भारत सरकार गर्भवती महिला को 60:40 के हिसाब से पैसा देती है,

(श्रीमती ममता भूपेश)

लेकिन अगर किसी के घर में लड़का पैदा हो गया और वह महिला दुबारा गर्भवती हो गयी, वह गरीब घर की महिला है, मध्यम वर्गीय परिवार की महिला है तो दूसरी संतान पर उस परिवार में उसकी चिन्ता करना छोड़ दिया जाता है कि बेटा तो हो चुका है। अब अगर मान लो कुछ भी हो जाए, खाये-पीये, जो कुछ करे, हम लोगों ने इसकी चिन्ता की और मुझे खुशी है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को पहले हमने पांच जिलों, जो कि टी.एस.पी. इलाके के थे और हमारा सहरिया बहुल इलाका बारां था, उससे 2020 में शुरू किया। पिछले बजट में हमने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किया है। दूसरी संतान पर राजस्थान सरकार लड़का होने पर छह हजार रुपये और लड़की होने पर आठ हजार रुपये की राशि दे रही है। इसमें भी हमारा अंशदान है। हमने केन्द्र सरकार से पुन: प्रार्थना की है कि आप इसके अन्दर 60:40 के रेश्यो के हिसाब से अपना अनुदान दीजिए।

पोषाहार के बारे में बहुत-से साथियों ने अपनी-अपनी बात कही, एस.ए.जी. के माध्यम से बनाया जा रहा था। कोविड काल के दौरान हमने रॉ-राशन देने का प्रयास किया, लेकिन भारत सरकार ने 13.01.2021 को गाइडलाइन भेजी कि आप इसे बंद करिये और इसको फोर्टिफाइड माइक्रो न्यूट्रिएंट, फोर्टिफाइड रेसिपीज तैयार करके बांटिये। भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर माह अप्रेल, 2022 से कॉनफैड के माध्यम से हम लोगों ने पोषाहार शुरू किया, जिसमें फोर्टिफाइड न्यूट्री मीठा दलिया, फोर्टिफाइड मूंग दाल, चावल, खिचड़ी, गेहूं, दलिया, फोर्टिफाइड बाल आहार प्री-मिक्स, उपमा प्री-मिक्स, मीठा नमकीन, मीठा मुरमुरा और तमाम इन सब चीजों को हमने इसमें शामिल किया। 2018 में जहां लाभार्थियों की संख्या 36 लाख थी, आज 48 लाख 64 हजार हो चुकी है। माननीय सभापति महोदय, पिछले चार साल के अन्दर लगभग 12 लाख लाभार्थियों की संख्या इसमें बढ़ चुकी है।

पूरक पोषाहार के बारे में सभी तमाम साथियों ने चिन्ता व्यक्त की। उसके सिस्टम के ऊपर अपनी-अपनी राय दी। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि पोषाहार की आंगनबाड़ी केन्द्रों तक डोर्स्-स्टेप डिलीवरी की जाती है। पूरक पोषाहार आपूर्ति चालानों पर क्यू-आर कोड प्रिंट है, जिसको क्यू-आर कोड के माध्यम से ही लिया जाता है। मोबाइल प्राप्ति पर वितरण की मोबाइल एप के माध्यम से निगरानी की जाती है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से पूरक पोषाहार के उत्थान स्थल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों से रेण्डम तौर पर नमूने लेकर जांच भी समय-समय पर की जाती है। पोषाहार

(श्रीमती ममता भूपेश)
आपूर्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत होने पर पाउच पर छपे हुए फोन नम्बर पर तुरन्त प्रभाव से लाभार्थी या फिर हमारी आंगनबाड़ी वर्कर, उस पर लिखे हुए नम्बरों पर शिकायत कर सकती है, जिससे कि वह खराब है तो उसको बदलाया जा सकता है। मानक गुणवत्ता अनुसार पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आज एन.एफ.एच.एस.-5 (National Family Health Survey 2020-21) राष्ट्रीय औसत से राज्य की तुलनात्मक, हमारी जो नवजात मृत्यु दर है, (एन.एन.एम.आर.) - जन्म से 28 दिवस तक प्रति हजार, भारत का अगर अनुपात आ रहा है तो पूरे देश का अनुपात 24 प्रतिशत आ रहा है, राजस्थान का 20 प्रतिशत आ रहा है। आई.एम.आर. (शिशु मृत्यु दर) जो कि जन्म से एक वर्ष तक की होती है, उसमें पूरे भारत का 35 प्रतिशत आ रहा है और राजस्थान का 30 प्रतिशत आ रहा है। U-5 एम.आर. (बाल मृत्यु दर) जो कि 05 वर्ष के अन्दर होती है, प्रति हजार, सभापति महोदय, भारत की दर 41 प्रतिशत आ रही है, राजस्थान की 37 प्रतिशत आ रही है। हमारे पांच वर्षीय बच्चों में नाटापन है, उसके अन्दर भारत का एवरेज 35 प्रतिशत, राजस्थान का 30 प्रतिशत है। हमारे बच्चों में दुबलेपन की जो तकलीफ रहती है, उसमें भारत का प्रतिशत 19.3 प्रतिशत है और हमारा 16.2 प्रतिशत है। 6 माह से 59 माह के बच्चों में एनिमिया की दर देश में 68 प्रतिशत है, जबकि राजस्थान में 60 प्रतिशत है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हम लोग जो संस्थागत प्रसव करवाते हैं, इसके अन्दर एन.एफ.एस.ए.-4 2015-16 के अनुसार राजस्थान में 84 प्रतिशत था, लेकिन आज एन.एफ.एस.ए.-5 2020-21 के अनुपात में अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में संस्थागत प्रसव 95 प्रतिशत हो रहे हैं। सभापति महोदय, हमारा एन.एन.एम.आर., आई.एम.आर., U-5 एम.आर. का जो राष्ट्रीय स्तर है, उसमें अभी अनुपात में आपको पढ़कर सुना रही थी, लेकिन इसमें हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। चिकित्सा विभाग के साथ हमारा विभाग मिलकर हमारी एन.एन.एम.आर., और आई.एम.आर. में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के अन्दर हम प्रयास करेंगे कि हमारा प्रतिशत और कम हो और हमारे बच्चे स्वस्थ हों, हमारी माताएं स्वस्थ हों।

मैं अपनी इन बातों को कहते हुए, हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में हम महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित हैं। इसका निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार

(श्रीमती ममता भूपेश)
यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इस विभाग को आगे लेकर जाना चाहती है। मैं समझती हूं कि जिस तरह से हमारी कई योजनाएं हिन्दुस्तान भर में नवाचार बनकर निकली हैं, चाहे उड़ान योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना हो, हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारी इन योजनाओं के माध्यम से हम इस विभाग को आगे बढ़ा पाएं।

अभी हमारे साथी ज्ञानचंद जी कह रहे थे कि आपका कैरियर भी खतम हो जाएगा, अगली साल सरकार भी खतम हो जायेगी। माननीय सभापति महोदय, हमारा कैरियर कोई कमल का फूल नहीं है, जो सूख कर उड़ जायेगा। जनता के सेवक हैं, सेवा की भावना से काम करते हैं। अगले वर्ष यही वापस मिलते हैं, पारख साहब।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। धन्यवाद। जय हिन्द।

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,83,56,38,15,000/- (दो सौ तिरासी अरब छप्पन करोड़ अड़तीस लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32- महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,49,73,40,000/- (छब्बीस अरब उनचास करोड़ तिहत्तर लाख चालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 14 मार्च 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.22 बजे मंगलवार, 14 मार्च 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

उदयपुर में पंजीकृत मन्दिर

351. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला उदयपुर में विभाग में पंजीकृत कितने मन्दिर हैं? उक्त मन्दिरों की सुरक्षा, संरक्षण, रख-रखाव एवं पूजा पाठ के लिए क्या व्यवस्थाएं एवं सहयोग दिया जाता है? क्या सरकार उक्त में वृद्धि करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त की चल-अचल सम्पत्तियां किराये पर दी जाती हैं? यदि हां, तो विगत चार वर्षों में उनसे प्राप्त आय, व्यय तथा बकाया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सम्पत्तियों से प्राप्त आय के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में देवस्थान विभाग द्वारा नियंत्रित एवं प्रबंधित कुल 113 मंदिर स्थित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

उक्त मंदिरो की सुरक्षा, संरक्षण, रख-रखाव एवं पूजा पाठ के लिए कार्मिकों की व्यवस्था है। स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-2 में संलग्न है।

विभाग द्वारा आर्थिक सहयोग में समय-समय पर वृद्धि की जाती है।

(2) जी हां। देवस्थान विभाग द्वारा नियंत्रित एवं प्रबंधित मंदिरों की सम्पत्तियां किराये पर दी जाती हैं। विगत 4 वर्षों में आय, खर्च तथा बकाया का विवरण परिशिष्ट-3 में संलग्न है।

(3) विभागीय स्तर पर सम्पत्तियों से प्राप्त आय में हेराफेरी करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर में संचालित ग्रामीण लोक परिवहन सेवा

352. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जोराराम कुमावत)

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में NH पर जाडन से वेरारामपुरा, पालडीजोड़ तक कितने गांव हैं? किस-किस गांव में बस स्टाप पर ओवरब्रिज बने हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज की बसें व अनुबंधित बसें उक्त हाईवे पर चलती हैं तथा उक्त बसें ओवरब्रिज के ऊपर दोनों तरफ रुकती हैं व सर्विस रोड पर निर्मित बस स्टैण्ड या पूर्व निर्धारित बस स्टैण्ड पर नहीं रूकती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बसों को निर्मित बस स्टैण्ड या पूर्व निर्धारित बस स्टाप पर रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा बजट 2019-2021, 2022 में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोक परिवहन की बसें चलाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में उक्त तीन वर्षों में कितने व कौन-कौन से रूट पर नई बसें प्रारम्भ की गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार नई बसें प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में NH पर जाडन से वेरारामपुरा, पालडीजोड़ तक पड़ने वाले गांव एवं उक्त गांवों में से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के बस स्टाप पर ओवरब्रिज के संबंध में विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा स्वयं की एवं अनुबन्धित बसों का संचालन उक्त हाईवे पर किया जाता है।

निगम द्वारा संचालित वाहनों को सर्विस रोड पर स्थित बस स्टैण्ड या पूर्व निर्धारित बस स्टैण्ड पर ही रोका जाता है।

(3) जी हां। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में ग्रामीण परिवहन सेवा संचालन हेतु निम्न घोषणा की गई है:-

"हमने वर्ष 2012-13 में ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ की थी, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। इस सेवा की लोकप्रियता, आम जनता को मिलने वाली सुविधा को देखते हुए मैं नये वाहनों के साथ ग्रामीण बस सेवा पुनः प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूं। इसके अन्तर्गत सेवा से वंचित रही

(राज्य मंत्री, परिवहन)

लगभग 6 हजार ग्राम पंचायतों को आवश्यकतानुसार परिवहन सेवा से जोड़ा जायेगा।"

उक्त बजट घोषणा के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अत: वर्तमान में किसी भी मार्ग पर ग्रामीण परिवहन सेवा संचालित नहीं है।

ग्रामीण परिवहन सेवा के क्रियान्वयन हेतु निगम द्वारा दिनांक 27.02.2023 को निविदाएं जारी की जा चुकी हैं। निविदा प्रक्रिया के उपरान्त ग्रामीण परिवहन सेवा का संचालन प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति क्षेत्र में मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की कार्ययोजना

353. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जनजाति क्षेत्र के बालक-बालिकाओं हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त मां-बाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या 79 में जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 नवीन मां-बाड़ी केन्द्र स्थापित किये जाने की घोषणा की गई है।

मां-बाड़ी खोले जाने के विभाग को प्राप्त प्रस्तावों, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, क्षेत्र की सापेक्ष मांग तथा मां-बाड़ी केन्द्र खोलने के मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थानों पर मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

भादरा के गांवों व ढाणियों का विद्युतीकरण

354. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भादरा में गांवों से दूर ढाणियों में विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र भादरा में वर्तमान में गांव से दूर ढाणियों में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन करने पर "विद्युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें-

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

2021" में वर्णित नियमों के अनुसार पात्र व इच्छित आवेदकों को मांग पत्र की राशि जमा करवाने के पश्चात् घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्रान्तर्गत घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित कुल 10,674 ढाणियों के 1,15,383 ग्रामीण परिवारों के विद्युतीकरण हेतु डी.पी.आर. तैयार कर दिनांक 19.01.2023 को आर.ई.सी. भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकृति अनुसार आगामी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। उक्त डी.पी.आर. में हनुमानगढ़ जिले के कुल 2,057 एवं भादरा ब्लाक के कुल 670 अविद्युतीकृत परिवारों को विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

उनियारा के राजकीय महाविद्यालय में पृथक् से कृषि महाविद्यालय की स्थापना

355. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत चार वर्षों में कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय खोले गये? विधान सभावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के राजकीय महाविद्यालय, उनियारा में संचालित कृषि संकाय के लिए पृथक् से कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत चार वर्षों में कुल 42 कृषि महाविद्यालय खोले गये। विधान सभावार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के राजकीय महाविद्यालय उनियारा में संचालित कृषि संकाय के अलावा पृथक् से कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। टोंक जिले में झिलाई (निवाई) में कृषि महाविद्यालय संचालित है। क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नवीन कृषि महाविद्यालय खोले जाते हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नोहर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव कक्ष

293. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या सरकार उक्त केन्द्रों के जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से किन-किन में प्रसव कक्ष नहीं हैं? क्या सरकार उक्त केन्द्रों में उक्त कक्ष का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में सामुदायिक/प्राथमिक/उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	संस्था का प्रकार	संस्थाओं की संख्या	भवन सहित	भवन रहित	जर्जर
1.	सी.एच.सी.	3	3	0	0
2.	पी.एच.सी.	10	9	1	0
3.	उप केन्द्र	72	63	9	14

उपरोक्त का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

जी हां। विधान सभा क्षेत्र नोहर में 14 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन जर्जर हैं, जिनका पुनर्निर्माण चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र नोहर में 72 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिनमें से 9 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कक्ष उपलब्ध नहीं हैं। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जी हां। उक्त 9 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कक्ष उपलब्ध नही

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

हैं, जिनमें चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर प्रसव कक्ष निर्माण करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़मेर में स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु बजट का आबंटन

294. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में सी.एच.सी., पी.एच.सी. एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं व उक्त में से ऐसे कितने केन्द्र हैं जिनका स्वयं का भवन नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में सामुदायिक/प्राथमिक/उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की संख्यावार स्थिति निम्नानुसार है:-

चिकित्सा संस्थान का नाम	स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों की संख्या	भवन सहित	भवन रहित	विशेष विवरण
सी.एच.सी.	5	2	3	2 सी.एच.सी. के भवन डी.एम.एफ.टी. फण्ड (PWD) एवं 1 सी.एच.सी. नाबार्ड 28 में (CE-NHM) निर्माणाधीन है।
पी.एच.सी.	12	7	5	4 पी.एच.सी. के भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
उप केन्द्र	105	77	28	7 उप केन्द्रों के भवनों का कार्य (डी.एम.एफ.टी. अभिम, नाबार्ड, 15वें फाइनेन्स) प्रगतिरत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उक्त तालिका में दर्शाये गये चिकित्सा संस्थानों के भवन सहित, रहित तथा कार्य प्रगति की सूचना का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में भवन रहित प्राथमिक/उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण मानदण्ड अनुसार भूमि, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर निर्माण करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोविड स्वास्थ्य सहायकों का नियमितीकरण

295. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कोरोना काल में कोविड स्वास्थ्य सहायकों को लगाया गया था? यदि हां, तो कितने पदों व कितने मानदेय पर? उक्त को क्या-क्या सुविधाएं दी गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त को पचास लाख रुपये का बीमा कवर दिया गया था? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य सहायकों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 31 जुलाई, 2021 तक नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जिस तरह से प्रत्येक जिला स्तर पर स्वयंसेवकों का चयन/मनोनयन किया जाता है उसी आधार पर समस्त जिलों में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के चयन/नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। कुल 27,427 कोविड स्वास्थ्य सहायक का चयन/नियोजन किया गया था। स्वीकृति आदेश एवं मानदेय की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.12(3) वित्त (नियम)/2014, जयपुर, दिनांक 11.04.2020 के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम से सम्बंधित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संक्रमण के कारण इलाज के दौरान संविदा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कर्मी (सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी इत्यादि) एवं मानदेय कर्मचारी (होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आशा इत्यादि) की असामयिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित/परिवार को रुपये 50.00 लाख की सहायता राशि देय होगी। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा नियमित भर्तियों में राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित चिकित्सालयों एवं योजनाओं में कार्यरत संविदा/आवश्यक अस्थाई आधार/यू.टी.बी. पर कार्यरत पात्र कार्मिकों को समरूप कार्य करने पर अनुभव आधारित बोनस अंक नियमानुसार देय है।

(सूचना व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

एम्बुलेंस सेवाओं में स्टाफ की भर्ती

296. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 104, 108 एम्बुलेंस सेवाएं संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो उक्त में पदस्थापित नर्सिंग स्टाफ व वाहन चालकों को संविदा सेवाओं में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य में एन.एच.एम. के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन कर 104 जननी एक्सप्रेस सेवा व 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं का संचालन किया जाता है।

जी नहीं। सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा ही मानव संसाधन का प्रबंधन किया जाता है तथा सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को राजस्थान कान्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 में शामिल नहीं किया गया है।

रतनगढ़ में भवन विहीन पशु चिकित्सालय

297. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ में कितने पशु चिकित्सा उप केन्द्र व

(श्री अभिनेश महर्षि)

पशु चिकित्सालय स्वीकृत हैं? स्थानवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पशु चिकित्सा उप केन्द्रों व पशु चिकित्सालयों में से कितने भवन रहित हैं? क्या सरकार उक्त भवन रहित पशु चिकित्सा उप केन्द्रों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में 36 पशु चिकित्सा उप केन्द्र, 09 पशु चिकित्सालय, 5 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय (कुल 50) स्वीकृत हैं, जिनकी संस्थाओं का स्थानवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में स्वीकृत समस्त पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उप केन्द्रों हेतु भवन उपलब्ध हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

संस्थाओं हेतु उपलब्ध भवन का प्रकार	**संस्थाओं की संख्या**
राजकीय भवन में	24
पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन में	26
कुल	**50**

जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से करवाये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर में भामाशाह पशु बीमा योजना के लाभार्थी

298. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विगत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र परबतसर में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा किया गया एवं कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? वर्षवार, संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र परबतसर में विगत 4 वर्षों (वर्ष 2019-20, 2020-

(पशुपालन मंत्री)

21, 2021-22 एवं 2022-23) में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत कोई बीमा नहीं किया गया है।

केन्द्रीय प्रवर्तित पशुधन बीमा योजना 1 अक्टूबर, 2022 (वर्ष 2022-23) से प्रारम्भ हुई है, जिसके अन्तर्गत दिनांक 08.03.2023 तक विधान सभा क्षेत्र परबतसर में कुल 12 पशुओं का बीमा पशुपालकों द्वारा करवाया गया है।

शाहपुरा (भीलवाड़ा) के वंचित गांवों में पेयजल की सुविधा

299. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में पेयजल से वंचित गांवों को चम्बल पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण में पेयजल लाइन से जोड़ा जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कौन-कौनसे गांवों को उक्त योजना से जोड़ा गया है? वर्षवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के स्वीकृत कार्यों को पेयजल लाइन से जोड़ा जा चुका है? यदि नहीं, तो कौन-कौन से गांव स्वीकृति के उपरान्त भी नहीं जोड़े गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वृहद पेयजल परियोजना चम्बल-भीलवाड़ा, द्वितीय चरण की स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 के द्वारा राशि रुपये 1,495.68 करोड़ की जारी की गई थी। जिसके अंतर्गत वर्ष 2001 की जनगणनानुसार विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के 232 ग्रामों एवं शाहपुरा कस्बे को सम्मिलित करते हुए जिला भीलवाड़ा के 8 कस्बों एवं 1698 ग्रामों को लाभान्वित किया जाना स्वीकृत है।

उक्त परियोजना को क्रियान्वयन हेतु 8 पैकेजों में विभक्त किया गया है। परियोजना के पैकेज संख्या 3 (गुलाबपुरा) में तहसील बनेड़ा के 82 ग्राम एवं पैकेज संख्या 5 (शाहपुरा) में शाहपुरा के 89 एवं फूलिया कलां के 61 ग्राम एवं शाहपुरा कस्बे को लाभान्वित किया जाना प्रावधित है। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के सभी 232 गांवों एवं शाहपुरा कस्बे को परियोजना के पैकेज संख्या 3 एवं 5 के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

पैकेज संख्या 3 में तहसील बनेड़ा के 82 ग्रामों सहित कुल 151 ग्राम एवं कस्बा गुलाबपुरा को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु मैसर्स प्रतिभा इन्डस्ट्रीज लि., मुम्बई को राशि रुपये 230.90 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 23.08.2013 को जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार आदेशित कार्य दिनांक 31.08.2016 तक पूर्ण किया जाना था, परंतु संवेदक के स्तर पर निविदा शर्तों के अनुसार प्रगति नहीं होने से सक्षम स्तर पर कार्य दिनांक 27.07.2017 को प्रत्याहारित किया गया।

पैकेज के बकाया कार्य हेतु फर्म की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर दिनांक 30.01.2018 द्वारा मैसर्स भूरत्नम कंस्ट्रक्शन कम्पनी, सिकंदराबाद को राशि 199.33 करोड़ रुपये का कार्यादेश जारी किया गया। कार्य दिनांक 10.02.2018 को प्रारम्भ कर दिनांक 09.07.2020 को पूर्ण किया जाना लक्षित था। संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने एवं देरी से कार्य क्रियान्वित किये जाने के फलस्वरूप राशि रुपये 6.25 करोड़ की शास्ति रोकी गई है। संवेदक द्वारा अभी तक 92 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बनेड़ा ब्लाक के 82 ग्रामों में से 79 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 3 ग्राम क्रमश: राक्षी, लाम्बा एवं सुल्तानगढ़ को लाभान्वित किया जाना शेष है।

पैकेज संख्या 5 का कार्यादेश राशि रुपये 214.65 करोड़ का दिनांक 23.09.2013 को मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हैदराबाद कम्पनी को जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार आदेशित कार्य दिनांक 02.10.2016 तक पूर्ण किया जाना था। उक्त कार्य को दिनांक 15.05.2019 को पूर्ण किया जाकर, तहसील शाहपुरा एवं फूलियाकलां के समस्त क्रमश: 89 एवं 61 कुल 150 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने एवं देरी से कार्य क्रियान्वित किए जाने के फलस्वरूप राशि रुपये 1.59 करोड़ की शास्ति आरोपित की गई है।

इस प्रकार वृहद पेयजल परियोजना चम्बल भीलवाड़ा, द्वितीय चरण के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के 212 ग्राम वर्ष 2021-22 से पूर्व ही पेयजल से लाभान्वित किये जा चुके थे। वर्ष 2021-22 में शेष 20 ग्रामों में से 17 ग्रामों को लाभान्वित किया गया एवं वर्ष 2022-23 में दिनांक 28.02.2023 तक शेष 3 ग्रामों में से कोई भी ग्राम लाभान्वित नहीं किया गया है। शेष रहे उक्त 3 ग्रामों को माह जून, 2023 तक लाभान्वित किया

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

जाना प्रस्तावित है। वर्षवार लाभान्वित किये गये ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र के कुल 232 आबाद ग्रामों की मुख्य आबादी को चम्बल पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण में पेयजल लाइन से सार्वजनिक नलों के माध्यम से 229 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है एवं शेष रहे 3 ग्रामों, क्रमश: राक्षी, लाम्बा एवं सुल्तानगढ़ को माह जून, 2023 तक लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा नगर, धौलाई में पेयजल की सुविधा

300. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हर घर नल योजना के तहत जयपुर में मानसरोवर क्षेत्र की धौलाई की विधान सभा नगर कालोनी को भी जोड़ा जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो उक्त को नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कालोनी के घरों को उक्त योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मानसरोवर क्षेत्र के धौलाई की विधान सभा नगर कालोनी को बीसलपुर बांध आधारित पृथ्वीराजनगर परियोजना फेज प्रथम व द्वितीय के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

पृथ्वीराजनगर पेयजल परियोजना फेज-1, स्टेज-1 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 563.93 करोड़ की वित्त समिति की 757वीं बैठक दिनांक 07.06.2019 को जारी की जाकर उक्त परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु अनुबंधक फर्म को दिनांक 12.03.2020 को राशि रुपये 295.51 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया है। योजना का कार्य माह मई, 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत विधान सभा नगर कालोनी, धौलाई का लगभग 10 प्रतिशत भाग लाभान्वित किया जावेगा।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

शेष 90 प्रतिशत भाग को बीसलपुर पृथ्वीराजनगर पेयजल परियोजना, फेज-प्रथम, स्टेज-द्वितीय एवं फेज-द्वितीय के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 747.08 करोड़ की वित्त समिति की 820वीं बैठक, दिनांक 27.10.2022 द्वारा एवं तकनीकी स्वीकृति तकनीकी समिति की 736वीं बैठक, दिनांक 28.12.2022 द्वारा जारी की जा चुकी है। वर्तमान में योजना की निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योजना के कार्य माह जून, 2025 तक पूर्ण कराये जाने प्रस्तावित हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

रानीवाड़ा में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लाभार्थी

301. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया जा रहा है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में किसानों को आवेदन करने के उपरान्त भी सत्यापन के अभाव में उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो सत्यापन प्रक्रिया किस स्तर पर लम्बित है व क्यों? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 14.02.2023 तक विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 54,321 कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(2) दिनांक 14.02.2023 तक विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के 2,128 कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त होना शेष है। उक्त कृषकों के आवेदन रानीवाड़ा विधान सभा की संबंधित तहसील स्तर से सत्यापन प्रक्रिया में शेष है।

उक्त शेष कृषकों के प्राप्त आवेदनों का शीघ्र सत्यापन कर निस्तारण किया जा रहा है।

लूणकरणसर के फसल बीमा योजना से लाभान्वित किसान

302. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में को-आपरेटिव बैंकों द्वारा किसानों को फसली ऋण दिया जाता है व फसल का बीमा भी किया जाता है? यदि हां, तो विगत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कितने कृषकों का फसल बीमा किया गया तथा कितना बीमा क्लेम दिया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर कृषकों को फसल का बीमा कराये जाने तथा फसल नष्ट होने के उपरांत भी क्लेम राशि नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., बीकानेर द्वारा विगत 4 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के सीजन वाइज किसानों का फसल बीमा किया गया एवं सीजन वाइज बीमा कम्पनियों द्वारा फसल बीमा क्लेम का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों के खातों में जमा किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सीजन	किसानों की संख्या जिनका बीमा किया गया	भुगतान की गई पालिसियों की संख्या	भुगतान की गई फसल बीमा क्लेम की राशि
1	खरीफ 2018	2,932	4,275	9,15,13,911.00
2	रबी 2018-19	1,403	412	37,51,016.94
3	खरीफ-2019	2,815	3,896	8,56,56,638.71
4	रबी 2019-20	5,161	2,111	9,66,48,123.94
5	खरीफ-2020	7,911	13,860	24,84,97,522.00
6	रबी 2020-21	5,238	4,810	17,07,43,784.00
7	खरीफ 2021	14,787	25,938	18,80,68,680.00
8	रबी 2021-22	13,186	15,961	8,33,43,400.00

(सहकारिता मंत्री)

कृषि विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में गत 4 वर्षों में वितरित किये गये बीमा क्लेमों का विवरण निम्नानुसार है-

(राशि करोड़ रु. में)

मौसम	सृजित फसल बीमा पालिसी	आंकलित		वितरित	
		बीमा क्लेम	पालिसी	बीमा क्लेम	पालिसी
खरीफ 2018	27,888	57.59	21,370	57.59	21,370
रबी 2018-19	12,829	1.63	1,570	1.63	1,570
खरीफ 2019	35,836	57.65	26,000	57.65	26,000
रबी 2019-20	20,920	13.34	3,392	13.34	3,392
खरीफ 2020	59,034	101.46	46,731	101.46	46,731
रबी 2020-21	22,514	42.54	11,630	42.54	11,630
खरीफ 2021	1,19,745	87.94	74,130	83.34	72,341
रबी 2021-22	1,33,036	15.94	23,506	15.94	23,506

(2) कृषि विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार खरीफ 2021 के 1,789 फसल बीमा पालिसियों के लिए 4.60 करोड़ रु. के बीमा क्लेम का प्रकरण आधिक्य बीमा क्लेम के परीक्षण के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है।

भारतीय खाद्य निगम, उदयपुर के गोदामों का अन्यत्र स्थानान्तरण

303. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या उदयपुर में स्थित भारतीय खाद्य निगम के संभाग स्तर के गोदाम से खाद्य सामग्री उदयपुर संभाग के जिलों में भेजी जाती है, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ती रहती है व दुर्घटना का अंदेशा रहता है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार यातायात की अव्यवस्था व जनता हित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त गोदामों को उदयपुर से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से केवल उदयपुर जिले के लिए ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य सामग्री का वितरण किया जाता है। उदयपुर संभाग के अन्य जिलों हेतु खाद्यान्न का वितरण भारतीय खाद्य निगम के अधीन दूसरे गोदामों से करवाया जाता है।

जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर से प्राप्त सूचनानुसार भारतीय खाद्य निगम गोदाम से खाद्य सामग्री वितरित करने पर दुर्घटना जैसी स्थिति बनी हो, ऐसा संज्ञान में नहीं आया है। ट्रैफिक व्यवस्था हेतु पुलिस थाना ट्रैफिक पाइन्ट पर पुलिस जाप्ता लगाया जाता है तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाये रखा जाता है।

(2) वर्तमान में उदयपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम गोदाम को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राशन डीलरों को वेतन देने की योजना

304. श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में राशन डीलरों को वेतन नहीं मिलता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को मासिक वेतन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां उचित मूल्य दुकानदारों को आबंटित मात्रा के विरुद्ध उनके द्वारा वितरित मात्रा अनुरूप कमीशन का भुगतान किया जा रहा है

उचित मूल्य दुकानदारों को मासिक मानदेय दिये जाने के क्रम में प्रकरण परीक्षणाधीन है।

रेवदर में राशन की नवीन दुकानें

305. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को विगत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रेवदर में राशन की नवीन दुकानें खोलने के आवेदन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां के लिए? उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में राशन की नवीन दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। विगत चार वर्ष में विधान सभा क्षेत्र रेवदर में राशन की नई दुकान खोलने बाबत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विधान सभा क्षेत्र रेवदर में ग्राम पेरवा, पंचायत लूणोल में रिक्त उचित मूल्य दुकान हेतु दिनांक 09.02.2023 को विज्ञप्ति जारी की गई है।

(2) विभागीय निर्देश दिनांक 07.04.2010 एवं 26.12.2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशनकार्डों अथवा 2,000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित हैं।

विधान सभा क्षेत्र रेवदर में नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

जयपुर के मन्दिरों के जीर्णोद्धार की योजना

306. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जिला जयपुर में दिनांक 01 अप्रेल, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक किस-किस मंदिर को जीर्णोद्धार हेतु कब-कब कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में जयपुर शहर के मंदिरों में कब-कब व कितनी-कितनी राशि के जीर्णोद्धार कार्य करवाये गये? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले के देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित मंदिरों में विभाग द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक देवस्थान विभाग द्वारा जीर्णोद्धार हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। अतः सूचना शून्य है।

(2) जयपुर शहर के मंदिरों में उक्त अवधि में देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों में वर्षवार जीर्णोद्धार हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। अतः सूचना शून्य है।

ब्यावर के बस डिपो के सौन्दर्यीकरण हेतु बजट का आबंटन

307. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शंकर सिंह रावत)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बस डिपो के रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण हेतु सरकार द्वारा बजट जारी किया जाता है? यदि हां, तो ब्यावर डिपो के लिए अन्तिम बार बजट कब जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त डिपो के लिए बजट जारी नहीं होने के कारण डिपो जर्जर अवस्था में है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार उक्त बस डिपो के सौन्दर्यीकरण हेतु बजट जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निगम की सभी इकाइयों को प्रतिवर्ष बजट मद संख्या 56-Repair & Maintenance of Building & Wall के तहत बजट आबंटित किया जाता है। उक्त मद के तहत संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2022-23 में ब्यावर आगार को राशि रुपये 40,000/- का बजट आबंटित किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में बस स्टैण्ड के उन्नयन एवं रिपेयर के संबंध में निम्न घोषणा की गई है:

"... Roadways (RSRTC) एवं निजी बसों के stands के उन्नयन व Repair संबंधी कार्य लगभग 125 करोड़ रुपये की राशि से कराये जाने प्रस्तावित हैं।"

उक्त घोषणा के क्रम में ब्यावर बस स्टैण्ड के उन्नयन एवं रिपेयर संबंधी कार्यों की DPR पर राज्य सरकार से अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान रोडवेज की बसों से प्राप्त राजस्व

308. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रोडवेज में अधिकतर बसें खराब हैं? यदि हां, तो उक्त के पास ऐसी कुल कितनी बसें हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माह दिसम्बर, 2022 तक राजस्थान रोडवेज की कुल कितनी बसें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सुरक्षा के निर्धारित मानकों को पूरा कर रही हैं तथा कितनी बसें हादसे का शिकार हुईं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में रोडवेज के पास कुल कितनी बसें हैं तथा उक्त बसों के माध्यम से प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास माह जनवरी 2023 में संचालन हेतु उपलब्ध स्वयं की 2,886 बसों में से कुल 288 बसें तकनीकी खराबी के दुरुस्तीकरण हेतु निगम की विभिन्न कार्यशालाओं में मरम्मत अधीन हैं।

(2) निगम द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2019-20 में क्रय की गई सभी बसें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित बस-बॉडी कोड के अनुसार क्रय की गई हैं, जो सुरक्षा मानकों को भी पूर्ण करती हैं। निगम द्वारा वर्ष 2016-17 से पूर्व क्रय किये गये वाहन भी तत्समय निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूर्ण करते हैं।

वर्ष 2018-19 से दिसम्बर, 2022 तक निगम बसों की कुल 753 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	वर्ष	प्राणघातक दुर्घटना	बड़ी दुर्घटना	साधारण दुर्घटना	कुल दुर्घटनाएं
1.	2018-19	67	24	96	187
2.	2019-20	78	28	93	199
3.	2020-21	36	13	48	97
4.	2021-22	54	16	66	136
5.	2022-23 (दिसम्बर 22 तक)	51	15	68	134
	कुल	**286**	**96**	**371**	**753**

(3) माह जनवरी, 2023 में निगम के पास संचालन हेतु कुल 3,690 बस (स्वयं की 2,886 एवं अनुबन्धित 804) उपलब्ध हैं।

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनवरी 2023 तक कुल 1551.51 करोड रुपये संचालन राजस्व प्राप्त किया गया है। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 1,428.35 करोड़ रुपये (अनन्तिम) संचालन राजस्व प्राप्त किया गया है।

खींवसर के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

309. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को दिनांक 01 नवम्बर, 2022 से दिनांक 01 जनवरी, 2023 तक कितने घंटे कब-कब बिजली दी गई एवं उक्त अवधि में कितने-कितने घंटे बिजली बंद रही? फीडरवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में विद्युत कटौती के कारण फसल सिंचाई समय पर नहीं होने से हुए नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को कृषि कार्य हेतु दिनांक 01 नवम्बर, 2022 से 01 जनवरी, 2023 तक दिन व रात्रि के ब्लाक में फीडरवार की गई विद्युत आपूर्ति एवं बंद रही बिजली से संबंधित संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में अन्तर होने, विद्युत लाइन में तकनीकी खराबी आने अथवा यदा-कदा आंधी तूफान/तेज बारिश में विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर विद्युत व्यवस्था को यथाशीघ्र दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल कर यथासम्भव ब्लाक आपूर्ति पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। उक्त अपरिहार्य कारणों से बंद हुई विद्युत आपूर्ति के लिए कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरकारी कार्यालयों के बकाया विद्युत बिल

310. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित केन्द्र व राज्य सरकार के कई विभागों एवं उपक्रमों के विद्युत बिल बकाया हैं? यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि के विद्युत बिल बकाया हैं? उक्त बकाया बिलों की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि बकायादारों की सूची में सम्मिलित

(श्री संदीप शर्मा)

अनेकानेक ऐसी नगरपालिकाएं, नगर परिषद्, नगर निगम व ग्राम पंचायतें हैं जिनकी आय बहुत कम होने के कारण वे बिल जमा करवाने में असमर्थ हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी संस्थाओं के बिल माफ करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों के केन्द्र व राज्य सरकार के अधीन राजकीय विभागों के विरुद्ध विद्युत बिलों की माह जनवरी, 2023 तक की बकाया राशि निम्नानुसार है:-

डिस्कॉम	अजमेर	जयपुर	जोधपुर	कुल
बकाया राशि (करोड़ रुपये में)	320.86	1004.65	621.90	1947.41

उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु विद्युत वितरण निगमों द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र 5219-418 दिनांक 15.06.2022 (प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध) की अनुपालना में दिनांक 15.06.2022 से आई.एफ.एम.एस. (Integrated Financial Management System) राज पे-मैनेजर से बिलिंग सिस्टम का ए.पी.आई. (Application programming interface) इन्टीग्रेशन किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्युत बिलों का आई.एफ.एम.एस. (Integrated Financial Management System) के माध्यम से स्वचालित रूप से समयबद्ध भुगतान हेतु व्यवस्था प्रारम्भ की गई है, जिसके तहत विद्युत बिल सम्बन्धित विभागों को आई.एफ.एम.एस. (Integrated Financial Management System) के माध्यम से जनरेट होते ही ऑनलाइन स्वतः भुगतान हेतु प्रेषित कर दिये जाते हैं।

कुल विद्युत बिल बकाया राशि 1,947.41 करोड़ रुपये में 1,218.13 करोड़ रुपये सार्वजनिक पथ प्रकाश (PSL) के विरुद्ध बकाया राशि शामिल है, जिसके संबंध में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार को जारी की जाने वाली अनुदान राशि में से कटौती कर सीधे ही विद्युत वितरण निगमों को भुगतान करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) नगरपालिकाओं, नगर परिषद्, नगर निगम व ग्राम पंचायतों के विद्युत बिलों की बकाया राशि माफ किये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(परिपत्र की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

ओसियां में विद्युत करंट से मृत्यु के प्रकरण

311. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में वर्ष 2019 से अब तक कितने लोगों व जानवरों की विद्युत करंट से मृत्यु हुई? मृतक के नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विद्युत करंट से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कितनों को व कितनी सहायता राशि दी गई तथा कितनों को सहायता राशि दिया जाना शेष है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में मुआवजा राशि बढ़ाने तथा पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में माह जनवरी, 2019 से माह जनवरी, 2023 तक विद्युत करंट से कुल 67 व्यक्तियों के साथ घातक दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, जिनका नाम व पते सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। उक्त अवधि में कुल 18 जानवरों के साथ घातक दुर्घटनाएं घटित हुई है, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। विद्युत करंट से घटित होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं के प्रकरणों में जांच कमेटी गठित कर जांच करायी जाती है एवं विद्युत दुर्घटना कारित होने के साथ-साथ पोस्टमोर्टम रिपोर्ट व संबंधित दस्तावेजों की जांच के उपरांत सहायता राशि निगम प्रावधानानुसार मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को दी जाती है। विधान सभा क्षेत्र ओसियां में माह जनवरी, 2019 से जनवरी, 2023 तक आमजन व निगम कार्मिकों के साथ घटित घातक विद्युत दुर्घटनाओं में मुआवजा राशि से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) वर्तमान में उक्त प्रक्ररणों में मुआवजा राशि बढ़ाने अथवा अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर में यूनानी औषधालयों में रिक्त पदों पर भर्ती

312. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर में यूनानी औषधालय कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में यूनानी औषधालय में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने चिकित्सक व कर्मचारी किस-किस स्थान पर कार्यरत हैं एवं उनके कितने पद कहां-कहां पर कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विगत पांच वर्षो में उक्त चिकित्सकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौरासी एवं डूंगरपुर जिले में यूनानी चिकित्सा पद्धति के नवीन औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में संचालित यूनानी औषधालयों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) डूंगरपुर जिले में संचालित यूनानी औषधालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। बैकलॉग के 34 पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2021 में विज्ञापन जारी किया गया, जिसके अन्तर्गत योग्य पाये गये 11 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। नियुक्ति आदेश परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) आयुष नीति-2021 में निर्धारित मानदण्ड, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राप्त प्रस्तावों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर नवीन यूनानी औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में जिला कलेक्टरों द्वारा जनसुनवाई की योजना

313. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या प्रदेश में आम जनता की समस्याओं के निवारण हेतु जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा की जा रही जन सुनवाई की तर्ज पर दिनभर जन

(श्री बाबूलाल नागर)

सुनवाई हेतु खुला द्वार अन्य जिलों के जिला कलेक्टरों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी लागू कर समस्याओं के निराकरण की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय समय में यदि वे कार्यालय में उपस्थित हैं तो प्रत्येक दिन जनसुनवाई की जाती है।

राज्य के प्रत्येक जिले में माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरुवार को उप खण्ड व तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पर प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक जनसुनवाई की जा रही है। वर्तमान में जिला कलेक्टरों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा दिनभर जनसुनवाई किए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-01

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सदन पटल पर रखा गया प्रत्युत्तर

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	डी.एम.आई.सी. प्रोजेक्ट आने के बाद भू-रूपान्तरण पर (रोहट निम्बली ब्राम्हणान, निम्बली पटेलान, इंडली, झूंझरपुर , सिणगारी, दूदली, दलपतगढ़ एवं दानासनी) 09 गांवों में राजस्व ग्रुप-09 भूमि रूपान्तरण विभाग जयपुर द्वारा राजस्व/भू- रूपान्तरण/2013 दिनांक 10-09-2013 रोक लगने के कारण डी.एल.सी. प्रभावित हुई है।	बाजार दर का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है।
2.	डी.एल.सी. दिनांक 12-02-2009 की रोहट-जोधपुर मुख्य डामर सड़क 2,00,000/- प्रति बीघा थी, डी.एल.सी. दिनांक 09-03-2011 की रोहट-जोधपुर मुख्य डामर सडक 8,05,000/- प्रति बीघा थी, डी.एल.सी. दिनांक 14.07.2012 की रोहट-जोधपुर मुख्य डामर सड़क 12,01,000/- प्रति बीघा थी, जो कि तीन वर्ष में डी.एल.सी. 3,00,000/- से 12,00,000/- हुई तथा भू-उपयोग परिवर्तन के रोक के कारण पिछले 10 वर्षों में मात्र 5,00,000/- बढ़ी। अगर भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक नहीं होती तो डी.एल.सी. तकरीबन एक करोड़ होती।	बाजार दर का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
3.	अधिग्रहण की जा रही भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. रोहट-6,73,462 हैक्टेयर, निम्बली ब्राम्हणान-2,38,424, झूंझारपुर-1,57,230, सिणगारी-2,73,090, दुदली-2,73,690 जबकि बाजार भाव लगभग 60,00,000 प्रति हैक्टेयर है।	बाजार दर का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है।
4.	जिला कलेक्टर महोदयजी पाली के आदेश क्रमांक एफ12 (3) राज./20/6141 दिनांक 16.12.2020 द्वारा उक्त 09 ग्रामों की सभी राजकीय भूमि का नामान्तरण जे.पी.एम.आई.ए. विकास प्राधिकरण रीको के नाम से दर्ज किया गया है, जबकि उपरोक्त गांवों की आबादी के समीप ग्राम पंचायत मुख्यालय से 500 मीटर एवं अन्य गांवों से 250 मीटर की परिधि तक लगभग लोग पीढ़ियों से पक्का मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, जिनका बिना भौतिक सत्यापन किये एक मात्र आदेश से नामान्तरण किया गया है।	राजस्थान सरकार उद्योग (ग्रुप-1) विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.10.2020 से राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम 2016 की धारा 3 के अधीन घोषित जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जे.पी.एम.आई.ए.) विशेष विनिधान रीजन के लिए राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (रीको) को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (आरडीए) के रूप में पदाभिहित करते हुए जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत समस्त राजकीय भूमि, चरागाह भूमि सहित (आबादी एवं आबादी विस्तार को छोड़कर) आरडीए में निहित हो जाती है। अतः प्रावधानानुसार उक्त 9 ग्रामों की राजकीय भूमि का नामान्तरण जे.पी.एम.आई.ए. विकास प्राधिकरण, रीको के नाम दर्ज किया गया है।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
5.	इस क्षेत्र को विशेष विनियोग रीजन घोषित करते हुए जे.पी.एम.आई.ए. नामित किया गया, जो कि सरासर गलत है। यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता है।	राज्य सरकार उपयोग (ग्रुप-1) विभाग की अधिसूचना 12.10.2020 से राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम 2016 की धारा 3 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा पाली जिले की रोहट तहसील के ग्रामों यथा रोहट, निम्बली ब्राम्हणान, निम्बली पटेलान, ढूंढली, झुंझरपुर, सिणगारी, दूदली दलपतगढ़ एवं दानासनी के सम्पूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक विशेष विनिधान रीजन घोषित किया गया है। यह कार्यवाही पूर्णतया विधि अनुरूप है।
6.	राजस्थान सरकार के विभिन्न शहरी निकाय जैसेः जे.डी.ए. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अधिग्रहण भूमि के बदले 2.5 गुणा मुआवजा या 25% विकसित भूमि दी जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र का मुआवजा 4 गुणा या 40% विकसित भूमि दिया जाने का प्रावधान रखा जाए, इस हेतु जे.पी.एम. आई.ए. विकास प्राधिकरण रीको का मास्टर प्लान में व्यवधान होता है तो अभी से जमीन ज्यादा अधिग्रहित की जाए।	वर्तमान में जे.पी.एम.आई.ए. के सम्बन्ध में भूमि के बदले भूमि देने का प्रस्ताव नहीं है।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
6.	राजस्थान सरकार के विभिन्न शहरी निकाय जैसेः जोडीएः राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अधिग्रहण भूमि के बदले 2.5 गुणा मुआवजा या 25% विकसित भूमि दी जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र का मुआवजा 4 गुणा या 40% विकसित भूमि दिया जाने का प्रावधान रखा जाए। इस हेतु जे.पी.एम. आई.ए. विकास प्राधिकरण रीको का मास्टर प्लान में व्यवधान होता है तो अभी से जमीन ज्यादा अधिग्रहित की जाए।	वर्तमान में जे.पी.एम.आई.ए. के सम्बन्ध में भूमि के बदले भूमि देने का प्रस्ताव नहीं है।
7.	ग्राम निम्बली ब्राम्हणान, निम्बली पटेलान में श्मशान, जो कि गोचर में स्थित है व झूंझरपुर गांव की पुरानी आबादी का भी भौतिक सत्यापन नहीं किया तथा नामान्तरण कर दिया गया है।	राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम 2016 की धारा 27 के तहत की गई कार्यवाही विधि अनुरूप है। इस धारा के अनुरूप आबादी एवं आबादी विस्तार क्षेत्र को छोड़कर शेष समस्त राजकीय भूमि (चरागाह भूमि सहित) आरडीए में निहित की गई है। आबादी एवं आबादी विस्तार को आरडीए में निहित नहीं किया गया है। श्मशान के सम्बन्ध में विस्तृत प्लानिंग करते समय नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
8.	डी.एम.आई.सी. प्रोजेक्ट में आने वाले गांवों भू-रूपान्तरण विभाग, जयपुर द्वारा राजस्व/भू- रूपान्तरण/2013 दिनांक 10-09-2013 पर रोक लगाने के कारण गांव में मूलभूत सुविधा जैसे आबादी , व्यवसाय, उद्योग, पेट्रोल पम्प लोक परियोजनार्थ सुविधा आदि का विस्तार नहीं हो सका।	बिन्दु संख्या 8 के अनुसार परियोजना क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में भू-रूपान्तरण पर लगी रोक हटाये जाने के संबंध में समस्त पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है। तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।
9.	डी.एम.आई.सी. द्वारा अधिग्रहण करने के अलावा शेष भूमि पर भू-रूपान्तरण एवं अन्य गतिविधियां हो सकती हैं, जिससे 09 गांवों के लोगों को राहत मिल सके।	बिन्दु संख्या 8 के अनुसार परियोजना क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में भू-रूपान्तरण पर लगी रोक हटाये जाने के संबंध में समस्त पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है। तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।
10.	डी.एम.आई.सी. द्वारा अधिग्रहित भूमि, जो गोचर, ओरण, आगोर, सिवाय चक आदि भूमि में बने मकानों के पुनर्वास हेतु अलग प्रावधान कराएं।	राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

1. बाड़मेर-जैसलमेर जिलों के S.T. के परिवारों को मरु क्षेत्रीय विकास क्षेत्र के अनुसार सुविधाएं देने, कृषि कनेक्शन हेतु S.T. के परिवारों को प्राथमिकता देने तथा S.T., S.C. छात्रावास में बालका-बालिकाओं की सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

2. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में अनुसूचित जनजाति के लोगों को टाडा-माडा के तहत कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता देने एवं सीमावर्ती जिला बाड़मेर में अनुसूचित जनजाति के लोगों को टाडा-माडा के तहत सुविधाएं व आरक्षण में विशेष चयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़-जंक्शन):

3. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन के मुख्यालय पर जनजातीय छात्रावास खोलने पर चर्चा के लिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

4. प्रदेश में सरकारी नौकरियों में TSP एरिये में जनसंख्या के अनुपात से नियुक्ति दी जाने, TSP एरिये में हर उपखण्ड स्तर पर सरकारी महाविद्यालय खोले जाने तथा TSP एरिये से निकलने वाले राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान-सम्मान दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

5. एस.सी. की तर्ज पर एस.टी. भील जनजाति को भी कृषि कनेक्शनों में वरीयता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. जिला बाड़मेर में टाडा-माडा योजना की भांति विशेष योजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7. बाड़मेर जिले में मनरेगा योजना के अन्तर्गत एस.सी./एस.टी. वर्ग के लिए सहरिया, कथौडिया जाति की भांति 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8. एस.सी. एवं एस.टी. वर्ग की ढाणियों एवं मजरों, बस्तियों में सी.सी. रोड के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. प्रदेश में एस.सी., एस.टी. प्रतिनिधित्व करने वाली ग्राम पंचायतों में विशेष बजट आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

10. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के जनजातीय क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच करवाने हेतु चर्चा के लिए।

11. प्रदेश में जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए ब्लाक स्तर पर अलग से कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की जनजाति बहुल ग्राम पंचायतों के लिए टी.ए.डी. से विकास हेतु राशि दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

13. प्रदेश में जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण से ग्रसित बच्चों को विशेष पोषाहार देने हेतु विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में करदा व लोसिंग में छात्र-छात्राओं हेतु नवीन छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. प्रदेश में जनजाति क्षेत्रों के कृषकों हेतु सौर ऊर्जा से सिंचाई की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा स्थित एकलव्य मॉडल विद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए, खेलकूद एवं खेल मैदान हेतु राशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. प्रदेश में जनजाति क्षेत्रों के स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

18. चितौड़गढ़ जिले में श्री सांवलियाजी राजकीय महाविद्यालय मण्डफिया में जनजाति बालिका छात्रावास को जनजाति बालक छात्रावास में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बिखरी आबादी के गांवों का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र कपासन की अनुसूचित जनजाति बस्तियों का सर्वे कर जनजाति क्षेत्रीय विभाग में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

21. विधान सभा क्षेत्र मावली के घासा (मावली) में जनजाति छात्रावास स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. मावली तहसील में बिखरी हुई जनजाति बस्तियों में पानी, सड़क, स्कूल व शमशान घाट की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबुलाल (झाडोल):

23. प्रदेश में आवासीय छात्रावासों में पेयजल की व्यवस्था करने, महाद कोटड़ा में आवासीय छात्रावास खोलने तथा आवासीय छात्रावासों में नवीन बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

24. पिण्डवाड़ा तहसील में जनजाति आवासीय बालिका छात्रावास खोलने एवं मूलभूत सुविधाओं की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

25. प्रदेश में TSP क्षेत्र में पे-स्केल 1 से 9 तक में जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को आरक्षण देने, मेडिकल और इन्जीनियरिंग की तर्ज पर RAS एवं RJS भर्ती में भी 12.5 में से TSP की जनसंख्या के आधार पर 6% अलग से आरक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. प्रदेश में मां-बाड़ी शिक्षा सहयोगियों और डे-केयर केन्द्रों के कार्मिकों को नियमित करने, TSP क्षेत्र में 500 मां-बाड़ी केन्द्र खोलने तथा बोरी A, देवपुरा में बालिका छात्रावास एवं ग्यासपुर, चकुण्डा में बालक छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट):

27. विधान सभा क्षेत्र लोहावट में बिखरी हुई भील समाज की आबादी के लिए ग्रेवल सड़क एवं पानी की व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

28. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के पंचायत समिति मुख्यालय कल्याणपुर में जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
29. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के पंचायत समिति मुख्यालय पर जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
30. प्रदेश में सीमावर्ती एवं मरुस्थलीय क्षेत्र के जनजाति के उत्थान हेतु क्षेत्रीय जनजाति विकास क्षेत्र में संचालित सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
31. प्रदेश के सीमावर्ती एवं मरुस्थलीय क्षेत्र के जनजाति के उत्थान हेतु मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

32. जनजाति क्षेत्र के वन क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को पट्टे नहीं मिलने से सामाजिक सुविधाओं में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में आवश्यक चर्चा के लिए।
33. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जनजाति किसानों के लिए कुएं गहरे कराने, नये कुएं खुदवाने तथा बिजली के कनेक्शन जनजाति विभाग द्वारा कराने के सम्बन्ध में आवश्यक चर्चा के लिए।
34. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के आदिवासी बहुल क्षेत्र में नदी-नालों पर छोटे-छोटे एनिकट व नदियों के ऊपर पुल निर्माण और सड़कों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
35. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की ग्राम पंचायतों नठारा, सर्सिया व काट में नये बालक-बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
36. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के वनवासी क्षेत्र में आवासीय विद्यालय अधिक संख्या में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

37. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की तहसील रेवदर में भील व गरासिया जनजाति बहुल गांवों के जनजातीय क्षेत्रों में देय सुविधाओं, योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
38. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के जनजातीय क्षेत्रों में सरकार द्वारा विभिन्न

विभागीय योजनाओं, विकास में गत 4 वर्षों से निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के जनजातीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के अभाव में गत 4 वर्षों के दौरान सरकारी सेवा में चयन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में संचालित जनजातीय छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव व गुणवत्तापूर्ण भोजन, चिकित्सा का अभाव एवं रहन-सहन का वातावरण नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

41. पंचायत समिति रामगढ़ (अलवर) के माडा में चयनित ग्राम मीनापुरा, नयाबास, पीपली का बास में कार्य स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

42. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन बनवाने एवं सभी छात्रावासों पर शौचालय व पानी की उचित व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के जनजाति क्षेत्र में नये आवासीय छात्रावास खुलवाने तथा जनजाति क्षेत्र में विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

44. प्रदेश में डांग एवं माडा योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए बजट उपलब्ध कराने एवं जनजाति क्षेत्रों में विकास करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

45. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में नये जनजाति छावावास खोलने, जर्जर भवनों की मरम्मत कराने तथा TSP क्षेत्र की सरकारी नौकरियों में TSP का 6% आरक्षण सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सिंचाई हेतु पुराने कुओं को गहरे कराकर

पक्की मुण्डेर बनाने एवं वनाधिकार क्षेत्रों के पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

47. विधान सभा क्षेत्र बाली के TSP क्षेत्र में लंबित पड़े सोलर पंपों के आवेदनों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र बाली में जनजातीय क्षेत्रीय विकास का पिछले 4 वर्षों में एक भी नया कार्य स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र बाली की ग्राम पंचायत गोरीया में आवासीय जनजाति छात्रावास एवं विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. प्रदेश में जनजाति भागीदारी योजना के तहत लंबित प्रकरणों को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र बाली की ग्राम पंचायत रामपुरा व कुण्डाल को TSP क्षेत्र में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

52. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामों में विकास कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के किसानों को वरीयता से कृषि कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

55. प्रदेश के सभी जनजाति क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

56. जिला चित्तौड़गढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

57. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के माडा योजना में शामिल गांवों में विकास कार्य करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

58. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जनजाति बहुल गांवों को माडा योजना में शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माडा योजना में शामिल गांवों में विकास कार्य स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

60. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के शाहबाद में भील समाज का छात्रावास खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

61. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता की भांति रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को भी प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. अनुसूचित जनजाति विकास कोष से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की एस.टी. बहुल ग्राम पंचायतों तावीदर, मौखातरा इत्यादि में विकास कार्य स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के जसवंतपुरा उप खण्ड मुख्यालय पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए आश्रम छात्रावास स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

64. विधान सभा आहोर के बैदाना खुर्द जिसकी आबादी का 80 प्रतिशत जनजाति है, में उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र आहोर के जनजाति बहुल क्षेत्र में विद्युत (कृषि) कनेक्शन में वरीयता देने के संबंध में।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

66. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के कालैर में जनजाति (माडा) बालिका छात्रावास खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

67. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में एकलव्य मॉडल के आवासीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में जनजाति छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित अनुसूचित जनजाति बहुल बस्तियों में हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित जनजाति बहुल बस्तियों में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

71. प्रदेश के आदिवासी समाज की संस्कृति, कला, परम्परा व भाषा के संरक्षण के संबंध में चर्चा के लिए।

72. प्रदेश में जनजातीय छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उत्थान के संबंध में चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में जनजाति छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

74. प्रदेश में जनजाति क्षेत्रों में स्कूल खोलने, स्वास्थ्य के लिए पी.एच.सी. व सी.एच.सी. खोलने तथा आर्थिक विकास के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

75. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के मादलिया पंचायत के जनजातीय क्षेत्र ग्राम जोधपुरा में सामुदायिक भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के कोलाना पंचायत के ग्राम सातधारा, फाट का डाबरा, सारगपुर, लक्ष्मीपुरा को माडा योजना में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

77. प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं से होने वाले कार्यों के भौतिक सत्यापन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करने, विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन, विभिन्न योजनाओं के तहत व्यय राशि के भौतिक सत्यापन एवं इन क्षेत्रों में संचालित छात्रावासों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के बारे में आवश्यक चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

78. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के मुकाबले माडा योजना, बिखरी जनजाति, माडा कलक्टर क्षेत्र के कार्यों में बजट आवंटित किये जाने में बरती जा रही उदासीनता पर आवश्यक चर्चा के लिए।

79. जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता की अनवरत मांग के बावजूद अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान हेतु रायथल (बूंदी) एवं ढीपरी कालीसिंध (कोटा) में जनजातीय आवासीय विद्यालय स्वीकृत कर संचालित करवाने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में जनजाति विकास हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता योजना अन्तर्गत चयनित ग्रामों में अन्तराल पूर्ति पर प्रस्तावित एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा सुझाये गये कार्य करवाने की अत्यन्त आवश्यकता तथा प्रस्तावित कार्य स्वीकृत करने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 54 के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा सुझाये गये कार्य करवाने की आवश्यकता तथा प्रस्तावित कार्य स्वीकृत करने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

82. कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक बारां द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रिक्त 41 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति दिनांक 08.06.2022 में अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्ति शून्य दर्शाये जाने से संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

83. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में भौतिक एवं आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के माडा योजना के चयनित गांवों में सड़क, नाली, पेयजल एवं सामुदायिक भवनों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के अनुसूचित जनजाति बहुल

क्षेत्रों में घरेलू सोलर लाइट को प्रोत्साहन करने हेतु अनुदान राशि की बढ़ोतरी के संबंध में चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए नवीन छात्रावासों का निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में माडा योजना से कराये जाने वाले विकास कार्यों पर चर्चा के लिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

88. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के उप खण्ड मुख्यालय बागोड़ा (एस.टी.) में छात्रावास खोलने तथा एस.टी. को कृषि कनेक्शन (टाडा-माडा) देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

89. विधान सभा क्षेत्र कठूमर की एस.टी. आबादी हेतु माडा योजना से राशि स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

90. प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

91. प्रदेश में टी.ए.डी. विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में कार्यरत सफाई कर्मी, चौकीदार, कूक कम हेल्पर एवं अन्य अस्थायी कार्मिकों का समय पर भुगतान नहीं होने एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर दैनिक मजदूरी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के जनजाति बालिका छात्रावास, सिमलवाड़ा के भवन विहीन होने से अध्ययनरत बालिकाओं को आ रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

93. प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्वच्छ परियोजना के अन्तर्गत लगे शिक्षा सहयोगी एवं ब्लाक कोर्डिनेटरों को संविदा नियम, 2022 के तहत स्थायीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के अनपूरा वाणियातालाब में बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों हेतु जारी अधिसूचना 2013 एवं संशोधित अधिसूचना 2016 के आधार पर लागू आरक्षण व्यवस्था की विसंगतियों को दूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

96. अनुसूचित जनजाति विकास कोष से राजसमन्द जिले में कार्य स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में एकलव्य आदर्श विद्यालय की स्थापना करने पर चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में जनजाति छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में जनजाति की बिखरी आबादी क्षेत्रों में पर्याप्त विकास कार्य स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में जनजाति किसानों को सौर ऊर्जा चालित पंप उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

101. प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में बजटीय घोषणा अनुसार स्वीकृत राशि व्यय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

102. प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में संचालित छात्रावासों में अधीक्षक के पद लंबे समय से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

103. प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति लंबित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

104. प्रदेश के जनजाति क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. प्रदेश में जनजाति क्षेत्र में जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बंद पड़ी सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

106. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में सहरिया आवास योजना को पुन: चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में जनजाति छात्रावास भवन निर्माण में अच्छी गुणवत्ता सामग्री उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

108. विधान सभा क्षेत्र आमेर में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. प्रदेश के समस्त जनजाति क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. प्रदेश के जनजाति क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. प्रदेश के टी.एस.पी. क्षेत्र के योग्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, रोजगार, कृषि सुधार एवं विद्युतीकरण को सुदृढ़ कराने हेतु अतिरिक्त राशि का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

113. प्रदेश के टी.एस.पी. क्षेत्र में लगे नॉन टी.एस.पी. कर्मचारियों को जनजाति क्षेत्र से हटाकर एस.टी. वर्ग के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू):

114. अनुसूचित जनजाति के रेगिस्तानी क्षेत्र के निवासियों के लिए विशेष बजट प्रावधान के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

115. बांरा जिले में सहरिया जनजाति को दी जा रही सुविधाओं की तर्ज पर जोधपुर संभाग में भील जनजाति एवं मीणा जनजाति को सुविधाएं एवं अधिकार दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. जनजाति उपयोजना क्षेत्र से बाहर निवास करने वाले आदिवासियों (भील/मीणा) को कृषि विद्युत कनैक्शन में प्राथमिकता प्रदान करने हेतु सामान्य से अलग सूची संधारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. जनजाति उपयोजना क्षेत्र से बाहर आदिवासियों की अधिक आबादी वाले गांवों मे संबल योजना के समस्त परिलाभ दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. जालौर जिले में एकलव्य मॉडल स्कूल एवं सायला में जनजाति छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-03

मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

1. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के आंगनबाड़ी केन्द्रों में साफ-सफाई, रिक्त पदों पर पदस्थापन एवं विधवा महिलाओं को पेन्शन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर):

2. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आशा सहयोगिनों एवं कार्यकताओं की अनुदान राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

3. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने एवं रिक्त पदों पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

4. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ाने एवं मातृ शक्ति के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं को सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

5. प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं ग्राम साथिनों के नियमितीकरण के संबंध में चर्चा के लिए।
6. प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिकों के मानदेय में 15% वृद्धि करने की बजट घोषणा के स्थान पर 50% वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

7. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी पंचायत समिति मुख्यालय पर सी.डी.पी.ओ. कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. प्रदेश में स्वयं सहायता समूह को दी जाने वाली नियमानुसार राशि का भुगतान समयबद्ध रूप से किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजस्व गांवों/मौहल्लों/मजरों/ढाणियों में आवश्यकतानुसार नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
10. प्रदेश के आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नामित बच्चों के भौतिक सत्यापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
11. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नियोजित कार्यकर्ता, सहयोगिनी, ग्राम सहायिका एवं विभिन्न पदों के कार्य के संबंध में ग्राम पंचायतों में सर्कुलर जारी करवाकर अवगत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

12. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय का भवन बनवाने, नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने एवं भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

13. प्रदेश की आंगनबाड़ियों में मिलने वाले पोषाहार की गुणवत्ता सही नहीं होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव के संबंध में चर्चा के लिए।
14. प्रदेश में विभाग द्वारा पोषाहार का टेण्डर दिये जाने में हुई अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

15. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर विशेष सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
16. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
17. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
18. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सफाई, पेयजल एवं खेलकूद हेतु व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
19. प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग की गर्म नाश्ता योजना का भुगतान लम्बे समय से नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

20. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में भवन रहित आंगनबाड़ियों हेतु भवन स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मंडी):

21. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मंडी के सभी गांवों, मजरों, ढाणियों व शहर के हर वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

22. महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय राशमी के भवन की मरम्मत करने एवं चारदीवारी के लिए बजट आबंटन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र कपासन के क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी भवनों की जांच करवाकर मरम्मत की राशि उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

24. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मिलने वाला पोषाहार घटिया किस्म का होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

25. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिका व अन्य कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

26. बड़ी सादड़ी में CDPO के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के डूंगला में CDPO के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

28. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के गोविन्दगढ़ में स्थित ग्राम-हरसोली, नसवारी एवं मूंडपुरी में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

29. प्रतापगढ़ जिले में स्वयं सहायता समूहों के आंगनबाड़ी पोषाहार का भुगतान करने एवं सभी राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर):

30. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में जोधपुर शहर के नये वार्डों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

31. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संचालित गतिविधियों एवं योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु ठोस कदम उठाने एवं संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. प्रदेश में विभाग में लम्बे समय से चल रहे विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. प्रदेश में सभी विकास खण्डों पर विभाग की गतिविधियों एवं योजनाओं के संचालन हेतु प्रशिक्षण हेतु आधुनिक सुविधाओं युक्त सभागार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ब्लॉक बालोतरा एवं कल्याणपुर में नवीन आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

35. प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का समुचित क्रियान्वन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा जयसमन्द, गिंगला, झल्लारा में महिला एवं बाल विकास कार्यालयों के भवन जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए ऊनी स्वेटर, कपड़े, जूते, मोजे, तेल-साबुन, खाद्य पदार्थ, टोनिक व स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान, खिलोनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग में आशा सहयोगिनी,

सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेक्टर सुपर वाइजर, महिला एवं बाल विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

40. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के घनी-आबादी क्षेत्रों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गत 2 वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण पोषाहार समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

43. विधान सभा क्षेत्र नोखा में पांचू पंचायत समिति मुख्यालय व उप तहसील मुख्यालय पर महिला एवं बाल विकास परियोजना का ब्लाक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र नोखा के आंगनबाड़ी केन्द्रों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी एवं आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र नोखा के भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन बनाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र नोखा के राजस्व गांव शरह माणकसर सहित आंगनबाड़ी केन्द्र से वंचित गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

48. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की मां-बाड़ी व आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भूमि आबंटित कर उनका भवन निर्माण करने के साथ ही रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी):

49. विधान सभा क्षेत्र लूणी के आंगनबाड़ी केन्द्रों से वंचित पंचायत मुख्यालय पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

50. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की नगरपालिका सुमेरपुर तखतगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नये भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

52. सांगोद में महिला एवं बाल विकास परियोजना में सी.डी.पी.ओ. का पद पिछले 4 वर्ष से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

53. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने एवं भवन स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

54. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने, भवन विहीन केन्द्रों के भवनों का निर्माण करने, कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता के साथ ही घटिया पोषाहार वितरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

55. विधान सभा क्षेत्र बाली के जर्जर अवस्था वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत करवाने, पीने के पानी की व्यवस्था करने एवं शौचालयों की सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन एवं सहयोगिनी आदि के मानदेय में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र बाली में ST एवं SC के जनसंख्या के अनुपात में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र बाली के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

59. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में मिड-डे मील योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे प्रोसेस्ड फूड (न्यूट्रीशियन फूड) के संबंध में चर्चा के लिए।

60. प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह के जरिये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म पोषाहार एवं नाश्ते की आपूर्ति के बकाया भुगतान के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

61. विधान सभा क्षेत्र नोहर में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र नोहर में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली उनियारा):

63. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में महिला एवं बाल विकास विभाग में समस्त रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

65. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय मे बढ़ोत्तरी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कुक-कम-हेल्परों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

67. प्रदेश में कार्यरत संविदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कार्यरत आशा सहयोगिनी व आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मूलभूत सुविधा के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

69. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण में आवश्यकतानुसार क्षमता वर्धन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की गर्भवती/धात्री महिलाओं के पोषण हेतु

आवश्यकता अनुसार विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा वितरित पोषाहार की नियमित जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पालनहार योजना के चयनितों को लाभान्वित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के वंचित गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

74. चित्तौड़गढ़ में बंद किये गये बालिका शेल्टर होम को पुन: प्रारम्भ कर क्षेत्र की असहाय बालिकाओं को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. प्रदेश में कार्यरत शिशु पालनागृह कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के समकक्ष वेतन/मानदेय दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

76. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सैनेटरी नैपकिनों के वितरण में अनियमितता बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पोषाहार वितरण में अनियमितता करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में घटिया पोषाहार वितरण किये जाने के संबंध में संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

79. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उचित मात्रा में पोषाहार उपलब्ध कराने के संबंध में।

80. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता तथा साथिनों के पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

82. राष्ट्रीय पोषण मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश की आंगनबाड़ियों में वेइंग मशीन, हाइट स्केल आदि उपकरण उपलब्ध कराने एवं आंगनबाड़ियों का विद्युतीकरण तथा डिजिटल किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में नवसृजित पंचायत समिति सरनाऊ मुख्यालय पर बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

84. अजमेर सहित सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. प्रदेश की आंगनबाड़ी केन्द्रों पर घटिया पोषाहार आपूर्ति संबंधित शिकायतों का तत्काल निराकरण करने तथा संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत महिला वर्कर्स को मानदेय का भुगतान हर माह किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत महिला वर्कर्स को स्थाई करने तथा उनके सम्मानजनक मानदेय में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. प्रदेश की आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत महिला वर्कर्स को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

89. महिला एवं बाल विभाग में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की घोषणा को चार वर्ष बीत जाने के बावजूद पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

90. महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल विकास परियोजना हेतु स्वयं के कार्यालय भवन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बालकों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को घटिया पोषाहार आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति तथा तत्काल निराकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. प्रदेश में महिलाओं के लिए संचालित इन्दिरा महिला शक्ति निधि योजना का लाभ पात्र महिलाओं को नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

93. महिला अधिकारिता विभाग द्वारा महिलाओं के स्वालम्बन हेतु संचालित विभिन्न स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पिछले चार वर्षो से अजमेर शहर में ही संचालित करने एवं धनलक्ष्मी केन्द्रों का महिलाओं द्वारा बनाये गये उत्पादों को बिक्री के लिए उपयोग में नहीं लिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

94. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में मिनी आंगनबाड़ी व आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

95. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, साथिनों को देय मानदेय में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के वंचित गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित मूल्य संवर्धित उत्पादों का प्रदर्शन एवं विपणन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नये भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

100. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने व भवन रहित आंगनबाड़ियों के भवन स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

101. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

102. 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं' योजनान्तर्गत प्रदेश को केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि व उसके अनियमित व्यय के संबंध में चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

105. आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरित होने वाले पोषाहार में पारदर्शिता लाने के संबंध में चर्चा के लिए।

106. प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने व स्थायी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

107. प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने तथा इन्हें स्थायी नियुक्ति देने तथा श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

108. प्रदेश में आशा सहयोगिनी एवं कार्यकर्ताओं के चयन में स्थानीय विधायक का परामर्श लिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. प्रदेश में आशा सहयोगिनी एवं कार्यकर्ताओं को मिलने वाले मानदेय को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित किये जाने वाले पोषाहार की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

111. महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत सभी मानदेय कार्मिकों को नियमित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में 21 आंगनबाडी केन्द्रों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराये जाने एवं भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

113. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण करने, दूरदराज की ढाणियों व छितरी आबादी में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र पर नि:शुल्क सैनेट्री नेपकिन वितरण करने, नागौर जिले में ठेकेदारों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति समस्त परिलाभ दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

114. जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता की अनवरत मांग के बावजूद विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में आवश्यक 100 से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता होने तथा उनको स्वीकृत कर संचालित करवाने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के आंगनबाड़ी केन्द्रों में टेक होम राशन एवं गर्म पूरक पोषाहार आपूर्ति हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

116. कोटा जिले के आंगनबाड़ी केन्द्र धनवा (सुल्तानपुर) में कार्यकर्ता को बर्खास्त करने के स्थान पर बिना प्रावधान के निलंबित करने एवं जांच रिपोर्टों में हेरफेर करके नियम विरुद्ध पुन: कार्य करने देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय हेतु भूमि आबंटन करवाने के बावजूद भवन निर्माण करवाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में शताधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों को भूमि एवं भवन उपलब्ध करवाकर सुव्यवस्थित संचालन किये जाने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

119. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में आंगनबाड़ी केन्द्रों से वंचित गांवों को योजना से लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. प्रदेश के ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत साथिन कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से बेसिक कम्प्यूटर कोर्स (आरएससीआईटी) के केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत विनिर्माण सेवा व्यापार हेतु बैंकों से अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के ड्राप-आउट बालिकाओं को चिह्नीकरण व प्रोत्साहित कर शिक्षित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

124. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी):

126. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम स्यार में आंगनबाड़ी केन्द्र प्रथम के भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर):

127. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में मां-बाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

128. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में सीडीपीओ के पद पर पदस्थापन के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

129. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के नवीन भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. डूंगरपुर जिले में लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनियों को मानदेय का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण में ठेकेदार एवं उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन जर्जर होने से बच्चों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

133. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में संचालित भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व साथिन के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में विभाग की इकाइयों को भौतिक विकास हेतु गोद दिये जाने व उनके मूल्यांकन के संबंध में आवश्यक चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

136. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

137. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के नवसृजित पंचायत समिति मुख्यालय सरनाऊ पर बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

138. विधान सभा क्षेत्र डग में उप खण्ड स्तर पर गंगधार, चोमहला में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी का पद सृजित करने व बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय चोमहला में खोलने के संबंध पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र डग में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद भरने व क्षेत्र में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा सहयोगिनियों आदि को नियमित करने या मानदेय में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिए।

141. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को मिलने वाले पोषाहार की गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्व की भांति पोषाहार वितरित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

142. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पिछले चार वर्षों से (जनवरी, 2019 से फरवरी, 2023 तक) विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नवीन भर्ती के लिए प्राप्त आवेदन व उनमें से अंतिम रूप से चयनित आंगनबाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी की सूची की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को मिलने वाले पोषाहार की गुणवत्ता में सुधार करने व पूर्व की तरह उच्च गुणवत्ता का पोषाहार उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनियों सहित अन्य विभागीय कर्मचारियों को नियमित करने, उनके मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

146. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

147. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में उड़ान योजना के अंतर्गत सेनेटरी नैपकिन वितरण की सुचारु व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

149. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा सहयोगिनियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त उचित जीवन वृत्ति लाभ दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाने में शिथिलता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में कार्यरत महिलाओं हेतु छात्रावास एवं शिशु सदन, डे केयर सेंटर की सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर):

152. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

153. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में मां-बाड़ी केन्द्रों पर लगे कार्मिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

155. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

156. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि तथा उन्हें नियमित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

159. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण का बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. प्रदेश में विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु परियोजना कार्यालयों में बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

164. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि तथा उन्हें नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर उन्हें राज्य कर्मियों की तरह पेंशन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

168. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने सहित विभिन्न प्रमुख मांगों का शीघ्र निस्तारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. प्रदेश में राजकीय विद्यालयों की तरह आंगनबाड़ी केन्द्र में पढ़ने वाले नन्हें बालक-बालिकाओं के लिए दूध उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. प्रदेश में शौचालय विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र आमेर में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुपोषण और अतिकुपोषण मिटाने के लिए सरकार की ओर से दिये जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता नियमित रूप से जांचने एवं पोषाहार में गड़बड़ी से संबंधित शिकायतों पर सख्त कार्यवाही करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

173. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के वंचित गांवों व ग्राम पंचायतों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

175. प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं सहयोगिनियों के वेतन में वृद्धि कर राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के विद्युत कनेक्शन से वंचित आंगनबाड़ी केन्द्रों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

177. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार का सुरक्षित संग्रहण करने हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

178. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

179. प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार की गुणवत्ता में सुधार किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

180. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

181. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

182. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा सहयोगिनी के वेतन भत्तें बढ़ाने व उनको नियमित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में महिला एवं बाल विकास के लिए विभिन्न योजनान्तर्गत विकास के बारे में चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार में किये जा रहे घोटाले के बारे में चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

185. जालौर जिले में सी.डी.पी.ओ. एवं महिला पर्यवेक्षकों के अधिकांश पद दीर्घ अवधि से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति तथा उन्हें शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहयोगिनी के चयन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाये जाने की दृष्टि से सारी प्रक्रिया ऑनलाइन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति लम्बे समय से नहीं होने से कर्मचारियों में उत्पन्न रोष एवं असंतोष की स्थिति पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-04

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास व मांग संख्या 32-महिला एवं बाल विकास पर सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

भा.ज.पा. की पूर्व सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना को आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी रसोई योजना नाम दिया है और रुपये 5 में मिलने वाला नाश्ता भी बंद कर दिया है। इसका सीधा असर जनजाति वर्ग और श्रमिकों पर पड़ रहा है। पहले वे सवेरे रुपये 5 में नाश्ता कर काम पर निकल जाते थे। अब उन्हें भूखे जाना पड़ रहा है। मैं इस योजना में नाश्ते को पुनः शुरू करने की मांग करता हूं।

अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 28% है। इनके विकास कोष की राशि 5000 करोड़ रुपये की जानी चाहिए जबकि आपने मात्र रुपये 1000 करोड़ ही की है। युवा विकास एवं कल्याण कोष में आपने मात्र 500 करोड़ रुपये की घोषणा की। ऊंट के मुंह में जीरा है। इसमें जनजाति युवाओं के हिस्से नहीं के बराबर राशि आएगी। बजट में 100 मेगा जॉब फेयर लगाने की घोषणा की गई है, लेकिन न तो वे जनजाति क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं और न ही जनजातीय युवाओं को उसमें कोई विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जनजाति और ग्रामीण युवाओं के लिए इनक्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर उदयपुर में स्थापित किया जाता तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं मांग करता हूं कि आपकी प्रस्तावित बायोटेक्नोलॉजी पालिसी, 2023 में ग्रामीण क्षेत्र के जनजाति उत्पादों के लिए विशेष प्रावधान रखे जाएं। जनजाति क्षेत्र का उत्थान करने के लिए सरकार की तरफ से खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए आपने केवल एक महाविद्यालय और एक कन्या महाविद्यालय जनजाति क्षेत्र में खोला जाना प्रस्तावित किया है। फैशन डिजाइन एवं फाइन आर्ट्स विषय गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में खोले जाने से जनजाति क्षेत्र का भला होता। काली बाई भील एवं देवनारायण योजनाओं में विकल्प प्रस्तावित करने की बजाय इलेक्ट्रिक स्कूटी ही दी जाए। इस बजट में फिर से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफार्म प्रदान करने की घोषणा तो की है, पर बीते सत्र में जो परेशानियां, विशेष तौर पर जनजाति क्षेत्र में आई थीं, उन्हें दूर करें।

जनजाति क्षेत्र में केवल एक ही आई.टी.आई. खोलने की घोषणा की

गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में भी जनजातीय युवाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। मात्र सौ करोड़ के बजट में 5000 अभ्यर्थियों के लिए आप कितना बड़ा उद्यम लगा देंगे? इसमें भी कितने जनजाति युवाओं को लाभ होगा? ग्रामीण और जनजाति क्षेत्र में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने के साथ ही वहां अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के विशेषज्ञ अध्यापकों की नियुक्ति करने की मैं मांग करता हूं। आवासीय विद्यालय भी अंग्रेजी माध्यम में खोले जाने की जरूरत है। मैं हर वर्ष प्रतिभाशाली छात्राओं को जयपुर की यात्रा करवाता हूं। इस बार उन्हें माननीय राज्यपाल महोदय जी ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। जनजाति बालिकाओं में साक्षरता बढ़ाने शिक्षा और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

टी.एस.पी. क्षेत्र में कार्यरत नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र के कार्मिकों का उनके क्षेत्र में ट्रांसफर करने की मैं मांग करता हूं। इससे उन्हें घर की रोटी नसीब होगी और हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर मिलेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भी इन्सान हैं। उनका भी घर परिवार है। उनके स्थानान्तरण पर से रोक हटाते हुए पारदर्शी नीति बनाकर इच्छित स्थानों पर उनका स्थानान्तरण किया जाए। सरकारी भर्तियों में राजस्थान के स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दिए जाने की भी मैं मांग करता हूं।

पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई दर का सीधा असर जनजाति वर्ग पर अधिक होता है। राजस्थान में डीजल पर 19.30 प्रतिशत और पेट्रोल पर 31% वेट है। रोड सेस भी लगता है। यह पड़ोसी राज्य से अधिक है। इनमें कमी करने की मैं मांग करता हूं।

अरावली पर्वतमाला के जंगलों, पहाड़ों की अवैध कटाई और अवैध खनन में लिप्त माफियाओं के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। पहाड़ों और जंगलों की रक्षा के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सीसारमा, कोड़ियात, उमरड़ा, डाकनकोटडा, काया जैसे क्षेत्रों की प्राकृतिक सम्पदा को तबाह कर दिया गया है। जनजातियों का जीवन पहाड़ों, जंगलों और प्रकृति पर निर्भर है। उन जनजातियों, वन्य जीवों और पारिस्थितिकी संतुलन का भविष्य संकट में है। इनकी रक्षा के लिए बजट में प्रावधान किया जाए।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत राशि स्वीकृत नहीं होने की वजह से लोग दुःखी हैं। इस योजना में 25 लाख रुपये की सुविधा का फायदा भी निजी अस्पताल ही उठाएंगे। इसमें कितना भ्रष्टाचार और जटिलता है, इसकी जमीनी हकीकत गरीब आदमी से पूछो, जो अस्पतालों में धक्के

खाता फिरता है और कोई सुनवाई नहीं होती। आपकी ही पार्टी की विधायक दिव्या जी मदेरणा ऐसे हालात से रूबरू हो चुकी हैं। राइट टू हैल्थ बिल के विरोध में पिछले दिनों प्रदेश के सभी निजी अस्पताल बंद रहे। इमरजेंसी सेवाएं भी ठप रहीं। इन अस्पतालों ने सरकारी योजनाओं के तहत एक भी मरीज भर्ती नहीं किया। उदयपुर जिले में सी.एच.एम.ओ. को सरकारी कर्मचारी ही फर्जी अस्पताल, लैब चलाते हुए मिल रहे हैं। इन हालात में लाभ जनता को कैसे मिलेगा? जनजाति क्षेत्र के मरीज तकनीकी ज्ञान के अभाव में और निजी अस्पताल की लूट-पट्टी का अभी भी शिकार हो रहे हैं।

आज भी जनजाति क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक जनजाति क्षेत्र और जनजातियों के विकास के नाम पर जितनी राशि खर्च हुई है, उसका वास्तव में कितना लाभ मिला है और कितना विकास हुआ है, इस बारे में श्वेत पत्र जारी करने की मैं मांग करता हूं।

वर्तमान बजट के लिए मैं यही कहूंगा कि 'कसमें, वादे, प्यार, वफा। सब बातें हैं, बातों का क्या।' पुरानी घोषणाओं में से आधी से भी ज्यादा पर अभी तक अमल बाकी है। इस बजट में आमदनी कहां से होगी, इसका कहीं पता ठिकाना नहीं।

2023 में सरकार रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए मनमर्जी से घोषणाएं कर रहे हैं।

यह बजट डूबती हुई सरकार का पोस्ट डेटेड चेक है।

प्रदेश में सर्वाधिक 6 मेडिकल कालेज उदयपुर में हैं। सर्वाधिक 11 मेडिकल कालेज उदयपुर सम्भाग में हैं। इसके बावजूद उदयपुर को मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं मिलना सौतेला व्यवहार है।

खान एवं भूविज्ञान विभाग का मुख्यालय उदयपुर में है। प्रदेश में सर्वाधिक खनन क्षेत्र उदयपुर में है। यहां की माइन्स से सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। देश का 77% सीसा और जस्ता मेवाड़ से सप्लाई होता है। हमारी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में माइनिंग के कोर्स भी पढ़ाये जा रहे हैं। लेकिन उदयपुर में खनन यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं करना घोर अन्याय है। खनन और मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित होने से इस जनजाति क्षेत्र का भला होगा।

पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध उदयपुर में रूरल और ट्राइबल टूरिज्म के लिए विशेष प्रावधान करने की मैं मांग करता हूं। मैं मेवाड़ की 'गवरी' को विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने की मांग करता हूं।

आदिवासी बहुल उड़ीसा के 10 जिलों में वर्चुअल हाईकोर्ट का उद्घाटन 03 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने किया है। 41 साल से प्रयास करने के बावजूद अभी तक उदयपुर-मेवाड़-वागड़ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं की गई है, जबकि यह क्षेत्र भी आदिवासी बहुल, पिछड़ा एवं दुर्गम है। मैं हाईकोर्ट की बेंच उदयपुर में स्थापित करने की मांग करता हूं।

जो आदिवासी धर्मांतरण कर चुके हैं, लाभ मिलने बंद होने चाहिए। आदिवासियों को बड़ा उद्योगपति बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। जनजाति क्षेत्र के जर्जर स्कूलों के हालात मैंने स्वयं देखे हैं। उनकी मरम्मत के लिए प्रस्ताव और मांग पर आधारित जीरो बजट दिये जाने की मैं मांग करता हूं।

वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित सामंत कमेटी एवं खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर तत्काल लागू किया जाए और विभिन्न वेतन विसंगतियों का तत्काल निस्तारण किया जाए।

अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण पर प्रतिबंध तत्काल हटाया जाए एवं स्पष्ट स्थानांतरण नीति-नियम बनाकर स्थानांतरण किये जाएं। समस्त पदों पर नियमित रूप से वर्षवार डीपीसी आयोजित कर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन किए जाएं। बीएलओ सहित सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए। जनाधार अधिप्रमाणीकरण एवं डीबीटी योजना के लिए संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाए। माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न तत्काल लागू कर पदों का सृजन किया जाए। विद्यालयों में पद आबंटन में हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम का भेद समाप्त कर समान रूप से पद आबंटन की प्रक्रिया लागू की जाए। कार्मिकों को इंटरनेट भत्ता प्रदान किया जाए। बाल मजदूरी और शोषण के लिए जनजाति क्षेत्र के बच्चों को खरीदा जा रहा है। उनके माता-पिता को बहला-फुसलाकर बच्चों को पढ़ाई-लिखाई छुड़वा कर घर परिवार से दूर शोषण किया जा रहा है। उसके लिए सरकार सख्त प्रावधान करें। राजस्थान के जनजाति क्षेत्रों से विशेष तौर पर मेवाड़ और वागड़ से जो जनजाति बंधु दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं, उनके लिए वहां पर उचित मजदूरी, शिक्षा, चिकित्सा, शोषण से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान किये जाएं। उन्हें ठेकेदारों और बिचौलियों के शोषण से बचाने और पूरा हक दिलवाने के लिए राजस्थान सरकार विशेष प्रावधान करे।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर)

* **स्थापना-** संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया है। इन्हीं शक्तियों के आधार पर और विकास हेतु वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गयी।

• **उद्देश्य-** अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास करना है।

* **जनजाति विकास हेतु कार्यक्षेत्र -**

अनुसूचित क्षेत्र

माडा

माडा क्लस्टर योजना

बिखरी जनजाति योजना

सहरिया आदिम जाति क्षेत्र।

जनजाति विकास का वित्त पोषण

राज्य योजना में कल्याण निधि।

संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के तहत अनुदान।

विशेष केन्द्रीय सहायता।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना।

सेन्ट्रल सेक्टर योजना।

इसके अलावा प्रत्येक विभाग द्वारा जनजाति विकास हेतु जनजाति उपयोजना राशि प्रस्तावित की जाती है।

राज. जनजाति परामर्शदात्री परिषद्

इस परिषद् के गठन का उद्देश्य जनजाति विकास की योजनाओं की समीक्षा करना और नई योजनाओं हेतु परामर्श देना है, लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले साढ़े चार साल के आपके शासन में मेरे उदयपुर जिले के किसी भी भा.ज.पा. विधायक को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया।

विभाग की कुल कर्मचारी संख्या

विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 426 स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र 171 कार्मिक कार्यरत हैं और 255 पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। क्या इस स्थिति में समेकित विकास या किसी योजना के क्रियान्वयन की कल्पना की जा सकती है?

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की प्रमुख योजनाएं

आश्रम छात्रावासों का संचालन-प्रदेश में विभाग द्वारा 410 आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, जिसकी कुल छात्र क्षमता-27415 है। इन छात्रावासों में 2500/- प्रतिमाह की दर से निःशुल्क भोजन/पोशाक आदि सुविधाएं दी जाती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के झल्लारा, सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी में कुल विद्यार्थी क्षमता के मुकाबले लगभग पूर्ण क्षमता से चल रहे हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से छात्रहित में और बढ़ाने की आवश्यकता है।

आवासीय विद्यालय संचालन योजना- अनुसूचित/माडा तथा सहरिया क्षेत्र में शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों का डेपुटेशन के माध्यम से नियुक्त कर 14 आवासीय विद्यालयों का संचालन हो रहा है, जिनमें कुल 3003 छात्र अध्ययनरत हैं।

कॉलेज छात्रावासों का संचालन-विभाग द्वारा प्रदेश के कालेज स्थल पर 9 कालेज छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 466 छात्रों/छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। इन छात्रावासों में निःशुल्क अल्पाहार/भोजन/पोशाक आदि सुविधाएं दी जाती हैं।

मेरे विधान सभा में कुल 2 एकलव्य मॉडल स्कूल हैं, जिनमें कुल छात्र क्षमता-960 के मुकाबले मात्र-320 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना का निर्माण एवं पुनरुद्धार इस योजना में सोलर/विद्युत मोटर द्वारा सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि की जाती है और मात्र 10 प्रतिशत उपभोक्ता को वहन करना होता है व बाकी 90 प्रतिशत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।

नहरों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार- जल संसाधन विभाग की नहर प्रणालियों के रखरखाव और विस्तार हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राशि दी जाती है। मेरे द्वारा वर्ष 2019-20 से ही इस वर्ष तक लगातार प्रस्ताव दिये जाने पर भी मेरे क्षेत्र की जयसमन्द,

हरचन्द बांध, केजड़ तालाब, थूरघाटी और मूंगलीतला की नहरों पर कोई मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है।

जल संग्रहण योजना के तहत एनिकट का निर्माण एवं पुनरोद्धार:- मेरे क्षेत्र में स्थित मूलेश्वर एनिकट का कार्य, पिछली भा.ज.पा. सरकार में करीब 20 करोड़ की लागत से करवाया गया था और आपकी सरकार आते ही इस कार्य को बंद करवा दिया गया।

सामुदायिक भवन निर्माण विधान सभा खेरवाड़ा के सेमारी ग्राम पंचायत में डोकलों की बागळ में और कल्लाजी मंदिर के पास, धावड़ी-लालपुरिया में सामुदायिक भवन निर्माण के बाबत स्वयं मंत्रीजी ने आदेश दिया, लेकिन आज चार साल के बाद भी इन दोनों सामुदायिक भवनों की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत जोर-शोर से 45,000 रूपये तक की विशेष मदद की घोषणा की गई, लेकिन आज दिनांक तक कितनों को फायदा पहुंचा, यह कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि कुसुम योजना से क्या फायदा है और क्या फायदा मिलेगा?

मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनजाति क्षेत्र की बालिकाओं हेतु स्कूटी वितरण योजना में विभागीय अधिकारियों ने कागजी कार्यवाही पूर्ण भी की, बच्चियों को हैलमेट भी दिया। और तो और स्कूटर की चाबी और ड्राइविंग लाइसेंस, आर.सी. भी दे दिया, कागजों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए और गेट पर स्कूटी का वितरण करने की फोटो खिंचवाकर इन बालिकाओं से यह स्कूटी वापस ले ली, जो किसी मजाक से कम नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, अपने जवाब में यह जरूर बताएं कि वह स्कूटियां गईं कहां?

आपकी सरकार ने जनजाति कल्याण निधि के तहत वर्ष 2022-23 में 36 करोड़ रुपये की लागत से जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरित करने का प्रावधान किया है। वहीं माडा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में 18 करोड़ रुपये की लागत से 3,000 जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरण का प्रावधान किया है। एफ माडा क्लस्टर क्षेत्र में 30 लाख रुपये की लागत से 50 जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरण का प्रावधान किया है। बिखरी जनजाति क्षेत्र में 17.40 करोड रुपये की लागत से 2,900 जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरण का प्रावधान किया है, लेकिन

मजे की बात यह है कि आज दिनांक तक स्कूटी का वितरण तो दूर की बात है, उस स्कूटी के खरीदने के टेंडर तक नहीं हुए हैं।

बजट घोषणा 2022-23 में प्रदेश के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा 250 मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की घोषणा की थी, लेकिन मेरा सलूम्बर क्षेत्र आज भी इस घोषणा से अछूता है। इस वर्ष 2023-24 में भी पुनः 250 मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की घोषणा की है, जिसकी पालना होना भी मुश्किल है।

सहभागिता योजना में सरकार द्वारा 70 प्रतिशत राशि वहन की जाती है और शेष 30 प्रतिशत राशि एम.एल.ए./एम.पी. लैड या स्थानीय ग्राम पंचायत/पंचायत समिति या जन सहभागिता द्वारा की जाती है, लेकिन उक्त 70 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा आज तक भी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को हस्तांतरित नहीं की गयी, जिसके अभाव में उक्त सहभागिता योजना एक कागजी घोषणा या योजना बनकर रह गयी है। पिछली बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में उक्त सहभागिता राशि को 500 करोड़ किया गया था और वर्तमान बजट 2023-24 में उक्त राशि को करीब 1 हजार करोड़ कर दिया गया, लेकिन जब पिछली बजट घोषणा की ही कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई तो इस बजट घोषणा में इसको बढ़ाकर करने का क्या औचित्य है?

जनजाति विकास के लिए चल रही राज्य योजना के तहत जनजाति कल्याण निधि में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान 659.25 करोड़ रुपये की राशि के विरुद्ध नवम्बर-2022 तक मात्र 368.05 करोड़ रुपये ही व्यय कर पाये हैं। इस वर्ष के शेष रहे इन महीनों में क्या यह पूरी राशि खर्च कर पाओगे?

जनजाति विकास के लिए चल रही केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, जैसे लघु वन उपज संग्रहण, टी.आर.आई. की योजनाएं, जैसे वनबन्धु कल्याण योजना, सहरिया विकास परियोजना, आश्रम स्कूल भवन निर्माण, छात्रावास भवन निर्माण आदि में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान 873.10 करोड़ रुपये की राशि के विरुद्ध नवम्बर, 2022 तक मात्र 491.70 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाये हैं।

संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के तहत अनुदान- इसमें वर्ष 2022-23 में 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और नवम्बर, 2022 तक मात्र 48.20 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं, जबकि इस अनुच्छेद के तहत तो बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत संरचनाओं, जैसे कि

छात्रावास निर्माण/ऐकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण, जनजाति महत्व के धार्मिक एतिहासिक स्थलों पर निर्माण और विकास कार्य आदि किये जाते हैं।

जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संघ के अधीन करीब 391 प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, जिनके माध्यम से मछली बीज उत्पादन/वितरण, वनधन विकास कार्यक्रम, लघुवन उपज संग्रहण एवं विपणन और उपभोक्ता सामग्री वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करवाये जाते हैं, लेकिन आज इतने महत्वपूर्ण विभाग में 162 कुल पदों के विरुद्ध मात्र 27 कार्मिक ही कार्यरत हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में वनाधिकार पट्टों के अभाव में बरसों बरस से रह रही आम जनता को आज भी पानी, बिजली, सड़क, पुलिया इत्यादि मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। क्या मंत्री जी के पास इसका कोई जवाब है?

वनाधिकार पट्टों के अभाव में मेरे विधान सभा क्षेत्र की पांच सड़कें नठारा-बड़ा चौराहा से गोटापानी, मंडास से राताखेत, मंडास से कलात और बलुआ से हरगाटा तक की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें वर्ष- 2013 से ही रुकी हुई हैं।

वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत दिसम्बर, 2022 तक उदयपुर जिले में ग्राम सभा के द्वारा 1,148 सामुदायिक दावे प्रस्तुत किये गये जिसमें 249 दावे स्वीकृत हुए और 854 दावे खारिज किये गये और 45 दावे अभी तक लंबित हैं। जो 854 दावे खारिज किये गये, वो किस आधार पर खारिज किये गये, उनके क्या कारण रहे, कृपया माननीय मंत्री अपने उत्तर में इसका जवाब जरूर बतावें।

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 1999 से 'पेसा एक्ट' लागू किया गया है, लेकिन बड़े दुःख की बात है कि इतने प्रभावी और लोकहितकारी कानून की आज भी पूर्णरूपेण पालना नहीं की जाती है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि कृपया इस एक्ट की पूर्ण पालना करवायी जावें।

बजट-2023-24 में

पैरा नं. 71 4 12 पर एस.सी. व एस.टी. के उत्थान के बारे में लिखा गया है। मुझे आश्चर्य है कि इतने बड़े बजट में 170 पेज और 270

पैरा लिखे गये हैं, लेकिन एस.सी./एस.टी. के उत्थान के लिए दो पैरों में मात्र चार-2 लाइनें लिख कर इतिश्री की है। राजस्थान मे एस.सी/एस.टी. की लगभग 2 से 3 करोड़ की आबादी है

राजस्थान की विधान सभा में एस.सी./एस.टी. के 60 से अधिक जन प्रतिधिधि आते हैं, लेकिन एस.सी./एस.टी. का भला 75 वर्षों में सरकारें नहीं कर पाई हैं।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर)

रजवास नदी पर गेस्न के रजवास के बीच दधिमाता के स्थान के पास एनिकट निर्माण करने से जमीन का कुओं का नलकूपों का जलस्तर बढ़ जायेगा।

टी.एस.पी. एरिया की तरह नॉन T.S.P. में 100% गांव जनजाति बहुल क्षेत्र को T.S.P. की तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिये।

सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के तहत बनास नदी में भरणीकलां ग्राम पंचायत में लिफ्ट सिंचाई हेतु पाइप लाइन डाली गई थी, वह खराब हो गई है। तीनों लिफ्टों की पाइप लाइन से करीब 1,500 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।

1. S.T. Commission की प्रगति रिपोर्ट प्रतिवर्ष विधान सभा के सदन में प्रस्तुत की जाए।
2. राज्य ST कमीशन बनाया जाए।

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में

जहां पर दूरदराज पर ग्राम ढाणियां बसी हुई हैं, वहां पर मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाने की मांग करता हूं।

60% से ज्यादा जनजाति बहुल आबादी होने के बाद भी माडा क्षेत्र की सूची शामिल नहीं है। मेरा अनुरोध है कि सर्वे करवाकर माडा योजना में जोड़ा जावें।

वन विभाग में होने के कारण आने-जाने के लिए सड़कों का निर्माण कार्य होने चाहिये।

महिला बाल विकास विभाग

मानदेय बढ़ाया जावे।

भवन विहीन आंगनबाड़ियों में भवन निर्माण की स्वीकृति दी जावे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़े ग्राम व अधिक आबादी होने के कारण नवीन आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की मांग करता हूं।

जर्जर भवनों की जगह नये भवनों का निर्माण किया जाना चाहिये।

S.T. कमीशन की प्रतिवर्ष प्रगति रिपोर्ट सदन में पेश की जानी चाहिये।

भारत सरकार की तरह भी राज्य सरकार द्वारा राज्य कमीशन आयोग का गठन करना चाहिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 30 व मांग संख्या 32 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मा. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से मांग करता हूं कि टीएस.पी. क्षेत्र में जनजाति परिवार के लोग गांवों में पहाड़ियों में बिखरी बस्ती में निवासरत हैं एवं उक्त परिवार मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधा से जूझ रहे हैं। अधिकतर परिवार वन भूमि में निवासरत है, जिन्हें वन अधिकार पट्टे नहीं मिले हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा के क्षेत्र में वन भूमि में विस्तार नहीं होता है। उक्त कार्यों के लिए योजना बनाकर लाभ देना आवश्यक है। पिछली बजट घोषणा एवं अभी की बजट घोषणा में 250, 250 मां-बाड़ी खोलने का प्रावधान किया था, परन्तु विधायक अनुशंसा पर हमें एक भी मां-बाड़ी स्वीकृत नहीं की गई है।

मा. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मांग है कि मां-बाड़ी विधायक की अनुशंसा पर ही स्वीकृत हो एवं टी.एस.पी. क्षेत्र में संचालित टी.ए.डी. के बजट की सम्पूर्ण योजना के कार्य विधायकों के विधान सभा क्षेत्र में विधायक की अनुशंसा पर ही स्वीकृत हों।

मा. अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे मांग है कि राज्य सरकार के कुल बजट का 13.5 प्रतिशत बजट टी.एस.पी. क्षेत्र को मिलना चाहिए, आज दिन तक हमें नहीं मिल रहा है जो दिया जावे। इसके अलावा अनु. जनजाति का आरक्षण निर्धारित 12 प्रतिशत 2011 की जनगणना के आधार पर 13.5 प्रतिशत होना चाहिए। इसको लागू करने की मांग है।

मा. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि अनु. जनजाति का आरक्षण 12 प्रतिशत निर्धारित है उसमें से टी.एस.पी. क्षेत्र में उच्च पदों पर लाभ नहीं दिया जा रहा है। मेरी मांग है कि 12 प्रतिशत में से

टी.एस.पी. क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का बंटवारा सम्पूर्ण भर्तियों व उच्च पदों पर मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए।

मा. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से मेरी मांग है कि विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में निम्न स्थानों पर सौर ऊर्जा चलित लिफ्टों की स्वीकृत आवश्यक है-

1. ग्रा.प. बिलोदा बेडियों में
2. ग्रा.पं. इटाऊवा डमोरपाड़ा
3. ग्रा.पं. ओडा में लालपुरा
4. ग्रा.पं. भतार में गुवरे पाडा दोलतगढ़
5. गोविन्दपुरा
6. ग्रा. पं. नाहली में पारगीपाडा
7. ग्रा.पं. बिलोदा में खखेडा
8. ग्रा. पं. कुवालिया से डाबरापाडा व डूंगरापाडा आदि में

लिफ्ट स्वीकृति आवश्यक है, जिन्हें किया जावे।

मा. अध्यक्ष महोदय, जनजाति कृषकों को पिछली भा.ज.पा. सरकार में व्यक्तिगत निजी कुएं गहरे मरम्मत के लिए एक-एक लाख रुपये पांच हजार कृषकों को स्वीकृत किये थे, आपने बंद कर दिये। पीने के पानी के लिए हैण्डपम्प, सड़कें, पुलियाएं आदि निर्माण आवश्यक हैं। ये अधिक से अधिक व्यक्तिगत लाभ देने की मेरी मांग है, जिससे आदिवासी समाज मजबूत होगा।

मा. अध्यक्ष महोदय, टी.एस.पी. क्षेत्र में सम्पूर्ण जाति वर्ग के लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे उन वर्ग को भी टी.एस.पी. क्षेत्र की योजना का लाभ मिलना चाहिए, उन्हें भी जोड़ने की मेरी मांग है।

मा. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि आदिवासी प्रकृति एवं संस्कृति में जंगलों में निवास करता आया है और शिवजी का पूजक है। भगवान श्रीराम जी ने 14 वर्ष वनवास में बिताये, माता शबरी के झूठे बेर खाये, आदिवासियों के पूर्वज धरती पर प्रथम ऋषि वाल्मीकि ऋषि के हम वंशज हैं। पाण्डवों ने 12 साल तक वनवास में बिताये, जिसके प्रमाण आज भी जंगलों में स्थापित हैं। उनकी पूजा अर्चना आज भी आदिवासी करते आ रहे हैं। भगवान श्रीराम जी के 14 वर्ष और पाण्डवों के 12 वर्ष वनवास में रहते उनकी सार-सम्भाल आदिवासियों द्वारा की गई एवं आदिवासियों के साथ उनका जीवन यापन चलता रहा। आज भी आदिवासी हिन्दू धर्म का मुख्य अंग हैं। पहला हिन्दू आदिवासी है, रहेगा, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है।

मांग संख्या 32-महिला एवं बाल विकास

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका, साथिनी आदि कार्यरत हैं। उनसे अपनी ड्यूटी के अलावा विभिन्न-विभिन्न अभियानों, जो सरकारों द्वारा चलाये जाते हैं, के सम्पूर्ण कार्य उनसे कराये जाते हैं, परन्तु उन्हें मानदेय कम दिया जाता है। मेरी मांग है कि उनका स्थायीकरण किया जाए एवं सरकारी कर्मचारियों को जो लाभ दिये जा रहे हैं, वे सम्पूर्ण लाभ उन्हें दिये जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योग्यता के अनुसार सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति से नियुक्ति दी जावे। उन्हें भर्ती परीक्षा से अलग रखा जाए, अनुभव के आधार पर पद भरे जाएं। सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका, साथिन आदि को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन दी जाए। चिरंजीवी योजना एवं बीमे का लाभ दिया जाए एवं मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्य को उसी विभाग में नियुक्ति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण टेण्डर प्रक्रिया से कराने में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने महिला समूहों के हाथों से रोजगार छीनकर बेघर कर दिया है, जिससे राजस्थान की महिला समूहों की महिलाओं में बड़ा आक्रोश है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पूर्व की तरह पोषाहार व्यवस्था महिला समूहों से कराई जाएं, जिससे महिलाओं को रोजगार मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में महिला एवं बाल विकास परियोजना तलवाड़ा में एवं महिला एवं बाल विकास परियोजना गढ़ी में दोनों कार्यालयों में सीडीपीओ महिला सुपरवाइजर, आफिस के कर्मचारी एवं पोषाहार वितरण करने वाले सप्लायर आदि की मिलीभगत से वर्ष 2021-22, 2022-23 में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों व धात्री गर्भवती महिला आदि के लिए आने वाले पोषाहार वितरण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। सुपरवाइजर अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी आदि को डरा कर वितरण बिल वाउचर पर हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं। आधा माल केन्द्र पर पहुंचता है आधा माल उनकी मिलीभगत से बेच दिया जाता है। कभी-कभी एक दो माह का वितरण नहीं कर, बेचकर भ्रष्टाचार किया गया है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि भ्रष्टाचार की जांच अन्य विभाग के अधिकारियों से कराई जाए, दोषी अधिकारियों को निलंबित कर ठेकेदार के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन नहीं हैं। बिजली, पानी, सड़क आदि सुविधाएं नहीं हैं। उन्हें चयन कर सुविधा देने की आवश्यकता है। नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की सरकार ने घोषणा की है। सभी विधान सभा क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सभी विधान सभा क्षेत्रों में विधायकों की अनुशंसा पर केन्द्र खोले जाएं।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा)

स्वच्छ परियोजना क्या है। इसमें अधिकारी नहीं है। फिर भी यह स्वच्छ परियोजना कार्य कर रही है। जबकि इसमें छापा मारा था।

माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या-30 जनजाति विकास विभाग पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

जनजाति विकास विभाग द्वारा जनजाति क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, कृषि पेयजल, बिजली आदि क्षेत्रों में काम करता है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र जनजाति उपयोजना क्षेत्र 2018 में सम्मिलित किया गया जिससे मेरे इस क्षेत्र के विकास की उम्मीद जगी है।

लेकिन मेरे विधान क्षेत्र की बड़गांव पं. स. के 12 ग्रा. प. इस योजना से वंचित है। मैं जनजाति मंत्रीजी से व सरकार से मांग करूंगा कि इस ग्रा. प. को भी TSP क्षेत्र में सम्मिलित करें, ताकि इस क्षेत्र का भी विकास हो सके।

शिक्षा भवन हमारे इस आदिवासी क्षेत्र में गांवों में विद्यालय तो सरकार ने बहुत खोल दिये हैं। इन विद्यालयों में विद्यालय भवन नहीं हैं। कई विद्यालय ऐसे भी हैं, जहां बहुत पुराने भवन जर्जर हालत में हैं।

कई विद्यालय ऐसे भी हैं, जो चदरों से बने हुए हैं। ये सभी चद्दर सड़ गये हैं। इसलिए सरकार से मांग करता हूं कि भवन निर्माण की राशि स्वीकृत करावें।

शिक्षा में गुणवत्ता:- सरकार द्वारा विद्यालय बहुत खोले भी, क्रमोन्नत भी किये हैं। मगर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। सीनियर सैकण्डरी स्कूल में थर्ड ग्रेड के अलावा एक भी अध्यापक नहीं है। हम यहां बैठकर बात जरूर करते हैं। मगर धरातल पर स्थिति खराब है। जो बच्चे 8वीं कक्षा में हैं, उन्हें अपना नाम लिखना नहीं आता है। ऐसे में हम इस आदिवासी क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, मगर स्थिति आपके सामने है। अत: मेरा निवेदन है। इसमें सुधार की सख्त आवश्यकता है। आपको किताब, दूध, मिड डे मील, स्कूल ड्रेस देना ही नहीं, इनको शिक्षा देनी है।

चिकित्सा :- हमारे आदिवासी क्षेत्र में आज भी कुपोषण जैसी घातक बीमारी बनी हुई है। उसका मुख्य कारण शिक्षा है। गांवों में आज भी कुपोषण ग्रसित बच्चे मिल जायेंगे। जनजाति विभाग इस समस्या को समझकर इसके

ठोस उपाय ढूंढे। कुपोषण का मुख्य कारण कम उम्र में शादी होना व कम उम्र में बच्चे होना है। जब तक शारीरिक विकास नहीं होगा तो उसका प्रभाव उस बच्चे पर भी पड़ेगा। अत: हम सब को मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा।

सिलिकोसिस :- हमारे आदिवासी क्षेत्र में रोजगार की कमी के कारण पत्थर घड़ाई कार्य करने पूरे भारत वर्ष में काम करने गये हैं। जो बड़े-बड़े मन्दिर बनवाने का काम करते हैं, जो पत्थर घड़ाई से जो पत्थर उड़ने वाली मिट्टी व पत्थर से उनके श्वांस द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और कम उम्र में ही उनके सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसके लिए जनजाति विभाग, चिकित्सा विभाग, माइनिंग विभाग को मिलकर विशेष कोई कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है।

चिरंजीवी योजना :- वर्तमान सरकार ने यह योजना तो चला दी है। मगर ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में सरकार की कोई भी योजना जमीनी स्तर पर उसका लाभ नहीं ले पाती है। जनजाति क्षेत्र में जनजाति विभाग इन योजनाओं में सहयोग करे।

पेयजल:- हमारे जनजाति क्षेत्र में बिखरी आबादी है। जो कि एक-एक परिवार अलग-अलग स्थान पर निवास करता है। आज भी ये परिवार नालों का गन्दा पानी पीता है, जिससे इनको कई प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ता है। अत: जनजाति विभाग ऐसे क्षेत्रों का सर्वे करवा कर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करावें।

जल जीवन मिशन :- केन्द्र सरकार द्वारा हर घर को शुद्ध पेयजल देने की योजना चल रही है लेकिन हमारे इस जनजाति क्षेत्र में इसकी गति बहुत धीरे चल रही है। योजना बन गई। राशि स्वीकृति से निविदा लग गई, टेन्डर खुल गया, मगर वर्क आर्डर के इन्तजार में सारे काम रुके पड़े हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की योजनाएं लगभग 90 हैं, जिनकी सारी प्रक्रिया हो गई, मगर वर्क आर्डर के अभाव में फाइलें जयपुर एवं उदयपुर की यात्रा कर रही हैं।

सड़क :- हमारा जनजाति विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग, अथवा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण करवाया जाता है। मेरे क्षेत्र में आज भी कई गांव ऐसे हैं, जो सड़कों से वंचित हैं। जिसमें वन विभाग में बसे हुए कई गांव हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे गांवों का सर्व करवाकर इन गांवों को सड़कों से जोड़ने की उचित कार्यवाही की जावे।

टूटी सड़कों का निर्माण

बिजली :- हमारे इस जनजाति क्षेत्र में पिछले वर्षों में वनबन्धु योजना, सौभाग्य योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, वंचित गांवों को बिजली।

शिक्षा

जनजाति क्षेत्र :-

1. भवन : जर्जर, भवन, कमरों की कमी
2. छात्रावास :- नये खोलना, करदा लोमिग
3. खेल मैदान, आधुनिक खेल उपकरण
4. एकलव्य मॉडल विद्यालय, गोगुन्दा
5. देवला क्षेत्र में नया एकलव्य मॉडल विद्यालय खोलने की आवश्यकता है।
6. गोगुन्दा एकलव्य मॉडल विद्यालय में
    - i. चारदीवारी अधूरी
    - ii. खेल मैदान
    - iii स्टाफ का ठहराव
    - iv विभागीय अधिकारियों का निरीक्षण नहीं
7. जनजाति क्षेत्र में संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ प्रिंसिपल के पद 90% रिक्त हैं। व्याख्याता के पद खाली हैं।
8. पिपला, खाम, मेरपुर, पालछा
9. नव क्रमोन्नत विद्यालय में लेवल I, II के अलावा पद स्वीकृत नहीं है।
10. TSP से NON TSP में स्थानान्तरण हो।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़)

सभापति महोदय, गांवों में सरकार की योजनाओं को घर-घर पहुंचाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं ग्राम साथिन महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, किन्तु धरातल पर कार्य करने के बावजूद इनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदन के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि इन सभी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर स्थायी किया जावे और न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये किया जावे। इसके अलावा आंगनबाड़ी संबंधित ऑनलाइन कार्यों के लिए डिजिटल सैट उपलब्ध करवाये जाएं।

इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए बजट में बढ़ोतरी की जाए, ताकि योजनाएं समयबद्ध रूप से पूरी हो सकें।

सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के अनेक गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन नहीं हैं और कई गांवों में भवन जर्जर अवस्था में हैं। इसलिए सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण करवाया जावे।

इसके अलावा श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रा.पं. लालासर, ग्रा. टेऊ सहित सभी गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएं।